नवम माला, खंड 9, अंक 14

बुधवार, 29 अगस्त, 1990
7 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 9 तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 14 बुधवार, 29 अगस्त, 1990/7 भाद्र, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 283, 287	...	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 288 से 303	...	24-41
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3287 से 3298, 3300 से 3388, 3390 से 3478 3480 से 3492 और 3494 से 3522	...	42-305
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	315-316
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	...	317
नौवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		
प्राक्कलन समिति	...	317
सातवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	...	317
दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत		

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण ... 324-339

असम में तेल नाकाबन्दी आन्दोलन के कारण बरौनी, गुवाहटी तथा बोन्गाइगांव के तेल शोधक कारखाने बन्द होना

श्री अजीत पांजा ... 324, 326-329

श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी ... 324-25, 335-339

श्री तेज नारायण सिंह ... 329-331

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ... 331

श्री सूर्य नारायण सिंह ... 331-332

प्रो. के. वी. थामस ... 332-335

नियम 377 के अधीन मामले ... 339-343

(एक) गोदावरी एक्सप्रेस में बस्तर और कोरापुट रेलवे स्टेशनों से अधिक डिब्बे जोड़े जाने की मांग

श्री के. प्रधानी ... 339-350

(दो) कर्नाटक के बेल्लारी जिले में होसपेट के समीप विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दिए जाने की मांग

श्रीमती बासव राजेश्वरी ... 340

(तीन) काफी उत्पादकों की दशा सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियार ... 340-341

(चार) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाए जाने की मांग

श्री सी. एम. नेगी ... 341

(पांच) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने के निदेश दिए जाने की मांग

श्री बालगोपाल मिश्र ... 341

(छः) देश में बार-बार आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री राजवीर सिंह ... 342

(सात) उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के पठारी क्षेत्रों के द्रुत विकास के लिए विकास बोर्ड गठित किए जाने की मांग

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ... 342

(आठ) दादरा और नगर हवेली का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने की मांग

श्री मोहन भाई संजीभाई डेलकर ... 342-343

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक—जारी ... 343-373

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डा. शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव ... 345

श्री पी. चिदम्बरम ... 35ι-355

श्री खेमचन्द भाई सोमाभाई चावड़ा ... 355-357

प्रो. रासा सिंह रावत ... 357-358

श्रीमती उमा गजपति राजू ... 358-360

श्री सी. एम. नेगी ... 360-361

श्री वी. एन. गाडगिल ... 361-368

श्री पी. नरसा रेड्डी ... 368-379

श्री बसुदेव चौधरी ... 370-372

श्री पी. उपेन्द्र ... 372-397

लोक सभा

बुधवार 29 अगस्त, 1990/7 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

प्रो. यदुनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदुनाथ जी आप बैठ जायें। आप मेहरबानी करके बैठ जायें। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। प्रश्नकाल में आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। आप बैठ जायें।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेशम के निर्यात के संबंध में भारतीय विदेश-व्यापार संस्थान का अध्ययन

[अनुवाद]

283. **श्री अन्बारासु इरा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने रेशम निर्यात के बारे में कोई अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारी सफलता प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने रेशम से निर्यात के बारे में कोई अध्ययन नहीं

किया है। फिर भी 'फारेन ट्रेड रिव्यू' के जुलाई 1 सितम्बर, 1989 के संस्करण में 'सिल्क एक्सपोर्ट-पोटेन्शल फार ए क्वांटम जम्प' नामक शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेशम माल के वर्षवार निर्यात निम्नांकित अनुसार थे—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु. में)
1985-86	159.21
1986-87	200.00
1987-88	251.79
1988-89	327.72
1989-90	392.48

रेशम के निर्यात में वृद्धि होने की उपरोक्त प्रवृत्ति के बने रहने की संभावना है क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्षवार निर्यात अनुमान निम्नोक्त अनुसार हैं—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु. में)
1990-91	480.00
1991-92	580.00
1992-93	700.00
1993-94	845.00
1994-95	1025.00

[अनुवाद]

श्री अन्नारासु इरा : सभापटल पर रखी गई टिप्पणी के अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रेशम निर्यात करने का ध्येय 480 करोड़ रुपये से 1025 करोड़ रुपए तक है। जब रेशम के क्षेत्र में विदेशी मुद्रा कमाने की इतनी क्षमता है, तो यह आश्चर्य की बात है कि इस क्षेत्र में अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है बिना कोई सर्वेक्षण कराए, सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि रेशम के वस्त्रों में इतनी निर्यात क्षमता है। क्या माननीय मन्त्री महोदय कम से कम अब एक सर्वेक्षण आरम्भ कराएंगे ?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, एक साल पहले प्रोफेसर जय कुमार कोई कामर्स मिनिस्ट्री में सज्जन हैं, उन्होंने एक मैगजीन में अपने विचार दिए कि किस तरह से यहां एक्सपोर्ट हो। रेशम के काम में जो लोग लगे हुए हैं, उनके इस व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे उस लेख में बहुत सी बातें हैं, जो सर्वे के आधार पर भी नहीं हैं, लेकिन उनकी राय ठीक है। माननीय सदस्य ने कहा है, इस उद्योग में बहुत एम्पलायमेंट पोटेंशियल है। पिछले दशक में एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने का जो हमारा टारगेट रहा है, यह 52 करोड़ रुपए से चार सौ करोड़ तक हुआ है। अगली पंचवर्षीय योजना में इस टारगेट को ढाई गुना करने का है और इसके लिए हमारी सरकार के पास पूरी प्लानिंग है और वर्ल्ड बैंक से हमको एसिस्टेंस मिली हुई है। वर्ल्ड बैंक से हमको असिस्टेंट मिला हुआ है और ट्रेडिशनल स्टेटस जो है जैसे आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल और काश्मीर है इन सारे ट्रेडिशनल स्टेट्स में सेरीकल्चर के उत्पादन को, इससे एग्रीकल्चर को बढ़ाने का काम, कोड़ों को उन्नत करने का काम, इन सारी चीजों पर हमारे यहां बहुत जबरदस्त कन्सनट्रेशन दिया जा रहा है। जिन स्टेटों में हमारे मित्रों ने, माननीय सदस्यों ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश बाकी जगह के लिये भी इसके एक्सटेंशन को स्कीमें हमारे पास हैं। हमारी यह मान्यता है कि जो तकनीकी दृष्टि से रीलिंग और तमाम तरह की तकनीकों में पिछड़ा हुआ हमारा काम है, इस को भी विकसित करने के लिये मैसूर का हमारा जो रिसर्च सेन्टर है, वह लगा हुआ है, बीज और रीलिंग के लिए भी और मैं मानता हूं कि जापान तथा और सब लोगों से मदद लेकर के जो टारगेट हमने रखा है वह डोमेस्टिक हो, चाहे एक्सपोर्ट का हो इन दोनों चीजों को एचीव करने का काम करेंगे और विस्तार से जो योजना है, उसके बारे में भी अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन माननीय सदस्य को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में हमारी पूरी प्लानिंग है और हां हमने सर्वे नहीं किया है जिस तरह से जयकुमार जी ने कहा है, मैं मानता हूं कि उस सर्वे से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको मालूम है कि ट्रेडिशनली हमारे यहां रेशम का जो उत्पादन है, रेशम और टसर, इन चीजों में हम परपरागत प्राचीन काल से एक्सपर्ट लोग हैं। लेकिन जो दुनिया में आधुनिक तकनीक है इसको भी हम इंट्रोड्यूस करके, रीलिंग का जो सबसे बड़ा प्रोबलम है, इसको भी हम देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री अ·बाराजु इरा : महोदय, जैसा आप जानते हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोग रेशम तैयार करने वाले व्यापार में लगे हुए हैं। एक सोने का धागा है, जिसके निर्माण में एक विशेष निपुणता की आवश्यकता होती है। महोदय, यह निपुणता गुजरात के अलावा देश भर में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इस स्वर्ण धागे का निर्माण करने में गुजरात के लोगों का एकाधिकार है। अन्य रेशम बुनकरों के पास इस निपुणता के अभाव में उन्हें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वे अक्षम हो जाते हैं। इसलिए, गुजरात के लोग जो इस स्वर्ण धागे के निर्माण में लगे हुए हैं, वे इस स्थिति का शोषण कर रहे हैं। इसलिए, ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, क्या माननीय मन्त्री महोदय इन स्थानों पर ऐसे प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए कदम उठाएंगे जहां पर ये उद्योग अधिक संख्या में उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, ये एक नया प्रोबलम माननीय सदस्य ने बताया है लेकिन इसमें बहुत सी समस्यायें हैं। मैंने पहले शुरू में ही आपसे कहा था और आहूजा जी गुजराल का प्राबलम बताया है और आपके यहां जो वीवर्स हैं, उनको जो दिक्कत है, मैं जरूर उसको देखने का काम करूंगा।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी लिबर्टी आपसे चाहूंगा और इससे मिलता-जुलता ही सवाल है कि इस देश में काटन का उत्पादन इस साल दो सौ गांठ से भी ऊपर हुआ है, यह कम नहीं है। देश में जो खपत है वह 110 लाख गांठों की है। काटन का एक्सपोर्ट न करने की वजह से किसान को भाव बहुत मंदा मिला है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं सरकार इस साल कितनी काटन की गांठे निर्यात करने जा रही है ताकि किसान को पता लग सके कि आने वाले समय में ये भाव उनको मिलने वाला है।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय भजन लाल जी ने जो सवाल किया है उसके आंकड़े तो मेरे पास पूरे नहीं है, लेकिन मेरी यह पक्की मान्यता है कि इस बार हम किसानों के दामों को, जैसा कि आपने कहा वह ठीक नहीं है, हमने उनके दामों को गिरने नहीं दिया, बल्कि मर्शियल परचेस किया है और एक्सपोर्ट भी मेरे ख्याल से रिकार्ड किया गया है। इस देश मे कभी भी इतना एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से उत्पादन 135 लाख बेल का प्रोडक्शन हुआ है, इस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपोर्ट हम लोग और कर सकते हैं, जो डोमेस्टिक नीड है उसको सेफगार्ड करते हुए। चूंकि आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट का जो 1/4 (चतुर्थांश) है वह टेक्सटाइल से होता है इसलिये वेल्यूएडेड आइटम हम देते हैं उनके बारे में हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन आप ने जो सजेशन दिया है और कहा है कि उससे ज्यादा हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है वह हमारे पुराने एस्टीमेट से ज्यादा हुआ है। मैं आपकी बात को मानता हूं।

लेटेस्ट जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसमें प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। हम सोच रहे हैं कि नए जो आंकड़े हमारे पास आ रहे है प्रोडक्शन के, उनके अनुरूप और क्या एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं।

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि बिहार में रेशम और टसर का उत्पादन बहुत पुराने समय से हो रहा है। भागलपुर में एशिया का सबसे पहला एक महा-विद्यालय सेरीकल्चर का चल रहा है। भागलपुर नाथनगर, कटोरिया और संथाल परगना आदि क्षेत्रों मे रेशम का और टसर का उत्पादन हो रहा है। वहां के मजदूर कपड़ा तैयार कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय निर्यात करने के लिए वहां पर कोई एजेंसी खोलने की व्यवस्था करेंगे, ताकि वहां के बुनकरों को माल बाहर निर्यात करने का अवसर मिल सके।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भागलपुर के बारे में बताया है, मैं जानता हूं कि वहां पर प्राचीन काल से रेशम का बहुत बड़ा सेंटर है। बनारस, चंदेरी, मध्य प्रदेश में धारा और यहां बिहार में भागलपुर है। टसर का रिसर्च सेंटर रांची में है। मैं मानता हूं कि टसर

के मामले में उत्पादन पर भी असर पड़ा है, एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ा है, कमी हुई है। इसको हम छानबीन कर रहे हैं कि टसर का उत्पादन क्यों कम हो रहा है। कुछ फारेस्ट की प्राब्लम भी हमारे सामने हैं, इसके लिए फारेस्ट एण्ड एन्वायरनमेंट डिपार्टमेंट से हमारी बात चल रही हैं। इसका जो रिसर्च सेंटर है, उसको भी हम लोग मानीटरिंग कर रहे हैं। और जो समस्याएं बताई हैं, भागलपुर में मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट की तो कोई समस्या नहीं है।

श्री जनार्दन यादव : बुनकरो के लिये रिसर्च सेंटर खोला जाए।

श्री शरद यादव : माननीय सदस्य इस बारे मे मुझसे मिलकर बात कर लें, किस तरह का सेंटर वहां पर चाहते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वहां पर पहले से सेंटर है या नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। यह बात सवाल से संबंधित नहीं है, इसलिये आप मुझसे बात करेंगे तो इस पर विचार कर लेंगे।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने गुजरात पर एलीगेशन किया है कि रेशम का यूज गुजरात मे मैन्यूफेक्चरिंग के नाते होता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि रेशम का यूज गुजरात मे जरीवर्क के लिये होता है और वह रा मेटीरियल के लिए आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है जबकि मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट गुजरात मे सिल्क के लग है। हमारा एक्सपार्ट 50 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन निर्यात के मोह मे, फारेन एक्सचेंज कमाने के लिए हमारे यहां सिल्क का भाव बढ़ता जा रहा है, इससे मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट्स बंद होते जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या निर्यात बढ़ाया जाएगा या यहां की जरूरतों को पूरा करने के लिये भी कोई नीति बनाई जायेगी, ताकि सिल्क उपलब्ध हो सके।

श्री शरद यादव : माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, मैंने पहले ही कहा है कि माननीय सदस्य ने शिकायत की होगी, मैंने तो कोई शिकायत नहीं की। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि यह देश दोनों जगह है, गुजरात और तमिलनाडु में कोई अन्तर नहीं है। गुजरात के लोग तमिलनाडु या कर्नाटक के लोगों की मदद करेंगे तो दोनों का ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट के मोह में हम डोमेस्टिक मार्केट का ध्यान नहीं कर रहे हैं, यह बात नहीं है। हम दोनों चीजों को बलेंस करके चलेंगे। एक्सपोर्ट कोई ज्यादा नहीं है, हमारा टारगेट बहुत बड़ा है और एक्सपोर्ट की बहुत संभावनाएं सिल्क मे है। चीन आज अव्वल दर्जे पर है प्रोडक्शन के मामले मे, जापान और अन्य देशों में भी इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन हम अब दो नम्बर पर आ रहे हैं। हमारे यहां बेस्ट क्वालिटी का सिल्क जिसको मलबरी सिल्क कहते हैं, वह पैदा नहीं होता है। इसके क्षेत्र का भी डेवलप करने की कोशिश चल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि इस पंचवर्षीय योजना मे सिल्क रिसर्च की ओर सबसे ज्यादा ध्यान देने का काम होगा, विश्व बैंक की योजनाएं भी हैं। पूरे देश में जहां ट्रेडिशनल सिल्क भी होता है, वहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करना है और नए क्षेत्र खोजने है। माननीय सदस्य की जो शंका है कि डोमेस्टिक मार्केट को अवाइड करके हम कुछ करेंगे, ऐसी बात नहीं है, दोनों को बलेंस करने की हमारी नीयत है, यह मैं बताना चाहता हूं।

श्री राम मंगल पांडे : मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित सवाल पूछना चाहता हूं। मंत्री

जी ने स्वयं स्वीकार किया कि चीन, जहां तक सिल्क का सवाल है, आज भी नम्बर एक पर एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जापान है। अभी इन्होंने कहा कि हमारा देश नम्बर दो पर पहुंचने का कोशिश कर रहा है। यह साफ जाहिर है कि हिन्दुस्तान तमाम रिसर्च सेंटरों के बावजूद दूसरे नम्बर पर नहीं पहुंचा है। क्या यह सच नहीं है कि क्वालिटी गुड्स प्रड्यूस न होने की वजह से जो माल आप एक्सपोर्ट करते है उनमे से कुछ माल एक्सेप्ट नहीं होता है और रिजैक्ट होकर वापिस आता है ? इसलिये मंत्री जी क्या देखेंगे कि क्वालिटी गुड्स ही प्रोड्यूस हो और केवल वही मार्के का माल भेजा जाए जो किसी भी कीमत पर लौट कर वापिस न आए, क्योंकि देश की बदनामी होती है ? आज तक हालत यह हुई है कि आज भी हमारा देश तीसरे-चौथे नम्बर पर है, बावजूद इतने रिसर्च सेंटरों के मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे भी रिसर्च सेंटर खोलेंगे, एजेंसी खोलेंगे जो क्वालिटी का टेस्ट और टेस्ट के बाद सर्टीफाई करने के बाद एक्सपोर्ट किया जाए ? ताकि देश की बदनामी न हो और एक्सपोर्ट किया गया माल वापिस न आए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैंने पहले कहा कि सी. एस. टी. आर. आई. नामक हमारा बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर मैसूर मे हैं। मैं पांडे जी की बात से सहमत हूं कि चीन हमसे बहुत आगे है, प्रोडक्शन मे भी और वेल्यू ऐडिड आईटमस एक्सपोर्ट करने में भी। आज हमारे यहां 900 मीट्रिक टन सिल्क पैदा होता है, जबकि आज एक हजार टन की जरूरत है। बैस्ट क्वालिटी की साड़ियां हैं बनारस का, चंदरी की, चीन से फाईन क्वालिटी, "ए" क्वालिटी का रेशम लाकर हम तैयार करते है। इस बात को मैं जानता हूं कि पिछले 40-45 वर्षों में इस पर ध्यान देना चाहिये था, चूंकि यह ट्रैडीशनली सॉफिस्ट धंधा है, इसमें बुनकरों को कमाल हासिल है। मैं मानता हूँ कि इस फील्ड में फाईन क्वालिटी के रेशम से लेकर इसके प्रॉडक्शन तक, रैलिंग का बहुत पुराना तरीका है, उसको बदलने के लिय तकनीक भी ऐसी लायी जाए जिससे अन-इम्पलायमेंट न आए और रीलिंग की प्रोब्लम फाईन तरीके से मॉडर्नाइज करके, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, निश्चित तौर पर इसमें जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिये कोई कसर नहीं रखी जाएगी। क्योंकि 5 वर्षों में हमने जो टारगेट रखा है वह आज के एक्सपोर्ट से ढाई गुणा है। वह इसलिये रखा है कि हमारे यहां जो प्रोग्राम है उनको एक्सपेंड करके तरीके से चलाने का हम काम करना चाहते हैं। यही मैं कहना चाहता हू।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, पश्चिमी बंगाल में, मुर्शिदाबाद जिला रेशम उत्पादन के सबसे पुराने केन्द्रों में से एक है। अन्य जिले नादिया, पुरुलिया, और बांकुरा में भी रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसलिये, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कोई कदम उठाएगी जिससे पश्चिमी बंगाल में रेशम के उत्पादन में वृद्धि हो और निर्यात के लिए अच्छी क्वालिटी के रेशम का उत्पादन किया जा सके। दूसरे, महोदय, पूर्वी क्षेत्र में एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता है जिससे अच्छी क्वालिटी के रेशम के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और विदेशों को निर्यात किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं हन्नान मोल्लाह जी की बात से सहमत हूं। इस पंचवर्षीय योजना में बंगाल के लिए हमने सम्पसम अमाउंट रखा है। जो मुर्शिदाबाद का इन्होंने जिक्र किया,

यह गंगा का कछार है, यहां शानदार सिल्क पैदा होता है। इसकी इक्सपेंशन के लिये हमने इस पंचवर्षीय योजना में बंगाल की तरफ ध्यान देने का काम किया है। आलरेडी, जो आपने कहा कि रिसर्च सेंटर आपके यहां नहीं है, लेकिन रिसर्च सेंटर आपके यहां है, मुझे नाम याद नहीं है। रिसर्च सेंटर चल रहा है उसको एक्सपेंशन का काम और एग्रीकल्चर का काम, जो मुर्शिदाबाद में सिकुड़ गया है, उसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास आकर्षक योजना है। हमारा सपना है, जैसे कर्नाटक में हुआ है, उसी पैटर्न पर बंगाल को भी डिवेलेप करें। यह हमारी अगली योजना में है। इसके लिए मैं खुद बंगाल जाकर इस पर पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट से बात करके, इसके प्रोग्राम को एक्सपेंड करने के लिए जो सम्भव उपाय हो सकेंगे, वह करने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी रंगा : अध्यक्ष महोदय, श्री पाण्डेय ने पहले ही प्रश्न पूछ लिया है और इसका उचित रूप से जवाब नहीं दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कच्चे माल, रेशम कोष और रेशम के कीड़े की क्वालिटी में भी सुधार किया जाए। अब, मैसूर में जो कुछ हो रहा है उसमें और अधिक काम बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है जिससे इस सम्बन्ध में किए जा रहे शीघ्र कार्य में सुधार किया जा सके? केवल एक संस्थान नहीं; अपितु कई संस्थानों की आवश्यकता है। अन्यथा क्या होता है, रेशम के सूत और रेशम के कपड़ों के उत्पादकों को यह सलाह दी जाती है कि वे रेशमकोष को खरीदने के लिए जम्मू जाएं क्योंकि उनकी क्वालिटी बेहतर है। अब क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय रंगा जी ने जो कहा मैंने पहले ही कहा ऐसा नहीं है के रिसर्च सेन्टर ने मालबरी की जो सीड्स हैं उनको ग्रो करने में कमाल हासिल किया है वह पूरे देश में मालबरी कामयाब नहीं हो पाया है। हमारी योजना है कि उसको डाउन टू दी विलेज ले जाने का काम करें। जो समस्या बताई है वह उतना डवलप नहीं है और जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों से लड़ना है। जो यहां पर कह रहे हैं और सूझाव देंगे तो इन सारी चीजों पर हम फालो अप एक्शन करेंगे। जो हमारी क्षमता है उसमें कोई कसर नहीं रखेंगे, इन चीजों को बनाने में और बढ़ाने में।

अनुवाद]

डा. तम्बि दुरै : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो कहा उसमें कोई शंक नहीं है। हम अच्छी क्वालिटी की रेशम चाहते है जिससे अधिक निर्यात को बढ़ावा मिले और अच्छा राजस्व भी मिले। इसके लिए, हमें कई अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करनी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये संस्थान रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान दे रहे हैं। आप तमिलनाडू का उदाहरण ले सकते हैं, मेरा जिला, धर्मपुरी जिला, एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है, किन्तु अधिक रेशम का उत्पादन करने के लिये इसकी जलवायु अच्छी है। इसके लिए, कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं। किन्तु जो वे कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है, क्या वह कोई प्रयत्न कर रहा है; अन्यथा, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय धर्मपुरी जिले में इस तरह का

संस्थान खोलने में इच्छुक है जिससे अच्छे रेशम का उत्पादन बढ़ाया जा सके तथा और अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सके ।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा तो मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू-काश्मीर इसमें एक्सपर्ट था और रेशम का उत्पादन और उपयोग करने में सबसे आगे काश्मीर था । कर्नाटक की सरकार ने और कर्नाटक के किसान और वहां के रीलिंग करने वाले बुनकर और हैन्डलूम वाले लोगों ने कमाल किया है । मालबरी सिल्क में कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश ने प्रोडयूस करने में मेहनत और एक्सपेंशन किया इसके लिए वे किसान बधाई के पात्र हैं । जो आपने जिक्र किया वह और किया जा सकता है । हमारे पास इस स्कीम को चलाने के लिए पंचवर्षीय योजना में वर्ल्ड बैंक से काफी पैसा है और हम इसमें आगे जाना चाहते हैं और एक्सपेंड करना चाहते हैं । जिस जिले का जिक्र किया वह मेरी जानकारी में नहीं है, जो आपने कहा उसको आगे देखूंगा और क्या एक्सपेंशन हो सकता है ।

महाराष्ट्र में परिवार नियोजन

[अनुवाद]

*284. **डा. दौलतराव सोनूजी अहेर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र में परिवार नियोजन अपनाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में जन्म-दर में कितने प्रतिशत कमी आई; और

(ग) उक्त राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान जन्म-दर क्या-क्या रही ?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों द्वारा सुरक्षित किये गये पात्र दम्पतियों की अनुमानित संख्या और प्रतिशत से महाराष्ट्र में वर्ष 1987-88 को छोड़कर जब कुछ गिरावट आई थी, वृद्धि की प्रवृत्ति का पता चला है । वर्ष 1989 और 1990 के लिए भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार जन्म दर के अनुमान क्रमशः 1990 और 1991 के अंत तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है । बहरहाल, नवीनतम तीन वर्ष के लिए उपलब्ध महाराष्ट्र के जन्म-दर अनुमान इस प्रकार है :—

वर्ष	जन्म-दर (प्रति एक हजार जनसंख्या)
1986	30.1
1987	28.9
1988	29.4

[अनुवाद]

डा. दौलतराव सोनूजी अहेर : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 2000 के अन्त तक हमारा जन्म दर नियन्त्रण का क्या लक्ष्य है और हम इसे किस प्रकार प्राप्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, इस साल का सेंचुरी के आखिर तक बर्थ कंट्रोल का जो रेट है वह 21 है और जो तरीका अपनाया हुआ है वह फैमिली प्लानिंग को प्लान करने के लिए अपनाया हुआ है। इसीलिए हमने राज्यों को हिदायतें दी हैं कि जनता का ज्यादा इन्वाल्वमेंट करके लोगों को शिक्षित करने का काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकें।

[अनुवाद]

डा. दौलतराव सोनू जी अहेर : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में नसबन्दी कराए जाने का लक्ष्य क्या था और क्या हमने उस लक्ष्य को पा लिया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे परिवार कल्याण में किए गए कार्य से संतुष्ट हैं।

श्री रशीद मसूद : महोदय, यह प्रश्न महाराष्ट्र से सम्बन्धित है। इसलिए, मैं केवल महाराष्ट्र के सम्बन्ध में ही आंकड़े उपलब्ध करा सकता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने क्या देश के बारे में पूछा था, महाराष्ट्र के बारे में है तो आपको कहना चाहिए था।

श्री रशीद मसूद : महाराष्ट्र के पिछले 3 साल के बर्थ रेट के आंकड़े मैं पेश कर देता हूं। 1986 में 30.1 1987-88 में 28.9 और 1988 में 29.4 प्रति हजार है।

श्री राम नाईक : इसमें दिया है कि बर्थ रेट सेंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आधार पर 1989 की जो बर्थ रेट है उसकी जानकारी सरकार को 1990 के अन्त तक मिलेगी। लगभग एक साल के बाद बर्थ रेट की जानकारी मिलेगी, ऐसे ही 1991 के बारे में भी कहा है। बर्थ रेट की जानकारी मिलने में जो देरी होती है उसका क्या कारण है है, हम इलेक्ट्रानिक युग में है, यह जानकारी तुरन्त मिले इसके लिए सरकार क्या योजना बना रही है ?

श्री रशीद मसूद : जानकारी इस वजह से देरी से मिलती है कि हमें राज्यों से यह कलेक्ट करनी पड़ती है, जगह-जगह से, क्योंकि सेंपल रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका रिकार्ड रजिस्ट्रार जनरल के यहां रहता है और वहां से जानकारी लाकर हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन सही जानकारी जनगणना के समय ही मिल पाती है। हम रजिस्ट्रार को लिखते हैं कि वे जल्दी से जल्दी मालूमात पहुंचा दें, लेकिन हमारे पास वह समय पर नहीं आते हैं। इसलिए जल्दी जानकारी मिलने के लिए हम रजिस्ट्रार को लिख ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं है।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : परिवार नियोजन की दृष्टि से भारत सरकार की तरफ से नेशनल अवार्ड कमेटी की स्थापना हुई थी। इस वर्ष कौन से राज्य को नेशनल अवार्ड का पुरस्कार मिलने वाला है और उसकी जन्म दर कितनी है ?

श्री रशीद मसूद : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

प्रो. राम गणेश कापसे : महाराष्ट्र के बारे में बताया कि केवल 1987 में बर्थ रेट नीचे आई, बाद में बढ़ गई। काफी समय से महाराष्ट्र को गोल्ड में पहला नम्बर परिवार नियोजन के बारे में प्राप्त होता है। महाराष्ट्र की यह स्थिति है तो बिहार में क्या स्थिति है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री रशीद मसूद : इसके लिए नोटिस की जरूरत है और वहां के मुख्यमंत्री को बहुत से पत्र लिखे गये हैं।

श्री मदन लाल खुराना : बिहार के मुख्यमंत्री ने इसका कितना पालन किया है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : अध्यक्ष जी, केन्द्रीय सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री को हिदायत दी है कि अब आगे नहीं होना चाहिए।

श्री कसम राठौड़ : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि फैमिली प्लानिंग की परफार्मेंस बच्चे पैदा होने पर जानी जाती है या जो आप्रेशन्स होते हैं, उस पर दी जाती है क्योंकि यह देखने में आया है कि जिन औरतों के आप्रेशन होते हैं, वे अमूमन चालीस साल के लगभग होती हैं और मुझे डाक्टरों ने बताया है कि यह ठीक नहीं है, आंकड़े चाहे बढ़ जायें लेकिन जो रिजल्ट सामने हाथ में आना चाहिये, वह क्या है ? (दो) इसेंटिव और डिसइंसेंटिव के बारे में हुकूमत क्या कुछ विचार कर रही है ?

श्री रशीद मसूद : साहब, जहां तक यह बताया गया कि 40 साल के लगभग की उम्र की औरतों का होता है, वह तो हो सकता है लेकिन इसके लिये कोई अलग से नहीं बनाते हैं उसमें जो इलीजिबल कपल्ज होते हैं, उसमें औरत की उम्र 44 साल तक की होती है। लेकिन जैसाकि आपने बताया यह सही है कि कुछ बहुत सारे फेक केसेज होते हैं तो उसके लिए हम इन्क्वायरी कराते हैं। हमारा एक इवैल्यूएशन सैल होता है जिसके द्वारा इन्क्वायरी करवायी जाती है।

[अनुवाद]

श्री कावाडुर एम. आर. जनार्दनन : महोदय, मैं आपके द्वारा, नई सरकार से जानना चाहता हूं। अब परिवार कल्याण में, हमारा नारा है हम दो, हमारे दो। क्या राष्ट्रीय मोर्चा

सरकार जानती है कि चीन में, नारा है 'वन ओर नन' क्या वे कोई नया नारा शुरू करेंगे जो हमारी भारतीय स्थितियों के लिए उपयुक्त हो। जैसे 'वन एण्ड विन'।

आगे, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे एक ऐसा कानून बनाएंगे जिससे केवल वे प्रत्याशी ही संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जिन्होंने परिवार नियोजन अपनाया है ?

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : यह पार्लियामेंट सुप्रीम बाडी है। अगर यह चाहेगी कि तमाम जितने इलेक्टेड पोस्ट्स हैं, प्रधान से लेकर ऊपर तक, परिवार नियोजन के नार्म्स कम्पलसरी कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बेहतर कोई बात नहीं होगी और इसमें हमें कोई एतराज भी नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री बालगोपाल मिश्र : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितने लोगों ने परिवार नियोजन आपरेशन कराए हैं और आपरेशन कराने के बाद कितने लोगों को ग्रीन कार्ड दिए गए हैं ? इन ग्रीन कार्डों का समयकाल कितना है और इन ग्रीन कार्डों को प्राप्त करने के पश्चात् कितने लोगों को न्यूनतम लाभ मिले हैं, जो इन ग्रीन कार्डों से मिलते हैं ? उदाहरण के तौर पर भूमिहीन व्यक्तियों को चार दशमलव भूमि दी जानी थी, इत्यादि ? कितने लोगों को इसका लाभ पहुंचा है ?

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : साहब, महाराष्ट्र में पिछले साल 70 लाख 79 हजार लोगों का फैमिली प्लानिंग प्रयोग किया और उसके पहले यह 68 लाख 20 हजार था और उसमें जो भी इस इंसेंटिव के हकदार हैं, उनको दिया है।

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि परिवार नियोजन की मद में आज तक सरकार ने कितना राशि विदेशी स्रोतों···

अध्यक्ष महोदय : युवराज जी, सवाल महाराष्ट्र का है।

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले को एप्रीशिएट करेंगे कि इसमें जो करप्शन हुआ है या एक हजार या दो हजार का रजिस्टर बनाया गया कि यह फेमिली प्लानिंग हुआ है। हम यह जानना चाहते हैं कि विदेशी एजेंसी से इस मद में कितनी राशि मिली और हमने कितना ऋण के रूप में रुपया लेकर इस फैमिली प्लानिंग पर खर्च किया ? एवं कुल कितने व्यक्तियों को परिवार नियोजन में शामिल किया गया ?

श्री रशीद मसूद : साहब, इसका इससे सवाल नहीं उठता है।

प्रो. रघुनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष जी, एक समुदाय विशेष के लोग अधिकतम परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाते हैं। देश के समग्र समुदाय के अनुसार या जाति विशेष के अनुसार अलग अलग प्रतिशत क्या है ? और समुदायवार इस वृद्धि की स्थिति क्या है तथा जन्म और मृत्यु दर में कमी या वृद्धि की स्थिति क्या है।

अध्यक्ष महोदय : पाण्डेय जी, यह मूल प्रश्न तो महाराष्ट्र से सम्बन्धित है।

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष जी, वैसे तो माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से अलग है, मूल प्रश्न तो महाराष्ट्र से सम्बन्धित है, फिर भी मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बाई एण्ड लार्ज जो ग्रोथ रेट हैं वह तकरीबन सब की बराबर है। देश में कुछ जिले ऐसे जरूर हैं, कुछ खास कम्युनिटीज ऐसी जरूर हैं जहां ग्रोथ रेट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर महाराष्ट्र के ग्रोथ रेट बाई एण्ड लार्ज बराबर है।

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव : परिवार नियोजन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। हमें इस पर आधे घंटे की चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसे नोट कर लिया गया है।

योग संस्थानों के कार्यों की जांच

*285. डा. असीम बाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने, सरकार द्वारा वित्तपोषित तीन योग संस्थानों में तथा कथित कुप्रबंध और धन के दुरुपयोग की जांच करने हेतु वर्ष 1987 में दो आयोग गठित किये थे;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों आयोगों द्वारा की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले है; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) वर्ष 1987 में ऐसे किसी आयोग का गठन नही किया गया था। तथापि, सरकार द्वारा वित्त पोषित तीन योग संस्थानों में श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा कथित कुप्रबन्ध और धनराशि के दुरुपयोग के बारे में जांच-पड़ताल करने के लिए वर्ष 1988 में दो जांच अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।

(ख) और (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद और विश्वायतन योगाश्रम में नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में हुई विभिन्न अनियमितताओं की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए जांच अधिकारी के निष्कर्ष और उस पर की गई कार्यवाही का ब्योरा इस प्रकार है :—

केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद

जांच अधिकारी के मुख्य निष्कर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों के आरक्षण के बारे में हिदायतों का अनुपालन न करने और श्रेणी-1 के दो अधिकारियों और निचले पदों के कतिपय व्यक्तियों, जिनमें दो दैनिक मजदूरी के कर्मचारी भी शामिल हैं, की नियुक्तियों में

हुई अनियमितताओं से संबंधित थे। इस संस्थान के शासी निकाय का परामर्श लेते हुए निदेशक को वरिष्ठ पदों को विज्ञापित करने का परामर्श दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप एक वरिष्ठ अधिकारी की पहले ही नियुक्ति की जा चुकी है। निदेशक को कनिष्ठ अधिकारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया था।

केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान

जांच अधिकारी के मुख्य निष्कर्ष रोजगार कार्यालय से बिना विवरण प्राप्त किए कतिपय पदों को भरने, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण संबंधी अनुदेशों का अनुपालन न करने, उपयुक्त क्रियाविधि का अनुपालन किए बिना कतिपय स्टाफ सदस्यों की अनियमित प्रोन्नतियों और नियुक्तियां करने से संबंधित थे। शासी निकाय ने विभिन्न समूहों के पदों की नियुक्तियों/प्रोन्नतियों/उन्नयन को विनियमित किया। यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनुदेशों के अनुसार आगे ले जाया जाये।

विश्वायतन योगाश्रम

जांच अधिकारी के मुख्य निष्कर्ष रोजगार कार्यालय से परामर्श लिए बिना कतिपय पदों पर नियुक्तियों करने और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण आदेशों का सख्ती से अनुपालन न करने से संबंधित थे।

श्रम मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जिनके इस मामले में परामर्श लिया गया, ने विचार व्यक्त किया कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित उपबंधों का अनुपालन करना और नियुक्ति के मामले में रोजगार कार्यालय से परामर्श लेना भी विश्वायतन योगाश्रम जैसे एक प्राइवेट संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं है।

2. वित्तीय अनियमितताओं और खातों की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए जांच अधिकारी के निष्कर्षों के बारे में स्थिति और उस पर की गई कार्यवाही का ब्योरा इस प्रकार है :

केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद

जांच अधिकारी ने इस बात को छोड़कर किसी बड़ी अनियमितता को नहीं बताया कि एक अधिकारी पर योग और प्राकृतिक चिकित्सा के उस संस्थान से कमीशन लेने का आरोप लगाया जिसे इस संस्थान द्वारा अनुदान प्रदान किए गए थे। इस परिषद के निदेशक ने इस शिकायत की गहराई से जांच की और इस मंत्रालय को सूचित किया कि इस शिकायत में कोई सच्चाई नहीं है।

केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान

जांच अधिकारी ने कतिपय उपकरणों और वस्तुओं अर्थात जनेरेटिंग सैट और कैमरा, जिस में फोटोग्राफिक वस्तुएं भी शामिल हैं, के खरीदने में कतिपय अनियमितताएं बताई। उसने स्टाफ को भुगतान किए गए यात्रा भत्तों के कारण होने वाले परिहार्य व्यय और कर्जों की अनियमित निकासी और उनके पुनः भुगतान का भी उल्लेख किया। शासी निकाय ने इन अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की। यह समिति कार्योत्तर खरीद के नियमन और यात्रा

भत्ते इत्यादि के भुगतान के लिए सहमत हो गई। तथापि, क्योंकि इसमें कई वित्तीय अनियमितताएं थी, इसलिए वित्त मंत्रालय से भी परामर्श लिया गया। वित्त मंत्रालय का विचार था प्रबन्ध न्यासी और निदेशक को इन अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए और केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान के प्रबन्ध को विश्वायतन योगाश्रम से अलग किया जाना चाहिए। इन मामलों को सुलझाने के लिए निदेशक को शासी निकाय की एक बैठक बुलाने का परामर्श दिया गया, लेकिन उन्होंने बार-बार अनुरोध करने के बावजूद ऐसा नहीं किया है।

विश्वायतन योगाश्रम

अनियमितताएं मुख्यतया धनराशि का अनधिकृत तरीके से अन्य कार्य में उपयोग करने, क्रियाविधि से संबंधित चूकों, पदों का अनियमित सृजन और अनियमित और फजूल व्यय से संबंधित हैं। विश्वायतन योगाश्रम के प्रबन्ध न्यासी से इस रिपोर्ट को एक बैठक में न्यास मंडल के समक्ष रखने का अनुरोध किया गया। अभी तक अनुपालन करने का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

उपर्युक्त से यह बात देखी जा सकती है कि 6 रिपोर्टों में से चार की पहले ही विधिवत जांच की जा चुकी है और इनका समाधान किया जा चुका है जबकि शेष दो पर उनसे संबंधित शासी निकाय/न्यासी मंडल द्वारा अन्तिम विचार किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है।

डा. असीम बाला : जब सरकारी जांच अधिकारियों ने यह बताया था कि कुछेक उपकरणों तथा वस्तुओं की खरीद में कुछ वित्तीय तथा अन्य प्रकार की अनियमितताएं बरती गई थी तब उसी समय सरकार ने उन व्यक्तियों के खिलाफ जो इन अनियमितताओं तथा घाटालों में संलग्न थे, कोई गंभीर दण्डनीय कदम क्यों नहीं उठाये ?

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : सर, जो कमेटी बिठायी गयी थी, उसके सामने दो आस्पैक्टस थे, जिनकी उसे जांच करनी थी। एक तो कमेटी के सामने इन संस्थानों में व्याप्त मिस-मैनेजमैंट की जांच करना था और दूसरा आस्पैक्ट इन संस्थानों की फाइनैन्शियल इम्पलीकेशन्स और दूसरी खराबियों की जांच करना था। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव मिस-मैनेजमैंट सम्बन्धी पहलू का ताल्लुक है, कमेटी ने पाया कि इन संस्थानों में ऐसी कोई चीज नहीं है। इस कमेटी को तीन इंसटीट्यूशन्स की जांच का काम सौंपा गया था, ये इंसटीट्यूशन्स थे : केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान और विश्वायतन योगाश्रम। इन तीनों के बारे में कमेटी ने जो कुछ कहा है, वह मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं, यदि आप इजाजत दें तो मैं उन्हें सदन के सामने पूरी तरह से बता दूं।

अध्यक्ष महोदय : दोषी लोगों के खिलाफ की गयी कार्यवाही बताइये मंत्री जी।

[अनुवाद]

श्री रशीद मसूद : मैं वही बताने जा रहा हूं क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा इसकी सिफारिश नहीं की गई है। (व्यवधान)

डा. असीम बाला : आजकल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए योग अत्यन्त आवश्यक

है तथा विश्व स्तर पर इसे स्वीकार किया गया है। सरकार देश के विभिन्न भागों में इसके केन्द्र क्यों नहीं बनाती तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में योग का प्रशिक्षण आरम्भ क्यों नहीं करती ?

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले कहा, यह सवाल कुछ खास इंसटीट्यूशन्स के बारे में है, जैसे केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को हम गवर्नमेंट की तरफ से फुल्ली पोषित करते हैं उसे मुख्तलिफ किस्म की माली इमदाद देते हैं। इसके अलावा योग से मुतल्लिक मुल्क भर में जितने इंसटीट्यूशन्स चल रहे हैं, हम सब को इमदाद देते हैं, इसमें दिल्ली के संस्थानों का ही सवाल नहीं है, जहां भी वह संस्थान होगा, वहीं के लिए हम देते हैं। दूसरा संस्थान केन्द्रीय योग अनुसंधान परिषद है, यह भी फुल्ली फण्डेड इंसटीट्यूशन है, और दिल्ली में ही स्थित है। इसके मामले में दिक्कत यह है कि इसके कानून में यह प्रोवाइडिड है कि जो विश्वायतन योगाश्रम का मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, वही इसका डायरेक्टर होगा। जब तक इस प्रावधान में तबदीली नहीं लाई जाती, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला : क्या सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में योग केन्द्र स्थापित करने की योजना है ?

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : हम योगा को पोपुलराइज करना चाहते हैं लेकिन रूरल एरियाज के सम्बन्ध में हमारे पास अभी कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी. के. थुंगन : माननीय मंत्री जी के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि ये गैर-सरकारी संगठन हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। जिन जांचकर्ता अधिकारियों ने सिफारिशें की हैं उन्होंने बताया है कि छः सिफारिशों में से चार को पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने किसी अन्य गैर-सरकारी संगठन के बारे में पता लगाया है जो ऐसी अनियमितताओं का पता लगा सके जिनका इससे पहले अभी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। यदि ऐसा है तब इस सम्बन्ध में वह क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ? जब उनसे कहा गया कि वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सफाई करने जायें, उस समय वह काफी उदार तथा सक्रिय थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस देश में स्वास्थ्य रक्षा के लिए योग पद्धति को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। उस मामले में ऐसी छानबीन में जिन भी मामलों की जांच किए जाने की आवश्यकता है तथा जो भी कमियां पाई गई हैं क्या उन्हें समाप्त किया जा रहा है ? क्या अन्य योग संगठनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ?

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : हमने तो पहले ही यह कहा है कि जो सी आर वाई एम को है इसके पू. हम मदद देते हैं। उसमें एंकरेजमेण्ट और डिस्करेजमेण्ट वाली बात नहीं है। हमारा एनकरेजमेण्ट तो

पहले से ही है क्योंकि हम तो मदद देते हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने जो शिकायतों की बात कही है, हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। यह तो गवर्नमेण्ट की तरफ से फुल्ली फण्डेड है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री नानी भट्टाचार्य : क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि योग जिसे मनश्चिकित्सा अथवा भौतिक चिकित्सा जिस किसी भी नाम से इसे चिकित्सा विज्ञान में कहा जाता हो, इसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है तथा भारतीय चिकित्सा शोध परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई है?

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : हम तो फण्ड देते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो ये संस्थान हैं—केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और विश्वायतन योगाश्रम, इन तीनों संस्थाओं को 1980 से 1985-86 तक कितनी-कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई और इनको दिए गए धन का क्या दुरुपयोग कहीं पिस्टल या बन्दूक की फैक्ट्री बनाने में हुआ है, यदि हां, तो कहां-कहां हुआ है, इसके बारे में क्या ब्यौरा आपके पास है और आज इन संस्थाओं के जो कर्मचारी हैं, उनकी सर्विसेस ठीक रहें और योग की शिक्षा दी जाती रहे, इसके बारे में आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं?

श्री रशीद मसूद . जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, उसके लिए तो सैपरेट नोटिस चाहिए। क्योंकि यह सवाल इन्क्वायरी के मुतल्लिक है। दूसरी बात यह कि मुझे इन्फर्मेशन है कि कितना-कितना धन दिया है, यह जानकारी भी अभी मेरे पास नहीं है। इसको माननीय सदस्य को पहुंचा दिया जाएगा। रहा सवाल तीसरा कि कहां-कहां इस्तेमाल हुआ है? यह मुझे पता नहीं है कि धन का इस्तेमाल बंदूक की फैक्ट्री बनाने में हुआ है या नहीं।

श्री मदन लाल खुराना : यह इन्क्वायरी कमेटी में है?

श्री रशीद मसूद : मुझे इसकी मालूमात नहीं है।

जहां तक वहां के कर्मचारियों की सर्विसेस का सवाल है—सी आर आई वाई आई के जो कर्मचारी है, उनका मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है। हमारे सामने परेशानी यह है कि इसके डायरेक्टर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हैं, जो आपके पावरदार थे और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को अगर पैसा दे दिया, तो वह खा जाएगा। इसलिए हमने उनसे कहा है कि वह गवर्निंग बाडी की मीटिंग बुलाए, लेकिन वह गवर्निंग बाडी की मीटिंग बुला नहीं रहा है। कोर्ट में हमने अफेडेविट दे दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाए क्योंकि गवर्नमेण्ट धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, यह पुरानी गवर्नमेण्ट नहीं है यह नई गवर्नमेण्ट है। हमने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कोर्ट कर दे। हम पैसा एडमिनिस्ट्रेटर को दे देंगे, ताकि वे उनको सैलरी दे दें।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाएं, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मान्धाता सिंह : माननीय मंत्री जी ने दो जांच कमेटियों का जिक्र अपने उत्तर में किया है, एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के बारे में और एक फाइनेंशल मामलों में। ऐडमिनिस्ट्रेटिव वाले में उन्होंने कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस नहीं की है लेकिन वित्तीय वाले में मुझको आश्चर्य हुआ कि मंत्री जी ने कहा है कि क्योंकि जांच कमेटी ने कोई कार्यवाही, कोई संस्तुति नहीं की है इसलिए सरकार कोई कार्यवाही नही कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई कमेटी कार्यवाही की संस्तुति न करे और सरकार को यह महसूस हो कि गम्भीर वित्तीय निमितताएं हुई हैं, जांच रिपोर्ट में प्रकाश में आई हैं तो सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करने में क्यों हिचक रही है ?

श्री रशीद मसूद : सरकार हिचक नहीं रही है। मैंने कहा है कि डायरेक्टर इसका मैनेजिंग ट्रस्टी होता है। वह मीटिंग बुलाता है। सरकार ने उसको मीटिंग बुलाने के लिए लिखा है, वह मीटिंग नहीं बुला रहा है। इसलिए इसके बारे में सोचा जा रहा है कि दूसरा मैनेजमेंट तय करके मीटिंग बुलाई जाए।

चीनी पर राजसहायता

[अनुवाद]

+

*286. श्री संजय लाल :

श्री शांताराम पोटदुखे :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली लेवी की चीनी पर राजसहायता देने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस पर अनुमानतया कितनी राशि खर्च की जाएगी; और

(ग) इस राजसहायता के परिणामस्वरूप इस वर्ष के बजट घाटे में कितनी वृद्धि हो जाएगी ?

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) वर्तमान चीनी मौसम (अक्तूबर, 1989 से सितम्बर, 1990) के दौरान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जा रही लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य में अभी वृद्धि नहीं की गई है क्योंकि लेवी चीनी के निकासी मूल्यों में 27 जनवरी, 1990 से वृद्धि की गई है। इससे चीनी फैक्ट्रियों पर निकासी मूल्यों में वृद्धि करने की तारीख तक और वृद्धि की तारीख के बाद राज्य सरकार की एजेंसियों पर अतिरिक्त भार पड़ा। सितम्बर, 1990 तक कुल लगभग 207 करोड़

रुपये का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है और इस समय भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चीनी मूल्य समीकरण निधि से चीनी फैक्ट्रियों/राज्य को एजेंसियों को इस राशि की प्रतिपूर्ति की की जा रही है।

श्री संजय लाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर बिल्कुल बहुमत है। मैंने अपने प्रश्न के खण्ड "ख" में स्पष्ट रूप से पूछा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस पर अनुमानतया कितनी राशि खर्च की जाएगी। लेकिन सरकार ने सितम्बर 1990 तक लगभग 207 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय होने की बात कही है। यह रकम भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चीनी मूल्य समीकरण निधि से चीनी फैक्ट्रियों व राज्य की एजेंसियों को की जाएगी। मेरा प्रश्न यह है कि हमने पूरे वित्तीय वर्ष के लिए पूछा है इन्होंने केवल सितम्बर तक का ही जवाब दिया है। अक्टूबर से मार्च तक कितनी लगेगी, यह मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री राम पूजन पटेल : अध्यक्ष जी, चीनी वर्ष अक्टूबर से सितम्बर तक होता है। इसलिए हमारा जो खर्च होता है, हमने उनको बताया है। यदि वे चाहते हैं कि हमको फलां महीने का बताया जाए तो उसे हम बता सकते हैं।

श्री संजय लाल : मेरा प्रश्न पूरे वित्तीय वर्ष का था, वह पूछा गया है, इसलिए फिर से पूछने की क्या जरूरत है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : हर महीने 25 करोड़ रुपये का घाटा होता है और एक महीने में 25 करोड़ रुपये के घाटे के हिसाब से पूरे वर्ष का करीब 300 करोड़ रुपये होता है। अभी जिस तरह से हम 8.25 पर चीनी बेच रहे हैं और मिलों को लेवी चीनी के दाम 600 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं। 5.25 और 6.00 के अन्दर करीब 75 पैसे का डिफरेंस है। इस डिफरेंस से हमें करीब 300 करोड़ रुपये···(व्यवधान) इस डिफरेंस के कारण एफ.सी.आई. को लेवी चीनी मिली।

श्री संजय लाल : सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि जो 27 फरवरी 1990 से चीनी के निकासी के मूल्य में वृद्धि की गई है वह दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : किसानों के द्वारा मिल को जो ईख दी गई, वह तो पहले चीनी के रेट से ली गई थी, जिस ईख से चीनी तैयार हुई और मिल मालिकों को आप अतिरिक्त पैसा दे रहे है तो क्या सरकार मिल मालिकों पर यह दबाव डालेगी कि वह किसान से कम रेट पर जो गन्ना लिया गया था उन्हें अब सरकार द्वारा चीनी का अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने पर किसानों को उनके द्वारा दिए गए गन्ने पर बढ़ोतरी कीमत दें। (व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : जहां तक माननीय सदस्य का मतलब इस बात से है···(व्यवधान) चीनी के दस साल पहले दाम 20 रुपये क्विंटल थे···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मिर्धा जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : फिर 22 रुपये किए गए—(व्यवधान)···फिर 20 से 22 किए गए···(व्यवधान)···मैं एस. एम. पी. की प्राइस की बात कर रहा हूं···(व्यवधान)···एस.एम.पी. प्राइस के आधार पर मिलों को ज्यादा पैसा लेवी शुगर का नहीं मिलता था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथू राम मिर्धा : इसलिए इसको बढ़ाया गया क्योंकि, वह लेवी शुगर दे नहीं सकते थे ।

[अनुवाद]

प्रो. के. वी. थामस : इस चीनी के मौसम के दौरान सरकार 207 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय वहन कर रही है । यही आर्थिक सहायता उस लेवी चीनी के पूर्व-कारखाने वाले मूल्य के लिए दी जाती है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किया जाता है । इस समस्या के दो पहलू हैं—पहला तो चीनी है जिसे खुले बाजार मे कारखानों द्वारा बेचा गया है जहां सरकार का अधिक नियंत्रण नहीं है तथा दूसरा पहलू लेवी चीनी है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किया जा रहा है । 207 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय वहन करने के पश्चात भी यह देखा गया है कि उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अपेक्षित मात्रा मे चीनी नहीं मिल पा रही है । कुछ अन्य राज्य जैसे केरल ने 'ओनम' के लिए चीनी की अतिरिक्त मात्रा की मांग की है । सरकार इसके आधार पर राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कौन से ठोस कदम उठाने जा रही है जिससे लोगों को वह चीनी प्राप्त हो सके जो उनके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आबंटित की जाती है ।

श्री नाथू राम मिर्धा : लेवी चीनी कुल उत्पादन का एक निर्धारित कोटा है । चीनी के कुल उत्पादन में से हम लेवी कोटा के लिए चीनी को फैक्टरियों से 45 प्रतिशत लेते हैं कुल उत्पादन का पैंतालीस प्रतिशत एक समिति मात्रा है । राज्यों को चीनी के वितरण का आधार एक मानदण्ड के अनुसार निर्धारित किया जाता है अर्थात् अक्टूबर 1986 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा राज्य द्वारा जो यूनिट दी जाती है । उन्हीं के आधार पर निर्धारित किया जाता है । हमारे अनुसार प्रत्येक यूनिट को 425 ग्रा. लेवी चीनी दी जाती है । चीनी के कारखानों से हमें जो भी कुल मात्रा मिलती है उसकी इतनी मात्रा दी जाती है । अतएव, लेवी चीनी काफी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है । जनसंख्या भी बढ़ गई है तथा राज्य और अधिक लेवी चीनी के कोटा की मांग करते हैं । परन्तु हमारे पास लेवी चीनी अधिक नहीं होती है अगर लेवी चीनी 45% होती है तब हमारे पास लेवी चीनी की मात्रा कम पड़ती है । खुले बाजार में चीनी की बिक्री 55 प्रतिशत है । लेवी चीनी की कीमत कारखानों मे चीनी के उत्पादन की लागत से भी कम है । वास्तविक मूल्य तथा लेवी कोटा मूल्य में प्रतिक्विंटल अन्तर लगभग 125 रु. से लेकर 150 रु. तक है । इसीलिए हमें लेवी चीनी का अतिरिक्त कोटा नहीं मिला है । राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार हम राज्यों को दी जाने वाली चीनी की मात्रा नहीं बढ़ा सकते ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : चीनी के मामले में बाजार में दो प्रकार से हस्तक्षेप किया जाता है । एक तरीका यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को चीनी का कोटा अधिक दिया जाए तथा दूसरा

तरीका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक मात्रा में चीनी का कोटा जारी करना है। आरम्भ में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लेवी चीनी के वितरण का अनुपात 70% था। किन्हीं अज्ञात कारणवश यह समझा गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक चीनी देने के स्थान पर निजी व्यापारियों को चीनी का कोटा अधिक देना अधिक बेहतर समझा गया। यह समझा जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लेवी चीनी देना अधिक बेहतर है तथा उसका तुरन्त प्रभाव पड़ेगा। जब आप व्यापारियों को और अधिक चीनी देते हैं तथा यदि वे इसे जमा कर लेते हैं तब इसका असर लगभग नहीं के बराबर होगा।

अतएव मेरा प्रश्न यह है कि सरकार अपनी नीति क्यों नहीं बदलती? इसके अलावा जब कभी भी कमी होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बाजार में चीनी का कोटा जारी किया जाता है। सरकार एक और अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर राशि को क्यों नहीं बढ़ाती? कम से कम लेवी वितरण के माध्यम से 75 प्रतिशत के पूर्व स्तर तक इसे वापस करना चाहिए। यदि यह आर्थिक सहायता है तब इसे दिया जाना चाहिए। उससे राहत मिलती है। (व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : आर्थिक सहायता प्रदान करने में सरकार की अपनी सीमाएं हैं। (व्यवधान) मान लीजिए कि हम लेवी चीनी का कोटा जारी कर देते हैं (व्यवधान) मिलों द्वारा चीनी के उत्पादन की लागत लगभग 7.50 रु. तक पड़ेगी। (व्यवधान) हम 5.25 रु. के मूल्य पर बेच रहे हैं। जितना अधिक हम लेवी चीनी का कोटा देते हैं उतनी ही अधिक आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चटर्जी जी, मंत्री जी को उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : बाजार में मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिक कोटा दिया जाना चाहिए। खुले बाजार में चीनी जारी की जाती है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : प्रतिशत क्या है?

श्री नाथू राम मिर्धा : लेवी चीनी 45 प्रतिशत है तथा खुले बाजार में बिकने वाली चीनी की मात्रा 55 प्रतिशत है। हम खुले बाजार में बिकने वाली चीनी देते हैं जिसके मूल्य 8 रु. तथा 9 रु. के बीच में रहे। (व्यवधान) हम यही समझते हैं। (व्यवधान) चीनी की मिलें भी उस चीनी को नहीं बेच सकेंगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया है कि 425 ग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से चीनी दी जाती है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश की सरकार का शासनादेश है, 250 ग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से चीनी दी जाती है। दूसरी बात यह है कि सरकार एक तरफ बार-बार कहती है कि चीनी हमारे पास बहुत गई है और उसके बाद भी गांवों में चीनी नहीं जाती है तथा ब्लैक हो रही है। शहर में एक किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से चीनी जाती है और गांवों में 250 ग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, यह अन्याय गांवों के लोगों के साथ क्यों हो रहा है? मैं आपके माध्यम से एक सवाल यह भी

पूछना चाहता हूं, अगर सरकार के पास चीनी सरप्लस है. तो फिर इस कंट्रोल को खत्म कीजिए, ताकि लोगों को चीनी तो मिल सके ? (व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है कि वहां 250 ग्राम देते हैं, तो यह उनका इन्टरनल मैटर है। हमारे पास जो लैवी का कोटा है इसमें अक्टूबर, 1986 के नियम के अनुसार 425 ग्राम देते हैं। जा यूनिट सब को है, उसी आधार पर सभी स्टेट्स को देते हैं। अब गांवों में 250 ग्राम दें, एक किलो दें या आधा किलो दें, यह इन्टरनल मैटर है।…

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिर्धा जी, आप इनसे बात मत करिए।

(व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : यूनिट 425 ग्राम प्रति यूनिट उत्तर प्रदेश में है। (व्यवधान)

गलगंड रोग

[अनुवाद]

*287. श्री राम लाल राही : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में गलगंड रोग फैला हुआ है; यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इससे प्रभावित कुल व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आयोडीन की कमी के कारण कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों की रोकथाम किस प्रकार की जा रही है;

(ग) बच्चों और वयस्कों में गलगंड रोग के मामलों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उपर्युक्त रोगों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए क्या उपाय किये हैं/करने का विचार है तथा इन लोगों के लिए क्या चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर दिया गया है।

विवरण

गलगण्ड की स्थानिकता का मूल्यांकन नमूना सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। अभी तक 204 जिलों में नमूना सर्वेक्षण किया गया है जिसमें से 182 जिलों में गलगंड स्थानिकमारी वाला रोग पाया गया था। विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण किए गए जिलों की संख्या और उन जिलों, जिनमें गलगण्ड स्थानिकमारी वाला रोग पाया गया है, की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (उपाबंध)।

आयोडीन की कमी से होने वाले विकार मुख्यतया आयोडीन की कमी के कारण होते हैं और इनसे गलगण्ड और मानसिक मन्दता, शारीरिक अप-सामान्यता से लेकर बौनापन तक हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से गर्भपात हो सकता है, मृत बच्चे पैदा हो सकते हैं और शिशु की मृत्यु तक हो सकती है।

आयोडीन के इस्तेमाल से आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को रोका जा सकता है। आयोडीन की कमी को पूरा करने का सबसे सस्ता तरीका नमक को आयोडीन युक्त करना है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भिन्न-भिन्न भौगोलिक स्थिति, मौसम विज्ञप्तीय, भू-रसायनिक लक्षणों वाले 14 ऐसे जिलों में 4,58,192 लोगों के नमूने लेकर एक बहु-केन्द्रिक अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चला है कि 5 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में विभिन्न स्तरों पर गलगण्ड की व्यापतता-दर लगभग 32 प्रतिशत थी। जहां तक प्रौढ़ व्यक्तियों का संबंध है, 20 अथवा इससे अधिक आयु-वर्ग में यह व्याप्तता दर लगभग 17 प्रतिशत थी।

लोगों में आयोडीन की कमी वाले विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने उपाय किए हैं। इन उपायों में शाप-पोस्टर्स और लीफलैट्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों में उपयोग किए जाने वाले पोस्टरों का मुद्रण तथा डाक्टरों और अर्ध—चिकित्सा कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री का उत्पादन करना शामिल है। दूरदर्शन और आकाशवाणी और रेडियो स्पाट्स का निर्माण करने का कार्य भी आरम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री तैयार करने और वितरित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को धन उपलब्ध किया जा रहा है।

आयोडीन—युक्त नमक के नियमित सेवन से आयोडीन की कमी वाले अधिकांश विकारों को रोका जा सकता है। गलगंड से पीड़ित केवल थोड़े से रोगियों को ही शल्य-चिकित्सा की जरूरत होती है। शल्य चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा सामान्यतः सभी बड़े अस्पतालों तथा चिकित्सा कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में उपलब्ध है।

उपाबंध

सर्वेक्षण किए गए जिलों की सूची और पाये गए स्थानिकमारी वाले रोग

क. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सर्वेक्षण किए गए जिलों की संख्या	पाये गए स्थानिकमारी वाले जिलों की सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	10
3.	असम	17	17
4.	बिहार	22	22

1	2	3	4
5.	गोआ	1	1
6.	गुजरात	7	4
7.	हरियाणा	2	1
8.	हिमाचल प्रदेश	10	10
9.	जम्मू व कश्मीर	13	13
10.	कर्नाटक	10	5
11.	केरल	1	1
12.	मध्य प्रदेश	16	16
13.	महाराष्ट्र	12	7
14.	मणिपुर	8	8
15.	मेघालय	5	5
16.	मिजोरम	3	3
17.	नागालैंड	7	7
18.	उड़ीसा	3	3
19.	पंजाब	3	3
20.	राजस्थान	3	3
21.	सिक्किम	4	4
22.	तमिलनाडु	2	1
23.	त्रिपुरा	3	3
24.	उत्तर प्रदेश	32	26
25.	पश्चिम बंगाल	5	5
26.	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	×1	स्थानिकमारी
27.	दमण व द्वीव संघ शासित क्षेत्र		स्थानिकमारी
28.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र		स्थानिकमारी
29.	दादरा व नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र		स्थानिकमारी

सर्वेक्षण किए गए जिलों की कुल संख्या 204

स्थानिकमारी वाले जिलों की संख्या　182

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारियों के पास सरकारी आवास

*288. श्री आर. जीवरत्नम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कर्मचारियों को, जिनके विभाग के पास पृथक आवास पूल हैं, जनहित में दूसरे विभागों/मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर अपना सरकारी मकान छोड़ना पड़ता है जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानी होती है और जब वे अपने कार्यालय में वापस आते हैं, तो उन्हें उस विभाग से अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान मिले सरकारी मकान को भी छोड़ना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्या को किस तरह सुलझाने का विचार है।

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) किसी पूल विशेष में सरकारी वास के लिए पात्र न रहने वाले अधिकारी द्वारा साधारणतया: मकान खाली करना अपेक्षित है। तथापि, उनकी समस्याओं को कम करने की दृष्टि से उनको निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जाती है—

(i) विभागीय पूल से वास में रहने वाले अधिकारी, जो अनिवार्य स्टाफ वास के रूप में उद्दिष्ट अथवा नामित नहीं है, जब सामान्य पूलवास के लिए पात्र कार्यालय में तैनात किया जाता है, को तनिज श्रेणी में वैकल्पिक वास उपलब्ध किया जाता है।

(ii) यदि सामान्य पूलवास के दखल वाले किसी अधिकारी को विभागीय पूल वाले किसी कार्यालय में तैनात किया जाता है और सामान्य पूलवास के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसके द्वारा सामान्य पूल वास खाली करना अपेक्षित है। अपने पूल से उसको वास मुहैय्या करना संबंधित विभागों का काम है। यदि विभाग सामान्य पूल के बराबर वास परिवर्तन को सहमत हो, तो अधिकारी पर परिवर्तन आधार पर सामान्य पूल वास प्रतिधारण पर विचार किया जाता है और सामान्य पूल वास के लिए पात्र किसी कार्यालय में अधिकारी के जाने पर यह व्यवस्था बदल जाती है।

श्रम न्यायालयों में विचाराधीन मामले

[हिन्दी]

*289. श्री हुक्म देव नारायण यादव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न श्रम न्यायालयों में विचाराधीन पड़े मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) ये मामले कब से विचाराधीन पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) श्रमिकों को समय पर कानूनी सहायता न प्रदान करने वाले प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) 30.6.1990 को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों में लम्बित पड़े औद्योगिक विवादों और आवेदनपत्रों की संख्या 11,795 थी। संलग्न विवरण—1 और विवरण—2 में दिए गए हैं जिनमें क्रमश: औद्योगिक विवादों और आवेदनपत्रों के लम्बित रहने तथा उनके वर्ष-वार ब्यौरे दिए गए हैं।

31.12.1889 की स्थिति के अनुसार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित किए गए औद्योगिक अधिकरणों और श्रम न्यायालयों में, उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, लंबित पड़े औद्योगिक विवादों और आवेदन पत्रों की संख्या 2,24,322 थी : संलग्न विवरण—3 और विवरण—4 में दिए गए हैं जिनमें क्रमश: राज्यवार औद्योगिक विवादों तथा आवेदन पत्रों के लंबित रहने की स्थिति तथा उनके वर्ष-वार ब्यौरे दर्शाए गए हैं।

इन मामलों के निपटान में देरी के लिये पता लगाए गए कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिक-कार्यभार, पीठासीन अधिकारियों की रिक्तियां भरने में अक्सर देरी, वकीलों की अनुपस्थिति, सूचना भेजने के लिए स्थगन, वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश, या न्यायालय से बाहर समाधान आदि की बात प्रयास जैसी प्रक्रियात्मक रुकावटें शामिल हैं।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसमें प्रबन्ध तन्त्र द्वारा श्रमिकों को कानूनी सहायता देने की व्यवस्था हो।

विवरण—1

क्षेत्र : केन्द्रीय

30 जून, 1990 को समाप्त हुई छमाही के लिये केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय में लंबित पड़े औद्योगिक विवादों तथा आवेदनपत्रों की संख्या

क्रमांक	के.स.औ.अ. का नाम	छमाही के अन्त में लंबित पड़े औद्योगिक विवादों की संख्या	छमाही के अन्त में लंबित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या	कुल जोड़
1	2	3	4	5
1.	आसनसोल	83	9	92
2.	बंगलौर	177	—	177
3.	संख्या 1, बम्बई	121	568	689
4.	संख्या 2, बम्बई	167	2619	2786

1	2	3	4	5
5.	कलकत्ता	284	208	492
6.	चंडीगढ़	427	698	1125
7.	संख्या 1, धनबाद	432	108	540
8.	संख्या 2, धनबाद	433	34	467
9.	जबलपुर	782	1743	2525
10.	कानपुर	637	740	1377
11.	नई दिल्ली	368	1157	1525
	कुल	3911	7884	11775

विवरण—2

क्षेत्र : केन्द्रीय

जून, 90 की छमाही अवधि के लिये लंबित औद्योगिक विवादों और आवेदन पत्रों का ब्यौरा

क्र. सं.	कें.स.औ.अ. का नाम	औद्योगिक विवादों की संख्या					आवेदन पत्रों की संख्या					अभ्युक्तियां
		1 वर्ष तक	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 3 वर्ष के बीच	तीन वर्ष से अधिक	कुल	1 वर्ष तक	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 3 वर्ष के बीच	तीन वर्ष से अधिक	कुल	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आसनसोल	50	20	11	2	83	9	0	0	0	9	
2.	बंगलौर	82	89	3	3	117	0	0	0	0	0	
3.	बम्बई नं. 1	72	23	19	7	121	75	49	9	435	568	
4.	बम्बई नं. 2	46	49	20	52	167	1979	464	37	139	2619	
5.	कलकत्ता	35	100	53	96	284	49	66	39	54	208	
6.	चण्डीगढ़	275	75	59	18	427	265	180	122	131	698	
7.	धनबाद नं. 1	318	87	2	25	432	46	54	1	7	108	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. धनबाद नं. 2	192	96	41	104	433	16	13	0	5	34	
9. जबलपुर	307	175	178	122	782	175	406	94	1068	1743	
10. कानपुर	518	41	63	15	637	565	9	152	14	710	
11. नई दिल्ली	251	61	24	32	368	827	130	123	77	1157	
कुल	2146	816	473	476	3911	4006	1371	577	1930	7884	

विवरण—3

31.12.89 श्रम न्यायालयों, औद्योगिक अधिकरणों श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष लम्बित औद्योगिक विवादों तथा आवंटन पत्रों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	छमाही के अन्त में लंबित औद्योगिक विवादों की संख्या	छमाही के अन्त मे लंबित आवेदनपत्रों की संख्या	कुल योग
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	9		9
आंध्र प्रदेश	5,258	3,889	9,147
असम	339	98	437
दिल्ली	19,067	18,925	37,992
गोवा, दमन एवं दीव	179	71	250
हिमाचल प्रदेश	174	282	456
हरियाणा	4,064	2,273	6,337
केरल	1,039	1,500	2,539
कर्नाटक	6,168	3,351	9,519
गुजरात	—	—	1,00,296
मणिपुर	1	—	1
मध्य प्रदेश	2,575	851	3,426
उड़ीसा	754	1,453	2,207
पंजाब	7,159	8,078	15,237
पांडिचेरी	29	29	58
राजस्थान	5,021	3,734	8,755
तमिलनाडु	5,211	6,442	11,653
उत्तर प्रदेश	9,454	4,107	13,561
पश्चिम बंगाल	2,248	194	2,442
कुल	68,749	55,277	2,24,322

नोट—1. इस विवरण में महाराष्ट्र तथा बिहार के आंकड़े शामिल नहीं है, और

2. शेष राज्यों के बारे में सूचना शून्य है।

विवरण—4

क्षेत्र : केन्द्रीय

दिसम्बर, 1989 को समाप्त हुई छमाही अवधि के लिए श्रम न्यायालयों, औद्योगिक अधिकरणों, श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष लम्बित औद्योगिक विवादों तथा आवेदन पत्रों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	औद्योगिक विवादों की संख्या: 1 वर्ष तक	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से अधिक	कुल	आवेदन पत्रों की संख्या: 1 वर्ष तक	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से अधिक	कुल	अभ्युक्तियां
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	3	0	3	9	0	0	0	0	0	
2.	आंध्र प्रदेश	2188	2021	933	116	5258	664	858	484	1883	3889	
3.	असम	120	95	84	40	339	40	30	10	18	98	
4.	दिल्ली	10575	2491	2194	3807	19067	8919	4583	2180	3243	18925	
5-	गोवा दमन एवं दीव	87	23	17	52	179	27	18	19	7	71	
6.	हिमाचल प्रदेश	87	59	22	6	174	185	74	23	0	282	
7.	हरियाणा	2311	1107	448	198	4064	1135	785	198	155	2273	

8.	केरल	551	257	127	104	1039	555	292	135	518	1500
9.	पंजाब	3595	1379	614	513	6101	3683	1700	1280	719	7382
10.	उड़ीसा	241	229	122	162	754	796	343	187	127	1453
11.	पांडिचेरी	23	2	1	3	29	28	0	1	0	29
12.	राजस्थान	2076	994	635	1316	5021	1296	858	715	865	3734
13.	तमिलनाडु	2335	1029	894	953	5211	2216	1472	1492	1362	6442
14.	पश्चिम बंगाल	863	596	226	563	2248	53	20	19	102	194
	कुल	25055	10285	6317	7836	49493	19497	11033	6743	8999	46272

नोट—ऊपर दिये गये आंकड़े अनन्तिम है ।

आर. के पुरम स्थित स्त्री रोग अस्पताल में कुप्रबन्ध

[अनुवाद]

*290. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आर. के. पुरम, नई दिल्ली स्थित स्त्री रोग अस्पताल में कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) यह शिकायत मूत्र नमूनों की जांच की विधियों और सफाई की असंतोषजनक परिस्थितियों से संबंधित है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के निदेशक को एक विस्तृत जांच कराने के निदेश दे दिए गए हैं।

विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और प्रणालियां

*291. श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से तैयार किये गए तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रणालियों में आमूल परिवर्तन कर इन्हें फिर से तैयार किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य में क्या नये परिवर्तन किए जा रहे हैं और ये किस वर्ष से लागू होंगे ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) श्रम मन्त्रालय विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। यह देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा दक्षता में सुधार लाने के लिए तैयार की गई एक व्यापक परियोजना है। यह 28 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है जिनमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं तथा इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उपकरणों के आधुनिकीकरण अनुरक्षण पद्धति की स्थापना, दृश्य-श्रव्य उपकरणों की व्यवस्था तथा नये व्यवसाय प्रारम्भ करने की योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना में अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित चुनींदा केन्द्रों में विनिर्दिष्ट कौशलों मे प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करके उच्च कौशलों तथा अधिक तकनीकी वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण के प्रावधान पर भी बल दिया गया है।

2. महाराष्ट्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके लिये वर्ष 1990-91 के दौरान 896.73 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार का उपकरणों के आधुनिकीकरण, उपकरण आरक्षण पद्धति की स्थापना, अनुदेशात्मक उपकरणों के प्रावधान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसाय आरम्भ करने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों

में स्व: रोजगार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ करने, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत मूल प्रशिक्षण तथा संबद्ध अनुदेशात्मक केन्द्रों की स्थापना उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति कार्यक्रम के विस्तार, महिला प्रशिक्षण के लिये नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों विंगों की स्थापना, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसाय आरम्भ करने तथा परियोजना प्रबंध एककों की स्थापना से संबंधित योजनाएं कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

3. परियोजना का कार्यान्वयन पिछले वर्ष से किया जा रहा है तथा इसकी अवधि 6 वर्ष है।

ऊन का उत्पादन

*292. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पादित कुल ऊन का कितने प्रतिशत उत्पादन पंजाब, हरियाणा और जम्मू तथा कश्मीर में होता है; और

(ख) ऊन उद्योग के विकास हेतु कौन से कदम उठाए गये हैं तथा पंजाब, हरियाणा और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों की क्या सहायता दी गई है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1987-88 के लिये कृषि मंत्रालय के प्राक्कलनों के अनुसार पंजाब, हरियाणा तथा जम्मू तथा कश्मीर में उत्पादित ऊन का प्रतिशत 1?.5 था।

(ख) ऊनी वस्त्र उद्योग के विकास के लिए उठाए गये कुछ कदम निम्नोक्त अनुसार हैं :—

(1) ऊन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

(2) ऊनी वस्त्र एककों को सूती सिंथेटिक फाइबरों के प्रयोग में पूर्ण लोचनशीलता बरतने की अनुमति प्रदान की गई है ताकि वे सूती ! सिंथेटिक मदों का उत्पादन भी कर सकें।

(3) ओ. जी. एल. के अन्तर्गत कच्चे माल (कच्ची ऊन और ऊनी चीथरों) के आयात की बराबर अनुमति की जाती हैं। विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को कच्ची ऊन की सप्लाई बढ़ाने के उद्देश्य से वास्तविक प्रयोजनाओं के साथ-साथ स्टाक तथा बिक्री करने के लिये इसके आयात की अनुमति भी दी गई है।

(4) ऊनी वस्त्र एकक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(5) हथकरघों पर बुने हुए संसाधित ऊनी फैब्रिकों तथा राज्य हथकरघा विकास निगम तथा शीर्ष हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा स्थापित प्रोसेस सदनों में संसाधित ऊनी फैब्रिकों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त प्रभार से पूरी छूट।

(6) पंजीकृत शीर्ष हथकरघा सहकारी समिति अथवा राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा भारत में आयातित कच्ची ऊन पर लगने वाले सीमा शुल्क से पूरी छूट।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब और हरियाणा राज्य को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी। जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू और कश्मीर भेड़ तथा भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड के लिए 24.60 लाख रु. की वित्तीय सहायता रिलीज की गई थी।

पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगार भत्ता

[हिन्दी]

*293. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री कुशाल परसराम बोपचे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगार भत्ता देने अथवा उन्हें रोजगार की कोई गारन्टी देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सभी नागरिकों को किसी किस्म की रोजगार गारन्टी प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

हथकरघा और विद्युत-करघा उद्योग को राहत

*294. श्री हरिशंकर महाले :

श्री एम. डेनिस :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हथकरघा, विद्युत-करघा और मिलों संबंधी वस्त्र नीति पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) हथकरघा और विद्युत-करघा उद्योगों को किस प्रकार की राहत देने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने तथा इसका मूल्यांकन करने के लिए कि इसका वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, सरकार ने श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) कताई मिलों के लिए और सब्ज हैंक यार्न दायित्व संबंधी योजना शुरू करना, दीर्घ कालिक राष्ट्रीय हैंक यार्न उत्पादन, वितरण तथा कीमत निर्धारण संबंधी नीति बनाने के लिए हथकरघा मंत्रियों की एक समिति की स्थापना करना, यार्न और कच्चे माल की सप्लाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के प्रचालनों में तेजी लाना तथा संविधान की नौवीं अनुसूची हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को शामिल करने के लिए संसद के मौजूदा सत्र में एक विधेयक पेश करना, कुछ ऐसे उपाय हैं जो हथकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही मे उठाए गए हैं।

विद्युत करघा क्षेत्र के संबंध में इस समय किसी प्रकार का बड़ा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। फिर भी विद्युत करघा सेवा केन्द्र इस क्षेत्र को बराबर सहायता प्रदान करते रहेंगे ।

रोहिणी योजना में प्लाटों का आवंटन

[अनुवाद]

*295. श्री तेज नारायण सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोहिणी योजना में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए पहले बनाई गई प्राथमिकता सूची के अनुसार प्लाटों के आवंटन से संबंधित नीति में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण प्राथमिकता सूची को नजर अन्दाज करके प्लाटों का आवंटन कर रहा है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी कि भूमि का आवंटन पहले बनाई गई प्राथमिकता सूची के अनुसार ही किया जाए ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) प्राथमिकता सूची को नजर अन्दाज करके कोई आवंटन नहीं किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

संसद सदस्यों को प्लाट/फ्लैट

*296. प्रो. प्रेम कुमार धूमाल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संसद सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्लाट अथवा डी. डी. ए. फ्लैट आवंटित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) : समय-समय पर आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केवल पंजीकृत व्यक्तियों को ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट /फ्लैटों का आवंटन किया जाता है। तथापि, इस विषय पर अनुमोदित नीति के अनुसार बिना बारी के आधार पर वर्ष के दौरान आवंटित प्लाटों/फ्लैटों का 2½% तक दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आवंटन हेतु सक्षम है। केवल संसद सदस्यों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

[हिन्दी]

*297. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को सार्वजनिक वितरण हेतु जनवरी, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि में कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं, चीनी, खाद्य तेल, चावल, मंदा और कपड़ा आवंटित किया गया;

(ख) क्या राजस्थान सरकार को इन वस्तुओं का आवंटन उनकी मांग के अनुसार किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार इसका और अधिक मात्रा में आवंटन करने का है और यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जनवरी से जुलाई, 1990 के दौरान राजस्थान का आवंटित चावल, गेहूं, लेवी चीनी और आयातित खाद्य तेलों की मात्रा नीचे दी गई है :—

(मी. टनों में)

माह	चावल	गेहूं	लेवी चीनी	खाद्य तेल
जनवरी, 90	3200	70000	16914	200
फरवरी, 90	3200	70000	16914	100
मार्च, 90	3200	70000	1694	200
अप्रैल, 90	3200	70000	16914	300
मई, 90	3200	70000	1614	350
जून, 90	3200	70000	16914	350
जुलाई, 90	3200	70100*	16914	750

*इसमें बाढ़ राहत हेतु 100 मी. टन की मात्रा सम्मिलित है।

(1) नियंत्रित कपड़ा योजना हालांकि अब सांविधिक नहीं है, फिर भी नियंत्रित कपड़े की कुछ मात्रा नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों और प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से वितरित की जाती है.

(2) मैदा का आवंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए नहीं किया जाता।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तुओं का आवटन करते समय उनकी मांग सहित विभिन्न बातें, जैसे केन्द्रीय पूल में उपलब्धता, विगत महीनों के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मात्रा आदि को ध्यान में रखा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं।

(ग) राजस्थान को आवंटित आयातित खाद्य तेलों तथा उक्त राज्य द्वारा उठाई गई इनकी मात्रा इस प्रकार है :—

(मी. टन में)

	आवंटन	उठाई गई मात्रा
जनवरी, 1990	200	—
फरवरी, 1990	100	—
मार्च, 1990	200	84
अप्रैल, 1990	300	55
मई, 1990	350	184
जून, 1990	350	240
जुलाई, 1990	750	345
अगस्त, 1990	1750	151 (14.8.90 तक)
सितम्बर, 1990	1900	—

जैसाकि देखा जा सकता है, आवंटन में काफी वृद्धि की गई है और वे उठाई गई मात्रा से अधिक हैं।

रक्त बैंकों से "एड्स" मुक्त रक्त की सप्लाई

[अनुवाद]

*298. श्री अमल दत्त :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने "रक्त बैंक" चल रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने रक्त बैंकों में "एड्स वायरस" की जांच करने की व्यवस्था है;

(ग) क्या इन रक्त बैंकों में उपलब्ध जांच सुविधाओं से "एड्स" मुक्त रक्त की सप्लाई की जा सकती है; यदि नहीं, तो ऐसी स्थिति को प्रभावी ढंग से रोक-थाम के लिये क्या उपाय किए गये है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन रक्त बैंकों पर निगरानी रखने के लिए कोई उपाय करने का है, जिनमे ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है; इस संबंध में अब तक क्या व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था कितनी प्रभावी हुई है; और

(ङ) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई कानूनी उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है कि रक्त "एड्स" रोग का माध्यम न बन जाये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ङ) देश में 1018 रक्त बैंक हैं।

सभी रक्त बैंको में एच आई वी प्रतिपिंडो का पता लगाने के लिए किटों की अल्प शैल्फ-लाइफ और जांच करने के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी के कारण जांच सुविधाएं प्रदान करना तत्काल व्यवहार्य नहीं है इसलिए सरकार जोनल आधार पर जांच सुविधाएं स्थापित कर रही है जहां रक्त बैंकों को जोनल रक्त जांच केन्द्रों के साथ जोड़ा जाएगा।

अब तक दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के शहरों में 32 जोनल रक्त जांच केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 27 अन्य महत्वपूर्ण शहरों में इस समय रक्त की जांच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित निगरानी केन्द्र द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से की जा रही है। जोनल रक्त जांच केन्द्रों की संख्या में क्रमिक रूप से वृद्धि करने का प्रस्ताव है ताकि सभी रक्त बैंकों को जोनल केन्द्रों के साथ संबंद्ध किया जा सके;

सरकार ने औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत 11 जुलाई, 1989 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि रक्त बैंकों के लाइसेंसधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रक्त की प्रत्येक यूनिट की एच आई वी प्रतिपिंडों से रहित होने के लिए जांच की जा रही है। सरकार ने एकत्रण, भंडारण, जांच और वितरण के क्षेत्रों में रक्त बैंकों के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए 17 अक्टूबर, 1989 को प्रारूप नियम भी अधिसूचित किए हैं।

कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए समर्थन मूल्य

*299. श्री कैलाश मेघवाल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पर आधारित उद्योगों के समर्थन मूल्यों में भारी वृद्धि किये जाने के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) क्या इस कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा नहीं कर पायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इसे अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का मूल्य अनेक चीजों पर निर्भर है जैसे कच्ची सामग्री, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, वितरण की लागत आदि। प्रोसेस्ड खाद्य-पदार्थों के अन्तिम मूल्य पर इन लागतों में से किसी के बढ़ जाने से होने वाले प्रभाव को बताना कठिन है परन्तु सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि कच्ची सामग्री के मूल्य में वृद्धि से तैयार उत्पाद के मूल्य में असर पड़ेगा जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इन उत्पादों की प्रतियोगिता पर भी असर पड़ सकता है। निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने वित्तीय राहत और प्रोत्साहन देने के लिए नकद क्षतिपूर्ति सहायता "ड्यूटी ड्रा-बैंक" आदि जैसी स्कीमें बनाई हैं।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष कोष

*300. श्री इरा अन्बारासु :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय महत्व की सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई विशेष कोष है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, राष्ट्रीय महत्व की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ऋण के रूप में निधियां प्रदान करने के वास्ते एक सिंचाई वित्त निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

बालिकाओं के बारे में संगोष्ठी

*301. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 5 जुलाई, 1990 को आंध्र प्रदेश वालंटरी हैल्थ एसोसिएशन द्वारा हैदराबाद में आयोजित बालिकाओं सम्बन्धी संगोष्ठी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संगोष्ठी में कौन सी सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश स्वयंसेवी स्वास्थ्य संघ, हैदराबाद द्वारा दिनांक 5.7.90 को आयोजित सेमिनार की सिफारिशों में रोग-प्रशिक्षण की आवश्यकता, स्वास्थ्य देखभाल, जागृति विकास, भ्रूण-परीक्षण पर प्रतिबन्ध

लगाना, स्कूल छोड़ चुके लड़के-लड़कियों को पढ़ाना, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, दहेज कानूनों में संशोधन, अभिभावकों को शिक्षित करना, स्कूल के समीप शिशु गृह खोलना, महिलाओं के आर्थिक दर्जे में सुधार करना, स्कूलों में दोपहर का भोजन देना, व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण देना, यौन शिक्षा, और बाल विवाह कानूनों को कड़ाई से लागू करना शामिल हैं ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में नर्सिंग कालेज

[हिन्दी]

*302. श्री हरीश रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में नर्सों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार, नर्सों की इस कमी को पूरा करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में एक नर्सिंग कालेज खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां । देश में नर्सों की कुल मिलाकर कमी है ।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार का उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में नर्सिंग कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । यह राज्य सरकार का काम है कि वह अपनी नर्सिंग कार्मिकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार करे ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

*303. श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल :

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने, पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिए उपलब्ध कराई है सहायता राशि का पूरा इस्तेमाल किया है ।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपलब्ध कराई गई और खर्च की गई सहायता राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटित राशि का पूरी तरह उपयोग हो ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान की गई सहायता की राशि तथा मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार किए गए व्यय नीचे दिए गए हैं :

1. विशेष केन्द्रीय सहायता :

(रुपए लाखों में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि	मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार खर्च
1987-88	5735.34	5387.00
1988-89	6201.27	6051.00
1989-90	6920.89	8170.00

II. केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में प्रदान की गई सहायता :

वर्ष	भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि	व्यय
1987-88	986.75	सूचना मध्य प्रदेश सरकार
1988-89	615.76	से एकत्र की जा रही है।
1989-90	1094 05	

भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के उपयोग के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें। सूचना प्राप्त होने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो, समुचित कदम उठाए जाएंगे।

पांचवें और छठे अनुसूचित क्षेत्र के लिए पृथक प्रशासन

3287. श्री गिरिधर गोमांगों : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और पांचवें तथा छठे अनुसूचित क्षेत्र वाली राज्य सरकारों ने इन क्षेत्रों में अच्छे प्रशासन के लिए नीति बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पृथक प्रशासन न होने के क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों को आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। आदिवासी उप-योजना के लिए सृजित विकास तंत्र अर्थात समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं (आई. टी. डी. पी.) आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। सभी आदिवासी उपयोजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समेकित आदिवासी विकास परियोजना (आई. टी. डी. पी.) तंत्र की पद्धति करीब-करीब वैसी ही है, छठे अनुसूचित क्षेत्रों में विकास प्रशासन हेतु स्वायत जिला परिषदें स्थापित की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति द्वारा ऋण सीमा में वृद्धि

3288. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति द्वारा दिये जाने वाले ऋण की सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लेने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) समिति द्वारा रूपात्मकताओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

स्कूटर कम्पनियों द्वारा जमा राशियां वापस करना

3289. श्री राम नाईक : क्या खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ स्कूटर निर्माताओं द्वारा ब्याज सहित जमाराशियां वापस न करने के बारे में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इन शिकायतों में शामिल कम्पनियों और कुल धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(घ) आयोग द्वारा इन शिकायतों के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) विभिन्न उपभोक्ता सगठनों द्वारा पांच याचिकाएं, जो 2728 व्यक्तियों की ओर से 13,64,000 रु. के दावे के लिए हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर की गई हैं। इनका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

1. कामन काज, नई दिल्ली द्वारा मैं. लोहिया मशीन्स के विरुद्ध एक याचिका दायर की थी। यह याचिका 3.5.90 को वापिस ले ली गई क्योंकि प्रार्थी उन उपभोक्ताओं का ब्योरा नहीं दे सका, जिन्हें राशि वापिस की जानी है।

2. एक याचिका कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, केरल द्वारा मै. लोहिया मशीन्स के विरुद्ध दायर की गई, कम्पनी ने राष्ट्रीय आयोग को 3.5.90 को सूचित किया कि याचिका में उल्लिखित 201 उपभोक्ताओं में से 157 को राशि लौटा दी गई है और बाकी 44 का पर्याप्त विवरण न भेजने के कारण जमाराशि नहीं लौटाई जा सकी है। कम्पनी ने वचन दिया कि पूर्ण विवरण प्राप्त होने पर उनको भी जमाराशि ब्याज सहित लौटा दी जाएगी।

3. एक याचिका मुम्बई ग्राहक पंचायत द्वारा 790 उपभोक्ताओं की ओर से दायर की गई। यह याचिका राष्ट्रीय आयोग में 12.9.1990 को सुनवाई के लिए सूची में रखी गई है।

4. एक याचिका कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, राउरकेला द्वारा मैं. लोहिया मशीन्स के विरुद्ध दायर की गई है। यह याचिका 1510 उपभोक्ताओं की ओर से दायर की गई है। चूंकि याचिका 10.8.90 को ही दायर गई है, अतः राष्ट्रीय आयोग उस कम्पनी को एक नोटिस जारी कर रहा है।

5. एक याचिका कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, राउरकेला द्वारा मै. आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लि. के विरुद्ध भी दायर की गई है। यह याचिका 227 उपभोक्ताओं की ओर से दायर की गई है। चूंकि यह याचिका 10.8.90 को ही दायर की गई है, अतः राष्ट्रीय आयोग इस कम्पनी को नोटिस जारी कर रहा है।

कर्नाटक में रुग्ण कपड़ा मिलें

3290. श्री जनार्दन पुजारी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में इस समय कितने कपड़ा मिल रुग्ण हैं;

(ख) वे कब से रुग्ण हैं और इसके परिणाम स्वरूप कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) क्या उन्हें पुन. चलाने के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1988 के अन्त तक कर्नाटक में रुग्ण एककों के रूप में 12 वस्त्र मिलों को वर्गीकृत किया है।

(ख) इनमें से, 30.6.1990 की स्थिति अनुसार 1714 कामगारों के नियोजन वाली केवल दो मिलें बंद की गई थीं।

(ग) और (घ) आई. डी. बी. आई. ने कर्नाटक में दो बंद मिलों सहित चार रुग्ण मिलों के लिए 8.45 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

बारी से पहले सरकारी आवास का आवंटन

[हिन्दी]

3291. श्री एम. एस. पाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को संसद सदस्यों की सिफारिश पर बारी से पहले सरकारी आवास का आवंटन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) जनवरी, 1990 से जून, 1990 तक कितने मामलों में संसद सदस्यों से कितनी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(घ) कितने मामलों में संसद सदस्यों की सिफारिशें स्वीकार की गई हैं;

(ङ) क्या इन मामलों को मंत्रालय द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क), (ङ) और (च) बिना बारी के सरकारी वासों का आवंटन प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर विचार करने के पश्चात् किया जाता है। जब भी बिना बारी के आवंटन के मामलों में विचार किया जाता है, उस वक्त संसद सदस्यों और अन्यों से प्राप्त सिफारिशों पर भी यदि कोई हो तो गुणावगुण आधार पर जांच की जाती है।

(ख) से (घ) ऐसी कोई समिति नहीं है जैसा कि भाग (ङ) में उल्लेख किया गया है और

ऐसा कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है कि किसी मामले में किसी संसद सदस्य ने सिफारिश की हो। इसलिए (ख), (ग) तथा (घ) के बारे में विशिष्ट जानकारी देना सम्भव नहीं है।

सरकारी फाइलों से गायब कागजात

[अनुवाद]

3292. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी. आई. सी. लिमिटेड, कानपुर के निदेशक के चयन और नियुक्ति से संबंधित कुछ कागजात सरकारी फाइल से गायब हैं;

(ख) यदि हां, तो इन गायब कागजातों को खोजने के क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां, अप्रैल, 1988 में फाईल में से तीन पृष्ठ गुम थे।

(ख) और (ग) इन गुम कागजों का पता लगाने के प्रयास किए गए लेकिन इनका पता नहीं लग सका।

(घ) ऐसी घटनाएं दुबारा न होने देने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग की रिपोर्ट

3293. श्री सनत कुमार मंडल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण

3294. श्री बलवंत मनवर : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को दीर्घकालिक आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु अब तक कितनी योजनाएं आरम्भ की गई हैं; और

(ख) प्रशिक्षण के पश्चात् अब तक कितनी महिलाओं को रोजगार प्रदान किए गए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) नोराड (अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए नार्वेजियन एजेंसी) योजना के अन्तर्गत अब तक गुजरात में 6 परियोजनाएं आरम्भ की जा चुकी हैं। वर्ष 1982-83 से योजना के आरम्भ से 450 महिलाएं इनसे लाभ प्राप्त कर रही है। संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत पिछले 5 वर्षों के दौरान 380 महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए 5 केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।

जहां तक अन्य योजनाओं का संबंध है तथा प्रशिक्षण के पश्चात् कितनी महिलाओं को रोजगार मिला, सूचना एकत्र की जा रही है तथा संसद पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

समेकित बाल विकास सेवा की परियोजनाओं के अन्तर्गत आंगनवाड़ी शुरू करने के लिए केरल से प्रस्ताव

3295. **श्री ए. विजयराघवन :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पालघाट जिले में पताम्बी और त्रिथला खंडों में समेकित बाल विकास सेवा के परियोजनाओं के अन्तर्गत आंगनवाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) केरल सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान 6 ब्लाकों में आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए अगस्त, 1989 में प्रस्ताव भेजे थे तथा पालघाट जिले में स्थित त्रिथला उनमें से एक था परन्तु राज्य सरकार के प्रस्ताव में पाताम्बी शामिल नहीं है।

(ख) भारत सरकार ने अप्रैल, 1990 में त्रिथला ब्लाक के लिए आई.सी.डी.एस. परियोजना स्वीकृत कर दी थी।

दवाओं का आयात

3296. **श्री रवि नारायण पाणि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि तथा प्रसाधन नियम, 1945 के नियम 30-ख के उपबंधों का उल्लंघन करके जिन दवाओं का आयात किया जा रहा है, उनका ब्योरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री नियम के नियम 30-ख के उपबंधों का उल्लंघन करने वाली किसी औषध को आयात करने की अनुमति नहीं है।

दिल्ली को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

[हिन्दी]

3297. श्री राम सिंह शाक्य : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1990 से राजधानी की राशन की दुकानों के लिए पामोलीन सूजी और मैदा और अन्य आवश्यक वस्तुओं के कोटे में कमी कर दी है ।

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उपरोक्त अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को पामोलीन की सप्लाई नहीं की गई; और

(ग) राशन वितरण व्यवस्था में दुकानदारों द्वारा की जा रही गड़बड़ी को तत्काल रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) सरकार दिल्ली प्रशासन को पामोलीन आबंटित करती है। इस आबंटन में जनवरी, 1990 से कोई कमी नहीं की गई है। दिल्ली प्रशासन उचित दर की दुकानों को नियमित रूप से पामोलीन आबंटित करता रहा है और साथ ही सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार आदि जैसी नामित एजेंसियों के जरिए भी उपलब्ध करता रहा है। उचित दर की दुकानों के जरिए की जाने वाली सप्लाई पर ढुलाई संबंधी समस्याओं के कारण अप्रैल, 90 में प्रभाव पड़ा था। दिल्ली प्रशासन को पामोलीन के आबंटन में हाल के महीनों में वृद्धि की गई है। सूजी और मैदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई नहीं किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य वस्तुओं में भी कोई कमी नहीं की गई है।

(ग) उचित दर के दुकानदारों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन निम्नलिखित कदम उठाता है :

(क) वस्तुओं को अन्यत्र जाने से रोकने के लिए दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए सुपुर्दगी की जाती है;

(ख) क्षेत्र निरीक्षक उचित दर की दुकानों का प्राय: निरीक्षण करते हैं; और

(ग) कार्डधारकों से प्राप्त होने वाली विशिष्ट शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की यूनिटों को कर्मचारी उपलब्ध कराना

[अनुवाद]

3298. श्री गंगा चरण लोधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पद्धति के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/यूनिटों/भंडारों में चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी और एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के मामले में अलग-अलग मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में एलोपैथिक तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक के औषधालयों में चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा निर्धारित किए गए प्रतिमान संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी यूनिटों और स्टोर डिपुओं के लिए कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किए गए हैं जहां स्टाफ फंक्शनल आवश्यकताओं के आधार पर उपलब्ध किया जाता है। बहरहाल, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के अधीन औषधालयों के लिए प्रतिमान निर्धारित कर दिए गए हैं।

(ख) और (घ) जी, हां। कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के औषधालयों के लिए प्रत्येक चिकित्सा पद्धति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

कर्मचारी निरीक्षण यूनिट की रिपोर्ट-1977 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एलोपैथिक औषधालयों के लिए कर्मचारी प्रतिमान

1. **चिकित्सा अधिकारी**

निम्नलिखित लाभार्थियों की संख्या वाले औषधालय

(क) 6000 तक	2 चिकित्सा अधिकारी
(ख) 7000 से 9000	3 चिकित्सा अधिकारी
(ग) 10000 से 12,000	4 चिकित्सा अधिकारी
(घ) 13,000 से 15,000	5 चिकित्सा अधिकारी
(ङ) 16,000 से 18,000	6 चिकित्सा अधिकारी
(च) 19,000 से 21,000	7 चिकित्सा अधिकारी
(छ) 22,000 से 24,000	8 चिकित्सा अधिकारी

(ञ) 25,000 से 27,000　　　　9 चिकित्सा अधिकारी

(ट) 28,000 से 30,000　　　　10 चिकित्सा अधिकारी

2. फार्मासिस्ट

निम्नलिखित लाभार्थियों की संख्या वाले औषधालय

1. 12,000 तक　　　　2 फार्मेसिस्ट

2. 13,000 से 17,000　　　　3 ,,

3. 18,000 से 22,000　　　　4 ,,

23,000 से 27,000　　　　5 ,,

28,000 से 32,000　　　　6 ,,

3. ड्रेसर

निम्नलिखित लाभार्थियों की संख्या वाले औषधालय

1. 1³,000 तक　　　　1 ड्रेसर

2. 14,000 से 25,000　　　　2 ,,

3. 26,000 से और उससे अधिक　　　　3 ,,

4. क्लर्क

निम्नलिखित लाभार्थियों की संख्या वाले औषधालय

1. 25,000 तक　　　　2 क्लर्क

2. 26,000 और उससे अधिक　　　　3 क्लर्क

5. स्टाफ नर्स प्रत्येक औषधालय के लिए　　　　एक

6. मेडिकल स्टोर कीपर प्रत्येक औषधालय के लिए　　　　एक

7. महिला परिचर

निम्नलिखित लाभार्थियों की संख्या वाले औषधालय

1. 17,000 तक　　　　1 महिला परिचर

2. 18,000 और उससे अधिक　　　　2 महिला परिचर

8. चपरासी

1. 13,000 तक　　　　1 चपरासी

2. 14,000 और उससे अधिक　　　　2 चपरासी

9. नर्सिंग प्रबंधी — प्रत्येक औषधालय के लिए एक

10. ***सफाई कर्मचारी***

निम्नलिखित लाभार्थियों की संख्या वाले औषधालय

1.	13,000 तक	1 सफाई कर्मचारी
2.	14,000 और उससे अधिक	2 सफाई कर्मचारी

11. चौकीदार

टिप्पणी—1 'फंक्शनिंग' औषधालयों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त संख्या उचित होगी :

1.	चिकित्सा अधिकारी	1	रात्रि ड्यूटी के लिए—1 और दिन में आपातकालीन ड्यूटी के लिए—1
2.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	दिन के दौरान आपातकालीन ड्यूटी पर चिकित्सा अधिकारी की सहायता के लिए

2. वर्तमान प्रत्येक क्षेत्रीय क्लिनिकल प्रयोगशालाओं के लिए कर्मचारी संख्या निम्नलिखित होगी।

1. प्रयोगशाला तकनीशियन	1
2. प्रयोगशाला परिचर	1
3. सफाई कर्मचारी	1

औषधालयों में "लाभार्थियों की संख्या" से जुड़े हुए संशोधित कर्मचारी प्रतिमान उपाबंध में दिए गए हैं। इन प्रतिमानों को लागू करने के प्रयोजन के लिए किसी औषधालय में लाभार्थियों की संख्या को निकटवर्ती हजार के आंकड़ों में पूरा किया जाए। 500 से कम लाभार्थियों की संख्या को छोड़ा जा रहा है और 500 या इससे अधिक की संख्या को 1,000 की संख्या में पूरा किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों की स्टाफ व्यवस्था के लिए मानदण्ड

(एस. आई. यू. 1974)

I. चिकित्सा अधिकारी

क्रम संख्या	रोज की औसतन उपस्थिति का स्तर	स्टाफिंग मानदण्ड
1.	243 तक	2

244 से 351	3
352 से 459	4
460 से 567	5
568 से 675	6

II. फार्मेसिस्ट*

1.	161 तक	1. फार्मेसिस्ट के
2.	162 से 286	2. मानदण्डों में
3.	287 से 411	3. उन कार्यों को
4.	412 से 536	4. ध्यान में रखा जाता
5.	537 से 661	5. है जो इस समय करने होते हैं अर्थात :— घटकों को अलग-अलग मापना, औषध की अलग-अलग खुराकें बनाना
		6. लिफाफों के कवरों आदि पर औषधों के नाम लिखना और लीव रिजर्व के घटक को शामिल करना।

III. अवर श्रेणी लिपिक

1.	346 तक	1
2.	347 से 613	2
3.	614 से 880	3
4.	881 से 1147	4

IV. फार्मेसिस्ट/स्टोरकीपर सह-लिपिक (प्रत्येक औषधालय के लिए एक)

V. श्रेणी IV. स्टाफ

चिकित्सा अधिकारी की संख्या	महिला परिचारिका	चपरासी	नर्सिंग अर्दली	सफाई वाला	चौकीदार
3 तक	1	1	1	1	1
4	1	2	2	2	1
5	2	2	1	2	1
6	2	2	1	2	1

*जहां कोई आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषधालय उसी/साथ वाले भवन में खोला गया है जिस में एलोपैथिक औषधालय स्थित है, एलोपैथिक औषधालय का चौकीदार आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषधालय की देखभाल भी करेगा।

महिलाओं में नशीली दवाओं के सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में सर्वेक्षण

3300. **श्री हरीश पाल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं और छात्राओं में हेरोइन, शराब और नशीली दवाओं के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई कानून बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (च) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार नशीली दवाओं की व्यसनी महिलाओं तथा छात्राओं की संख्या बहुत ही कम है। तथापि महिलाओं के उपचार हेतु अनन्य रूप से कलकत्ता में एक केन्द्र स्थापित किया गया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार, बिक्री तथा उपभोग के नियंत्रण के लिए स्वापक औषध और मनोविकारी अधिनियम 1985 पहले ही विद्यमान है।

मध्य प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

[हिन्दी]

3301. **श्री एस. सी. वर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को चीनी के कोटे का आबंटन वर्ष 1986 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है जबकि वर्ष 1989 मे राज्य की जनसंख्या 6 करोड़ से अधिक हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मानदंडों में संशोधन करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राज्य को अन्य आवश्यक वस्तुओं की कितनी आवश्यकता है और गत छः महीनों से महीनावार इन वस्तुओं की कितनी सप्लाई की जा रही है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्य सरकारों, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है को लेवी चीनी का आबंटन 1.10.86 की प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए न्यूनतम 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के समान मानदंडों के आधार पर किया जाता है। यह मासिक लेवी कोटा 1 फरवरी, 1987 से लागू है। लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता के कारण इस समय राज्य सरकारों के लिए लेवी चीनी के आबंटन में संशोधन करना संभव नहीं है।

(घ) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सैंट्रल पूल से खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आबंटन सैंट्रल पूल में स्टाक की स्थिति, बाजार में उपलब्धता, पिछली कुल खरीद और अन्य संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

मिट्टी के तेल की आवश्यकता का निर्धारण पिछले वर्ष की इसी अवधि में किए गए आबंटनों में उचित वृद्धि के क्रम में किया जाता है न कि जनसंख्या के आधार पर।

खाद्य तेलों का आबंटन सरकार के पास कुल उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। तथापि मध्य प्रदेश को खाद्य तेलों के आबंटन में अगस्त, 1990 में 5000 मीटरी टन की वृद्धि की गई है और इस बढ़े हुए आबंटन के कुछ महीने तक रहने की संभावना है जिससे कि त्योहार महीनों की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

जनवरी, 1990 से जून, 1990 तक मध्य प्रदेश को गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल और खाद्य तेल के आबंटन और कुल खरीद का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

विवरण

(मात्रा टन में)

माह	वस्तु	आबंटन	कुल खरीद
1	2	3	4
जनवरी, 90	गेहूं	30000	26000
	चावल	25000	19600
	खाद्य तेल	2000	1299
	मिट्टी का तेल	33620	33622
फरवरी, 90	गेहूं	30000	30000
	चावल	25000	22300

1	2	3	4
	खाद्य तेल	2000	1757
	मिट्टी का तेल	33620	35281
मार्च, 90	गेहूं	30000	20400
	चावल	25000	16500
	खाद्य तेल	2000	1C44
	मिट्टी का तेल	31513	32774
अप्रैल, 90	गेहूं	30000	18800
	चावल	25000	16600
	खाद्य तेल	2000	1484
	मिट्टी का तेल	31013	32245
मई, 90	गेहूं	30000	20000
	चावल	25000	26100
	खाद्य तेल	2000	1165
	मिट्टी का तेल	31013	31172
जून, 90	गेहूं	30000	15300
	चावल	25000	20700
	खाद्य तेल	4000	1448
	मिट्टी का तेल	31013	31319

श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में विचाराधीन मामले

[अनुवाद]

3302. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य स्थानों में श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अनेक मामले बीस वर्षों से भी अधिक समय से विचाराधीन हैं;

(ख) क्या श्रम संबंधी उन मामलों को जो 15 वर्षों से भी अधिक समय से विचाराधीन हैं, को प्रतिदिन सुनवाई के निर्देश जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवादों और आवेदनपत्रों के लंबित रहने से संबंधित आंकड़े 10 वर्षों के बाद की अवधि के लिए नहीं रखे जाते हैं। दिल्ली में के. स. औ. अ. व श्र. न्या. में 10 वर्षों के बाद के मामले लंबित नहीं पड़े हैं। 30 जून, 1990 को अन्य के. स. औ. अ. व श्र. न्या. में 10 वर्षों के बाद के लंबित पड़े मामलों की संख्या 165 है जिनमें से 148 मामलों पर वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा जारी किए गए निषेधादेश के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकती।

जहां तक राज्य सरकारों और केन्द्रीय संघ शासित क्षेत्रों द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरणों और श्रम न्यायालयों का संबंध है, तीन वर्ष की अवधि तक और उसके बाद की अवधि के लिए लंबित पड़े मामलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। लंबित पड़े मामलों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

के. स. औ. अ. एवं श्र. न्या. तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर परामर्श दिया गया है कि वे अधिक समय से लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष प्रयास करें।

विवरण

क्षेत्र : केन्द्रीय

दिसम्बर, 1989 को समाप्त हुई छमाही अवधि के लिए श्रम न्यायालयों, औद्योगिक अधिकरणों, श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष लम्बित औद्योगिक विवादों तथा आवेदन पत्रों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	औद्योगिक विवादों की संख्या: 1 वर्ष तक	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से अधिक	कुल	आवेदन पत्रों की संख्या: 1 वर्ष तक	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से अधिक	कुल	अभ्युक्तियां
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	3	0	3	9	0	0	0	0	0	
2.	आंध्र प्रदेश	2188	2021	933	116	5258	664	858	484	1883	3889	
3.	असम	120	95	84	40	339	40	30	10	18	98	
4.	दिल्ली	10575	2491	2194	3807	19067	8919	4583	2180	3243	18925	
5-	गोवा दमन एवं दीव	87	23	17	52	179	27	18	19	7	71	
6.	हिमाचल प्रदेश	87	59	22	6	174	185	74	23	0	282	
7.	हरियाणा	2311	1107	448	198	4064	1135	785	198	155	2273	

8.	केरल	551	257	127	104	1039	555	292	135	518	1500
9.	पंजाब	3595	1379	614	513	6101	3683	1700	1280	719	7382
10.	उड़ीसा	241	229	122	162	754	796	343	187	127	1453
11.	पांडिचेरी	23	2	1	3	29	28	0	1	0	29
12.	राजस्थान	2076	994	635	1316	5021	1296	858	715	865	3734
13.	तमिलनाडु	2335	1029	894	953	5211	2116	1492	1492	1362	6442
14.	पश्चिम बंगाल	883	596	226	563	2248	53	20	19	102	194
	कुल	25055	10285	6317	7836	49493	19497	11033	6743	8999	46272

नोट—ऊपर दिये गये आंकड़े अनन्तिम है ।

बीड़ी मजदूरों के कल्याण हेतु एकत्र की गई और प्रदान की गई धनराशि

3103. श्री बी. एन. रेड्डी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कामगार कल्याण योजना के अंतर्गत बीड़ी कामगारों के कल्याण हेतु विभिन्न राज्यों से कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस धनराशि में से राज्य-वार कितनी धनराशि बीड़ी कामगारों के कल्याण हेतु प्रदान की गई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा उक्त धनराशि के उपयोग हेतु कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं और उन के द्वारा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत विनिर्मित बीड़ियों पर कर लगाकर एकत्र की गयी राशि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) इस निधि का उपयोग बीड़ी कामगारों और उनके परिवारों को आवास, स्वास्थ्य, शैक्षिक, मनोरंजन संबंधी तथा कल्याण सुविधाएं देने के लिए किया जाता है। दी गयी धन राशि के राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। प्रत्येक राज्य, जिसमें एक या अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, द्वारा खर्च की गयी धन राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं।

विवरण-1

निर्मित बीड़ियों पर एकत्र किए गए उपकर के ब्यौरे

क्रमांक	राज्य	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,86,92,918	2,10,31,773	2,10,70684
2.	बिहार	60,01,229	59,29,947	57,12,711
3.	गुजरात	1,77,531	2,86,192	2,02,036
4.	कर्नाटक	1,73,05,952	1,71,26,950	1,54,61,073
5.	केरल	45,23,044	45,55,048	46,26,885
6.	मेघालय	76,389	96,802	1,07,177
7.	मध्य प्रदेश	2,30,34,651	2,52,89,019	2,16,11,660

1	2	3	4	5
8.	महाराष्ट्र	93,23,068	1,01,99,687	94,70,142
9.	उड़ीसा	11,93,934	13,91,323	14,60,129
10.	राजस्थान	12,53,274	11,59,930	11,11,664
11.	तमिलनाडु	1,75,05,605	1,87,28,129	1,85,80,700
12.	उत्तर प्रदेश	79,44,403	74,80,618	1,26,88,510
13.	पश्चिम बंगाल	1,08,76,482	1,17,07,695	1,26,88,586
	कुल	11,80,08,480	12,49,8[illegible],113	11,82,89,957

विवरण-2

(रु. हजारों में)

क्रमांक	क्षेत्र	अन्तर्गत आए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किया गया व्यय		
			1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़	2841	4007	5605
2.	बंगलौर	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप समूह	7393	13917	21016
3.	भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	3184	4939	7577
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	2574	4044	3950
5.	कलकत्ता	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा	3694	4638	5840

1	2	3	4	5	6
6.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	4476	6133	11173
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	5301	6345	8643
8.	करमा	बिहार	2140	2592	5162
9.	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा और नागर हवेली	9364	15071	14591
	कुल		40967	61686	84566

दिल्ली के रैन बसेरों में नागरिक सुविधाएं

3304. श्री के. पी. अग्रवाल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित रैन बसेरो का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इनमें से कुछ रैन बसेरों में व्याप्त गंदगी और मल-निकासी, पेय जल और स्वच्छता जैसी मलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के संबंध में जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बसेरों के कार्यकरण के संबंध में जांच आरम्भ करने का है; और

(घ) इनमें मूलभूत सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 13 रैन-बसेरे है जिनके ब्योरे इस प्रकार है :—

1. दिल्ली गेट

2. अंधा मुगल, पीर बगीची

3. कटरा मौला बक्स

4. जी. टी. रोड, शाहदरा

5. जहांगीर पुरी, सराय पीपल थला, जी. टी. करनाल रोड

6. मुखर्जी मार्केट, झण्डेवाला

7. रोहतास बाग, औद्योगिक क्षेत्र

8. रेलवे स्टेशन, फतेहपुरी, दिल्ली

9. निजामुद्दीन, दरगाह के समीप

10. जामा मस्जिद, मीना बाजार

11. तुर्कमान गेट, आसफ अली रोड

12. कुदसिया रोड, तीस हजारी

13. अजमल खां पार्क, करोल बाग

क्रम सं. 10 से 13 पर दिए गए रैन बसेरे बांस तथा टीन शेड/लकड़ी की अस्थायी संरचनाओं के बने हैं।

(ख) और (घ) सभी रैन बसेरों में पानी तथा बिजली की सुविधा उपलब्ध है। 11 रैन बसेरों में संलग्न शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। पड़ोस के विद्यमान सामुदायिक शौचालयों का इस्तेमाल क्रम सं. 12 तथा 13 के 2 अस्थायी रैन बसेरों में ठहरने वाले करते हैं। सभी 13 रैन बसेरों में सफाई की नियमित व्यवस्था है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

आवासीय समितियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि किराये का भुगतान

3305. श्री कमल नाथ : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को सहकारी आवासीय समितियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस समय देय भूमि किराये की दस गुना राशि का भुगतान करके दिल्ली में लीज-होल्ड प्लाटों को फ्री-होल्ड प्लाटों में बदलने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) पट्टा-प्रणाली को पूर्ण स्वामित्व (फ्री-होल्ड) में बदलने के संबंध में विभिन्न विकल्पों का सुझाव देते हुए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वे विचाराधीन हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों का निःशुल्क उपचार

3306. श्री कल्पनाथ राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को राजधानी के किन-किन सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार कराने और भर्ती किये जाने की सुविधा प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस स्तर के अन्तर्गत भर्ती किया जाता है और उनका उपचार किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रित केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तथा दिल्ली प्रशासन के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में उसी पैमाने पर निःशुल्क अन्तरंग और बहिरंग चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं जिस पर केन्द्रीय सरकार के ग्रुप "क" अधिकारी पात्र हैं ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए राजस्थान को सहायता

3307. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में कौन-कौन सी राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय एजेन्सियां लोगों के लाभार्थ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान कर रही हैं;

(ख) इन कार्यक्रमों के परिव्यय, इनके कार्यकरण की अवधि, इनमें कार्यरत व्यक्तियों और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने संबंधित सामग्री, जनशक्ति और समय का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा इन तत्वों की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"एड्स" रोग के उपचार के लिए आयुर्वेदिक दवा

3308. श्री पी. सी. थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एड्स" के अब तक कितने रोगियों का पता चला है;

(ख) उनमें से कितने केरल के हैं;

(ग) क्या "एड्स" रोग को फैलने से रोकने के संबंध में किए जा रहे हमारे अनुसंधान प्रयासों के कोई सकारात्मक परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई आयुर्वेदिक दवा अथवा उपचार पद्धति सुझाई गई है और उसे "एड्स" रोग के उपचार के लिए उपयोगी पाया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और

(ख) देश में 30.6.90 तक एड्स के पूरी तरह से विकसित 49 रोगी सूचित किए गए हैं जिनमें से केरल से केवल एक रोगी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अब तक एड्स की रोकथाम करने के लिए कोई आयुर्वेदिक औषध उपलब्ध नहीं है।

बिहार में मेडिकल कालेज

[हिन्दी]

3309. श्री साइमन मरांडी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में एक मेडिकल कालेज खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक खोला जायेगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में समेकित बाल विकास सेवाएं

[अनुवाद]

3310. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं आवंटित की गई हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इसके लिए कुछ और तालुकों को चुना था और केन्द्रीय सरकार से राज्य में और अधिक समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं आवंटित करने का अनुरोध किया था, और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) कर्नाटक राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान (1987-88 से 1989-90 तक) 42 केन्द्रीय प्रायोजित आई. सी. डी. एस. परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर छापे

[हिन्दी]

3311. डा. बंगाली सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 से 31 जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान राजधानी में उचित दर की कितनी दुकानों पर छापे मारे गए;

(ख) कितने दुकानदारों को पामोलीन, मैदा-सूजी को राशन कार्ड धारकों को सप्लाई न करने और इन मदों को काला बाजार में बेचते हुए पाया गया; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा पहली जनवरी से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि के दौरान 105 उचित दर की दुकानों की जांच की गई है।

(ख) उक्त जांच के दौरान उचित दर की दुकानों में पामोलीन के कालाबाजार में बेचे जाने का कोई मामला उसके ध्यान में नहीं आया। मैदा व सूजी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नहीं बेचे जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी बंगलों को अपने कब्जे में रखना

[अनुवाद]

3312. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या शहरी विकास मंत्री सरकारी बंगलों को अपने कब्जे में रखने के बारे में 14 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात विशेष कार्य हेतु सरकारी ड्यूटी करने वाले अधिकारियों द्वारा इन बंगलों को अपने कब्जे में रखने के उनके अनुरोध पर विचार किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) जी, नहीं। सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रुई की गांठें

[हिन्दी]

3313. श्री शोपत सिंह मक्कासर : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1989-90 के दौरान रुई की कुल कितनी गांठों का उत्पादन किया गया;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय रुई निगम द्वारा रुई की राज्य-वार कितनी गांठें खरीदी गई और उनका प्रति क्विंटल क्या मूल्य अदा किया गया;

(ग) रुई की कितने लाख गांठें निर्यात की गई और रुपयों में इनकी बिक्री दर क्या थी; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रुई निगम को कितनी हानि/लाभ हुआ है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1989-90 रुई मौसम के दौरान देश में कपास की 130.0 लाख गांठों की मात्रा के उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 8.8.90 तक सी सी आई ने विभिन्न दरों पर अलग-अलग किस्म की 508 करोड़ रुपए मूल्य की 10.95 लाख गांठों के कुल निर्यात की तुलना में 242 करोड़ रुपए मूल्य की 5.38 लाख गांठों का निर्यात किया था।

(घ) भारतीय कपास निगम ने वर्ष 1987-88 में करों के बाद 3.06 करोड़ रुपए के घाटे उठाए। वर्ष 1988-89 में करों के बाद 8.56 करोड़ रुपए का लाभ कमाया और वर्ष 1989-90 में 10.43 करोड़ रुपए का अनुमानित लाभ (अनन्तिम) कमाया।

विवरण

कपास की विभिन्न किस्मों की राज्य-वार खरीदारियों के ब्यौरे और वर्ष 1989-90 (31-7-1990 की स्थिति अनुसार) के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा इस कारण से अदा की गई गई औसत कीमतें।

राज्य	सी सी आई द्वारा की गई खरीदारियां (लाख गांठों में)	सी सी आई द्वारा अदा की गई औसत कपास कीमतें (रु. प्रति क्विंटल)
1	2	3
पंजाब	2.86	662-771

1	2	3
हरियाणा	1.42	640-712
राजस्थान	1.21	590-733
गुजरात	2.13	865
मध्य प्रदेश	1.86	734-811
आंध्र प्रदेश	2.42	787-877
कर्नाटक	0.26	1094
तमिलनाडु	0.16	2733-2881
कुल योग :	12.32	

"हुडको" द्वारा केरल को धनराशि का आवंटन

3314. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "हुडको" ने मकानों के निर्माण हेतु केरल को इस वर्ष कुल कितनी धनराशि आवंटित की है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : हुडको ने आवास योजनाओं के लिए 1990-91 के दौरान केरल सरकार को 16.9: करोड़ रुपये के कुल ऋण का नियतन किया।

मयूर विहार में सरकारी समूह आवास समितियों में पेयजल की सप्लाई

3315. श्री पी. ए. एन्टनी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के मयूर विहार में नोएडा को जाने वाली सड़क के साथ-साथ कई नई सहकारी समूह आवास समितियों का निर्माण हो गया है;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम ने इन समितियों को पेयजल की सप्लाई नहीं की है यद्यपि इस क्षेत्र में हजारों परिवार बस चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन कालोनियों में जल की सप्लाई के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मयूर विहार क्षेत्र में नगर निगम द्वारा पहले से ही फिल्टर किया हुआ/पीने का पानी दिया जा रहा है। जैसे ही ऐसी सहकारी सामूहिक आवास समितियां पीने के पानी के कनेक्शन के लिए डी. डी. ए. के माध्यम से आवेदन करती है, तो उन्हें क्षेत्र के जल आपूर्ति नेटवर्क से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। मयूर विहार फेज-I में 16 सहकारी सामूहिक आवास

समितियों तथा फेज-II में एक समिति को इसके लिए उनके अनुरोध के परिणामत: पहले से ही पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है।

चावल की भूसी से तेल का उत्पादन

3316. श्री ए. के. राय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री चावल की भूसी से तेल के उत्पादन के बारे में 23 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या-10128 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 में पश्चिम बंगाल और बिहार में चावल की भूसी से कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन हुआ; और

(ख) क्या चावल की भूसी से तेल निकालने को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को विशेष सहायता तथा प्रोत्साहन दिए जाते हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) पश्चिम बंगाल और बिहार में 1989-90 (नवम्बर, 1989 से जून, 1990 तक) चावल की भूसी से तेल के उत्पादन का अनुमान क्रमश: लगभग 10983 मी. टन तथा 1124 मी. टन है।

(ख) नागरिक पूर्ति विभाग के पास राज्य सरकारों को हलर राइस मिलों के सुधार/आधुनिकीकरण के लिए सहायता जुटाने के लिए एक योजना स्कीम है। इस स्कीम में एक हल्लर राइस मिल के आधुनिकीकरण के लिए 5000 रु. के हिसाब से सहायता की व्यवस्था है।

यह स्कीम फिलहाल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में चल रही है। तमिलनाडु सरकार को 100 हल्लर राइस मिलों के सुधार के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है और पश्चिम बंगाल सरकार को 48 हलर राइस मिलों के सुधार के लिए 2.4 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। केरल राज्य में प्रदर्शन सहित 100 हलर राइस मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सी. एस. आई. आर. के माध्यम से 7 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है।

"इस्काडोर" चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान

33.7. श्री मनोरंजन सुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद "इस्काडोर" चिकित्सा विज्ञान (थैरपी) में अनुसंधान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) असाध्य रोग में निर्दिष्ट औषधों और इस्काडोर चिकित्सा की प्रभावकारिता का निर्धारण करने के लिए मार्च, 1990 तक केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न प्रकार के कैंसर के 270 रोगियों का अध्ययन किया गया है। इन अध्ययनों से इस परिषद ने दावा किया

है कि निर्दिष्ट होम्योपैथिक औषध के साथ-साथ इस्काडोर चिकित्सा या इस असाध्य रोग के उपचार में कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया का पता चला है।

डार्निया पौधे के बारे में जारी किये गये निर्देश

3318. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री डार्निया पौधे के आयात के बारे मे 25 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6460 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के औषध नियंत्रण द्वारा 15 अप्रैल, 1990 के बाद डार्निया पौधे के बारे में कोई मार्गनिर्देश/निर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके कारण क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) डार्निया पादप के बारे में 15.4.90 के बाद कोई दिशा निर्देश अथवा अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

कच्चे पटसन का मूल्य

3319. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उगाने वाले किसानों के हितों की रक्षा के लिए व्यापारिक आधार पर कच्चे पटसन की खरीद के लिए इस के मूल्य और अन्य बातें तय करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या भारतीय पटसन निगम को इस बारे में आवश्यक निदेश दे दिए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सरकार ने भारतीय पटसन निगम को नीति परक निदेश दिए है कि यह न्यूनतम समर्थन कीमत पर कच्चे पटसन की खरीदारी करे तथा इस मुक्त वचनबद्धता के अनुरूप पटसन उगाने वाले किसानों द्वारा पेश किए गए कच्चे पटसन का जे सी आई द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत पर खरीदा जाएगा। भारतीय पटसन निगम द्वारा राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम की आवश्यकताओं तथा डी जी एस एंड डी के लिए बी. ट्विल के आर्डरों को पूरा करने के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत से अधिक किसी भी कीमत की पेशकश करना भारतीय पटसन निगम का वाणिज्यिक निर्णय है।

दिल्ली में कामर्शियल बिल्डरों के विरुद्ध शिकायतें

3320. श्री रामदास सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कामर्शियल बिल्डरों के विरुद्ध कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि

इन बिल्डरों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए भवन निर्माण संबंधी उपनियमों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उसके क्षेत्राधिकार में ऐसी कोई शिकायतें नहीं हैं दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इनके क्षेत्र में भवन-निर्माण उपनियमों को उल्लंघन करके अनधिकृत निर्माण की शिकायतें हैं परन्तु वाणिज्यिक भवन-निर्माताओं द्वारा इन उपनियमों के उल्लंघन का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, ऐसे कुछ मामलों पर क्रमशः दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत कारंवाई की जाती है।

हल्दिया में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोलना

233 श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, हल्दिया में कर्मचारी राज्य बीमा का एक अस्पताल खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हल्दिया क्षेत्र में इस समय लगभग 28:0 बीमा शुदा व्यक्ति हैं। इतने कम व्यक्तियों के लिए पृथक अस्पताल के निर्माण को उचित नहीं समझा गया है। अतः राज्य सरकार ने क. रा. बी. लाभानुभोगियों के प्रयोग के लिए हल्दिया में राज्य सरकार के अस्पताल में 12 पलंग आरक्षित किए हैं।

आंध्र प्रदेश को चावल

3322. श्रीमती के. जमुना : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश को पिछले छः महीनों के दौरान सार्वजनिक वितरण के लिए चावलों की कितनी मात्रा में सप्लाई की गई थी;

(ख) क्या यह कोटा राज्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त था;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में इस कोटे में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमे अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ख) से (घ) : आंध्र प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल का मासिक आबंटन राज्य सरकार द्वारा परियोजित मासिक मांग, केन्द्रीय पूल में स्टाक, अन्य राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, आंध्र प्रदेश में वसूली की मात्रा के आधार पर किया जा रहा है। तथापि, केन्द्रीय पूल से आपूर्तियां केवल अनुपूरक स्वरूप की होती हैं और वे राज्य की सार्वजनिक प्रणाली के लिए समस्त के लिये समस्त मांग को पूरा करने के लिये नहीं होती है।

विवरण

फरवरी से जुलाई, 1990 तक आंध्र प्रदेश के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चावल के आबंटन और उठान

(हजार मीटरी टन में)

मास	आबंटन	उठान
फरवरी	80.0	91.4
मार्च	85.0	91.0
अप्रैल	85.0	81.3
मई	135.0	90.7
जून	135.0	100.00
जुलाई	135.0	145.9

अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता

3323. श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता दी है, और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना हेतु 215 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से इस वर्ष विमुक्त की गई विशेष केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त के राज्य वार ब्योरे

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विमुक्त की गई राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	740 03
2.	असम	117.18
3.	बिहार	1293.22
4.	गुजरात	222.31
5.	गोआ	1.93
6.	हरियाणा	212.64
7.	हिमाचल प्रदेश	97.18
8.	जम्मू और कश्मीर	56.98
9.	कर्नाटक	505.68
10.	केरल	243.81
11.	मध्य प्रदेश	847.10
12.	महाराष्ट्र	739.81
13.	मणिपुर	1.93
14.	उड़ीसा	173.43
15.	पंजाब	384.42
16.	राजस्थान	547.18
17.	सिक्किम	1.93
18.	तमिलनाडु	817.22

1	2	3
19.	त्रिपुरा	29.67
20.	उत्तर प्रदेश	2213.21
21.	पश्चिम बंगाल	2213.21
22.	चंडीगढ़	6.23
23.	दिल्ली	95.03
24.	पांडिचेरी	8.39
	कुल	10750.00

जलन्धर, अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

3324. **श्री कृपाल सिंह :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलन्धर, अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित रोजगार कार्यालयों में गत तीन वर्षों के दौरान लिपिक/टाइपिस्ट/आशुलिपिक के पदों के लिए कितने बेरोजगार व्यक्तियों ने नाम दर्ज करवाए; और

(ख) उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) लिपिकों (सामान्य), टाइपिस्टों और आशुलिपिकों के पदों के लिए जलन्धर, अमृतसर और चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र) के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों, यह अनिवार्य नहीं है कि उनमें से सभी बेरोजगार हों, संबंध उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) अनेक सैक्टरल विकास कार्यक्रम बेरोजगार व्यक्तियों, जिनमें रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति शामिल हैं, के लिये रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे ।

विवरण

वर्ष 1987 और 1988 के अन्त में जालधर, अमृतसर और चंडीगढ़ (संघ शासित प्रदेश) के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर लिपिकों, टाइपिस्टों और आशुलिपिकों के रूप में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या

रोजगार कार्यालय का नाम		चालू रजिस्टर पर संख्या		
		लिपिक (सामान्य)	टाइपिस्ट	आशुलिपिक
1	2	3	4	5
जालधर	1987	426	2310	596
	1988	269	2396	719

1	2	3	4	5
अमृतसर	1987	174	1634	978
	1988	111	1337	658
चंडीगढ़	(संघ शासित प्रदेश)			
	1987	1014	9968	977
	1988	उ.न.	उ.न.	उ.न.

उ.न.=उपलब्ध नहीं।

नसबन्दी आप्रेशन

[हिन्दी]

3325. श्री राघवजी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 में राज्यवार कितने नसबन्दी और नसबन्दी आप्रेशन किये गये और यह कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है;

(ख) क्या परिवार कल्याण में वर्तमान प्रगति सन्तोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में प्रगति को तीव्र करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) परिवार कल्याण का अधिकतम प्रतिशत प्राप्त करने पर राज्यों को क्या प्रोत्साहन किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) राज्यों से प्राप्त नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1989-90 के दौरान किए गए महिला और पुरुष नसबन्दी आपरेशनों तथा कुल अनुमानित जनसंख्या की तुलना में उनके प्रतिशत का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण-2 मे दिया गया है .

(ख) 31 मार्च, 1990 तक परिवार नियोजन तरीकों द्वारा सुरक्षित दम्पत्तियों को अनुमानित प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुनिर्धारित नीति तैयार की गई है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के जरिए शिशु जीवन दर को बढ़ाने, जनसंख्या शिक्षा को गहन करने, समुदाय की सहभागिता को बढ़ाने, उन्नत संचार पद्धतियों को अपनाने और स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, बुनियादी

स्तर पर कार्मिकों को प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने, और महिला साक्षरता तथा महिलाओं के स्तर में सुधार करने और क्षेत्र विशेष के लिए गहन पद्धति अपनाने जैसे विकास कार्यक्रमों के साथ सम्पर्कों को स्थापित करने और सुदृढ़ करने की योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है और उन्हें आगे और भी सुदृढ़ किया जाएगा।

(घ) परिवार नियोजन में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन के लिए राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों को नगद पुरस्कार के रूप में दिए जा रहे प्रोत्साहनों को वर्ष 1988-89 से समाप्त कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1989-90 के दौरान किए गए पुरुष नसबन्दी तथा महिला नसबन्दी की राज्यवार संख्या तथा 1 मार्च, 1990 को कुल अनुमानित जनसंख्या की तुलना में उनका प्रतिशत

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/एजेंसी	वर्ष 1989-90 के दौरान किए में गए नसबन्दी आपरेशनों की संख्या	कुल जनसंख्या में पुरुष नसबन्दी का प्रतिशत	वर्ष 1989-90 के दौरान किए महिला नसबंदी आपरेशनों की संख्या	कुल जनसंख्या में महिला नसबन्दी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	बड़े राज्य (एक करोड़ से अधिक आबादी)				
	1. आंध्रप्रदेश	25146	0.04	410817	0.65
	2. असम	3877	0.02	46296	0.23
	3. बिहार	30353	0.04	302102	0.36
	4. गुजरात	16832	0.04	220423	0.55
	5. हरियाणा	2587	0.02	85594	0.53
	6. कर्नाटक	2091	0.00	287179	0.64
	7. केरल	7541	0.03	192274	0.65
	8. मध्य प्रदेश	14360	0.02	222422	0.35
	9. महाराष्ट्र	22768	0.03	503689	0.68
	10. उड़ीसा	14742	0.05	137031	0.44
	11. पंजाब	14899	0.08	124063	0.63

1	2	3	4	5	6
12.	राजस्थान	3209	0.01	118630	0.27
13.	तमिलनाडु	18421	0.03	364117	0.65
14.	उत्तर प्रदेश	137932	0.10	343583	0.26
15.	पश्चिम बंगाल	8505	0.01	311057	0.48
II.	छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
1.	हिमाचल प्रदेश	4735	0.09	27856	0.55
2.	जम्मू व कश्मीर	619*	0.01	9390*	0.13
3.	मणिपुर	294	0.02	3920	0.22
4.	मेघालय	16	0.00	523	0.03
5.	नागालैंड	5	0.00	1060	0.10
6.	सिक्किम	72	0.00	911	0.21
7.	त्रिपुरा	9	0.00	6596	0.26
8.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	120	0.04	:469	0.71
9.	अरुणाचल प्रदेश	17	0.00	1469	0.18
10.	चंडीगढ़	161	0.02	2107	0.29
11.	दादरा व नगर हवेली	294	0.23	569	0.44
12.	दिल्ली	1734	0.02	30183	0.34
13.	गोवा	59	0.00	4510	0.36
14.	दमन व दीव	1	0.00	394	0.41
15.	लक्षद्वीप	3	0.01	19	0.04
16.	मिजोरम	4	0.00	3577	0.52
17.	पांडिचेरी	186	0.03	7251	0.99

1	2	3	4	5	6
III. अन्य एजेंसिया					
1.	रक्षा मंत्रालय	3798		14795	*
2.	रेल मंत्रालय	3356		24835	*
	अखिल भारत	338746	0.04	3821260	0.46

* जनसंख्या अनुमानों पर विशेषज्ञ समिति के मध्यम अनुमानों पर आधारित

** जनवरी, 1990 तक की उपलब्धि के आंकड़े

*** आंकड़े अनन्तिम

विवरण-2

31 मार्च, 1990 को दम्पती सुरक्षा दरों का राज्यवार अनुमानित प्रतिशत

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दम्पती सुरक्षा दर (प्रतिशत)	
	अखिल भारत स्तर से अधिक	अखिल भारत स्तर से कम
1	3	3
1. आन्ध्र प्रदेश	45.2	
2. असम		25.2
3. बिहार		26.3
4. गुजरात	56.6	
5. हरियाणा	58.3	
6. कर्नाटक	45.4	
7. केरल	51.9	
8. मध्य प्रदेश		40.2
9. महाराष्ट्र	56.4	
10. उड़ीसा		40.7
11. पंजाब	74.2	

1	2	3	4
12.	राजस्थान		29.6
13.	तमिलनाडु	56.2	
14.	उत्तर प्रदेश		33.8
15.	पश्चिम बंगाल		33.9
16.	हिमाचल प्रदेश	50.0	
17.	जम्मू व कश्मीर		21.7
18.	मणिपुर		26.2
19.	मेघालय		5.2
20.	नागालैंड		4.8
21.	सिक्किम		18.0
22.	त्रिपुरा		17.5
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह		38.2
24.	अरुणाचल प्रदेश		10.00
25.	चण्डीगढ़		36.8
26.	दादर व नागर हवेली	50.2	
27	दिल्ली		42.1
28.	गोवा		30.9
29.	दमण व दीव		30.6
30.	लक्षद्वीप		9.8
31.	मिजोरम		37.7
32.	पांडिचेरी	63.2	
	अखिल भारत		42.7

दिल्ली में वक्फ सम्पदाओं के सम्बन्ध में बर्नी समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

3326. श्री ए. के. ए. अब्दुल समद : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वक्फ सम्पदाओं के बारे में बर्नी समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) डी.डी.ए./एल.डी.ओ. द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपी जाने वाली सम्पदाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) बर्नी समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में आदेश मार्च, 1984 में जारी किये गए थे किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगनादेश के कारण इनको कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इस समय यह मामला न्यायाधीन है ।

चीनी मिलों को प्रोत्साहन

[हिन्दी]

33.7. श्री हर्षवर्धन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पेराई सत्र 1989-90 के दौरान नवम्बर और दिसम्बर, 1989 और जनवरी 1990 में चीनी मिलों को दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस पेराई सत्र के दौरान चीनी मिलों को दी गई रियायतें पेराई सत्र के महीनों में नहीं दी गई; और

(ग) ये छूटें किस आधार पर दी गई थीं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) पिराई मौसम 1989-90 के दौरान नवम्बर और दिसम्बर, 1989 और जनवरी, 1990 के महीनों के दौरान, दिनांक 29.8.89 और 1.3.90 के परिपत्र में दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 पर दिया गया है ।

(ख) और (ग) चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले इसके उत्पादन पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई थी । पिछले अनुभवों और चीनी उत्पादन में और अधिक वृद्धि की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए तथा उगाए गए कुल गन्ने की मौसम के दौरान पिराई सुनिश्चित करने के लिए चालू मौसम के दौरान अधिक खुली बिक्री कोटे के रूप में प्रोत्साहन दिए गए थे ।

विवरण-1

संख्या 1/10/89-एस.पी.वाई (डी-2)

भारत सरकार

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त, 1989

सेवा में,

सभी चीनी फैक्ट्रियां

विषय : पहली अक्तूबर, 1989 से 15 नवम्बर, 1989 की अवधि के दौरान चीनी का अधिक उत्पादन करने पर मुक्त बिक्री का अधिक कोटा प्रदान करना।

महोदय,

जैसाकि आपको विदित ही है कि चीनी मौसम 1988-89 के दौरान चीनी फैक्ट्रियों को उनके उत्पादन का 55% तक मुक्त बिक्री के कोटे की इजाजत दी गई थी। यद्यपि 1989-90 के चीनी मौसम के दौरान चीनी फैक्ट्रियों को दिए जाने वाले मुक्त बिक्री के कोटे की मात्रा के बारे में अभी भी विचार किया जा रहा है लेकिन आगामी चीनी मौसम 1989-90 के दौरान चीनी का जल्दी उत्पादन करने के लिए चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने पहली अक्तूबर, 1989 से 15 नवम्बर, 1989 की अवधि के दौरान चीनी का अतिरिक्त उत्पादन करने पर मुक्त बिक्री का अतिरिक्त कोटा प्रदान करने की एक योजना का अनुमोदन किया है। इस योजना के अधीन यह निर्णय किया गया है कि पिछले तीन वर्षों की पहली अक्तूबर से 15 नवम्बर की अवधि के दौरान किसी चीनी मिल द्वारा प्राप्त किए गए औसत उत्पादन की तुलना में पहली अक्तूबर, 1989 से 15 नवम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान प्राप्त किया गया अतिरिक्त उत्पादन पर 80 प्रतिशत के मुक्त बिक्री के कोटे की अनुमति दे दी जाए जबकि मुक्त बिक्री की सामान्य हकदारी 55 प्रतिशत है।

2. आपसे अनुरोध है कि आगामी चीनी मौसम में चीनी का उत्पादन यथाशीघ्र शुरू करने की कृपा करें और विशेषतया आगामी पिराई मौसम 1989-90 के प्रारम्भिक भाग के दौरान चीनी की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उ. र. कुलेंकर)

निदेशक (चीनी)

विवरण-2

सं. 6-9/00-ला.ए.

भारत सरकार
खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मन्त्रालय
खाद्य विभाग, शर्करा निदेशालय
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक 1 मार्च 1990

सेवा में,

सभी चीनी फैक्ट्रियां

विषय :—(1) 16 नवम्बर, 1989 से 30 अप्रैल, 1990 तक (11) 1 मई, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधियों के दौरान अधिक उत्पादन पर अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे की मंजूरी।

———

महोदय,

सभी मुख्य चीनी उत्पादक राज्य सरकारों ने इस वर्ष गन्ने की भरपूर उपलब्धता की रिपोर्ट दी है और इस वर्ष सारे उपलब्ध गन्ने की पिराई के लिए चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुरोध किया है। उद्योग से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विभिन्न गन्ना उत्पादक राज्य सरकारों द्वारा प्रकट किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए और अधिकतम चीनी उत्पादन करने तथा फालतू गन्ने वाले क्षेत्रों में गन्ना उत्पादकों का अपने गन्नें का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए इस फालतू गन्ने को मिलों में पहुंचाने में उनकी मदद करने के लिए सरकार ने 1989-90 मौसम के लिए निम्न-लिखित प्रोत्साहन योजना तैयार की है :

1. 16 नवम्बर, 1989 से 30 अप्रैल, 1990 तक की अवधि में चीनी के उस उत्पादन पर, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक है, अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे की मंजूरी।

वे चीनी फैक्ट्रियां जो राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार अपने सामान्य गन्ना आरक्षित क्षेत्रों के बाहर से गन्ना लाती हैं वे अधिक खुली बिक्री कोटे की पात्र होंगी। दिनांक 16 नवम्बर, 1989 से 30 अप्रैल, 1990 के बीच में इस प्रकार लाए गए गन्ने से उत्पादित चीनी पर खुली बिक्री कोटे का प्रतिशत 80 प्रतिशत होगा यह छूट पिछले वर्ष अर्थात 1988-89 के इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में अधिक उत्पादन पर ही लागू होगी। कृपया परिशिष्ट-1 पर स्पष्टीकरण देखें।

उन सभी चीनी फैक्ट्रियों को, जो उक्त अधिक खुली बिक्री कोटे की पात्र होंगी, सम्बन्धित राज्य सरकार से यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने दिनांक 16 नवम्बर, 89 से 30 अप्रैल, 90 तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार के आदेश पर अपने आरक्षित क्षेत्र के बाहर से गन्ने की अमुक मात्रा ली है।

11. 1 मई, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि में चीनी के उस उत्पादन पर, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक है, अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे की मंजूरी।

वे चीनी फैक्ट्रियां जो दिनांक 1 मई, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि में, पिछले चीनी मौसम अर्थात वर्ष 1988-89 की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में, अधिक उत्पादन करेंगी वे अधिक खुली बिक्री कोटे की पात्र होंगी। यह कोटा 50 प्रतिशत सामान्य खुली बिक्री कोटे की बजाय 80 प्रतिशत होगा तथा यह छूट इस प्रकार किए गए अतिरिक्त उत्पादन पर ही लागू होगी। स्पष्टीकरण परिशिष्ठ-2 पर दिए गए हैं :—

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सभी चीनी फैक्ट्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान 1989-90 के मौसम के दौरान अधिक चीनी उत्पादन करने के लिए उचित कदम उठाएं।

भवदीय,
हस्ता./-
(ए. बी. नगरारे)
मुख्य निदेशक (शर्करा)

परिशिष्ट-1

16 नवम्बर, 1989 से 30 अप्रैल, 1990 तक की अवधि के दौरान चीनी के उस उत्पादन पर, जो पिछले वर्ष अर्थात 1988-89 की इसी अवधि की तुलना में अधिक है, अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे की मंजूरी

स्पष्टीकरण

अवस्था-I

जहां आरक्षित क्षेत्र के बाहर से लाए गए गन्ने से उत्पादित चीनी अतिरिक्त उत्पादन से अधिक है।

अवस्था-II

जहां आरक्षित क्षेत्र के बाहर से लाए गए गन्ने से उत्पादित चीनी अतिरिक्त उत्पादन से कम है।

अवस्था-III

जहां कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं है यद्यपि चीनी आरक्षित क्षेत्र के बाहर से लाए गए गन्ने से उत्पादित की गई हैं।

(आंकड़े टनों में)

स्पष्टीकरण	अवस्था-I	अवस्था-II	अवस्था-III
(क) 16.11.89 से 30.4.90 तक कुल उत्पादन	10,000	10,000	10,000

1	2	3	4
(ख) 16.11.88 से 30.4.89 तक कुल उत्पादन	8,000	10,000	10,000
(ग) अधिक उत्पादन	2,000	2,000	शून्य
(घ) चालू मौसम के दौरान राज्य सरकार के विशिष्ट आदेशों के अनुसार आरक्षित क्षेत्रों के बाहर से लाए गए गन्ने की मात्रा	30,000	10,000	30,000
(ङ) 16.11.89 से 30.4.90 तक की अवधि के दौरान मिल की औसत वसूली	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
(च) आरक्षित क्षेत्रों के बाहर से लाए गए गन्ने से उत्पादित चीनी	3,000	1,000	3,000
(छ) (एफ) या (सी) में से जो भी कम है, की 80 प्रतिशत दर पर प्रोत्साहन के लिए पात्र उत्पादन	2,000	1,000	शून्य
(ज) 55 प्रतिशत के सामान्य खुली बिक्री रिलीज से अधिक अतिरिक्त मात्रा	500	250	शून्य

परिशिष्ट-2

1 मई, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि में चीनी के उस उत्पादन पर, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक है, अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे की मंजूरी

स्पष्टीकरण	(आंकड़े टनों में)
1	2
(क) 1.5.90 से 31.7.90 तक उत्पादन	5,000
(ख) 1.5.89 से 31.7.89 तक उत्पादन	3,000

1	2
(ग) अतिरिक्त उत्पादन (क-ख)	2,000
(घ) अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए पात्र उत्पादन	2,000
(ङ) 55 प्रतिशत के सामान्य से अधिक अतिरिक्त खुली बिक्री चीनी की मात्रा	500

स्थानीय निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने संबंधी समिति

[अनुवाद]

3328. डा. ए. के. पटेल :

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुंगी समाप्त किए जाने की स्थिति में स्थानीय निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट अब तक राज्य सरकारों को भेज दी गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशों का सार संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) अब तक प्राप्त प्रत्युत्तर संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

चुंगी समाप्त करने के मुद्दे की जांच करने के लिए गठित समिति की निम्नलिखित सिफारिशें हैं :—

(क) समिति ने चुंगी को आंशिक रूप से समाप्त की सिफारिश की है। तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में चुंगी रखी जा सकती है। इसे अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय निकायों में समाप्त किया जा सकता है।

(ख) "स्व-मूल्यांकन प्रस्ताव" को शामिल करने के लिए चुंगी एकत्रीकरण की विद्यमान पद्धति का यौक्तिकरण तथा सरलीकरण किया जा सकता है। भुगतान बैंकों में किया जाय तथा चैक-पोस्टों पर वित्तीय लेन-देन टाला जाए। बैंकों और

चैक-पोस्टों, चैक-पोस्टों तथा निगम मुख्यालयों एवं निगम मुख्यालयों और बैंकों के मध्य कम्प्यूटरीकरण एवं अन्य आदर्श तकनीक लागू की जाय। संशोधित पद्धति से चैक पोस्टों की संख्या, ट्रांसपोर्टरों के समय की बर्बादी तथा चैक-पोस्टों पर भ्रष्टाचार- परेशान करना और कदाचार में कमी आयेगी।

(ग) चुंगी के स्थान पर कर लगाये जायें जिसका प्रभाव ट्रांसपोर्टर क्षेत्र पर, छोटी छोटी नगर पालिकाओं के मामले में अर्थात बिक्रीकर, प्रवेश कर, सीमा कर सड़क कर, मोटर वाहनों आदि पर होगा। यदि इन करों से प्राप्त राजस्व अपर्याप्त है, तो सम्पत्ति कर, मनोरंजन कर, व्यवसाय कर आदि जैसे करों में वृद्धि करने पर विचार किया जा सकता है। इन करों को लगाने के पश्चात भी यदि राजस्व अभी भी अपर्याप्त रहता है, तो उसके पश्चात् ही विशेष अनुदान-सहायता पर विचार किया जाय। यह समिति पूरी तरह से सिफारिश करती है कि कर-आधार में वृद्धि किए बिना अलग से अनुदान सहायता पर विचार न किया जाए क्योंकि इससे स्थानीय निकायों की पहल और स्वायत्तता घट जायेगी।

(घ) जहां तक चुंगी राजस्व की हानि का सम्बन्ध है, नगरपालिकाओं को अनुदानों के भुगतान की पद्धति को संशोधित किया जाना चाहिए। इसे योजना नियतन के समय योजना आयोग द्वारा सीधे-अग्रिम के रूप में दिया जाय तथा इसे राज्य सरकारों को देय राजस्वों से वसूल किया जाय।

(ङ) चुंगी के बदले में स्थानीय निकायों के राजस्व के वैकल्पिक स्रोत केवल इसको समाप्त करने के फलस्वरूप हुई हानि की राशि के समतुल्य राजस्व ही उपार्जित नहीं करेगा बल्कि स्थानीय निकायों के लिए भावी राजस्व को सुनिश्चित करने के लिए भी पर्याप्त स्थान लचीला हो। मुआवजे की मात्रा का निर्णय करते समय सम्भावित चुंगी के राजस्व को उचित स्थान दिया जाय।

विवरण-2

पंजाब सरकार : उन्होंने सूचित किया है कि वे चुंगी की जगह बिक्रीकर पर अधिभार लगाने पर विचार कर रहे हैं।

जम्मू तथा कश्मीर सरकार : उन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने 1987 में चुंगी को समाप्त कर दिया था तथा स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने और राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के मध्य संसाधनों के शेयरिंग के लिए फार्मूला निकालने के लिए राज्य वित्त आयोग स्थापित किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जो जांचाधीन है।

हरियाणा सरकार : राज्य सरकार इस स्तर पर चुंगी समाप्त करने की स्थिति में नहीं है।

पाण्डिचेरी सरकार : उन्होंने सूचित किया है कि क्योंकि एक बार चुंगी को समाप्त करने के परिणामस्वरूप होने वाली राजस्व हानि की पूर्ति के लिए कोई वैकल्पिक स्रोत नजर नहीं आता है, इसलिए चुंगी को समाप्त करने के बारे में सोचना भी असामयिक है।

श्रम-शक्ति के निर्यात के लिए भर्ती एजेंट

[हिन्दी]

3329. श्री दौलत राम सारण :

श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम शक्ति का निर्यात करने हेतु सरकार द्वारा पंजीकृत किये गये भर्ती एजेंटों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या बेरोजगार लोगों, अधिकांशत: खाड़ी के देशों में रोजगार के लिए जाने वाले भारतीयों से धोखा किए जाने के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार द्वारा ऐसे एजेंटों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है या उठाये जाने हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जनशक्ति को निर्यात करने के उद्देश्य से उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत 1490 भर्ती एजेन्ट पंजीकृत किये गये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भर्ती एजेन्टों के खिलाफ धोखाधड़ी करने रोजगार संविदा को बदलने, संविदा को समय से पूर्व समाप्त करने, काम करने तथा रहने की असंतोषजनक दशाओं आदि के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा शिकायत की प्रकृति के आधार पर पुलिस या विदेश स्थिति संबद्ध भारतीय मिशन की सहायता से उनकी जांच की जाती है। चूककर्ताओं के खिलाफ कारंवाई की जाती है जब कभी यह पता चलता है कि उन्होंने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। अभी तक, वर्ष 1990 के दौरान 11 भर्ती एजेन्टों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किये गये हैं।

(घ) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों का उद्देश्य उत्प्रवासी कर्मकारों का शोषण से रक्षा करना है। भारतीय मिशन भी उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित कारंवाई करते है जब कभी भी उन्हें इनकी सूचना दी जाती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में दवाइयों का निरीक्षण

3330. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाइयों के स्टाक की जांच/आकस्मिक जांच की गई;

(ख) इसके क्या परिणाम रहे, और

(ग) दिल्ली के प्रत्येक औषधालय में दवाइयों की आकस्मिक जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) :

(क)	जांचे गए औषधालयों/यूनिटों/भंडारों की संख्या
1988-89	128
1989-90	120
आकस्मिक जांचें	17

(ख) चार औषधालयों में व्यापक विसंगति देखी गई है। अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(ग) आकस्मिक जांचें करने के लिए जोनों के उप निदेशकों को प्राधिकृत करने हेतु स्थायी अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं।

भारतीय प्रवासी श्रमिकों के विदेशों में रोजगार को समयावधि से पूर्व समाप्त करने के प्रति बीमा

[अनुवाद]

3331. प्रो. पी. जे. कुरियन :

श्री एस. कृष्ण कुमार :

क्या श्रममन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रवासी श्रमिकों के विदेशों में रोजगार को समयावधि से पूर्व समाप्त करने के सम्बन्ध में एक बीमा योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार के चुनाव

3332. श्री माधवराव सिंधिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार, कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, दिल्ली सहकारी समिति कानूनों के अधीन एक सहकारी उद्यम के रूप में कार्य कर रहा है;

(ख) क्या उपर्युक्त सहकारी भंडारों के सदस्य सहकारी भंडारों के कार्यकारी समिति के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से न तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में ही शामिल होते हैं और न ही कार्यकारिणी के चुनाव के लिए प्राधिकृत सामान्य सभा के प्रतिनिधि का ही चुनाव करते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शेयर धारकों के रूप में सहकारी उद्यमों का लाभ किस प्रकार प्राप्त करते हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उप विधियों के अनुसार दि कोआपरेटिव स्टोर लि. (सुपर बाजार), दिल्ली के सदस्य, प्रबंध समिति, जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, के छः सदस्यों को चुनते हैं। बाकी 9 सदस्यों को सरकार द्वारा नामित किया जाता है। उप-विधियों में एक छोटी प्रतिनिधि सामान्य सभा के गठन का भी प्रावधान है, जो सामान्य सभा की सभी शक्तियों का प्रयोग करती है और उसमें प्रबन्ध समिति के सदस्य तथा सदस्यों में से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

एक छोटी प्रतिनिधि सामान्य सभा गठित करने की दृष्टि से प्रबन्ध समिति ने प्रतिनिधि सामान्य सभा के लिए चुनाव करने हेतु चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए 30.8.84 को एक उप समिति गठित की थी। उप समिति ने रिपोर्टों की जांच तथा विचार विमर्श करने के बाद 40 चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की सिफारिश की, जिसे प्रबंध समिति द्वारा 16.8.85 को अनुमोदित कर दिया गया। प्रबंध समिति के निर्णय की सूचना चुनाव आयोजित करने के लिए पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली को दे दी गई थी। चुनावों के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करते समय पंजीयक के कार्यालय ने 40 (सुपर बाजार द्वारा प्रस्तावित) के बजाय 42 चुनाव क्षेत्र अधिसूचित कर दिए। 41वां तथा 42वां चुनाव क्षेत्र क्रमश: ऐसे सदस्यों से संबंधित है, जो दिल्ली में नहीं रहते हैं तथा जिनके पूरे पते नहीं हैं। प्रतिनिधि सामान्य सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव 14.6.86 को हुआ, जिसमें 38 प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित किया गया। चूंकि इस सम्बन्ध में बनाए गए पूरक नियमों में कम से कम 40 सदस्यों का प्रावधान है, अत: प्रतिनिधि सामान्य सभा अपूर्ण रही। इसलिए जिन 4 चुनाव क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था, पंजीयक, सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा उनका चुनाव 11.9.88 को फिर से आयोजित किया गया। 4 चुनाव क्षेत्रों में से एक प्रतिनिधि को निर्वाचित घोषित किया गया। इससे प्रतिनिधियों की कुल संख्या 39 हो गई, जो 40 प्रतिनिधियों की न्यूनतम अपेक्षित संख्या से अभी भी एक कम थी। परिणामस्वरूप, छोटी प्रतिनिधि सामान्य सभा कार्य नहीं कर सकी, हालांकि इसका चुनाव काफी समय पहले हो गया था। इस मामले को पंजीयक सहकारी समितियां, दिल्ली के साथ उठाया गया, जिन्होंने सुपर बाजार के अधिकारियों से कहा कि वे 42वें चुनाव क्षेत्र के सदस्यों को बाकी चुनाव क्षेत्रों के सदस्यों में शामिल कर दें और पूरक नियमों के नियम 13 को संशोधित कर दें, ताकि छोटी प्रतिनिधि सामान्य सभा की न्यूनतम अपेक्षित संख्या घटाकर 28 की जा सके। सुपर बाजार की प्रबन्ध समिति ने पूरक नियमों के नियम

13 में संशोधन को 24.4.90 को अनुमोदित कर दिया। छोटी प्रतिनिधि सामान्य सभा की बैठक बुलाने तथा प्रबन्ध समिति के 6 सदस्यों का चुनाव करने के मामले पर कार्यवाही की जा रही है।

(घ) सुपर बाजार के अंशधारी, किराना की वस्तुओं, प्रसाधन सामग्री, दवाइयों, फलों व सब्जियों, एच. एम. टी. उत्पादों, आदि को छोड़कर अन्य वस्तुओं की खरीदारी करने पर 2% की रियायत के हकदार हैं। कमी तथा अभाव के समय सुपर बाजार के अंशधारियों को ऐसी वस्तुओं के मामले में तरजीह दी जाती है। इसके अलावा, अंशधारी, सुपर बाजार द्वारा समय-समय पर घोषित किए गए लाभांश पाने के भी हकदार होते हैं।

रोहिणी में मकान ढहना

3333. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में रोहिणी-8 में 17 जुलाई, 1990 को मकान ढहने के कारणों का पता लगाया गया है;

(ख) इस मकान के ढहने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या मालिक और भवन बनाने वाले ठेकेदार को घटिया सामग्री प्रयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है/मुकदमा चलाया गया है; और

(घ) दिल्ली में सस्ता और खतरनाक आवासों के निर्माण को रोकने हेतु कौन से सुरक्षा उपाय विद्यमान हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सम्भवत: रिहायशी मकान को व्यावसायिक परिसर में परिवर्तित करने की दृष्टि से स्वीकृत भवन नक्शों का उल्लंघन करने पर एक अतिरिक्त मंजिल के निर्माण के कारण यह मकान गिरा।

(ख) दो व्यक्ति मारे गये तथा 5 जख्मी हुए थे।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 288/304 क के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था, और मकान मालिक को 10 अगस्त, 90 को गिरफ्तार किया गया। भवन के गिरने से ठेकेदार की मृत्यु हो गई थी।

(घ) केन्द्र शासित क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य कलाप केवल भवन निर्माण उपविधियों के अनुसार किये जाते हैं और इसके साथ-साथ इसकी योग्य इंजीनियर/वास्तुक की देख-रेख अपेक्षित है। अन्य बातों के साथ-साथ इसका उद्देश्य भवन की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तथापि, अनधिकृत रूप से विनिर्मित भवन असुरक्षित हो सकते हैं। अनधिकृत निर्माण दिल्ली नगर निगम अधिनियम, दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम तथा पंजाब नगर पालिका अधिनियम, जो कि क्रमश: नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले क्षेत्रों में लागू है, में अनधिकृत निर्माण एक संज्ञेय अपराध है।

मिन्टो रोड पर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सरकारी भवनों का उपयोग

3334. प्रो. यदुनाथ पाण्डेय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिन्टो रोड कम्पलैक्स के क्वार्टरों के आवंटिती सरकारी भवनों का, विशेष रूप से भूमि तल का, उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कम्प्यूटरीकरण

3335. श्री तरंग साय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारियों के श्रमिक संघ द्वारा कम्प्यूटरों की स्थापना का विरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में सरकारी नीति क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी परिसंघ (मान्यता प्राप्त) नई दिल्ली को कम्प्यूटरीकरण के बारे में पदोन्नति के अवसरों, कार्य मानदण्डों आदि के संबंध में पहले कुछ गलत फहमियां थीं। मंत्रालय/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बहुत सी बैठकों में परिसंघ को आश्वासन दिया कि कम्प्यूटरीकरण के बारे में सरकारी नीति के अनुसार, क. भ. नि. संगठन के कर्मचारों की सेवाशर्तों और पदोन्नति अवसरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसमें यह भी आश्वासन शामिल हैं कि इसके कारण कोई छटनी नहीं होगी; आय या मजदूरी की कोई क्षति नहीं होगी; और इसमें कर्मकारों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होंगे। इस मामले पर परिसंघ के प्रतिनिधियों की श्रम मंत्री और केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के साथ 21.5.90 को आयोजित बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था जिसमें उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया कि कम्प्यूटर अंशदाताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा के स्तर को बेहतर बनाने में संगठन के लिए उपयोगी होगा और इस पर संगठन के प्रबंध तंत्र और कर्मचारियों के मध्य कोई विवाद नहीं है। परिसंघ ने इस बारे में आगे कोई अभ्यावेदन नहीं किया है।

सुपर बाजार द्वारा कम्बलों की खरीद

[हिन्दी]

3336. श्री जनार्दन तिवारी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में सुपर बाजार लिमिटेड ने काली सूची में दर्ज एक कम्पनी से मंहगे दामों पर ईरान के भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए कम्बलों की खरीद की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी नहीं सुपर बाजार दिल्ली ने काली सूची में शामिल किसी भी फर्म से अथवा बढ़े-चढ़े मूल्यों पर कम्बल नहीं खरीदे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में आवास विकास वित्त निगम का निवेश

3337. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को आवास विकास वित्त निगम से कुल निवेश का केवल 2 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हो रही है;

(ख) क्या रिहायशी इकाइयों के निर्माण के बारे में राजस्थान की मांग अन्य राज्यों की मांग से कम है; और

(ग) इस क्षेत्र में राजस्थान को वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त धनराशि कब तक प्राप्त होगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) आवास विकास वित्त निगम (एच डी एफ सी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राजस्थान में ऋण लेने वालों को स्वीकृत की गई आवास ऋण सहायता 3.06 करोड़ रु. बैठती है जो निगम द्वारा 31.3.90 तक दी गई 2089.35 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता के 1.5% से कुछ अधिक है। आवास विकास वित्त निगम (एच डी एफ सी) द्वारा बता दिया गया है कि राजस्थान राज्य में किसी भी संस्थान, प्राधिकरण अथवा सरकार अथवा ऋण लेने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की व्यवहार्य आवासीय योजना को एच डी एफ सी द्वारा नकारा नहीं गया है। एच डी एफ सी ने राजस्थान सरकार तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को स्टाफ क्वार्टरों के निर्माणार्थ ऋण सहायता देने का भी प्रस्ताव किया है।

(ग) राजस्थान एच डी एफ सी के अलावा हुडको, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और वाणिज्य बैंक जैसे अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी पर्याप्त निवेश प्राप्त कर रहा है। हुडको ने राजस्थान में शुरू से लेकर 30.6.90 तक 273.33 करोड़ रु. की ऋण वचनबद्धता के साथ

506 आवासीय परियोजनाएं स्वीकृत की है। (वर्ष 1990-91 के दौरान) हुडको ने राजस्थान में आवासीय परियोजनाओं के लिए 36.87 करोड़ रु. की राशि नियतित की है।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान में वर्ष 1990-91 के लिए जीवन बीमा निगम से 407 लाख रु. तथा साधारण बीमा निगम से 141 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक भी अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत आवास योजनाओं के लिए पुन: वित्त पोषण सुविधाओं का विस्तार करेगा।

बीड़ी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा के लिए बैठक

[अनुवाद]

3338. कुमारी उमा भारती : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीड़ी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा के लिए तथा उनके कल्याण हेतु कानून लागू करने के लिए 3 जुलाई, 1990 को एक बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन मुख्य मुद्दों पर विचार किया गया तथा क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) बैठक में किए गए निर्णयों के कार्यान्वियन के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) बीड़ी कर्मकारों से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करने तथा उनकी पुनरीक्षा करने के लिए केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में 3 जुलाई, 1990 को एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में नियोजकों कर्मचारियों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बीड़ी कर्मकारों से संबंधित विद्यमान कानूनों की और जांच करने के कतिपय सुझावों के अतिरिक्त, आगे कारंवाई के लिए अन्य प्रमुख मुद्दे निम्नानुसार थे :—

(1) राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं आदि जैसे स्थानीय निकायों के माध्यम से अपने राज्यों में पता लगाए गए सभी बीड़ी कर्मकारों को शामिल करने के लिए विशेष अभियान शुरू करना तथा पहचान पत्र जारी करना;

(2) राज्य सरकारों द्वारा निर्धारण समितियां गठित करना ताकि विभिन्न प्रकार की निश्चित संख्या में बीड़ियां बनाने के लिए बीड़ी कर्मकारों को जारी किए जाने वाले कच्चे माल की मात्रा को मानकीकृत किया जा सके;

(3) राज्य सरकार द्वारा बीड़ी सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) नियमों में उपयुक्त रूप से संशोधन करना ताकि रद्द की गई बीड़ियां बीड़ी कर्मकारों को मुफ्त वापस की जा सकें;

(4) नियोजकों के अंशदान की बाबत भविष्य निधि की सभी बकाया राशि का 31

दिसम्बर, 1990 तक भुगतान किया जाना चाहिए जिसके न होने पर नियोजकों के खिलाफ न केवल अपना अंशदान बल्कि कर्मचारियों के हिस्से को जमा न कराने के लिए मामले दायर किए जाएं।

संबंधित एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक कार्रवाई करें।

एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम के लिए विदेशों से प्राप्त हुए आवेदन-पत्र

[हिन्दी]

3339. डा. महादीपक सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए वर्ष 1989-90 में विदेशों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्रों की संवीक्षा की गई है और उनके चयन के लिये क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(ग) उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिये कितने छात्रों का चयन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के किसी भी मेडिकल कालेज में एम बी बी एस पाठ्यक्रम के लिए विदेशी छात्रों सहित किसी भी छात्र का सीधे दाखिला/नामांकन नहीं किया जाता है। वर्ष 1989-90 के दौरान विदेश मंत्रालय को अपने खर्च पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए 52 एम बी बी एस सीटों का, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग) को सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के लिए 15 एम बी एस सीटों (तिब्बती शरणार्थियों के लिए 2 सीटों सहित) का और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को कोलम्बो योजना के छात्रों के लिए 3 एम बी बी एस सीटों का आवंटन किया गया। इन सीटों के लिए चयन और नामांकन उन संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया गया जिन्हें ये सीटें 1989-90 के दौरान केन्द्रीय पूल से आवंटित की गई थी।

उत्तर प्रदेश में गन्ने का बकाया

3340. श्री चांद राम : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर मिल-वार गन्ने की बकाया राशि का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या उन्हें भुगतान की देरी करने के कारण ब्याज दिया जाएगा;

(ग) चीनी मिलों का वार्षिक लाभ-हानि का ब्योरा क्या है और राज्य की चीनी मिलों की क्षमता कितनी है; और

(ख) राज्य में चालू वर्ष के दौरान कितने गन्ने की पेराई की गई तथा कितना गन्ना बिना पेराई के शेष रह गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ग) 15.6.90 को गन्ने की बकाया राशि और संस्थापित क्षमता को मिल वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। चीनी मिलों की वार्षिक लाभ/हानि से संबंधित सूचना का विवरण नहीं रखा जाता है।

(ख) गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 में यह प्रावधान है कि गन्ना प्रेषित करने की तारीख से 14 दिन के बाद भुगतान की देरी के कारण 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाए। यह प्रावधान प्राथमिक रूप से राज्य सरकार, जिनके पास आवश्यक शक्तियां और क्षेत्र संगठन हैं, द्वारा लागू किया जाता है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को समय-समय पर ये प्रावधान लागू करने के लिए लिखती रही है।

(घ) उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पिराई के अतिरिक्त गन्ने का उपयोग बड़े पैमाने पर गुड़ खांडसारी निर्माताओं तथा चूसने और बुआई आदि के लिए भी किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी मिलों द्वारा पिराई किए गए गन्ने की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े लाख टन में)

चीनी वर्ष	पेराई किया गया गन्ना)
1987-88	299.67
1988-89	242.94
1989-90	316.39× (अनंतिम)
	(× आंकड़े 15-7-90 तक)

विवरण

दिनांक 15.6.90 को गन्ना कीमत के बकाया और उनकी संस्थापित क्षमता की मिलवार स्थिति

क्रम सं.	मिल का नाम	दैनिक गन्ना पेराई क्षमता (टन)	1989-90 मौसम के लिए बकाया (लाख रुपये)	पिछले मौसम के लिए बकाया (लाख रुपये)
	1	2	3	4
	प. उत्तर प्रदेश			
1.	मोदीपुरीनपुर	1500	शून्य	1.65

1	2	3	4
2. सकोतीआन्ड	1500	शून्य	शून्य
3. मेरठ	1219	73.28	शून्य
4. बुलंदशहर	1524	134.78	शून्य
5. सहारनपुर	1321	22.01	शून्य
6. रोहानकला	1676	शून्य	शून्य
7. डोईवाला	900	36.60	शून्य
8. बागपत	1800	शून्य	शून्य
9. रमाला	1250	74.20	शून्य
10. अनूपशहर	2000	6.36	शून्य
11. सारसवा	1500	शून्य	शून्य
12. ननौता	1250	69.49	शून्य
13. मोरना	1250	72.46	शून्य
14. दोराला	4500	शून्य	शून्य
15. मवाना	4250	शून्य	शून्य
16. देवोबंद	3800	34.37	शून्य
17. इकबालपुर	1829	61.54	शून्य
18. लक्सर	1800	128.92	शून्य
19. खतौली	3600	शून्य	शून्य
20. मनसूरपुर	1829	38.92	शून्य
21. शामली	3810	2.33	शून्य
22. मोदीनगर	1500	50.88	शून्य
23. सिम्भौली	2750	शून्य	शून्य
मध्य उत्तर प्रदेश			
24. छाता	1250	शून्य	शून्य
25. चांदपुर	2000	शून्य	शून्य

1	2	3	4
26. बिजनौर	2500	शून्य	शून्य
27. अमरोहा	1925	13.31	शून्य
28. रामपुर	3048	66.11	9.72
29. किछा	3000	शून्य	शून्य
30. प्रयोगात्मक	100	शून्य	शून्य
31. बरेली	1516	139.58	शून्य
32. माहोली	1524	112.45	शून्य
33. हरदोई	1529	168.32	177.00
34. गजरौला	1250	60.07	शून्य
35. बिलासपुर	2000	82.40	शून्य
36. बाजपुर	3000	16.23	शून्य
37. नदेही	2000	शून्य	शून्य
38. सितारगंज	1250	शून्य	शून्य
39. गदरपुर	1250	शून्य	शून्य
40. हरद्वागंज	1250	56.00	शून्य
41. बिसालपुर	1250	शून्य	शून्य
42. मझोला	2000	46.04	शून्य
43. पूरणपुर	1250	शून्य	शून्य
44. कायमगंज	1250	18.51	शून्य
45. बदायुं	1250	85.02	शून्य
46. तिलहार	1250	81.15	शून्य
47. पौवायन	1250	33.18	शून्य
48. बिलराबन	1250	4.67	0.76
49. सम्पूर्णानगर	1250	शून्य	शून्य
50. सेमीखेड़ा	1250	शून्य	शून्य

1	2	3	4
51. धामपुर	5000	शून्य	शून्य
52. सिमोहारा	3657	शून्य	शून्य
53. राजा का सहासपुर	1700	157.66	शून्य
54. काशीपुर	2500	61.61	शून्य
55. घाटमपुर	1250	2.14	शून्य
56. पिलीभीत	2200	73.96	शून्य
57. रोजा	1000	0.27	शून्य
58. गोला	4800	159.20	शून्य
59. ऐरा	1500	शून्य	शून्य
60. पालियाकलां	1400	21.78	शून्य
61. बाहेरी	2200	17.61	शून्य
62. निग्मेली	1270	17.00	शून्य
63. हरगांव	2 00	43.03	शून्य
पूर्वी उत्तर प्रदेश			
64. बाराबंकी	1000	84.98	शून्य
65. भूरवाल	813	40.72	शून्य
66. जरवालरोड	1118	शून्य	7.82
67. पिपराईच	813	40.60	शून्य
68. घुघली	1016	76.78	शून्य
69. सिसवाबाजार	900	शून्य	शून्य
70. खड्डा	1250	शून्य	शून्य
71. लक्ष्मीनगर	900	21.45	शून्य
72. रामकोला	791	6.24	शून्य
73. भटनी	1016	45.05	शून्य
74. चिलाउनी	813	2.77	शून्य

1	2	3	4
75. नन्दगंज	1250	96.99	0.02
76. बरयापुर	1250	4.82	शून्य
77. मुंडेरवा	711	31.29	शून्य
78. ननपुरा	1250	77.11	शून्य
79. कासी	1250	शून्य	शून्य
80. रसरा	1250	शून्य	शून्य
81. सेथियान	1250	21.54	शून्य
82. घोसी	1250	6.58	शून्य
83. सुलतानपुर	1250	5.86	शून्य
84. मोहम्मदाबाद	1250	शून्य	6.24
85. आनंदनगर	1219	शून्य	शून्य
86. सरदारनगर	3200	155.35	0.08
87. कैप्टनगंज	2250	9.38	शून्य
88. रामकोला	2000	81.67	शून्य
89. पडरोना	1800	शून्य	शून्य
90. कठकुईयां	1000	9·37	शून्य
91. गउराईबाजार	738	शून्य	शून्य
92. सिओराही	1524	शून्य	शून्य
93. बैंतालपुर	914	91.55	0.03
94. बिथोरिया	965	43.84	शून्य
95. प्रतापपुर	1500	शून्य	शून्य
96. बालटरगंज	813	शून्य	शून्य
97. बस्ती	1500	शून्य	शून्य
98. खलीलाबाद	700	शून्य	शून्य
99. बिस्वान	1219	शून्य	शून्य

1	2	3	4
100. रंगिया	1016	शून्य	शून्य
101. के. एम. नगर	1500	शून्य	शून्य
102. बसीरामपुर	2500	58.83	शून्य
103. तुलसीपुर	1700	14.06	शून्य
104. नवाबगंज	1524	67.00	140.40
105. बमनान	1000	89.16	66.16
जोड़		5526.03	409.88

बाढ़ और पानी के जमाव के नियंत्रण संबंधी योजना

[अनुवाद]

3341. श्री पी. नरसा रेड्डी :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाढ़ और पानी के जमाव के नियंत्रण की समस्या के समाधान हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ख) सितम्बर, 1987 में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति में बाढ़ प्रबंध की आवश्यकताओं का भी प्रावधान है। इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन के बाढ़ प्रबंध के लिए एक मास्टर योजना होनी चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि जबकि बाढ़ नियंत्रण जलाशयों, तटबंधों और डाइकों जैसे भौतिक बाढ़ सुरक्षा कार्य आवश्यक बने रहेंगे, समझौतों और आर्थिक क्रियाकलाप नियमित करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क एवं बाढ़ प्लेन जोनिंग की स्थापना जैसे गैर-संरचनात्मक उपायों पर भी जोर दिया जाना चाहिए ताकि जान और माल की हानि को न्यूनतम किया जा सके। प्रत्येक बेसिन की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त मिश्रित उपाए अपनाए जाएंगे। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करने वास्ते केन्द्र सरकार ने पहले से ही क्रमश: गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड स्थापित किए हैं।

मक्खन के पैकटों पर मूल्य अंकित करना

3342. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमूल द्वारा बेचे जा रहे मक्खन के पैकेटों पर मूल्य अंकित नहीं होते हैं, जबकि ऐसा करना कानून के अधीन अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति के निराकरण के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत मक्खन के गैर-डिब्बाबंद पैकेजों पर बिक्री मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

कर्नाटक में समुद्र के किनारे दीवार का निर्माण

3343. श्री एच. सी. श्री कान्तय्या : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने उत्तर कन्नाड और दक्षिण कन्नाड जिलों में समुद्र के किनारे दीवार का निर्माण करने के लिए 40 करोड़ रुपए की एक नई योजना मंजूरी के लिए प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) कर्नाटक में तटीय कटाव के लिए मास्टर योजना की प्राथमिकता स्वरूप मदों के रूप में राज्य सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए की लागत से मूल्यांकित मोटे तौर पर प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है .

आवास समितियों के सदस्यों को ऋण की राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

[हिन्दी]

3344. श्री बालेश्वर यादव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवास समितियों के सदस्यों को अनुज्ञेय ऋण की राशि में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) आवास सहकारी समितियों के सदस्यों को ऋण राशि अनुमेय संबंधी निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तीय एवं विशिष्ठ संस्थाओं जैसे जीवन बीमा निगम, आवास विकास वित्त निगम, आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा उधार देने संबंधी मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय सहकारी आवास समितियों की शीर्षस्थ निकायों द्वारा लिया जाता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों और मन्त्रियों के फ्लैटों बंगलों का रखरखाव

[अनुवाद]

3345. श्री विद्याधर गोखले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा संसद सदस्यों को आबंटित फ्लैटों और बंगलों की सजावट और रख-रखाव पर औसतन कितना खर्च किया जा रहा है;

(ख) सरकार मंत्रियों के आवासों/बंगलों की सजावट और रखरखाव पर औसतन कितना खर्च करती है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अपनाये गये मानदडों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वनस्पति का व्यापार

3346. श्री भवानी शंकर होटा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वनस्पति का व्यापार कुछ केवल कुछ फर्मों व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो गया है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है;

(ख) राज्य-वार वनस्पति एककों की संख्या, उनकी स्थापित क्षमता कितनी-कितनी है तथा उनका वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ग) राज्य-वार तिलहनों का उत्पादन कितना है ; और

(घ) राज्य-वार जनसंख्या और वनस्पति की खपत कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान वनस्पति एककों, संस्थापित क्षमता उत्पादन, खपत, आबादी (1981 में) तथा तिलहन उत्पादन के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वनस्पति एककों की संख्या	संस्थापित क्षमता (प्रतिवर्ष मी. टन में)	उत्पादन (मी. टन में)	खपत (मी. टन में)	1981 में आबादी (लाखों में)	तिलहन उत्पादन (हजार मी टन में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	5	48,000	38188	48785	129	480.9
2.	हिमाचल प्रदेश	2	15,000	16973	11067	42	4.9
3.	जम्मू व कश्मीर	3	12,000	12533	11703	59	29.5
4.	पंजाब	10	1,69,500	144558	105857	167	184-7
5.	राजस्थान	7	1,12,500	53929	44378	342	1913.8
6.	उत्तर प्रदेश	16	2 79,450	167630	177794	1108	1172.2
7.	चंडीगढ़	—	—	—	8132	4	—
8.	दिल्ली	2	90,000	90866	91415	62	0.7
9.	आन्ध्र प्रदेश	6	57,900	27158	28155	535	2323.5

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	6	23,400	11562	20318	371	1451.7
11.	केरल	2	10,500	—	11212	254	7.7
12.	तमिलनाडु	5	42 900	26196	28815	484	1172.2
13.	पाण्डिचेरी	—	—	—	2564	6	5.0
14.	असम	1	15,000	12129	17588	198	166.5
15.	बिहार	5	60,000	9790	79548	699	119.2
16.	मणिपुर	1	—	—	700	14	2.0
17.	मेघालय	—	—	—	618	13	5.0
18.	नागालैण्ड	—	—	—	1289	7	6.6
19.	उड़ीसा	3	15,000	6097	9773	263	892.1
20.	सिक्किम	1	15,000	7358	163	3	12.8
21.	त्रिपुरा	1	—	—	81	20	—
22.	पश्चिम बंगाल	6	1,26,300	57211	47160	545	403.9
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	9	6	15.5

24. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	66	1	—
25. मिजोरम	—	—	—	1902	4	2.0
26. गुजरात	11	1,29,750	110165	49279	340	3594.2
27. मध्य प्रदेश	5	97,500	58337	50351	521	2211.8
28. महाराष्ट्र	16	2,73,750	119382	87177	627	1702.6
29. गोआ	—	—	—	10006	10	1.4
30. रक्षा	—	—	—	28121	—	—
31. निर्यात	—	—	—	227	—	—
32. अन्य	—	—	—	512	—	—
योग :	114	15,93,450	985567	974765	6834	17888.3

कश्मीरी गेट दिल्ली में अनधिकृत मार्किट का निर्माण

3347. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कश्मीरी गेट और मोरी गेट, दिल्ली के रिहायशी क्षेत्र में मोटर पार्टस की अनधिकृत मार्किटों के निर्माण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिहायशी क्षेत्रों में अनधिकृत मार्किटों के निर्माण की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अनधिकृत मार्किट का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्य-वाई करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि कई बार मालिकों/भवन-निर्माताओं द्वारा उनके रिहायशी भवनों में अनधिकृत निर्माण किया गया है तथा बहुत से मामलों में विभाजक दीवार खड़ी करके तथा उस पर शटर लगाकर रिहायशी भवनों को वाणिज्यिक भवनों में परिवर्तित किया गया है। जब कभी भी ऐसी भवन निर्माण गतिविधियाँ दिल्ली नगर निगम द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त क्षेत्रीय कर्मचारियों के ध्यान में आती हैं तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, बिजली की सप्लाई काटने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से सम्पर्क किया जाता है ताकि अनधिकृत रूप से निर्मित संरचनाओं को प्रयोग में न लाया जा सके हालांकि ऐसे व्यक्ति ऐसी अनधिकृत संरचनाओं को गिराने के संबंध में दिल्ली नगर निगम आगे की कार्यवाही करने से रोकने हेतु न्यायालय से स्थगन आदेश/यथापूर्व आदेश भी प्राप्त कर लेते हैं।

मानसिक रूप से अल्पविकसित बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय

3348. श्री आर. एन. राकेश :

श्री मानिकराव होडल्या गावीत :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली, इलाहाबाद और महाराष्ट्र में निम्न आय वर्ग के मानसिक रूप से अल्प-विकसित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) इनमें अध्यापन कार्य कब से आरम्भ होगा; और

(घ) देश में इस समय राज्य-वार कितने विद्यालय चल रहे हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली नगरपालिका की मन्दिर मार्ग स्थित आटो वर्क्स शाप को हटाकर अन्यत्र स्थापित करने हेतु भूमि

3349. श्री डी. डी. खनोरिया : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने केन्द्रीय सरकार से मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में ऐतिहासिक वाल्मिकी मन्दिर के सामने स्थित आटो वर्क्स शाप को हटाकर अन्यत्र स्थापित करने हेतु कुछ भूमि का आबंटन करने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका को इस प्रयोजन के लिए वैकल्पिक स्थल का आबंटन कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्तमान मन्दिर क्षेत्र के सौन्द्रीयकरण और विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका आटो वर्कशाप को स्थानान्तरित करने के सुझाव को नई दिल्ली नगरपालिका के परामर्श से जांच पड़ताल की गई थी। यह पाया गया था कि आटो वर्कशाप का स्थानान्तरण करने पर लगभग 1½ एकड़ वैकल्पिक भूमि जो कि वाहनों के संचालन समय को कम करने के उद्देश्य से किसी केन्द्रीय इलाके में अपेक्षित होगी, की लागत के अतिरिक्त, भवनों के निर्माण में 93 लाख रुपये की लागत आयेगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्कशाप का स्थानान्तरण व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने 3 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मन्दिर के लिए परिक्रमा की व्यवस्था कर दी है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका को सलाह दी है कि इस क्षेत्र का समुचित रूप से रख-रखाव किया जाय और हरसंभव इसको सुन्दर बनाया जाय।

दिहाड़ी मजदूरों और नैमित्तिक कामगारों को पारिश्रमिक

3350. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों और नैमित्तिक कामगारों के लिए कोई पारिश्रमिक निर्धारित किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या ये पारिश्रमिक आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किये गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम कर रहे नैमितिक कर्मकारों की दैनिक मजदूरी दरें निम्नलिखित दिशा-निर्देशों द्वारा विनियमित होती हैं :—

(i) जहां नैमितिक कर्मकारों और नियमित कर्मचारियों को सौंपे गए कार्य का स्वरूप वही है, वहां नैमितिक कर्मकारों को प्रतिदि 8 घन्टे के काम के लिए संगत वेतनमान तथा महंगाई भत्ते के न्यूनतम पर वेतन के 1/30वें हिस्से की दर से भुगतान किया जाएगा।

(ii) उन मामलों में, जहां नैमितिक कर्मकार द्वारा किया गया कार्य नियमित कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य से भिन्न है, वहां नैमितिक कर्मकारों को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा, जिसमें यूनिट स्थित है, अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा;

(ग) और (घ) केन्द्रीय और राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित/संशोधित करते समय अनेक पहलुओं को ध्यान में रखती हैं जिनमें मूल्य वृद्धि भी शामिल हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में न्यूनतम मजदूरी के अलावा जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक में शामिल करने के लिए विशेष भत्ते की भी व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार राज्यों से यह अनुरोध करती है कि वे प्रति दो वर्ष में या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइन्ट की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करें।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

3351. श्री पी. एम. सईद : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास हेतु वर्ष 1990-91 के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन बनाया गया समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण टेक्नालाजी के आधुनिकीकरण और उसे अद्यतन बनाने के लिए सब्सिडी के माध्यम से प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता देता है और फार्मिंग के जरिये श्रिम्प के निर्यातोन्मुखी उत्पादन में मदद देता है। यह प्राधिकरण अधिमूल्य समुद्री उत्पादों के उत्पादन की परियोजना वाली कम्पनियों की इक्विटी पूंजी में भी भागीदारी करता है।

काजू, बीड़ी, टाईल और हथकरघा उद्योगों के श्रमिकों के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी

3352. श्री के. मुरलीधरन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल विधान सभा ने सर्वसम्मति से केन्द्रीय सरकार से काजू, बीड़ी, टाईल और हथकरघा उद्योगों के श्रमिकों के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी लागू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) क्या इन उपर्युक्त श्रमिक उद्योगों में एक समान न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन करना आवश्यक है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 राज्य क्षेत्र के अधीन अनुसूचित नियोजनों में एक रूप न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को प्रतिबद्ध करता है। केन्द्रीय सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की थी ताकि काजू, बीड़ी, टाइलस तथा हथकरघा उद्योगों में कर्मकारों के लिए क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के प्रश्न की जांच की जा सके। इस समिति की रिपोर्ट को सभी दक्षिणी राज्यों को रिपोर्ट में निर्दिष्ट सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था। सरकार इस संबंध में विद्यमान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1898 में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझती।

राजनीतिक दलों को आबंटित आवासों के जीर्णोद्धार/मरम्मत पर व्यय

3353. श्री शंकर सिंह वघेला :

डा. ए. के. पटेल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके संगठनों को आबंटित आवासों के जीर्णोद्धार/मरम्मत/रख रखाव और परिवर्तन करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1985-89 की अवधि के दौरान और उसके बाद व्यय की गई धनराशि का अलग-अलग ब्योरा क्या है;

(ख) 31 जुलाई, 1990 को ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के विरुद्ध देय बकाया राशि का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर दी जायेगी।

जनसंख्या वृद्धि का मूल्यांकन

3354. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या वृद्धि का, राज्य-वार मूल्यांकन आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो पिछला मूल्यांकन कब किया गया था; और

(ग) उस तारीख से अब तक तथा वर्ष 1990 में विभिन्न राज्यों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) जनसंख्या की वृद्धि दर दशवार्षिक जनगणना के जरिए उपलब्ध होती है और जन्म तथा मृत्यु दरों के अन्तर से प्राप्त सहज वृद्धि दर के वार्षिक अनुमान भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के जरिए प्राप्त किए जाते हैं। 1981 की जनगणना पर आधारित 1971-81 के दशक के लिए राज्यवार वार्षिक घातीय वृद्धि दर और नवीनतम उपलब्ध वर्ष अर्थात 1983 की सहज वृद्धि दर संलग्न विवरण में दी है।

विवरण

1971-81 के दशक में जनसंख्या की राज्यवार वार्षिक घातीय वृद्धि दर और वर्ष 1988 के लिए जनसंख्या की सहज वृद्धि दर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1971-81 प्रतिशत	1988 की सहज वृद्धि दर प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2 10	1.72
2.	असम	3.09	2.11
3.	बिहार	2.17	2.47
4.	गुजरात	2.46	1.85
5.	हरियाणा	2.55	2.40
6.	हिमाचल प्रदेश	2.15	2.26
7.	जम्मू और कश्मीर	2.58	2.47
8.	कर्नाटक	2.39	1.99
9.	केरल	1.77	1.39
10.	मध्य प्रदेश	2.27	2.27
11.	महाराष्ट्र	2.21	2.05
12.	मणिपुर	2.83	1.90

1	2	3	4
13.	मेघालय	2.80	2.73
14.	नागालैंड	4.09	1.73
15.	उड़ीसा	1.85	1.96
16.	पंजाब	2.16	2 01
17.	राजस्थान	2.87	1.92
18.	सिक्किम	4.14	2.37
19.	तमिलनाडु	1.63	1.34
20.	त्रिपुरा	2.79	1.85
21.	उत्तर प्रदेश	2.29	3.39
22.	पश्चिम बंगाल	2.10	2.00
23.	अंडमान निकोबार द्वीप	4.98	1.57
24.	अरुणाचल प्रदेश	3.04	2.28
25.	चंडीगढ़	5.67	1.77
26.	दादरा नगर हवेली	3.38	2.85×
27.	दिल्ली	4.29	2.10
28.	गोवा	2 39*	0.98
29.	दमन और दीव	—	1.92
30.	लक्षद्वीप	2.37	1.89
31.	मिजोरम	3.99	अप्राप्त
32.	पांडिचेरी	2.50	1.46
	अखिल भारत	2.25	2.05

* केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। * गोवा और दमन एवं द्वीप की संयुक्त दर अप्राप्त—उपलब्ध नहीं। 1981 की जनगणना प्रकाशन पर आधारित। नमूना पंजीयन पद्धति के अनुमानों पर आधारित।

बिहार से बाल श्रमिकों को अन्य राज्यों में भेजा जाना

[हिन्दी]

3355. श्री वसंई चौधरी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से अन्य राज्यों को भारी संख्या में बाल श्रमिक भेजे जाते हैं और वहां उनका शोषण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है; और

(ग) इस शोषण को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) बिहार राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के कार्यों की जांच

[अनुवाद]

3356. श्री मान्धाता सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद में वित्तीय तथा प्रशासनिक कदाचारों की कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां। इस मंत्रालय ने केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद में कथित प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए 1986 में दो जांच अधिकारी नियुक्त किए थे।

(ख) और (ग) इन जांच अधिकारियों ने 1987 में केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक द्वारा की गई कथित प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में दो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रशासनिक अनियमितताएं मुख्यतः कतिपय की गई नियुक्तियों के बारे में थी। शासी निकाय द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक को सलाह दी गई थी कि वरिष्ठ पदों को विज्ञाप्ति किया जाए जबकि समूह "घ" पदों में नियुक्तियां नियमित कर दी गई थीं। इन जांच अधिकारियों ने अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को अनुदान जारी करने से पूर्व संस्थान के एक अधिकारी द्वारा कमीशन लेने से संबंधित एक आरोप के अलावा किसी प्रमुख वित्तीय अनियमितता के बारे में नहीं बताया है। केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक ने आगे और विस्तृत जांच की और इस मंत्रालय को सूचित किया कि इस शिकायत में कोई सच्चाई नहीं थी।

चाय बागानों के श्रमिकों का मजूरी ढांचा

3357. श्री के. श्रीकृष्ण राव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चाय बागानों में कार्यरत मजदूरों की संख्या का, क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) चाय बागानों के श्रमिकों का मजूरी ढांचा क्या है तथा उन्हें अन्य क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(ग) क्या इन श्रमिकों के लिए कोई न्यूनतम मजूरी तय की गई है, यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और चाय बागानों के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय आयोग

3358. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण श्रमिकों के लिए आठ सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग को एक स्थायी निकाय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है; और

(ग) इससे ग्रामीण श्रमिकों को किस हद तक सहायता मिलेगी ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पीतमपुरा की सहकारी समितियों में नागरिक सुविधायें

3359. श्री बी. कृष्ण राव :

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतमपुरा क्षेत्र की कुछ सहकारी सामूहिक आवास समितियों ने फ्लैटों का आबंटन पहले ही कर दिया है लेकिन जल और विद्युत सुविधाओं की कमी के कारण सदस्यों को कब्जा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों की संख्या और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इन सहकारी आवास समितियों को जल और विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इन सुविधाओं को वहां कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, पीतमपुरा में सहकारी सामूहिक आवास समितियों को आबटित प्लॅटों के लिए परिधीय जलपूर्ति पद्धति पहले ही बिछी हुई है तथा इस क्षेत्र में सभी समितियों को पानी उपलब्ध है। जिन समितियों ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है और आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। उन्हें बिजली मुहैया की जा रही है आन्तरिक सेवायें बिछाने, प्लॅटों का आबंटन तथा व्यक्तिगत सदस्यों को कब्जा सौंपना, समिति का आंतरिक उत्तरदायित्व है।

बंगलौर को महानगर घोषित करना

3360. श्री आर गुंडूराव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर को देश का पांचवा महानगर घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किसी नगर को महानगर का दर्जा प्रदान करने के क्या मापदण्ड हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) : 1981 की जनगणना के अनुसार बंगलौर की जनसंख्या 29.21 लाख थी। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों को महानगर के रूप में माना जाता है।

राज्यवार विकलांगों की संख्या और उनके लिये उड़ीसा में रोजगार की व्यवस्था

3361. श्री के. प्रधानी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलांगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उड़ीसा में कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) क्या विकलांगों के लिये रोजगार और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए सांविधिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1981 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, कम से कम एक शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों की प्रति लाख आबादी की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश-वार दी गई है।

(ख) सूचना उड़ीसा सरकार से एकत्र की जा रही है ।

(ग) और (घ) सरकार विकलांग व्यक्तियों हेतु रोजगार में सांविधिक आरक्षण करने तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में उनके आरक्षणार्थ कार्यकारी अनुदेश जारी करने पर विचार कर रही है ।

विवरण

तालिका (6.1) कम से कम एक शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों की प्रति लाख आबादी अनुमानित संख्या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के स्त्री-पुरुष ।

राज्य	ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2563	2284	2426	1823	1737	1776
असम	916	725	829	1962	628	809
बिहार	2124	1611	1872	1429	1206	1329
गुजरात	1606	1400	1507	1219	1001	1115
हरियाणा	2257	1542	1928	2574	1874	2233
हिमाचल प्रदेश 12	2111	1267	1680	1262	835	1077
जम्मू और कश्मीर	2126	1357	1764	1090	756	934
कर्नाटक	2007	1871	1896	1400	1251	1329
केरल	1882	1422	1647	1884	1419	1650
मध्य प्रदेश	1496	1284	1393	1131	1081	1107
महाराष्ट्र	1818	1502	1663	1235	1110	1177
मणिपुर 12	859	532	712	484	476	480
मेघालय 12	1559	672	1128	753	323	550
नागालैंड 2	सर्वेक्षण नहीं किया गया					
उड़ीसा	2267	2040	2162	1546	1377	1467

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	3040	2069	2576	1934	1316	1538
राजस्थान	2285	1806	2051	1713	1540	1632
तमिलनाडु	2312	1930	2120	2306	1904	2108
त्रिपुरा 2	2076	1703	1896	1619	1454	1540
उत्तर प्रदेश	2204	1574	1903	1603	1331	1478
पश्चिम बंगाल	1798	1424	1621	1110	803	965
चंडीगढ़ 12	1021	2164	1115	2079	956	1601
दादरा और नगर हवेली 1	1349	804	1034	सर्वेक्षण नहीं किया गया		
दिल्ली 1	2082	1652	1889	986	923	958
गोवा, दमन और दीव	1633	1665	1549	1134	932	1038
मिजोरम 2	1657	1409	1535	661	1195	917
पांडिचेरी 12	2896	3734	3314	3678	2771	3225
अखिल भारतीय	2045	1632	1844	1532	1297	1470

1. ग्रामीण क्षेत्र में सर्वेक्षित 1000 से कम परिवार

2. शहरी क्षेत्र में सर्वेक्षित 1000 से कम परिवार

* शारीरिक विकलांगता में (I) दृष्टि (II) श्रवण तथा/अथवा वाणी और (III) गति विकलांगता शामिल हैं।

महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन

3362. श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले : खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र में चीनी का कितना उत्पादन हुआ,

(ख) क्या यह राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है,

(ग) उपरोक्त वर्ष के दौरान राज्य में उत्पादित कितने टन गन्ने की पेराई नहीं हो पाई और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) पेराई न किये गये गन्ने के उत्पादकों को सरकार द्वारा क्या सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) चालू मौसम 1989-90 (7.8.90 तक) के दौरान महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन 39.85 (अनन्तिम) लाख टन हुआ।

(ख) महाराष्ट्र एक चीनी अधिशेष राज्य है।

(ग) और (घ) चीनी मिलों द्वारा पेराई के अतिरिक्त, गन्ने का उपयोग गुड़ बनाने, खुदरी बुआई के लिए भी किया जाता है। केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों को प्रोत्साहन दिए हैं जिससे वे गन्ने की अधिकतम पेराई कर सकें। इसके परिणामस्वरूप चालू मौसम 1989-90 के दौरान पिछले मौसम की तुलना में अधिक गन्ने की पेराई की गई है।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बिक्री केन्द्र

[हिन्दी]

3363. श्री कंकर मुंजारे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मध्य प्रदेश में कुल कितने बिक्री केन्द्र हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री केन्द्रों में नियंत्रित मूल्य के कपड़ों का अभाव रहता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में नियंत्रित मूल्य का कपड़ा उपलब्ध कराने के लिये कौन से कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इस समय एन.टी.सी. (मध्य प्रदेश) लि., इन्दौर के अधीन 11 डिपो कम हैं।

(ख) एन.टी.सी. (मध्य प्रदेश) के नियंत्रण अधीन कोई भी डिपो कम ग्रामीण क्षेत्र में स्थित नहीं है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में कन्ट्रोल का कपड़ा मुहैया कराने के लिए प्राधिकृत फुटकर व्यापारियों को नियुक्त किया गया है।

मोतिया खान दिल्ली से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को हटाया जाना

3364. श्री अरविन्द नेताम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डी.डी.ए. कालोनी, मोतिया खान के समीप के झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को किसी अन्य स्थान पर बसाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें यहां से कब तक हटाए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, हां। इन झुग्गी वासियों के स्थानान्तरण का मामला उनके पुनर्वास की योजना को अन्तिम रूप देने और वैकल्पिक विकसित स्थानों की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है जिसके लिये कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

3365. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन में कोई पहल की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये किये गये उपायों का ब्योरा क्या है और इसके कार्यान्वयन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां।

1974 से मार्च, 90 तक की अवधि के दौरान क्षेत्र में अनुमोदित शहरी विकास योजनाओं पर सहयोगी राज्यों तथा शहरी विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड जैसे केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा 128.08 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

दिल्ली में भूमि के अधिग्रहण के बदले नौकरी देना

[हिन्दी]

3366. श्री तारीफ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन किसानों की खेती वाली भूमि के अधिग्रहण के मामले में प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की नीति पर चल रही थी;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक किसानों के कितने लड़कों और लड़कियों को नौकरी दी गई है;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन/दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त नीति का पालन करना बंद कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) प्रत्येक परिवार, जिनकी भूमि अर्जित कर ली गई थी, के एक आश्रित को रोजगार देने की व्यवस्था करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1973 में एक निर्णय लिया गया था। तथापि, इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया तथा तदनुसार 1978 में इसे संशोधित किया गया जबकि अवर श्रेणी लिपिकों के पदों पर नियुक्ति के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं में इन व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया।

इन दोनों निर्णयों के अंतर्गत अब तक कुल 77 व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था की गई है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही

[अनुवाद]

3367. श्री बबनराव ढाकणे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जनवरी, 1988 से राज्यवार की गई कार्यवाही तथा कितने छापे मारे गए, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, कितने व्यक्तियों को सजा दी गई और कौन-कौन से सामान जब्त किए गए, का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई कारंवाई दर्शाने वाले विवरण-1, विवरण-2 और विवरण-3 संलग्न हैं।

विवरण—1

वर्ष 1988 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जिन व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए	दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	5305	1366	102	50	273.69
2.	असम	3334	8	14	8	2.70
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	—	7	—	—
4.	बिहार	उपलब्ध नहीं				
5.	गुजरात	5340	73	65	22	156.46
6.	हरियाणा	151	162	16	—	28.93
7.	हिमाचल प्रदेश	—	4	22	—	0.43
8.	गोवा	1318	3	4	—	0.22
9.	जम्मू तथा कश्मीर	639	1042	604	47	—
10.	कर्नाटक	2645	670	453	—	27.40

11.	केरल	4659	1	40	97	2.43
12.	मध्य प्रदेश	3569	77	313	57	105.19
13.	महाराष्ट्र	515	623	97	1	55.68
14.	मणिपुर	19	—	2	2	—
15.	मेघालय	305	—	—	—	—
16.	मिजोरम	57	40	40	—	0.81
17.	नागालैण्ड			——शून्य——		
18.	उड़ीसा	8021	9	164	1	7.16
19.	पंजाब	10911	3	—	—	29.54
20.	राजस्थान	1475	36	474	12	8.23
21.	सिक्किम	5	5	—	—	—
22.	तमिलनाडु	8698	1418	912	42	171.76
23.	त्रिपुरा	1045	42	16	8	8.03
24.	उत्तर प्रदेश	34344	1117	1463	73	652.19
25.	पश्चिम बंगाल	2880	1689	854	—	27.99
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3773	4	99	—	—

1	2	3	4	5	6	7
27.	चंडीगढ़	243	1	—	1	—
28.	दादरा तथा नागर हवेली			—शून्य—		
29.	दिल्ली	2745	43	49	32	4.65
30.	दमन तथा दीव			—शून्य—		
31.	लक्षद्वीप			—शून्य—		
32.	पांडिचेरी	578	86	27	26	0.44
	कुल	102581	8502	5867	479	1564.03

विवरण-2

वर्ष 1989 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत की गई कार्रवाई

क. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जिन व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए	दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रु. में)	निम्न अवधि तक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7150	1349	77	14	380.79	दिस.
2.	असम	2164	9	27	11	—	दिस.
3.	अरुणाचल प्रदेश	29	—	—	—	—	दिस.
4.	बिहार			सूचना नहीं			
5.	गुजरात	4260	40	27	—	118.55	दिस.
6.	गोवा	509	—	—	—	—	दिस.
7.	हरियाणा	188	68	15	—	1.90	दिस.
8.	हिमाचल प्रदेश	13694	—	—	—	0.19	दिस.

1	2	3		4	5		6
9.	जम्मू और कश्मीर	217	297	105	4	—	नव.
10.	कर्नाटक	4578	763	102	—	86.30	दिस.
11.	केरल	1125	—	—	1	0.87	दिस.
12.	मध्य प्रदेश	3947	48	283	43	540.66	दिस.
13.	महाराष्ट्र	439	715	285	52	186.88	दिस.
14.	मणिपुर			—शून्य—			दिस.
15.	मेघालय	1302	—	—	—	—	नव.
16.	मिजोरम	34	—	—	—	—	दिस.
17.	नागालैण्ड			—शून्य—			दिस.
18.	उड़ीसा	408	25	138	10	10.42	दिस.
19.	पंजाब	10418	—	—	—	0.42	दिस.
20.	राजस्थान	948	61	279	216	33.62	दिस.
21.	सिक्किम	4	5	—	—	—	दिस.

22.	तमिलनाडु	6773	848	373	206	225.94	दिस.
23.	त्रिपुरा	229	37	22	—	0.55	दिस.
24.	उत्तर प्रदेश	44290	1124	1474	65	400.59	दिस.
25.	पश्चिम बंगाल	2395	1132	659	25	27.85	दिस.
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	4403	5	144	1	27.83	दिस.
27.	चंडीगढ़	20	—	—	—	—	दिस.
28.	दादरा तथा नागर हवेली			—शून्य—			दिस,
29.	दिल्ली	1976	72	44	10	8.8	दिस
30.	दमन तथा दीव			—शून्य—			
31.	लक्षद्वीप			—शून्य—			नव.
32.	पांडिचेरी	899	70	42	21	0.92	दिस.
	कुल	112399	6860	4096	680	2022.06	

विवरण-3

वर्ष 1990 के दौरान (1.1.1990 से) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई सूचना 16.8.1990 (अनन्तिम) तक प्राप्त हुई है।

क. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जिन व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए	दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रु. में)	निम्न माह तक सूचना
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4770	777	21	3	103.96	जून
2.	असम	556	—	6	—	—	मई
3.	अरुणाचल प्रदेश	16	—	—	—	—	जून
4.	बिहार	275	238	205	—	77.41	जून
5.	गुजरात	2395	13	25	8	76.80	जून
6.	गोवा	26	2	1	—	00.88	जून
7.	हरियाणा	37	31	2	—	.04	मई
8.	हिमाचल प्रदेश		—शून्य—				जून
9.	जम्मू और कश्मीर	6	6	1	—	—	मार्च

10.	कर्नाटक	1299	317	134	—	0.20	जून
11.	केरल	236	—	—	—	0.03	मई
12.	मध्यप्रदेश	1306	13	129	4	23.10	मई
13.	महाराष्ट्र	173	255	143	82	68.13	जून
14.	मणिपुर		—शून्य—				मार्च
15.	मेघालय	27	—	—	—	—	अप्रैल
16.	मिजोरम	7	—	—	—	—	जून
17.	नागालैण्ड		—शून्य—				मई
18.	उड़ीसा	509	2	86	—	3.75	जुलाई
19.	पंजाब	5483	—	—	—	—	जून
20.	राजस्थान	547	18	27	83	8.23	मई
21.	सिक्किम	2	3	—	—	—	जून
22.	तमिलनाडु	1362	25	21	19	74.83	जून
23.	त्रिपुरा	176	5	12	9	C0.15	जून
24.	उत्तर प्रदेश	21485	611	790	98	330.31	मई
25.	पश्चिम बंगाल	9(0	412	257	5	16,97	जून
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1752	2	56	—	—	अप्रैल

1	2	3	4	5	6	7	
27.	चंडीगढ़			—शून्य—			जून
28.	दादरा तथा नगर हवेली			—शून्य—			जून
29.	दिल्ली	278	9	8	6	00.07	जून
30.	दमन तथा दीव	19	—	—	—	—	जून
31.	लक्षद्वीप			—शून्य—			मई
32.	पांडिचेरी	267	25	30	2	00.42	जून
	कुल	43969	.764	1954	319	793.28	

"नव चेतना" संगठन के लिये वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

3368. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में गठित 'नव चेतना" संगठन को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त संगठन में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) "नव चेतना" सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक स्वैच्छिक संगठन है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे केन्द्रीय सरकार से 3 परामर्श तथा 2 निर्व्यसन केन्द्रों को चलाने के लिए सहायक अनुदान प्राप्त हुआ।

(ख) 1987 से मद्यनिषेध और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत इस संगठन को निम्नलिखित धनराशियां विमुक्त की गई हैं।

वर्ष	परामर्श केन्द्र	निर्व्यसन केन्द्र	वाहन खरीद
1987-88	2,12,616	4,00,000	—
1988-89	[illegible],26,240	11,63,360	4,20,480
1989-90	6,35,610	12,33,750	—

(ग) जी, हां। संगठन के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है; तथा

(घ) अभी हाल ही में एक निरीक्षण दल ने जिनमें कल्याण मंत्रालय तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा खण्ड के अधिकारी शामिल थे। तीन परामर्श तथा दो निर्व्यसन केन्द्रों से संबंधित, संगठन द्वारा रखे गए सभी रिकार्डों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण किया है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का वार्षिक लक्ष्य निर्धारण

[अनुवाद]

3369. श्री अलख रावेश्वरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने 1990-95 की अवधि के लिये अपनी निगमित योजना में 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कोई ठोस योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड ने 1990-95 की अवधि के लिए निगम योजना में लगभग 12% की कुल औसत वृद्धि के लक्ष्य पर विचार किया है, जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	कारोबार	व्यवसाय का विकास
	(रुपये करोड़ में)	
1990-91	135	210
1991-92	150	240
1992-93	170	270
1993-94	190	310
1994-95	215	350

इसमें विविधीकरण और नए विकास क्षेत्र, वित्तीय पुनर्गठन, मानव संसाधन विकास और संगठनात्मक तथा तकनीकी क्षमता के विषय में भूमिकाएं सम्मिलित होंगी।

बाल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना

3370. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 अप्रैल, 1990 के "डेक्कान हेराल्ड" में प्रकाशित समाचार के अनुसार क्या केन्द्रीय सरकार ने बच्चों के, विशेष रूप से गरीब वर्गों के बच्चों के, बहुमुखी विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों से सरकार के प्रयासों में सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती उषा सिंह) (क) और (ख) बच्चों के सर्वांगीण विकास, विशेषकर 23 अप्रैल, 1990 के "दक्कन हेराल्ड" में यथा उल्लिखित अपेक्षाकृत गरीब बच्चों के विकास के लिए सरकार के प्रयासों को सहयोग देकर सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को शामिल करना इस मंत्रालय का सदैव प्रयास रहा है। स्वयंसेवी एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित बाल विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(1) कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु गृह/दिवस देखभाल कार्यक्रम;

(2) 3-5 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल-पूर्व बच्चों के लिए बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम;

(3) 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों की सहायता की योजना;

(4) बाल कल्याण और विकास के कार्य में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों को राष्ट्रीय बाल कोष से वित्तीय सहायता देना।

(5) केन्द्रीय समन्वय कार्यालय स्थापित करने तथा उन्हें बनाये रखने और महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों को संगठात्मक सहायता प्रदान करना।

(6) स्वयंसेवी संगठनों की सामान्य सहायता अनुदान।

इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का आयोजन स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से किया जाता है। समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के अन्तर्गत यथा-पूर्व अन्तर्निहित सामुदायिक सहभागिता के अलावा समय-समय पर स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग पर भी जोर दिया गया है और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए गए हैं कि स्वयंसेवी संगठनों को पूरी परियोजनाओं के संचालन अथवा ऐसी परियोजनाओं की कुछ आंगनबाड़ियों के संचालन का कार्य सौंपा जाए।

राज्यों के समाज कल्याण, सचिवों और निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में बाल विकास कार्यकलापों के कार्यान्वयन के स्तर पर अधिकाधिक स्वयंसेवी संगठनों को शामिल किया जाए।

नई दिल्ली की मार्किटों में दुकानों आबंटितियों को मालिकाना अधिकार

3371. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री लाल कृष्ण अडवाणी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेहरचन्द खन्ना मार्किट, लोदी कालोनी मार्किट और आइ एन.ए. मार्किट तथा अन्य मार्किटों में पट्टा-आधार पर दुकानों के अधिकृत आवंटितियों को मालिकाना अधिकार देने के संबंध में अक्तूबर, 1989 में लिए गए अपने निर्णय के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) निर्णय को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उज्जैन स्थित हीरा मिल को हुआ लाभ/घाटा

[हिन्दी]

3372. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान उज्जैन स्थित हीरा मिल में उत्पादन लागत क्या रही और इसे कितना लाभ अथवा घाटा हुआ;

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान, प्रत्येक माह कितने श्रमिकों ने हीरा मिल छोड़ी है और उनके भविष्य निधि भुगतान से दान के रूप में कितनी राशि काटी गई है; और

(ग) हीरा मिल परिसर में श्रमिकों को दिये जा रहे आवासों में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) फरवरी से जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान, हीरा मिल्स, उज्जैन का उत्पादन लागत लगभग 6.63 करोड़ रुपए था और इसी अवधि के दौरान इस मिल द्वारा उठाया गया अनन्तिम निवल घाटा लगभग 1.91 करोड़ रुपए था।

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 (जुलाई, 1990 तक) के प्रत्येक महीने के दौरान हीरा मिल्स को छोड़ने वाले श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई हैं :

महीना	कामगारों की संख्या जो वर्ष 1989-90 में चले गए	कामगारों की संख्या जो वर्ष 1990-91 (जुलाई 1990) तक चले गए
1	2	3
अप्रैल	4	3
मई	3	3
जून	4	—
जुलाई	4	2
अगस्त	202	—
सितम्बर	4	—
अक्तूबर	116	—
नवम्बर	6	—

1	2	3
दिसम्बर	10	—
जनवरी	4	—
फरवरी	13	—
मार्च	3	—

हीरा मिल्स, उज्जैन के श्रमिकों की जमा भविष्य निधि से दान के रूप में एन टी सी ने कोई राशि नहीं काटी है।

(ग) हीरा मिल्स परिसरों में श्रमिकों को दिए गए आवासीय गृहों में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(I) मिल द्वारा प्रदान किए गए स्थान पर शिक्षा विभाग द्वारा एक स्कूल चलाया जाता है;

(II) डाक्टर और कंपाउंडर के सहयोग से एक डिस्पेंसरी चलाई जाती है;

(III) भुगतान आधार पर मिल द्वारा बिजली प्रदान की जाती है।

(IV) स्ट्रीट लाइट प्रदान की जाती है और मिल द्वारा उसका रख रखाव किया जाता है।

(V) पानी की आपूर्ति के लिए मिल द्वारा पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप बिछाए गए।

(VI) मिल द्वारा घरों की मामूली मरम्मत और समय-समय पर उसकी सफेदी कराई जाती है।

(VII) मिल द्वारा चाल और कैम्पस में अलग से मनोरंजन क्लब बनाए गए हैं।

(VIII) चार विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराई गई सामुदायिक शौचालयों का मिल द्वारा रख रखाव किया जाता है। इन शौचालयों की साफ-सफाई नगर पालिका द्वारा भुगतान-आधार की जाती है। और

(IX) इसके अलावा, भुगतान आधार पर नगर निगम के सहयोग से वी एन टी टाइप ड्रेनेज सिस्टम द्वारा चाल में ड्रेनेज प्रदान करने का एक प्रस्ताव भी है।

पंजाब को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

[अनुवाद]

3373. श्री कमल चौधरी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) इस समय पंजाब को कितनी मात्रा में लेवी चीनी सप्लाई की जाती है;

(ख) क्या पंजाब को लेवी चीनी की यह सप्लाई 1986 की जनसंख्या के आधार पर की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसमें वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले आठ महीनों के दौरान पंजाब को चीनी, खाद्य तेलों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई में कटौती की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि में इन वस्तुओं की सप्लाई का ब्यौरा क्या है और यदि इन्हें कम मात्रा में सप्लाई की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) पंजाब के लिए मासिक लेवी चीनी का आवंटन 7545 मीटरी टन है। इसके अतिरिक्त सितम्बर और अक्तूबर, 1990 के प्रत्येक महीने के लिए 1196 टन त्योहार कोटा आवंटित किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस समय इन मानदण्डों में संशोधन करना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) पिछले 8 महीनों के दौरान पंजाब को गेहूं और लेवी चीनी की सप्लाई में कोई कटौती नहीं की गई है। जहां तक चावल का संबंध है इसके आवंटन को फरवरी, 1990 में 1500 मीटरी टन तक बढ़ाया गया था तथा यह इसके बाद उसी स्तर पर बना हुआ है। जहां तक खाद्य तेलों का संबंध है केवल फरवरी, 1990 में इसके आवंटन में कमी की गई थी लेकिन उसके बाद इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए जिसमें पंजाब भी शामिल है, मिट्टी के तेल की आवश्यकता का निर्धारण ऐतिहासिक आधार पर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उचित वृद्धि दर पर आवंटित किया जाता है न कि जनसंख्या के आधार पर और पंजाब को पिछले आठ महीनों के लिए इसका आवंटन निम्न प्रकार किया गया है :—

नियमित आबंटन

माह	(आंकड़े टनों में)
1	2
जनवरी, 1990	26510
फरवरी, 1990	26510
मार्च, 1990	25081

1	2
अप्रैल, 1990	25081
मई, 1990	25081
जून, 1990	25081
जुलाई, 1990	27258
अगस्त, 1990	27258

कपास की मांग और सप्लाई में अन्तर

[हिन्दी]

3374. श्री संजय लाल :
श्री फूल चन्द वर्मा :
क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कपास की अच्छी फसल होने के कारण वर्ष 1989-90 के दौरान कपास की मांग और सप्लाई के बीच भारी अन्तर पैदा हो गया था;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कपास की मांग और सप्लाई के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांग की अपेक्षा सप्लाई में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कई रुग्ण मिलों को पुन: चालू किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के के दौरान कितने रुग्ण मिलों के पुन: चालू किया गया था; और

(ङ) अत्यधिक मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होने के बावजूद सभी रुग्ण मिलों को चालू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) । (क) और (ख) लगभग 130 लाख गांठ के अनुमानित उत्पादन में से कुल घरेलू मांग 111.5 लाख गांठ होने का अनुमान है । लगभग 15 लाख गांठ का निर्यात कोटा इसके अतिरिक्त है ।

(ग) और (घ) मुख्यत: वस्त्रों की उन्नत मांग होने तथा रुई की आसानी से उपलब्धता तथा कीमत के फलस्वरूप अनेक बन्द पड़ी वस्त्र मिलों की संख्या जोकि जून, 1989 में 138 थी घट कर जून, 1990 में 117 रह गई ।

(ङ) बन्द पड़ी रुग्ण मिलों का पुनरुद्धार इसकी अर्थक्षमता पर निर्भर करता है जो कि अन्य

अनेक संघटकों पर आधारित है (जिसमें से कच्चा माल एक संघटक है) जिससे इसकी उत्पादकता तथा ऋणों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित होती है।

विशेष संघटक योजना के अंतर्गत आबंटन

3375. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष संघटक योजना का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ग) प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार, कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) विशेष संघटक योजना का प्रयोजन, राज्यों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त स्कीमें तैयार करते हुए तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त निधियों का आवंटन करते हुए, अनुसूचित जातियों का सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक विकास करना है।

राज्यों की विशेष घटक योजनाओं में, विशेष केन्द्रीय सहायता से वृद्धि की जाती है जो राज्य सरकारों के प्रयासों के अनुपूरक के रूप में है, ताकि वे अनुसूचित जातियों के लिए सुसंगत आर्थिक विकास कार्यक्रम शुरू करने तथा ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में कतिपय भारी अंतरालों को भरने में सक्षम हो सकें।

विभिन्न गरीबी निवारक कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वयन के लिए लक्षित अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या छठी तथा सातवीं योजनावधियों के दौरान क्रमशः 96 लाख तथा 104 लाख थी। चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 का लाभान्वयन लक्ष्य लगभग 21 लाख अनुसूचित जाति परिवार हैं।

(ख) तथा (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत राज्य वार आबंटित तथा खर्च की गई राशियां अनुबन्ध-1 में दी गई हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष संघटक योजना हेतु राज्यवार निमुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता अनुबन्ध-2 में दर्शाई गई है।

(घ) जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, चालू वित्त वर्ष 1999-91 के दौरान विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत राज्यवार आबंटित राशि अनुबन्ध-3 में दर्शाई गई है।

अनुबन्ध-1

1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत परिव्यय तथा व्यय

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1987-88		1988-89		1989-90	
		विशेष घटक योजना परिव्यय	व्यय	विशेष घटक योजना परिव्यय	व्यय	विशेष 90 घटकया परिव्यय	व्यय (अनुमानित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	178 59	118.90	149.63	142.53	153.87	153.87
2.	असम	19.94	29.66	32.76	19.35	33.22	33.22
3.	बिहार	130.18	92.56	120.10	108.58	164.53	164.53
4.	गोवा	1.00	0.66	1.13	1.08	1.11	1.11
5.	गुजरात	30.61	31.43	34.28	33.93	40.14	40.14
6.	हरियाणा	41.62	36.07	54.43	54.65	71.12	71.13
7.	हिमाचल प्रदेश	24.75	24.45	28.60	29.70	33.65	33.65
8.	कर्नाटक	88.44	88.21	94.03	79.98	106.96	93.67
9.	जम्मू और कश्मीर	11.80	11.86	22.11	21.69	22.59	22.59
10.	केरल	40.54	32.60	34.25	38.01	63.17	63.17
11.	महाराष्ट्र	74.41	88.93	85.51	108.79	123.85	123.85
12.	मध्य प्रदेश	99.00	88.00	96.65	97.44	113.26	113.26
13.	मणिपुर	1.86	1.31	1.69	1.62	1.89	1.89
14.	उड़ीसा	65.50	54.34	71.49	101.04	136.65	136.65
15.	पंजाब	28.36	27.39	30.23	29.76	39.47	39.47
16.	राजस्थान	104.38	96.00	108.30	107.30	141.90	141.90
17.	सिक्किम	1.46	0.21	3.63	3.63	0.35	0.35

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	तमिलनाडू	132.69	135.97	177.99	186.88	206.23	206.23
19.	त्रिपुरा	12.10	11.06	15.69	15.52	17.33	17.33
20.	उत्तर प्रदेश	252.22	252.22	347.17	284.87	435.22	435.22
21.	पश्चिम बंगाल	79.53	70.80	92.21	89.64	110.45	110.45
22.	चंडीगढ़	2.04	1.69	5.32	5.31	6.28	6.28
23.	दिल्ली	21.70	28.91	28.59	30.15	32.68	32.68
24.	पांडिचेरी	7.52	7.17	8.80	8.63	10.08	10.08
	कुल	1450.24	1330.40	1644.56	1600.17	2066.81	2052.72

निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में विशेष घटक योजना का कोई तंत्र नहीं है :—

1. मिजोरम
2. अरुणाचल प्रदेश
3. मेघालय
4. नागालैंड
5. लक्षद्वीप
6. दादर और नगर हवेली
7. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
8. दमन और दीव

अनुबन्ध-2

1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान निमुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1459.36	1444.17	1415.05

1	2	3	4	5
2.	असम	154.53	210.28	179.32
3.	बिहार	1617.39	1636.61	1617.51
4.	गुजरात	556.73	374.10	402.24
5.	हरियाणा	335.73	367.61	327.36
6.	हिमाचल प्रदेश	230.13	156.95	162.06
7.	जम्मू और कश्मीर	61.00	65.34	66.46
8.	कर्नाटक	1056.44	919.46	852.06
9.	केरल	371.06	414.91	375.61
10.	मध्य प्रदेश	1212.96	1267.12	1347.99
11.	महाराष्ट्र	1067.27	1113.38	1165.94
12.	मणिपुर	3.60	3.72	3.50
13.	उड़ीसा	594.48	718.28	608.71
14.	पंजाब	697.07	649.24	618.64
15.	राजस्थान	985.04	1037.45	1025.27
16.	सिक्किम	4.21	5.75	2.31
17.	तमिलनाडु	1504.50	1299.62	1458.83
18.	त्रिपुरा	43.98	51.39	47.67
19.	उत्तर प्रदेश	3677.30	4054.26	4224.73
20.	पश्चिम बंगाल	1684.81	2052.27	1949.92
21.	चंडीगढ़	15.52	7.81	13.05
22.	दिल्ली	106.75	127.97	120.31
23.	पांडिचेरी	15.21	16.75	12.73
24.	गोवा	5.17	5.57	2.73
	कुल	17500.00	18000.00	18000.00

निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में विशेष घटक योजना का कोई तंत्र नहीं है।

1. मिजोरम
2. अरुणाचल प्रदेश
3. मेघालय
4. नागालैंड
5. लक्षद्वीप
6. दादर और नगर हवेली
7. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
8. दमन और दीव

अनुबन्ध-3

वर्ष 1990-91 के दौरान विशेष घटक योजना के अन्तर्गत परिव्यय।

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	विशेष घटक योजना परिव्यय (प्रस्तावित)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	210.85
2.	असम	51.96
3.	बिहार	170.38
4.	गोवा	0.82
5.	गुजरात	46.10
6.	हरियाणा	81.74
7.	हिमाचल प्रदेश	41.25
8.	जम्मू और कश्मीर	32.77
9.	कर्नाटक	96.12
10.	केरल	53.85
11.	मध्य प्रदेश	158.93

1	2	3
12.	महाराष्ट्र	87.46
13.	मणिपुर	7.74
14.	उड़ीसा	193.86
15.	पंजाब	54.05
16.	राजस्थान	172.53
17.	सिक्किम	3.66
18.	त्रिपुरा	36.85
19.	तमिलनाडु	224.46
20.	उत्तर प्रदेश	342.20
21.	पश्चिम बंगाल	128.71
22.	दिल्ली	34.00
23.	पांडिचेरी	15.27
	कुल	2245.50

निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में विशेष घटक योजना का कोई तंत्र नहीं है।

1. चंडीगढ़
2. मिजोरम
3. अरुणाचल प्रदेश
4. मेघालय
5. नागालैंड
6. लक्षद्वीप
7. दादर और नगर हवेली
8. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
9. दमन और दीव

महाराष्ट्र को आवश्यक वस्तुएं

[अनुवाद]

3376. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

प्रो. महादेव शिवणकर :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में चावल, चीनी, गेहूं और अन्य आवश्यक मदों की माहवार औसत मांग कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त वस्तुओं की सप्लाई से मांग पूरी नहीं होती;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1988-89 के तथा वर्ष 1990 का मास-वार मांग और वास्तविक सप्लाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य की समूची मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) महाराष्ट्र को वर्ष 1989 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेलों तथा मिट्टी के तेल का मासिक औसत आबंटन इस प्रकार है :—

1. चावल	56,000 मी. टन
2. गेहूं	101,000 मी. टन
3. लेवी चीनी	29,938 मी. टन
4. आयातित खाद्य तेल	8,400 मी. टन
5. मिट्टी का तेल	115,730 मी. टन

महाराष्ट्र द्वारा आमतौर पर ऊंची आवश्यकताएं सूचित की जाती रही हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें महाराष्ट्र शामिल है, को इन वस्तुओं के आबंटन विभिन्न बातों, जैसे मांग केन्द्रीय पूल में स्टाक की समग्र उपलब्धता, बाजार में इनकी उपलब्धता तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं।

(घ) 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेलों तथा मिट्टी के तेल का आबंटन प्रकार है :—

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मांग

(हजार मी. टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं	आयातित खाद्य तेल	मिट्टी का तेल**
1	2	3	4	5
1988	955	1425	238	
1989	1150	2410	208	
1990	—	—	168*	
जनवरी	100	250		
फरवरी	75	150		
मार्च	75	125		
अप्रैल,	23	55		
मई	75	125		
जून	75	125		
जुलाई	57	100		
अगस्त	55	100		
आबंटन				(हजार मी. टन में)
1988	750	1045	160	1306
1989	675	1220	101	1389
1990				
जनवरी	52	100	6.5	129
फरवरी	47	100	8.0	129
मार्च	47	100	9.0	114
अप्रैल	23	55	11.0	114
मई	71	125	12.0	114

1	2	3	4	5
जून	47	85	13.0	114
जुलाई	47	100	14.5	122
अगस्त	47	100	16.5	उपलब्ध नहीं

*वार्षिक मांग

**मिट्टी के तेल की आवश्यकता का आजकल गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में किए गए आबंटनों पर उपयुक्त वृद्धि दे कर किया जाता है।

महाराष्ट्र का लेवी चीनी का मासिक कोटा 29,938 मी. टन है और यह एक नियत प्रतिमान पर आधारित है।

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों के आवंटन केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं।

भुवनेश्वर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं

3377. श्री अनादि चरण दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) क्या भुवनेश्वर में एक केन्द्रीय अस्पताल की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) । (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) किसी नए शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं स्थापित करने के लिए मानदण्ड यह है कि उस शहर में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या मूल रूप में 7500 अथवा इससे अधिक हो। इस समय भुवनेश्वर के मामले में उपर्युक्त मानदण्ड पूरा नहीं होता है।

कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के 'शो-रूम'

3378. श्री प्यारेलाल हान्डू : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कितने 'शो-रूम' हैं; और

(ख) ये 'शो-रूम' कब से चलाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तीन शो-रूम हैं।

(ख) कश्मीर घाटी में अशान्त स्थिति के कारण ये तीनों शो रूम गत तीन महीनों से बंद पड़े हैं।

दिल्ली में हैजा और आंत्रशोथ

3379. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली की अनेक कालोनियों विशेषकर पूर्वी दिल्ली और पश्चिम दिल्ली की भुग्गी-झोपड़ी कालोनियों में विद्यमान अस्वास्थ्यकर परिस्थितयों की ओर आकर्षित किया गया है जिनके फलस्वरूप वहां पर हैजा और आंत्रशोथ जैसे जल प्रजन्य रोग फैल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये रोग मुख्यत: किन-किन अन्य कारणों से फैल रहे हैं;

(ग) इस संबंध में कौन से प्रभावी उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार विचार प्रभावित कालोनियों में तत्काल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिये वहां कुछ और चल औषधालयों की व्यवस्था करने का है, यदि हां तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) हैजा और आंत्रशोथ पानी से होने वाले रोग हैं जो भारी वर्षा, बाढ़, सूखे आदि की वजह से पेय जल स्रोतों के संदूषित होने के कारण गंदे पानी को पीने के द्वारा बुनियादी स्वच्छता की कमी होने, वैयक्तिक और भोजन में स्वच्छता की कमी होने, स्वच्छ जल-आपूर्ति की कमी होने, मानव मल तथा कूड़ाकरकट आदि की सही निकासी न होने के कारण फैलते हैं।

दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित कालोनियां निम्नलिखित हैं :—

1. शाहदरा

2. बुराड़ी

3. समयपुर बादली

4. पूठ खुर्द

5. गोविन्दपुरी

6. मंगोलपुरी

7. जहांगीर पुरी

8. करावल नगर

9. नई सीमापुरी

10. ज्वाला नगर

11. जिन्दल भट्टा

(ग) से (ङ) इस रोग की रोकथाम के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं—

I. मौजूदा स्वास्थ्य परिचर्या वितरण पद्धति का अभिविन्यास

II. सभी बड़े अस्पतालों में श्री. आर. टी स्थल की स्थापना

III. झुग्गी-झोपड़ी/पुनर्वास कालोनियों में श्रो. आर. एस पैकेटों और क्लोरीन गोलियों का भण्डारण

बातचीत, पोस्टरों, पर्चों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा में तेजी लाना स्वच्छता के बारे में जागरुकता लाने के काम में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को शामिल करना।

मोबाइल हैल्थ स्कीम के द्वारा टीकाकरण श्रो. आर. एस और क्लोरीन गोलियों का वितरण करना।

झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में जहां पर गहरे खुदे हुए हैंड पम्प नहीं हैं, 88 वाटर टैंकों के द्वारा स्वच्छ जल की व्यवस्था करना।

मानव मल मूत्र, कूड़ा करकट आदि की सही निकासी तथा वैयक्तिक स्वच्छता में सुधार करना

मोबाइल हैल्थ स्कीम जिसके अन्तर्गत 40 मोबाइल हैल्थ क्लिनिक हैं, हर सप्ताह 240 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का दौरा कर रही हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का आधुनिकीकरण

3380. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने मिलों के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के लिए बनाई गई योजना का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण योजना के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा लगभग सत्तर हजार श्रमिकों की छटनी करने की योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो छटनी किये जाने वाले फालतू श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) नीति और प्रक्रिया के मामले के रूप में सरकार एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं करती। वित्तीय संस्थानों से सहायता का फायदा उठाने के उद्देश्य से एन टी सी अपने विशिष्ट मिल संबंधी प्रस्ताव वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत करता है तथा वित्तीय संस्थान उनकी अर्थक्षमता तथा लाभप्रदभता के आधार पर उन पर विचार तथा उनका अनुमोदन करते हैं।

(ग) और (घ) एन टी सी को श्रमिक सुव्यवस्थीकरण करने की एक विशेष स्वैच्छा सेवा-निवृत्ति योजना है जिसमें छंटनी की परिकल्पना नहीं की गई है और यह स्वैच्छिक आधार पर है। इसलिए छंटनी किए गए कर्मचारियों के पुनर्वासन का प्रश्न नहीं उठता।

नए रोजगार कार्यालय खोलना

[हिन्दी]

3381. **प्रो. शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेरोजगार व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश में रोजगार कार्यालयों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग कितने-रोजगार कार्यालय खोलने का विचार किया गया है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) राज्यों में रोजगार सेवा स्थापित करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं। रोजगार कार्यालय संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रणाधीन हैं और आवश्यकतानुसार उनके द्वारा समय-समय पर नए रोजगार कार्यालय खोले जाते हैं। रोजगार कार्यालयों की संख्या (विश्वविद्यालय रोजगार सूचना मार्गदर्शन केन्द्रों सहित) जो 1985 में 800 थी, अप्रैल, 1990 के अन्त में बढ़कर 851 हो गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पैट्रोल पम्पों के लिए जगहों का आबंटन

[अनुवाद]

3382. **श्रीमती बंजबन्हीमाला बाली :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न तेल कम्पनियों को, जिन्होंने दिल्ली में खुदरा दुकानें खोलने की मंजूरी दी है, पैट्रोल पम्प के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जगहों का आबंटन करने में देरी के बारे में कोई शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नीति के अनुसार, तेल कम्पनियों को स्थल आबंटित किए जाते हैं न कि उन व्यक्तियों को जिसे ऐसी कम्पनियों द्वारा खुदरा दुकानें पेंट्रोल पम्प, एल. पी. जी. गोदाम आदि आबंटित किए जाते हैं। सरकार द्वारा 1986 में स्थल के लिए निर्धारित भूमि-किराये की दरों पर तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मांगी गई दरों पर तेल कम्पनि द्वारा भुगतान न करने के कारण तेल कम्पनियों को भूमि सौंपने में विलम्ब हुआ है। तेल कम्पनियों दरों में कमी करने के लिए अनुरोध करती रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्णय लिया है कि पेंट्रोल पम्प स्थलों का कब्जा तेल कम्पनियों को इस शर्त पर दिया जाए कि यदि आवश्यक हो तो वे बाद में बकाया का भुगतान करने का वचनपत्र प्रस्तुत करें।

हथकरघा क्षेत्र में वाणिज्यिक और घरेलू करघे

3383. श्री के. एस. राव : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हथकरघा क्षेत्र में वाणिज्यिक और घरेलू करघों की राज्यवार संख्या कितनी है।

(ख) क्या देश के निर्यात के मामले में हथकरघा क्षेत्र का विशेष योगदान है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा उत्पादों के निर्यात का वर्षवार ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) राष्ट्रीय हथकरघा की गणना (1987-88) से अभिज्ञात वाणिज्यिक और घरेलू हथकरघों की राज्य-वार संख्या निम्नोक्त है :—

क्र. सं	राज्य संघशासित क्षेत्र का नाम	हथकरघों की संख्या	
		वाणिज्यिक	घरेलू
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	219671	44
2.	अरूणाचल प्रदेश	1611	43905
3.	असम	180735	1228433
4.	बिहार	81304	1353
5.	गोवा	95	—
6.	गुजरात	19309	3264

1	2	3	4
7.	हरियाणा	19924	348
8.	हिमाचल प्रदेश	13528	17836
9.	जम्मू व कश्मीर	24163	1109
10.	केरल	51586	43
11.	कर्नाटक	81429	156
12.	मध्य प्रदेश	46705	726
13.	महाराष्ट्र	67534	108
14.	मणिपुर	139207	131054
15.	मेघालय	4489	3732
16.	मिजोरम	7553	96236
17.	नागालैंड	31857	45646
18.	उड़ीसा	118253	752
19.	पंजाब	11947	281
20.	राजस्थान	33088	173
21.	तमिलनाडु	428379	166
22.	त्रिपुरा	23480	95592
23.	उत्तर प्रदेश	253057	7657
24.	पश्चिम बंगाल	337378	1121
25.	दिल्ली	9336	—
26.	पांडिचेरी	5243	—
	योग :	2210841	1679735

(ख) जी, हां।

(ग) निम्नलिखित तालिका में पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा माल के किस्म-वार निर्यात किए गए हैं :—

मूल्य (करोड़ रु.)

वर्ष	सूती			रेशम की मदें	अन्य गैर-सूती मदें	कुल
	फैब्रिक	मेडअप्स	परिधान			
1987-88	100.57	137.07	18.71	244.83	15.03	516.21
1988-89	114.51	168.86	19.01	319.85	8.56	630.79
1989-90	112.16	229.70	31.13	383.51	51.17	807.67

दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयों का प्रयोग

3384. श्री कड़िया मुण्डा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1990 के दौरान अशुद्ध जल और ग्लूकोस तथा नकली दवाइयों का प्रयोग करने के कारण दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बांधों की सिंचाई क्षमता

[हिन्दी]

3385. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिंचाई के प्रयोजन हेतु निर्मित किए गए बांधों की संख्या कितनी है जिनसे निर्धारित लक्ष्य से कम भूमि की सिंचाई की जा रही है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि ऐसे बांधों से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार भूमि को सिंचाई की जा सके ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालय

[अनुवाद]

3386. श्री सूरज प्रसाद सरोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की नीति के अनुसार चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई औषधालय नहीं है;

(ग) इस प्रकार के औषधालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी राज्यों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) आयुर्वेदिक औषधालय/यूनिट उन सभी शहरों में पहले ही कार्य कर रहे हैं जहां केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चल रही है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एक नजर

क० सं.	शहर का नाम	कार्ड धारक का नाम	लाभार्थी का नाम	एलोपैथी	पालिक्लिनिक यूनिट	आयुर्वेदिक यूनिट	होम्योपैथिक यूनिट	मौजूदा औषधालय यूनानी यूनिट	दंत यूनिट	सिद्ध यूनिट	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	दिल्ली	380030	1673487	80	2	13	13	4	4	—	3
2.	मुम्बई	78537	304242	28	2	3	3	—	2	—	—
3.	इलाहाबाद	14244	88541	7	1	1	1	—	1	—	—
4.	मेरठ	13850	64250	6	—	1	1	—	1	—	—
5.	कानपुर	35285	173423	9	—	1	2	—	1	—	—
6.	कलकत्ता	42240	162704	17	1	1	1	—	1	—	—
7.	नागपुर	24746	111786	10	1	2	1	—	1	—	—
8.	मद्रास	41113	178578	14	1	1	1	—	1	1	—
9.	बंगलौर	35575	148766	10	1	1	1	—	1	—	—
10.	हैदराबाद	62187	288649	13	2	2	2	2	1	—	—

11.	पटना	16581	77579	5	—	1	1	—	1	—	—
12.	पुणे	25331	86091	7	1	1	2	—	1	—	—
13.	जयपुर	15090	75391	5	1	1	1	—	1	—	—
14.	अहमदाबाद	3526	15210	3	—	1	1	—	1	—	—
15.	लखनऊ	14270	62732	6	—	1	1	1	1	—	—
	योग	5803605	3511429	220	13	31	32	7	19	1	3

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

[हिन्दी]

3387. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री बरेली में नई चीनी मिल के बारे में 28 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2553 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई चीनी लाइसेंस नीति को ध्यान में रखते हुए, बरेली में चीनी मिल की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी करने के बारे में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) नवाबगंज, जिला बरेली में 2500 टी. सी. डी. की नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था और चूंकि यह आवेदन पत्र उस समय केन्द्र सरकार की लाइसेंस नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों की दूरी के मानदंड को पूरा नहीं करता था इसलिए इसे अस्वीकृत कर दिया गया था। प्रथमदृष्टया अस्वीकृति-पत्र के खिलाफ कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि उपर्युक्त स्थान पर निजी क्षेत्र में 2500 टी. सी. डी. की नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए एक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर अब दिनांक 23.7.90 के प्रेस नोट के तहत घोषित नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाएगा।

आई.टी.आई. तथा आई.टी.सी. प्रमाण-पत्र धारकों को रोजगार

[अनुवाद]

3388. **प्रो. के.वी. थामस :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.टी.आई. तथा आई.टी.सी. प्रमाण-पत्र धारकों को स्व: रोजगार अथवा नियमित रोजगार प्राप्त हो रहा है; और

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने आई.टी.आई. तथा आई.टी.सी. प्रमाणपत्र धारक बेरोजगार हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) यद्यपि अधिकांश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रमाण-पत्र धारी व्यक्ति नियमित रोजगार पसंद करते हैं, तथापि विभिन्न स्तरों पर उन्हें स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) 1987 के अंत में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर राज्यवार नौकरी चाहने

वाले व्यक्तियों, जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमाण-पत्र धारी हैं, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

31.12.1987 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमाण-पत्र धारी नौकरी चाहने वालों की संख्या।

31.12.87 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या
(हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश राज्य		
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	109.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	10.6
4.	बिहार	75.0
5.	गोवा	4.8
6.	गुजरात	17.8
7.	हरियाणा	24 1
8.	हिमाचल प्रदेश	11.7
9.	जम्मू एंड कश्मीर	1.2
10.	कर्नाटक	14.5
11.	केरल	66.9
12.	मध्य प्रदेश	34.6
13.	महाराष्ट्र	63.1
14.	मणिपुर	1.1
15.	मेघालय	0.1
16.	मिजोरम	0.1
17.	नागालैंड	0.1

1	2	3
18.	उड़ीसा	14.9
19.	पंजाब	27.9
20.	राजस्थान	9.7
21.	सिक्किम ×	
22.	तमिलनाडु	55.0
23.	त्रिपुरा	0.4
24.	उत्तर प्रदेश	129.0
25.	पश्चिम बंगाल	26.5
संघ शासित प्रदेश		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उ.न.
2.	चण्डीगढ़	9.2
3.	दादर और नगर हवेली	उ.न.
4.	दिल्ली	10.9
5.	दमन और दीव × ×	
6.	लक्ष्यद्वीप	उ.न.
7.	पांडिचेरी	1.1
	कुल योग	719.9

टिप्पणी :—1. × = कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
2. × × = आंकड़े गोवा राज्य में शामिल कर लिए गये।
3. —— = कुछ नहीं।
4. उ.न.—उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

3390. डा. सी. सिलवेरा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1990 में पूरे देश में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा इसके घटक संस्थानों/केन्द्रों द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन समारोहों की पृष्ठभूमि क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रव्यापी रोगों का उपचार करने के लिए कोई रणनीति तैयार की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसी प्रकार देश से प्रमुख संचारी रोगों का उन्मूलन करने के लिए भी कोई कार्यक्रम तैयार किया गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा इसकी संघटक संस्थाओं द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग आदि जैसी अन्य अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों के साथ मिलकर पिछले चार वर्षों से मनाया जा रहा है। इस दिन प्राय: सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग/एजेंसियां विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं।

फरवरी, 1990 में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय प्रासंगिकताओं के प्रमुख रोगों पर पोस्टरों और फोटो पेनलों का प्रदर्शन; विभिन्न जैव चिकित्सा विषयों पर वीडियो फिल्मों की स्क्रीनिंग और स्लाइड टेप कार्यक्रमों का आयोजन, स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरियों प्रतियोगिताओं का आयोजन, पोषण, संचारी रोग, औषध पादप जैसे सामान्य रुचि के स्वास्थ्य विषयों पर आई.सी.एम.आर. प्रकाशनों का वितरण और उनकी बिक्री का कार्य किया गया।

प्रमुख संचारी रोगों का प्रदर्शन क्षय रोग, कुष्ठ, अतिसार रोग, कालाआजार, एड्स, यौन संचारित रोगों और रोग प्रतिरक्षण पर फोटोपेनल और पोस्टरों के माध्यम से किया गया। इसके अतिरिक्त मच्छरों से होने वाले रोगों तथा समन्वित रोगाणु नियंत्रण विधियों पर लोगों के सहयोग से दो प्रदर्शनियां भी लगाई गई। लार्वभिक्षक (लार्वीवोरस) मछलियों और जल कीटाणुओं का संजीव प्रदर्शन तथा मासक्यूटो नेमाटोड्स का प्रदर्शन (माइक्रोस्कोप के माध्यम से) भी आयोजित किया गया।

गैर-संचारी रोगों के बारे में गर्भाशय ग्रीवा (इसकी रोकथाम तथा शुरू में ही पता लगाने) आमवात ज्वर और आमवात हृदय रोग, अन्य दोष के साथ-साथ तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों और मुख के कैंसर, श्वसनी रोग और बच्चों के जन्म के समय कम वजन आदि पर पोस्टर और फोटोपैन लगाए गए विभिन्न प्रकार के दुर्दम ट्यूमरों के संरक्षित नमूनों का भी प्रदर्शन किया गया और कैंसर कोशिकाएं माइक्रोस्कोप पर दिखाई गई :

पोषण सबंधी समस्याओं मे गलगण्ड, रक्ताल्पता विटामिन "ए" की कमी से होने वाले कुपोषण आदि जैसी स्थितियों को फोटोपैनल के माध्यम से प्रदर्शित करके जानकारी दी गई। परिवार नियोजन के अपनाने तथा न अपनाने वालों की प्रतिकूलता का विवरण, मधुमेह की व्याप्तता तथा भारतीय बच्चों की मानक ऊंचाई और वजन के बारे में चार्टों के द्वारा बतलाया गया । सामान्य घरेलू उपचार जिनमें मसाले और अन्य जड़ी बूटियां शामिल हैं, नमूनों और फोटोग्राफों के माध्यम से प्रदर्शित किए गए। इसके अतिरिक्त अनुसंधान अध्ययनों में काम आने वाले औषधीय पादपों पर भी पोस्टर प्रदर्शित किए गए ।

राष्ट्रीय प्रासंगिकता वाली प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं पर जिनमें गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, तम्बाकू और धूम्रपान के खतरे, आमवात ज्वर, समन्वित रोगाणु नियंत्रण विधियां शामिल हैं तथा विभिन्न पोषाणिक समस्याओं पर लघु वीडियो फिल्में दिखाई गई। कुष्ठ तथा हृद विकारों पर स्लाइड टेप कार्यक्रम भी दिखाए गए ।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह में स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों के तीन सेट भी प्रस्तुत किए गए। इनमें से प्रत्येक (I) आम जनता के लिए (क) सभी प्रमुख स्वास्थ्य विषयों (संचारी रोग, पोषण, कैंसर आदि पर (ख) मलेरिया (कारण, संचारण रोकथाम) तथा (II) स्कूली बच्चों के लिए जब चिकित्सा विज्ञान विषयों पर थे। इसके अतिरिक्त मलेरिया के जैव-पर्यावरणिक नियंत्रण से संबंधित आंकड़ों पर कम्प्यूटर ग्राफिक्स प्रदर्शित किए गए ।

बंगलोर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय रविवार को खोलना

3391. **श्री जोस फर्नान्डीज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर नगर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय रविवार और अन्य सामान्य अवकाशों पर खुले रहते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या बंगलोर नगर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रविवार और अन्य सामान्य अवकाशों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इन औषधालयों को ऐसे अवकाश वाले दिन भी खोलने हेतु कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) बेंगलूर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों की तरह रविवारों और अन्य राजपत्रित छुट्टियों के दिन कार्य नहीं कर रहे हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को रविवारों और छुट्टियों के दिन उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए दो "फंक्शनल" औषधालयों में आपातकालीन सेवा उपलब्ध है।

नर्सिंग संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट

3392. श्री ए. चार्ल्स : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1987 में किसी समय नर्सिंग और नर्सिंग व्यवसाय संबंधी कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ग) यदि हां, तो कब तथा इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें और नर्सिंग व्यवसाय से संबंधित मुख्य मामले क्या-क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्हें स्वीकार कर लिया गया है और कार्यान्वित किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यह रिपोर्ट सितम्बर, 1989 में प्रस्तुत की गई थी। उच्च शक्ति प्राप्त समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) से (च) इस समिति की रिपोर्ट टिप्पणियों हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, सभी मंत्रालयों, भारतीय उपचर्या परिषद आदि को परिपत्रित कर दी गई है। टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के बाद, सरकार इन सिफारिशों को मानने अथवा न मानने के बारे में जांच करेगी।

विवरण

उपचर्या और उपचर्या व्यवसाय संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें

I. उपचर्या कर्मिकों के काम करने की स्थितियों में सुधार लाना

(i) उपचर्या छात्रों के लिए सरकारी सेवा करने का कोई बन्ध-पत्र नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य उन्हें निर्धारित अवधि के अन्दर रोजगार नहीं देते।

(ii) उपचर्या कार्मिकों की सभी श्रेणियों के काम का ब्यौरा तैयार किया जाना चाहिए।

(iii) कार्य के घण्टे घटाकर सप्ताह में 40 घण्टे कर दिए जाने चाहिए ।

(iv) उपचर्या कार्मिकों के लिए दिए जाने वाले विभिन्न भत्ते सारे देश में एक-समान होने चाहिए ।

(v) जहां तक संभव हो आवास कार्य स्थल के निकट दिया जाना चाहिए । अस्पतालो किस्म के आवास के स्थान पर अपार्टमैंट किस्म के आवास निर्मित किए जाने चाहिए ।

(vi) उपचर्या कार्मिकों की सुरक्षा के लिए परिवहन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही नर्सों के लिए उप-केन्द्र से पारिवारिक आवास, जिला जन स्वास्थ्य नर्स के लिए वाहन, निर्धारित यात्रा भत्ता, ग्रामीण भत्ता आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी जानी चाहिए ।

II. उपचर्या शिक्षा

(i) उपचर्या शिक्षा को राष्ट्रीय शैक्षिक धारा में जोड़ा जाना चाहिए ताकि उसमें एक-रूपता लाई जा सके ।

(ii) उपचर्या कार्मिकों के 2 स्तर होने चाहिए—व्यवसायिक नर्स तथा सहायक नर्स/व्यावसायिक नर्स

(iii) विभिन्न पाठ्यक्रम पढ़ा रहे सभी उपचर्या स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना चाहिए ।

(iv) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता में क्लीनिकल-उपचर्या विशिष्टताओं और सामुदायिक उपचर्या के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर विशिष्टता पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए ।

(v) निदेशालयों में काम कर रही नर्सों के लिए स्टाफ कालेज पाठ्यक्रमों जैसी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(vi) सतत शिक्षा तथा कर्मचारी विकास की सिफारिश की गई है ।

(vii) उपचर्या शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ।

III. ग्रामीण क्षेत्रों में उपचर्या सेवाएं

(i) कर्मचारी निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध होने चाहिए ।

(ii) अस्पतालों में छात्रों को कर्मचारियों की गिनती में नहीं लिया जाना चाहिए ।

(iii) नर्सों की प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त सामग्री तथा उपकरण, औषधियां आदि उपलब्ध की जाएं ।

(iv) नर्सों को गैर-नर्सिंग कार्यों से मुक्त किया जाए।

IV. मान दंड

1. उपचर्या अधीक्षक—1:200 पलंग (200 या इससे अधिक पलंगों वाले अस्पतालों में)

2. उप-उपचर्या अधीक्षक—1:300 पलंग (जहां कहीं 200 से अधिक पलंग हों)

3. सहायक उपचर्या अधीक्षक—1:150 पलंग (जहां कहीं पलंग 150 से अधिक हों (7:1000 पलंग)

4. वार्ड सिस्टर/वार्ड पर्यवेक्षक—1:25 पलंग तथा 30 प्रतिशत छुट्टी आरक्षित

5. वार्डों के लिए स्टाफ नर्सें—1:3 (या प्रत्येक पारी के लिए 1:9) और 30 प्रतिशत छुट्टी आरक्षित)

6. बहिरंग रोगी विभाग तथा आपाती विभाग आदि की नर्सों के लिए—1:100 रोगी बहिरंग रोगी) और 30 प्रतिशत—5 छुट्टी आरक्षित

7. गहन परिचर्या यूनिट के लिए—1:1 (या प्रति पारी 1:3) और 30 प्रतिशत छुट्टी आरक्षित।

आपरेशन थियेटर, प्रसव कक्ष आदि जैसे विशिष्ट विभागों के लिए—1:25+30 प्रतिशत छुट्टी आरक्षित।

सामुदायिक उपचर्या सेवाएं

—2500 की आबादी के लिए एक सहायक नर्स मिडवाइफ (प्रति उप-केन्द्र 2)

—पहाड़ी क्षेत्रों में 1500 की आबादी के लिए एक सहायक नर्स मिडवाइफ

—7500 की आबादी के लिए एक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (3 सहायक नर्स मिडवाइफों के पर्यवेक्षण के लिए)

—एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक जन स्वास्थ्य नर्स 1 (30000 आबादी—4 स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के पर्यवेक्षण के लिए)

—100000 की आबादी के लिए एक जन स्वास्थ्य उपचर्या कार्यालय (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र)

—प्रत्येक जिले के लिए दो जिला जन स्वास्थ्य उपचर्या अधिकारी।

कुल अपेक्षित उपचर्या कार्मिक

नर्स मिडवाइफें	जन स्वा. नर्सें	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक
743114	34875	107960

सहायक नर्स मिडवाइफ/लेडी स्वास्थ्य विजीटर

323882

टिप्पणी :— इन कार्मिकों में उपचर्या स्कूलों/उपचर्या कालेजों के शिक्षण कर्मचारी तथा प्रबन्धक व्यवस्था के उपचर्या कार्मिक शामिल नहीं हैं।

भारतीय उपचर्या परिषद के मानदण्डों के अनुसार स्कूलों/उपचर्या कालेजों के लिए शिक्षण कर्मचारी

दस छात्रों के लिए एक नर्स शिक्षक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए शिक्षण कर्मचारी

V उपचर्या कानून

(i) भारतीय उपचर्या परिषद तथा राज्य उपचर्या परिषद अधिनियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उनमें राज्य उपचर्या परिषदों पर भारतीय उपचर्या परिषद के नियंत्रण की व्यवस्था की जा सके।

(ii) परिषद में और अधिक नर्स सदस्य होने चाहिए।

(iii) समय-समय पर निरीक्षणों तथा अनुवर्ती कारंवाई के माध्यम से उपचर्या शिक्षा के मानकों को विनियमित करना।

(iv) प्राइवेट नर्सिंग गृहों में उपचर्या परिचर्या के मानकों का विनियमन।

(v) पांच वर्षों के बाद पंजीकरण के नवीकरण की व्यवस्था।

(vi) नर्सिंग के स्वतन्त्र व्यवसाय की व्यवस्था।

VI. उपचर्या सेवाओं का संगठन

समिति ने केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में अतिरिक्त उप स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पद, उप महानिदेशक उपचर्या का एक पद, सहायक महानिदेशक के 3 पद, उप सहायक महानिदेशक के 3 पद तथा अन्य सहायक अधिकारियों के पद सृजित करने की सिफारिश की है। राज्य स्तर के ढांचे में समिति ने निदेशक, उपचर्या सेवा का एक पद, संयुक्त/उप निदेशक उपचर्या सेवा का एक पद, सहायक निदेशक, उपचर्या सेवा के तीन पद और उप-सहायक निदेशक, उपचर्या सेवा के तीन पद तथा अन्य सहायक कर्मचारियों के पद सृजित किए जाने की आवश्यकता बताई है।

(VII) राष्ट्रीय उपचर्या नीति

समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियोजन के दायरे के अन्दर-अन्दर एक राष्ट्रीय उपचर्या नीति बनाने की सिफारिश की है। समिति ने उपचर्या संबंधी मामलों में समय-समय पर सरकार को सलाह देने के लिए एक उपचर्या सलाहकार समिति/बोर्ड गठित करने की भी सिफारिश की है।

माही जल का वितरण

[हिन्दी]

3393. श्री शिव शरण वर्मा :

श्री हरीश पाल :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में स्थित माही बांध का पानी गुजरात को भी दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को माही बांध का पानी दिया जाता है तथा राज्य-वार, वह कितनी मात्रा में दिया जाता है;

(ग) क्या गुजरात को राजस्थान से अधिक पानी दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनु भाई कोटाडिया) : (क) से (घ) राजस्थान तथा गुजरात के बीच हुए 1966 के करार के अनुसार, बांसवाड़ा बांध के माही जल में से गुजरात तथा राजस्थान सिंचाई के लिए जल उपयोग हेतु क्रमश: 40 टी एम सी (हजार मिलियन घन फुट) और 9 टी एम सी जल के अनुपात के हकदार हैं ।

जल की कमी वाले वर्षों में राजस्थान निश्चित विद्युत उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए 7 टी एम सी के अतिरिक्त भण्डारण का भी हकदार है ।

भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए अनुसन्धान कार्य हेतु वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

3394. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विभिन्न राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए अनुसंधान कार्य हेतु वित्त पोषण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को इस सम्बन्ध में दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात को रेशम-कीट पालन के लिए राष्ट्रीय रेशम विकास निगम का अनुदान

[हिन्दी]

3395. श्री छीतू भाई देवजी भाई गामित : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 से मार्च 1990 तक की अवधि के दौरान गुजरात सरकार और सूरत जिला पंचायत को रेशम-कीट पालन के लिए राष्ट्रीय रेशम विकास निगम द्वारा कितनी राशि का अनुदान दिया गया;

(ख) गुजरात के सूरत तथा अन्य जिलों में उस भू-क्षेत्र का ब्यौरा क्या है जहां रेशम कीट पालन किया जा रहा है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान हुए कुल रेशम उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी शून्य। राष्ट्रीय रेशम विकास निगम के नाम में कोई संगठन नहीं है।

(ख) सूरत जिले में 86 एकड़ क्षेत्र में शहतूत का रोपण किया गया है। गुजरात में जिन अन्य जिलों में रेशम उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है वे हैं मेहसाना, खेड़ा, बड़ोदरा, भड़ोंच, वलसाड, साबर कांठा, पंचमहल, और अहमदाबाद जहां कुल 251 एकड़ क्षेत्र में शहतूत का रोपण किया गया है।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान गुजरात में कच्चे रेशम का कुल उत्पादन 218 किलोग्राम हुआ था।

उड़ीसा में धान की विवशतापूर्ण बिक्री

[अनुवाद]

3396. श्री ए. एन. सिंह देव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में भारी मात्रा में, धान की मजबूर होकर बिक्री किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादक से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उड़ीसा के विभिन्न केन्द्रों पर विभिन्न एजेन्सियों द्वारा धान की कितनी मात्रा खरीदी गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) उड़ीसा में विहित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप धान की कोई मजबूरन बिक्री करने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

खरीफ विपणन मौसम, 1989-90 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने धान की खरीदारी करने के लिए बालासोर, गंजम, कोरापुट, सम्बलपुर, कालाहांडी और बोलनगीर के छः जिलों में क्रय केन्द्रों के रूप में घोषित भारतीय खाद्य निगम के 20 डिपुओं के अलावा, उड़ीसा सरकार द्वारा निर्णीत 23 क्रय केन्द्र चलाए हैं। पिछले खरीफ विपणन मौसम 1988-89 के दौरान केवल 36 केन्द्र चलाए गये थे। इसके अतिरिक्त, अन्दरूनी इलाकों में किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए पूर्व-निश्चित दिनों को बालासोर जिले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा दो चलते-फिरते वसूली केन्द्र भी चलाए गए। भारतीय खाद्य निगम ने 1989-90 में उड़ीसा में 100 मीटरी टन धान की वसूली की थी जबकि 1988-89 के दौरान 7 मीटरी टन धान की वसूली की गई थी। राज्य की एजेन्सियों द्वारा कोई वसूली नहीं की गई थी।

भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार तथा उनकी एजेन्सियों द्वारा आपस में सहमत क्षेत्रों में वसूली परिचालन किये जाते हैं। सरकार किसानों द्वारा समर्थन/वसूली मूल्यों पर बिक्री के लिए पेश की गई विहित विनिर्दिष्टियों की समस्त धान खरीद लेती है। आगामी विपणन मौसम के दौरान उड़ीसा में धान/चावल की वसूली करने विषयक नीति के बारे में 10.8.90 को हुई एक बैठक में उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्लाईवुड फैक्टरियों के श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत शामिल करना

3397. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्लाईवुड फैक्टरियों के श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है और यदि हां, तो उनके नाम, उन्हें इस योजना में शामिल करने की तारीख आदि का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या ये फैक्टरियां नैमित्तिक और दिहाडी मजूरी पर मजदूरों को रोजगार पर रख रही हैं और ऐसे मजदूर वर्ग को धोखेबाजी से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन सदस्यता और लाभों से जानबूझकर वंचित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उनके हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवास विकास वित्त निगम का कार्यकरण

3398. **श्री नकुल नायक :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास विकास वित्त निगम ने विभिन्न राज्यों में अपनी शाखाएं स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये शाखाएं इन राज्यों में आवासीय समस्या को दूर करने में किस हद तक सफल हुई हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आवास विकास वित्त निगम द्वारा उड़ीसा में तथा अन्य राज्यों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए आवेदकों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) । (क) और (ख) 1977-78 में स्थापित किए गए आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड (एच डी एफ सी), जिसका पंजीकृत कार्यालय बम्बई में है, ने अब तक 16 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 24 शाखाएं स्थापित की हैं । खोली गई शाखाओं की सूची विवरण-1 में दी गई हैं ।

(ग) इसकी शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के जरिए, आवास विकास वित्त निगम 1828 शहरों, कस्बों, आर्थिक विकास के नए उभर रहे क्षेत्रों और सम्पूर्ण देश में फैले हुए पिछड़े क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करने के लिए ऋण मुहैया करने में समर्थ रहा है ।

(घ) आवास विकास वित्त निगम ने अब तक लगभग 4 लाख उधार लेने वालों को ऋण दिया है । इसके प्रारम्भ होने से, एच डी एफ सी द्वारा 31-3-1990 तक 2089.35 करोड़ रुपये के संचयी ऋण स्वीकृत किए गए हैं । ऋणों का राज्य-वार वितरण विवरण-2 में दिया गया है । पिछले तीन वर्षों के दौरान(1987-88से 1989 तक), आवास विकास वित्त निगम ने उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में उधार लेने वालों के लिए 1241.28 करोड़ रुपये की राशि के ऋण स्वीकृत किए हैं । इस अवधि के दौरान स्वीकृत की गई इकाईयों की संख्या 2,00,809 है । इस अवधि के दौरान 979.78 करोड़ रुपये की राशि का ऋण संवितरण किया गया ।

विवरण-1

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में एच डी एफ सी की शाखाएं ।

राज्य	शाखा
1. महाराष्ट्र	1. बम्बई
	2. परेल
	3. पुणे
	4. वशी (न्यू बम्बई)
	5. नासिक
2. पश्चिम बंगाल	6. कलकत्ता

3. तमिलनाडु	7. मद्रास
	8. कोयम्बतूर
4. दिल्ली	9. नई दिल्ली
5. कर्नाटक	10. बंगलौर
	11. हुबली
6. गुजरात	12. अहमदाबाद
	13. बड़ोदरा
7. केरल	14. कोचीन
	15. त्रिवेन्द्रम (तिरुवन्तपुरम)
8. आंध्र प्रदेश	16. हैदराबाद
	17. विशाखापत्तनम
9. मध्य प्रदेश	18. इन्दौर
10. उत्तर प्रदेश	19. लखनऊ
11. राजस्थान	20. जयपुर
12. उड़ीसा	21. भुवनेश्वर
13. असम	22. गुवाहाटी
14. हरियाणा	23. चंडीगढ़
15. पंजाब	—वही—
16. बिहार	24. जमशेदपुर

विवरण—2

राज्य	संचयी स्वीकृतियां (रुपये करोड़ में)
महाराष्ट्र	785.58
गुजरात	162.34
गोवा	4.04
दमन	0.03
आंध्र प्रदेश	118.03
कर्नाटक	210.02

केरल	77.96
पांडिचेरी	1.32
तमिलनाडु	197.66
दिल्ली	138.38
हरियाणा	22.11
हिमाचल प्रदेश	12.27
जम्मू और कश्मीर	0.04
मध्य प्रदेश	48.95
पंजाब	20.04
राजस्थान	31.06
उत्तर प्रदेश	173.06
असम	28.72
बिहार	12.45
उड़ीसा	29.15
प. बंगाल	72.27
अन्य	0.98

(मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आदि ।

रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत एम. आई. जी. भूखण्डों का आबंटन

3399. श्री राज मंगल मिश्र : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1989 में उन आवेदकों की कोई प्राथमिकता सूची तैयार की थी जिन्होने वर्ष 1981 में रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत एम. आई. जी. (6090 मीटर) के भूखण्डों के आबंटन हेतु आवेदन किया था तथा जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत पहले आबंटन नहीं किया गया था; और

(ख) प्राथमिक सूची में शामिल शेष आवेदकों को कब तक भूखण्ड आबंटित कर दिये जायेंगे ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) अगले 4-5 वर्षों के दौरान ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सांस्थानिक क्षेत्रों में भूखंडों का आवंटन

3400. श्री रामजी लाल सुमन : क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिणी दिल्ली में विकसित सांस्थानिक क्षेत्रों के बारे में 5 सितम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4975 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त सांस्थानिक क्षेत्रों में आवंटित न किए भूखण्डों को आवंटित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह भूखंड कब और किन व्यक्तियों को आबंटित किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो अभी जिन भूखंडों को आवंटित किया जाना है उनका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन

3401. श्री बागुन सुम्बुरुई : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उनके लिए निर्धारित कोटे के अनुसार दुकान आबंटित करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दुकानों के आवंटन का शापिंग सेन्टर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 448 दुकानों/स्थलों का आवंटन किया गया है। ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवंटित की गई दुकानों/स्टालों के विपणन केन्द्रवार ब्यौरे

विपणन केन्द्र का नाम	आबंटित की गई दुकानों की संख्या
1	2
ब्लाक बी, यमुना विहार में सी एस सी	10

1	2
डिफेन्स इन्कलेव में सी एस सी	8
सी एच बी एस, भटनगर में सी एस सी	6
प्रीत विहार में एल एस सी	2
पाकेट एच, दिलशाद गार्डन में सी एस सी	2
फेस-11, झिलमिल में सी एस सी	6
स्कीम नं. 565, पाकेट-11, त्रिलोकपुरी में एल एस सी	5
तिमारपुर (नेहरू विहार) में सी एस सी	12
स्कीम न. 2, सैक्टर-8, रोहिणी में सी एस सी	11
ब्लाक-सी, सरस्वती विहार में सी एस सी	5
ब्लाक बी (पूर्वी) शालीमार बाग में एल एस सी	9
ब्लाक बी (प्रीतमपुरा), लोक विहार में सी एस सी	4
आदर्श भवन सोसाइटी, पंजाबी बाग (एक्सटेंशन) में एल एस सी	4
के. जी. 1, बोडेला में मिनी शोपिंग सेन्टर	2
ब्लाक बी, बोडेला में सी एस सी	14
ब्लाक ए-1 (जी एक) पश्चिम पुरी में एल एस सी	20
रिवाड़ी लाइन में सी एस सी	12
मांगल राय में आर बी सी	15
राजेन्द्रा प्लेस में हाग मार्किट	5
पाकेट ई. ए., राजौरी गार्डन में सी एस सी	3
कीर्ति नगर में एल एस सी	5
अवन्तिका में सी एस सी	30
ब्लाक एफ (एफ एफ), फेज-1, वजीरपुर में एल एस सी	1
साइट नं. 5, फ्रैन्ड्स कालोनी में सी एस सी	1
सैक्टर-6, आर. के. पुरम में सी एस सी	9
कैटल शेल्टर, मसूदपुर में सी एस सी	3
सुखदेव विहार में सी एस सी	9

1	2
मदनगीर अपोजिट खानपुर में सी एस सी	1
मधुबन में सी एस सी	1
स्वास्थ्य विहार में सी एस सी	4
पाकेट-3, मयूर विहार में सी एस सी	1
स्कीम नं. 1224, समीप सी सी, कालकाजी एल एस सी	3
स्कीम नं. 1078, प्लाट नं. 82, ई पी डी पी कालोनी कालकाजी में सी एस सी	2
भूतल, फेज-1, मायापुरी में शापिंग सेन्टर	4
रिवाड़ी लाइन (मायापुरी फेज-1) में सी सी	5
मोति बाग में सी एस सी	5
ब्लाक बी क्यू, शालीमार बाग में एल एस सी	8
ब्लाक बी, यमुना विहार में एल एस सी	3
पश्चिम पुरी एक्सटेंशन में सी एस सी	1
ब्लाक बी, जनकपुरी में सी सी	1
प्लाट नं. 15 तथा 16, फेज-1, सामुदायिक केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र, नारायणा में डबल स्टोरी दुकानें	3
निर्माण विहार में सी एस सी	4
फ्रैन्ड्स कालोनी में सी सी	8
नारायणा में एल एस सी	12
ब्लाक बी, कालकाजी में शापिंग कम कम्युनिटी सुविधाएं	1
मस्जिद मोठ में एल एस सी	1
शेख सराय में एल एस सी	2
फेज-11, मुनीरका में एल एस सी	2
यमुना विहार में सी एस सी	5
बाबरपुर में डबल स्टोरी आफिस कम दुकानें	4
फेज-11, पाकेट-4, शेख सराय में सी एस सी	1

1	2
आनन्द विहार में सी एस सी	3
विकासपुरी (सेन्ट्रल गवर्नमेंट लैंड एण्ड ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी) में सी एस सी	2
पाकेट-4, मयूर विहार में सी एस सी	4
प्लानिंग कमीशन (सी एच बी एस), योजना विहार में सी एस सी	6
नन्दनगरी में एल एस सी	4
फेज-11, मायापुरी में सुविधा केन्द्र	11
पश्चिम पुरी, निकट आर बी आई कालोनी में सी एस सी	5
ब्लाक ए-3, पश्चिमी पुरी में सी एस सी	5
सिद्धार्थ एन्कलेव में वाणिज्यिक परिसर	1
पाकेट-बी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन में सी एस सी	5
सरिता विहार में सी एस सी	16
बदरपुर में सी एस सी	4
सराय जुलैना (सी एच बी एस) में सी एस सी	9
अलकनन्दा में सी एस सी	4
लाडो सराय में सी एस सी	4
विजय मंडल एन्कलेव में एल एस सी	2
निकट एम एम एस एफ एस प्लांट, ईस्ट आफ कैलाश में सी एस सी	3
ब्लाक-ए (जी एफ), सरस्वती विहार में सी एस सी	8
लारेंस रोड में एल एस सी	8
ग्रामीण/शहरी, प्रीतमपुरा में सी एस सी	2
रोहिणी में सी एस सी	90

नगरों में परिवहन संबंधी व्यवस्था

3402. श्री नंद लाल मीणा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 में गठित योजना आयोग के महानगरीय परिवहन दल ने प्रमुख महानगरों के लिए यातायात और परिवहन संबंधी विस्तृत अध्ययन किया था और यातायात सेलों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी का ब्योरा क्या है; और उस पर की गई कार्रवाई ब्योरा क्या है; और

(ग) महानगरों और अन्य नगरों में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए नगरों में परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिये की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) महानगरीय परिवहन दल (एम टी टी) ने एक अन्तरिम रिपोट तैयार की है जिसमें मुख्य रूप से महानगरीय शहरों में सड़क विकास कार्यक्रमों को चौथी पचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इस दल ने एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के चार महानगरीय शहरों के लिये रेल आधारित योजनाओं के लिये एक व्यापक व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने की सिफारिश की। इस दल ने पांच से लेकर दस लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में यातायात कक्ष स्थापित करने का परामर्श दिया। इन चार शहरों में रेलवे के विशेष रूप से स्थापित महानगरीय परिवहन परियोजना प्रभाग ने यातायात की मांग को पूरा करने के लिये व्यापक रेल आधारित योजनाएं बनाने का कार्य प्रारम्भ किया तथा उन्हें तैयार किया। रेलवे द्वारा इन चार शहरों कुछ तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन भी किये गये। इनमें से, बम्बई में दो, दिल्ली में एक, मद्रास में एक तथा कलकत्ता में दो परियोजनाओं को रेलवे द्वारा कार्यान्वयन के लिये स्वीकृत किया गया।

संसाधनों के व्यापक नियंत्रणों के कारण बहुत सी प्रस्तावित योजनाओं को रेलवे द्वारा कार्यान्वयन के लिये स्वीकृत नहीं किया जा सका। कलकत्ता मेट्रो परियोजना तथा कलकत्ता सर्कुलर रेलवे को छोड़कर अभी तक बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली में परियोजनाओं के कुछ भाग को ही आरंभ किया जा सका। कुछ फुटकर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, विभिन्न महानगरीय तथा बड़े शहरों में शहरी परिवहन योजनाओं को भी निरन्तर आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग में खाद्य निरीक्षकों के पद

3403. श्री केशरी लाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन अपने खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग में खाद्य निरीक्षक के पद को, सार्वजनिक हित में, डी. ए. एस. एस. संवर्ग के ग्रेड-दो के साथ जोड़कर स्थानान्तरणीय बनाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो सार्वजनिक हित में इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) इस संबंध में लिया गया निर्णय कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में नर्सिंग स्कूल के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा

3404. श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में स्कूल आफ नर्सिंग का दर्जा बढ़ाया जाने के बारे में 8 अगस्त 1990 के अतारांकित प्रश्न सं. 345 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित नये "कालेज आफ नर्सिंग" के लिये उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या उन शिक्षकों को, जिनके पास इस समय आवश्यक अर्हताएं नहीं हैं, अपेक्षित अर्हताएं प्राप्त करने हेतु पर्याप्त सूचना दी जायेगी अथवा दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति ने अप्रैल, 1990 में इस संस्थान का दौरा किया। इस निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के मिलने के पश्चात ही आगे कार्यवाही की जायेगी।

(ख) और (ग) सभी अध्यापकों को नर्सिंग कालेज में समायोजित किया जायेगा बशर्ते कि कि उनकी अर्हताएं भर्ती नियमों के अनुसार हों। तथापि निरीक्षण समिति की रिपोर्ट मिलने के पश्चात ही ब्योरा ज्ञात होगा।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का रख-रखाव

3405. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के अनुचित रख-रखाव, इन गोदामों में रखे गए स्टाक की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में उचित देखभाल का अभाव तथा यहां धुआं देने की व्यवस्था के अभाव जिसके कारण खाद्यान्न सड़ जाता है, के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में खाद्यान्नों के उचित रख-रखाव के बारे में शिकायतें यदा-कदा की जाती हैं। खाद्यान्नों का भारी मात्रा में भंडारण और ढुलाई करने की किसी भी प्रणाली में भंडारण और मार्गस्थ में कुछेक प्रतिशत हानियां हो ही जाती हैं। तथापि, निगम द्वारा ऐसी हानियों को कम करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। भंडारण हानियां, जोकि वर्ष 1984-85 में 0.60 प्रतिशत की रेंज में होती थीं, उन्हें अब वर्ष 1988-89 में कम करके 0.30 प्रतिशत के स्तर पर जोर देकर और निरीक्षण की नियमित प्रणाली द्वारा ही ऐसा संभव हुआ है। निगम खाद्यान्नों

के संवरण में उच्च स्तरीय कार्यकुशलता को बनाए रखने के अपने प्रयासों को जारी रख रहा है।

पूर्वी दिल्ली की कालोनियों में बिजली और पानी की सुविधाएं

[हिन्दी]

3406. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी दिल्ली में इस समय कितनी कालोनियां विकसित हैं और दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत हैं;

(ख) क्या इन कालोनियों में बिजली और पेय-जल की सुविधाएं या तो उपलब्ध हो नहीं करायी गयी हैं या जहां उपलब्ध करायी गयी हैं तो वहां ये सुविधाएं सन्तोषजनक नहीं हैं; और

(ग) सरकार का ऐसी सभी कालोनियों में इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 252

(ख) और (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि इन सभी कालोनियों में बिजली मुहैया की गई है। दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि 246 कालोनियों में पेय जल आपूर्ति की गई है और यह संतोषजनक है। शेष 6 कालोनियों में, जलपूर्ति नहीं की गई है चूंकि, निवासियों ने अनुमानित विकास शुल्क के 25% का आरम्भिक विक्षेप कर अभी तक भुगतान नहीं किया है। इस सुविधा का प्रावधान, इस प्रकार की कालोनियों के निवासियों द्वारा आरम्भिक निक्षेप देने के बाद दिया जाता है।

तीस्ता बांध परियोजना

[अनुवाद]

3407. श्री पलास बर्मन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में तीस्ता बांध परियोजना का इसके उद्देश्यों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) अभी तक हुए निर्माण-कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के लिए निश्चित की गई धनराशि और इस पर पूर्व में व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) तीस्ता बराज परियोजना-चरण-एक के प्रथम उप-चरण को योजना आयोग ने 1975 में अनुमोदित किया था जिसमें पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दीनाजपुर तथा मालदा जिलों में 3.8 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गई है।

(ख) जबकि तीस्ता महानन्दा लिंक नहर, महानन्दा मुख्य नहर नायक तीन बराजों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा डोक नगर मुख्य नहर तथा वितरण प्रणालियों का निर्माण कार्य पूरा होने के विभिन्न स्तरों पर है।

(ग) 510 करोड़ रुपए (1987) की संशोधित अनुमानित लागत में से मार्च, 1990 तक 329 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 1990-91 के लिए 20 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ?

हथकरघा और विद्युत करघा पर ऋणों की माफी

3408. श्री जी. एम. बनातवाला :

श्री आर. जीवरत्नम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्र का ऋण माफ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) ऋण समाप्त करने की योजना में अन्य बातों के साथ के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के बुनकरों को भी शामिल किया गया है।

(ख) (1) भारत सरकार ने 'कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 नामक एक योजना की घोषणा की है। इस योजना में किसानों, भूमिहीन कृषकों, कारीगरों तथा बुनकरों को 10,000 रु. तक के ऋण की राहत देने की व्यवस्था है।

(2) यह योजना सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा चलाई जाती है।

(3) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे सहकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए इसी प्रकार की योजना बनाई।

(4) केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए गए ऋणों के संबंध में ऋण राहत देने का पूरा दायित्व निभाएगी।

(5) राज्य क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए गए ऋणों के बारे में केन्द्रीय सरकार कुल राहत सहायता के 50 प्रतिशत भार का वहन करेगी।

वनस्पति उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

3409. श्री बालासाहिब विखेपाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या वनस्पति उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो नए वनस्पति कारखाने स्थापित करने के लिए जारी किए गए मार्ग-निर्देश क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नए वनस्पति एकक स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं—

(i) तिलहन उत्पादकों की सहकारिताएं, कृषि उद्योग, भूतपूर्व सैनिकों की सहकारिताएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सहकारिताएं;

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र;

(iii) निजी क्षेत्र।

चीनी का निर्यात और खपत

3410. श्री शांति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

श्री पी. एम. सईद :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी का निर्यात करने का विचार है यदि हां, तो कितनी मात्रा में निर्यात करने का विचार किया गया है और इससे (विदेशी मुद्रा) की कितनी आय होगी तथा यह आय किस सीमा तक खाद्य तेलों और अन्य जिन्सों के आयात में होने वाले व्यय को पूरा करेगी;

(ख) चालू वर्ष के दौरान चीनी के उत्पादन और इसके अतिरिक्त (बफर) स्टाक की तुलना में, देश में चीनी की अनुमोनित खपत कितनी होगी;

(ग) मार्च, 1990 से महीने वार खुली बिक्री तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने के लिए कितनी-कितनी मात्रा में चीनी जारी की गई; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप चीनी के मूल्य किस सीमा तक नियन्त्रण में बने रहे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) चालू चीनी वर्ष 1939-90 (1 अक्तूबर 89 से 30 सितम्बर 1990) के दौरान 52676 मीटरी टन चीनी का निर्यात करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) 1989-90 के चीनी वर्ष के दौरान निर्यात सहित चीनी का अनुमानित उत्पादन और उपयोग क्रमश: 109 लाख मीटरी टन और 104.75 लाख मीटरी टन बैठेगा। चीनी वर्ष के अन्त में पूर्वावशिष्ट स्टाक लगभग 17.95 लाख टन बैठेगा।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

	लेवी	मुक्त बिक्री	जोड़ (लाख मीटरी टन में)
मार्च, 1990	3.32	5.50	8.82
अप्रैल, 1990	3.32	6.00	9.32
मई, 1990	3.33	6.20	9.53
जून, 1990	3.33	6.00	9.33
जुलाई, 1990	3.33	6.00	9.33
अगस्त, 1990	3.33	6.00	9.33
सितम्बर, 1990	3.83	6.25	10.08
	23.79	41.95	65.74

(घ) पिछले कुछ महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में चीनी की कीमतें सामान्यतया स्थिर रहीं।

दृष्टिहीन और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए खुला विश्वविद्यालय

3411. **श्री एस. बी. थोरट :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं योजना के दौरान दृष्टिहीनों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु एक खुला विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दृष्टिहीनों और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के कल्याण हेतु और कौन सी योजनायें प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) सरकार कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में दृष्टि विकलांगों, बहरों एवं श्रवण विकलांगों तथा अस्थि विकलांगों प्रत्येक के लिए 1% के आरक्षण का प्रावधान करने तथा सार्वजनिक भवनों और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में विकलांगों को पहुंचने की सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है।

खाड़ी के देशों से भारतीय श्रमिकों को निकालना

3412. श्री टी. बशीर : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाड़ी के कुछ देश अपने श्रम कानूनों को सख्ती से लागू कर रहे हैं जिससे विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से देश हैं और प्रत्येक देश में अनुमानतः कितने श्रमिक प्रभावित होंगे;

(ग) खाड़ी के देशों से भारतीय श्रमिकों का निष्क्रमण तुरन्त रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि इससे देश में विशेषकर केरल में सामाजिक समस्याएं पैदा होंगी; और

(घ) इन श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) भारत सरकार को यमन अरब गणराज्य में श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करने के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है परन्तु वहां स्थित भारतीय कर्मकार इससे प्रभावित नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) खाड़ी क्षेत्र में वर्तमान स्थिति के कारण बहुत से प्रवासी कर्मकार वापस आ गए हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों को इस मामले की जानकारी है और वे हरसंभव मदद दे रहे हैं।

त्रिवेन्द्रम विकास प्राधिकरण को हुडको से सहायता

3413. श्री वक्कम पुरुषोत्तम : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूलभूत सफाई योजना के अन्तर्गत दो गड्डे वाले शौचालयों का निर्माण करने के लिए त्रिवेन्द्रम विकास प्राधिकरण ने हुडको को कोई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) क्या त्रिवेन्द्रम विकास प्राधिकरण ने हुडको से इस मामले में अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने तथा इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पूरी अनुमानित लागत हेतु ऋण मंजूर करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) त्रिवेन्द्रम विकास प्राधिकरण

के मार्च, 1989 में ऋण सहायता हेतु 38.24 लाख रुपये की परियोजना लागत से कम लागत की 1750 स्वच्छता एककों के निर्माणार्थ आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) को कम लागत की एक स्वच्छता ये प्राप्त हुई थी। हुडको ने अपने मूलभूत स्वच्छता ये योजना मार्ग निर्देशनों के अन्तर्गत 6 प्रतिशत ब्याज की शुद्ध दर पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत 12 वर्षों में पुनर्भुगतान पर वित्त व्यवस्था करने 19.12 लाख रुपये की सीमा तक ऋण सहायता के लिए 18.8.1989 को इस योजना को स्वीकृति दी थी 1 मार्च, 1990 में त्रिवेन्द्रम विकास प्राधिकरण ने सम्पूर्ण अनुमानित लागत की वित्त-व्यवस्था करने का इस आधार पर हुडको से प्रस्ताव किया है कि लाभभोगी शेष लागत का योगदान करने की स्थिति में नहीं है और क्योंकि केवल राज्य सरकार तथा त्रिवेन्द्रम विकास प्राधिकरण भी इसके लिए वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है। हुडको ने त्रिवेन्द्रम विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि इस प्रकार का अनुरोध मानदण्डों से परे है परन्तु आवास सुधार योजना के लिए निर्धारित उच्चतर ब्याज दर पर इस पर विचार किया जा सकता है। हुडको के निर्णय से त्रिवेन्द्रम विकास प्राधिकरण को आगे की आवश्यकता कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है।

तमिलनाडु में शहरी विकास योजना के लिए हुडको द्वारा वित्तीय सहायता

3414. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में शहरी विकास योजनाओं में किन्हीं परियोजनाओं को शामिल किया है जिन्हें हुडको द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन जिलों/कस्बों के क्या नाम हैं जिन्हें ऐसी योजनाओं की प्राथमिकता सूची में शामिल किया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, हां। विभिन्न राज्य तथा स्थानीय एजेंसियों के शहरी मूलभूत सुविधा योजनाओं को हुडको द्वारा उधार देने के लिए अपने मानदण्डों के अनुसार वित्त व्यवस्था की जाती है। विभिन्न कस्बों में योजनाओं का पता लगाना तथा उसके पश्चात् स्वीकृत करने का काम राज्य सरकार का है। सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए तमिलनाडु के नगर/शहर वार हुडको द्वारा स्वीकृत निम्न लागत वाली सफाई सम्बन्धी केन्द्रीय योजना सहित शहरी मूलभूत सुविधा के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण—1

तमिलनाडु में स्वीकृत शहरी मूलभूत सुविधा योजना के ब्यौरे की विस्तृत सूची।

13.8.1990 की स्थिति के अनुसार (लाख रुपयों में)

क्र. सं.	योजना की संख्या व तिथि	योजना का नाम	राज्य	एजेन्सी	शहर	परियोजना लागत	ऋण की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	6760	कोयाबेडू मद्रास में	तमिलनाडु	एमएमडी	मद्रास	3937.65	1500.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	30.8.89	चोक बाजार कम्पलेक्स					
1.	7066 8.2.89	कच्चा पानी निकालने की मद्रास प्रसारण तथा वितरण प्रणाली योजना	-वही-	एमएमडब्ल्यू एण्ड एस बी	-वही-	1510.44	1057.28
3.	7067 8.2.89	सेलम जलपूर्ति योजना प्रसारण मुख्य	-वही-	टीडब्ल्यूएडी	सेलम	2220.13	1063.60
4.	7069 8.2.90	मदुरै जलपूर्ति संवर्धन योजना	-वही-	-तदैव-	मदुरई	684.00	362.26
5.	7252 22.3.90	सेलम जल आपूर्ति संवर्धन योजना	-वही-	-वही-	सेलम	227.74	124.14
6.	7386 31.3.90	मद्रास प्रसारण तथा वितरण	-वही-	एमएमडब्ल्यू एण्ड एस बी	मद्रास	5370.28	3750.00
		जोड़				13950.96	7857.28

विवरण-2

कम लागत स्वच्छता योजना

1. विल्लुपुरम
2. अम्बाट्टूर
3. चिदम्बरम्
4. गुडियायम
5. रानीपत
6. थ्रीरूवन्नामलाई
7. तिरुपायुर
8. रैवीपुरम
9. त्रिचूर
10. गोल्डेनराक
11. श्रीरंगम्
12. मायलादुथुरई
13. विरुधपुर
14. बोदिनायकनूर
15. देवाकोटाय
16. पेरियाकुलम
17. श्री विल्लीपुथूर
18. नागरकोइल
19. मेलापालयम
20. कोइलपट्टी
21. पलायमकोटाय

दिल्ली में सड़कों पर खुदाई कार्य

3415. श्री जगन्नाथ सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा दिल्ली में समय-समय पर अव्यवस्थित तरीके से सड़कों की खुदाई करने तथा सड़क की इस पट्टी को बिना मरम्मत किये हुए छोड़ देने के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या इन एजेंसियों के बीच कोई समन्वय नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि दिल्ली में इन तीनों एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय हो तथा केबल बिछाने के बाद खुदी हुई सड़कों की शीघ्र मरम्मत हो जाये ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि सड़कों पर खुदाई कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा सड़क खुदाई के लिए तैयार की गई इंटर-युटिलिटी आचरण-संहिता में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, जिसने एक समन्वय समिति गठित की है जिसमें, दिल्ली में केबल बिछाने वाले विभिन्न अभिकरणों से सड़क पर खुदाई कार्य के संबंध मे तालमेल रखा जाता है।

मध्य प्रदेश में भारतीय रूई निगम के खरीद केन्द्र

[हिन्दी]

3416. श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रूई निगम द्वारा मध्य प्रदेश में कितने नये खरीद केन्द्र खोले जायेंगे तथा इनका ब्योरा क्या है;

(ख) भारतीय रूई निगम मध्य प्रदेश में किन-किन किस्मों की रूई खरीद रहा है;

(ग) क्या देवास जिले की बागली तहसील के किसानों से जे. के. एच.-1 और वरलक्ष्मी किस्मों की रूई खरीदने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो ये किस्में किन-किन खरीद केन्द्रों से खरीदी जायेंगी, और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार और भारतीय रूई निगम की नीतियों से किसान किस प्रकार लाभान्वित होंगे ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) भारतीय कपास निगम का रूई मौसम 1990-91 के दौरान रूई की वाणिज्यिक खरीद करने के लिए मध्य प्रदेश में रतलाम में एक नया खरीद केन्द्र खोलने का विचार है। फिर भी, कीमत समर्थन कार्य करने की

संभावित आवश्यकता को देखते हुए सी सी आई का मध्य प्रदेश में आठ खरीद केन्द्र अर्थात् खरगोन जिले में बिस्तन, बडवानी, धारा, महेश्वर और सेगांव, धार जिले में धर्मापुरी, होशंगाबाद जिले में टिमेबर्नी और देवास जिले में लौहारा में खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) सी सी आई ने वर्ष 1989-90 मौसम के दौरान मध्य प्रदेश से कपास की एच-4, वाई-1 मैक-11 और डी सी एच-32 किस्मों की खरीद की।

(ग) सी सी आई देवास जिले के बागली तहसील के किसानों से कपास की जे के एच वाई-1 और वारालक्ष्मी किस्मों की खरीद तभी करेगा जब इसकी क्वालिटी ठीक हो और सी सी आई को इसकी वाणिज्यिक खरीदारी के लिए मांग प्राप्त हो अथवा कीमत समर्थन प्रचालनों के लिए इसकी आवश्यकता हो।

(घ) सी सी आई वाणिज्यिक खरीदारियों के मामले में कम्पीट से और समर्थन कीमत प्रचालनों के मामले में सौहार्द से देवास के किसानों से कपास की खरीद करेगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वनस्पति तेल का उत्पादन

3417. श्री राधा मोहन सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति तेल की फैक्टरियों का राज्य वार ब्योरा क्या है; वर्ष 1989-90 के दौरान वनस्पति तेल के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान वनस्पति तेल के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) वनस्पति तेल की फैक्टरियों के ब्योरे के बारे में एक विवरण संलग्न है।

1989-90 के दौरान वनस्पति तेल के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। 1989-90 के दौरान सभी स्रोतों से वनस्पति तेल का उत्पादन 54 लाख मी. टन होने का अनुमान है।

(ख) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	औद्योगिक (विकास और विनियमन अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त एकक	विलायक निष्कर्षित तेल (एस ई ओ) नियंत्रण आदेश के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त एकक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	47	84

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	1	5
4.	बिहार	1	8
5.	गोवा	1	—
6.	गुजरात	69	77
7.	हरियाणा	5	26
8.	हिमाचल प्रदेश	—	2
9.	जम्मू तथा कश्मीर	—	2
10.	कर्नाटक	33	46
11.	केरल	5	7
12.	मध्य प्रदेश	31	71
13.	महाराष्ट्र	86	44
14.	मणिपुर	—	—
15.	मेघालय	—	—
16.	मिजोरम	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—
18.	उड़ीसा	4	11
19.	पंजाब	26	68
20.	राजस्थान	12	9
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडु	24	43
23.	त्रिपुरा	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	29	47
25.	पश्चिम बंगाल	10	19
26.	अंडमान तथा नि. द्वीप समूह	—	—

1	2	3	4
27.	चण्डीगढ़	—	+
28.	दादर तथा नगर हवेली	—	—
29.	दिल्ली	4	—
30.	दमण	—	—
31.	दीव	—	—
32.	लक्षद्वीप	—	—
33.	पांडिचेरी	2	4

एन्ड्रोलाजिकल विभाग

[अनुवाद]

3418. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने अस्पतालों में एन्ड्रोलोजिकल विभाग कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का और अधिक अस्पतालों में ऐसे विभाग शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) एन्ड्रोलाजी पुरुष गठन और पुरुष यौन अंगों के रोगों का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। अस्पतालों में अलग एन्ड्रोलाजिकल विभाग नहीं हैं। बहरहाल, यौन सम्बन्धी समस्याओं वाले पुरुष रोगियों का हर स्तर पर संबंधित डाक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है और यदि आवश्यक होता है तो उन्हें एंड्रोक्रिनोलाजी/एस. टी. डी. विभाग, जो हारमोनल और यौन संबंधित समस्याओं की विशिष्ट जांच और सलाह के लिए हैं भेज दिया जाता है।

नशे की लत छुड़ाने की सुविधाएं

3419. श्री प्रताप राव बी. भोसले : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी संख्या में नशीली दवाइयों के आदी व्यक्तियों को देश में उपलब्ध नशे की लत छुड़ाने की सुविधाओं की जानकारी नहीं है,

(ख) क्या नशीली औषधियों के खतरे को रोकने के लिए देश में उपलब्ध नशे की लत छुड़ाने की सुविधाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे,

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) देश में नशे की लत छुड़ाने की सुविधाओं से संबंधित सूचना सभी अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त निव्यसन केन्द्रों के पते देने वाले पम्फलेट भी मुद्रित किए जाते हैं तथा उनका व्यापक वितरण किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा इन केन्द्रों में उपचार प्रदान किए गए व्यसनी तथा अन्य व्यक्ति भी उनके सम्बन्धी में जानकारी को फैलाते हैं।

पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण

3430. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य को खाद्य पदार्थों की सप्लाई के सम्बन्ध में उत्पन्न की जाने वाली समस्याओं की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार हेतु क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) जी हां। राज्य में कुल स्टाक स्थिति सुगम होने के बावजूद औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं के कारण कुछेक डिपुओं में खाद्यान्नों के स्टाक की यदाकदा कमी होने और इसके उपलब्ध न होने, कुछ स्टाक, जो विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं था, का प्रेषण करने और उपलब्ध स्टाक की गुणवत्ता राज्य की तरजीह के अनुरूप न होने के बारे में समस्याएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं।

(ग) सरकार/भारतीय खाद्य निगम के ध्यान में समय-समय पर लाई गई समस्याओं पर तत्परता से विचार किया गया है और उनका यथा सम्भव समाधान कर दिया गया है। इस वर्ष गेहूं और चावल दोनों की बहुत अच्छी वसूली होने के कारण स्टाक की उपलब्धता स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है। तथापि, कुछेक ऐसी समस्याओं, जिनका भारतीय खाद्य निगम के स्तर पर समाधान नहीं किया जा सका था, को हल करने के लिए विशेषतया औद्योगिक सम्बन्धों से संबंधित समस्याओं के बारे में राज्य सरकार का सहयोग मांगा गया है ताकि सभी डिपुओं से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नियमित आपूर्तियां सुनिश्चित की जा सकें। जहां तक स्टाक की गुणवत्ता का सम्बन्ध है, भारतीय खाद्य निगम से कहा गया है कि वे विनिर्दिष्टियों के अनुरूप स्टाक का प्रेषण करना सुनिश्चित करने के लिए उपाय करें और राज्य सरकार को अनुमति दी गई है कि वे विहित विनिर्दिष्टियों से निम्न श्रेणी के पाए गए स्टाक को प्राप्त न करें।

सिंचाई के लिए केन्द्रीय नियतन

3421. श्री श्री. प्रमात : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1989-90 के दौरान कुल कितनी भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को, राज्य-वार दी गई अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान सतही तथा भूजल दोनों संसाधनों द्वारा उड़ीसा राज्य में सृजित सिंचाई क्षमता लगभग 57.13 हजार हेक्टेयर है।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान राज्यों के लिए योजनागत परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1989-90 के दौरान सिंचाई पर योजनागत परिव्यय (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	295.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.12
3.	असम	67.32
4.	बिहार	389.12
5.	गोवा	25.51
6.	गुजरात	363.00
7.	हरियाणा	80.95
8.	हिमाचल प्रदेश	20.80
9.	जम्मू और कश्मीर	28.86
10.	कर्नाटक	214.84
11.	केरल	69.00

1	2	3
12.	मध्य प्रदेश	399.44
13.	महाराष्ट्र	529.80
14.	मणिपुर	22.15
15.	मेघालय	3.00
16.	मिजोरम	1.93
17.	नागालैण्ड	3.10
18.	उड़ीसा	180.54
19.	पंजाब	54.14
20.	राजस्थान	159.79
21.	सिक्किम	2.00
22.	तमिलनाडु	71.47
23.	त्रिपुरा	11.05
24.	उत्तर प्रदेश	404.40
25.	पश्चिम बंगाल	83.03
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1.20
2.	चण्डीगढ़	0.00
3.	दादर और नगर हवेली	0.60
4.	दिल्ली	0.30
5.	दमन और द्वीव	1.12
6.	लक्षद्वीप	0.00
7.	पाण्डिचेरी	1.40

आंध्र प्रदेश की पोलावरम बहुद्देशीय परियोजना

3422. श्री रामकृष्ण कोंताला :
श्रीमती के. जमुना :
क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है; और

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन में देरी होने के कारण इसकी लागत में वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) केन्द्र में 7/80 में प्राप्त हुई 3030 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की पोलावरम परियोजना की रिपोर्ट राज्य सरकार को 8/90 में लौटा दी गई थी क्योंकि राज्य ने दिसम्बर, 1987 में सूचित की गई केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना नहीं की थी ।

पानी को शुद्ध करना

3423. श्री राजवीर सिंह :

श्री विद्याधर गाडगिल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीमारियों की रोकथाम और लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष मानसून प्रारम्भ होने से पहले पानी को शुद्ध करने की कोई प्रक्रिया अपनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ग) जी नहीं ।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

हिमाचल प्रदेश को खाद्य पदार्थों की सप्लाई

[हिन्दी]

3424. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश को गत चार महीनों के दौरान महीने वार मांग की तुलना में कितना खाद्यान्न आबंटित किया गया;

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के माध्यम से इन मदों को बेचने के मूल्य के बारे में क्या निर्देश जारी किए गये हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने खाद्यान्न की यह मात्रा उठा ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) हिमाचल प्रदेश द्वारा मई से अगस्त 1990 तक चावल तथा गेहूं के लिए की गई मांग तथा उन्हें आबंटित की गई इन वस्तुओं की मात्रा का मासवार विवरण नीचे दिया गया है :—

(मी. टनों में)

महीना	चावल		गेहूं	
	मांग	आबंटन	मांग	आबंटन
मई, 90	6500	6500	10,000	10,000
जून, 90	6500	6500	10,000	10,000
जुलाई, 90	6500	6500	10,000	10,000
अगस्त, 90	6500	6500	10,000	10,000

(ख) राज्य सरकारों को चावल व गेहूं केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर दिये जाते हैं। राज्य सरकारें बाद में उन मूल्यों को नियत करती हैं, जिन पर ये वस्तुएं मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों दोनों में उचित दर दुकानों के जरिये बेची जाती है। देश में केवल समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों के लिये चावल व गेहूं के अन्तिम खुदरा मूल्य हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मई, जून व जुलाई, 1990 के महीनों के लिये उठाई गई चावल तथा गेहूं की मात्रा इस प्रकार है :—

(मी. टन में)

महीना	चावल	गेहूं
मई, 1990	5,900	5,800
जून, 1990	5,600	5,400
जुलाई, 1990	4,500	5,800
अगस्त, 1990	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

पश्चिम बंगाल में बन्द कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना

[अनुवाद]

3425. श्री चित्त बसु : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चीनी का मूल्य

3426. श्री हेत राम : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद इसके मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 के प्रारम्भ से चीनी के मूल्यों में कितनी वृद्धि होती रही है और वर्ष 1989 की इसी अवधि की तुलना में यह वृद्धि कितनी कम या अधिक है,

(ग) वर्ष 1989 में हुए चीनी के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष का उत्पादन कितना है,

(घ) सरकार द्वारा चीनी की खुली बिक्री का कोटा बढ़ाये जाने सबंधी प्रोत्साहन से चीनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इससे चीनी के मूल्यों को नियंत्रित करने में कितनी सहायता मिली है और

(ङ) चीनी के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) पिछले कुछ महीनों के दौरान चीनी की कीमतें सामान्यतया स्थिर रहीं। 1988-89 और 1989-90 चीनी मौसम के दौरान चीनी की तुलनात्मक कीमतें संलग्न विवरण में दर्शायी गई हैं।

(ग) और (घ) चालू मौसम 1989-90 के दौरान दिये गये प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप दिनांक 7.8.90 को चीनी का उत्पादन, पिछले मौसम की इसी तारीख को 86.61 लाख टन की तुलना में, 108.64 लाख टन हो गया है जो पिछले उत्पादन से 25.44 प्रतिशत अधिक है। उत्पादन में वृद्धि से चीनी की कीमतें स्थिर रखने में सहायता मिली है।

(क) सितम्बर, 1989 के लिये 8.82 लाख टन की तुलना में सितम्बर, 1990 के लिये लेवी चीनी और खुली बिक्री चीनी की कुल 18.88 लाख टन मात्रा रिलीज की गई है।

विवरण

मुख्य बाजारों में चीनी की खुदरा कीमतें (स्रोत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

(दर रुपये प्रति किलोग्राम)

ग्रेड एस-30

को	दिल्ली		कलकत्ता		बम्बई		मद्रास	
	88-89	89-90	88-89	89-90	88-89	89-90	88-89	89-90
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अक्तूबर								
7	7.80	9.00	7.80	10.00	7.70	—	6.85	8.75
15	7.80	9.00	8.00	—	7.81	—	6.75	8.75
22	7.80	9.00	—	10.50	7.50	9.25	6.60	8.70
30	7.75	9.00	7.80	10.00	7.46	9.25	6.60	8.70
नवम्बर								
7	7.80	9.00	7.80	10.30	7.46	9.25	6.70	8.70
15	7.60	9.00	—	10.30	7.37	9.40	6.60	8.70
22	7.50	—	7.80	10.30	7.20	9.30	6.55	8.70
30	7.30	—	7.80	10.30	7.10	9.55	6.55	8.70
दिसम्बर								
7	7.25	—	—	10.50	7.30	8.85	6.50	8.70
15	7.25	8.60	—	9.50	7.10	8.00	6.40	7,70
22	7.20	8.40	—	8.80	7.10	8.00	6.20	7.60
30	6.80	8.50	7.50	8.00	7.05	8.50	6.20	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनवरी								
7	6.80	8.70	7.50	8.50	7.10	8.90	6.40	8.00
15	6.80	8.70	7.50	9.00	7.00	9.00	6.20	8.00
22	6.80	8.60	—	8.00	6.90	8.90	6.30	8.00
30	7.00	8.70	7.30	9.00	7.00	8.90	6.30	8.00
फरवरी								
7	7.00	8.60	7.30	9.00	7.10	8.80	6.30	8.00
15	7.00	8.60	7.30	9.00	7.20	8.70	6.30	8.00
22	7.00	8.60	7.30	9.00	6.50	8.65	6.20	8.00
30	7.10	8.70	7.30	—	7.30	9.00	6.40	8.00
मार्च								
7	6.10	8.70	7.30	9.00	6.90	9.00	6.50	8.30
15	7.10	8.70	7.50	9.00	7.35	8.90	6.60	8.20
22	7.00	[illegible]	7.50	9.00	7.30	8.75	6.60	8.10
30	7.20	8.75	7.50	9.00	7.50	9.00	7.00	8.30
अप्रैल								
7	7.20	8.80	7.50	9.50	7.70	9.10	7.00	8.40
15	7.30	9.25	7.60	9.60	7.70	9.10	7.20	8.40
22	7.50	9.00	7.80	9.60	7.90	8.00	7.20	8.40
30	7.70	8.75	8.00	9.20	8 00	8.20	7.40	7.90
मई								
7	7.80	8.40	8.00	9.40	—	8.20	7.40	7.60
15	7.80	8.50	5.80	9.40	8.40	8.45	7.40	7.70
22	8.00	8.75	8.60	9.30	8.60	8.60	7.60	7.90
30	7.90	8.60	8.50	—	8.30	8.80	8.20	8.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जून								
7	7.75	8.75	8.50	9.00	8.80	8.80	7.30	8,25
15	8.00	8.75	8.50	9.00	8.00	8.80	7.20	8.20
22	8.00	8.80	8.50	—	7.90	8.70	7.10	8.20
30	8.75	8.50	8.50	—	8.75	8.50	7.60	8.10
जुलाई								
7	8.80	8.75	8.80	9.00	8.90	8.40	7.80	8.00
15	9.00	8.50	—	9.00	9.00	8.50	7.90	7.90
22	9.00	8.60	9.00	9.00	9.00	8.60	7.90	9.00
39	9.20	8.50	9.00	9.00	10.00	8.70	8.75	8.10
अगस्त								
7	9.30	8.60	6.40	9.00	10.40	8.50	8.50	8.10
15	9.40	8.50	9.60	9.00	9.85	8 50	8.90	7.90
22	9.80	8.50	10.40	9.00	10.00	8.90	9.20	7.90
30	10.20	—	10.50	—	9.90	—	9.20	—
सितम्बर								
7	10.90	—	11.00	—	11.70	—	10.10	—
15	10.40	—	11.00	—	10.90	—	9.80	—
22	9.40	—	10.00	—	9.15	—	8.80	—
30	MC	—	9.50	—	9.15	—	8.70	—

आवास योजनाओं में गैर सरकारी क्षेत्र को भी शामिल किया जाना

3427. श्री एस॰ कृष्ण कुमार : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गरीबों और सीमित आय वर्गों के लोगों के लिए मकान बनाने के काम में गैर-सरकारी क्षेत्र को भी शामिल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास कार्यक्रमों की आयोजना, वित्त व्यवस्था, कार्यान्वयन और प्रबन्ध में समुदाय, सहकारिताओं और न्यायसंगत निजी अभिकरणों की प्रभावी सहभागिता एवं इस प्रक्रिया में निर्धनतम परिवारों तथा महिलाओं के हितों की सुरक्षा के प्रावधानों का राष्ट्रीय आवास नीति संबंधी प्रारूप में विचार किया गया था। चूंकि आवास राज्य का विषय है, इसलिये इस संबंध में विशिष्ट कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपादित किये जाते हैं।

आंध्र प्रदेश में खराब धान की खरीद

2428. **श्री राम मोहन रेड्डी :**

श्री के. एस. राव :

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के हाल ही के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में खराब धान की खरीद के लिये भारतीय खाद्य निगम को निर्देश देने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन महीनों के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से खरीदे गए ऐसे चावल का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से प्रभावित जिलों अर्थात् पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर में प्रभावित धान और इन जिलों की ऐसी धान उत्पादित सेला चावल की 31.7.90 तक विनिर्दिष्टियों में कुछेक रियायतें देकर वसूल करने की इजाजत दे दी है।

(ग) आंध्र प्रदेश में शिथिलित विनिर्दिष्टियों के अधीन वसूल की गई धान और सेला चावल का जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े मीटरी टन में अनन्तिम)

जिले का नाम	धान	चावल
1	2	3
पूर्वी गोदावरी	5,609	26,379

1	2	3
पश्चिमी गोदावरी	34,708	95,326
कृष्णा	22,377	21,411
गुंटूर	2,160	1,856
खम्माम	—	1,307
नेल्लोर	—	321
	64,854	1,46,600

खाद्यान्नों खाद्य तेल, कपड़ा आदि के मूल्य में वृद्धि

3429. श्री मानवेन्द्र दत्त : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 12 मई, 1990 के बाद खाद्यान्न, चाय, साबुन, खाना पकाने का तेल, कपड़ा, टूथ ब्रुश, वनस्पति और डालडा, चीनी के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, लखनऊ, चण्डीगढ़, जैसे शहरों में इन वस्तुओं के खुदरा मूल्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने मूल्य कम करने हेतु क्या कदम उठाये है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) 11.8.1990 (12.5.1990 और 11.8.1990 को समाप्त सप्ताहों के बीच) को समाप्त विगत 13 सप्ताहों के दौरान चुनी हुई वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव का प्रतिशत दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में वस्तुओं के खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रुख को रोकने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस प्रयोजन के लिये दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं। व्यापक बृहत आर्थिक मोर्चे पर किये गये उपायों जैसे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को कम करने, राज-कोषीय संयम अपनाने के अतिरिक्त सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट आवश्यक वस्तुओं, जैसे खाद्य तेल, दालें, चाय, चीनी और सीमेंट इत्यादि जिन पर दबाव है, के मामले में विशेष उपाय किये गए हैं। सरकार द्वारा किये उपायों में मुख्यतया आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, खाद्यान्नों की प्रभावी अधिप्राप्ति करना और सुरक्षित भंडार बनाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, मूल्य और उपलब्धता की स्थिति को मानीटर करना, आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों और

अन्य नियामक उपायों को कठोरतापूर्वक लागू करना और विदेशी मुद्रा संबंधी समग्र अवरोधों को मद्देनजर रखते हुए, जहां कहीं आवश्यक हो, आयात के जरिए घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना शामिल है। इन उपायों के परिणामस्वरूप चावल, गेहूं, चीनी की कीमतें उचित स्तरों पर बनी हुई हैं, चाय के मूल्यों में नरमी का रुख दिखाई पड़ने लगा है और खाद्य तेलों के मूल्यों में तेज रफ्तार वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है।

विवरण-I

11.8.1990 को समाप्त विगत 13 सप्ताहों (12.5.90 और 11.8.1990 को समाप्त सप्ताहों के बीच) के दौरान चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में आए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत

वस्तु	उतार-चढ़ाव का प्रतिशत
चावल	+ 7.7
गेहूं	+ 6.0
चना	+ 5.8
अरहर	+10.2
चीनी	+ 1.2
मूंगफली का तेल	+16 8
सरसों का तेल	+30.7
वनस्पति	+13.0
चाय	—12.0
कपड़े धोने का साबुन	+ 1.2
नहाने का साबुन	स्थिर
टूथ पेस्ट	स्थिर
टूथ ब्रुश	+ 4.7
सूती कपड़ा (मिल का)	— 2.3
सूती कपड़ा (हथकरघा)	स्थिर
सूती कपड़ा (विद्युत करघा)	— 0.3

स्रोत : आर्थिक सलाहकार, उद्योग मन्त्रालय का कार्यालय

विवरण-2

9.5.90 और 22.8.90 को चुने गए केन्द्रों पर चुनी हुई वस्तुओं के खुदरा मूल्य

केन्द्र	प्रति किग्रा. चावल का खुदरा मूल्य		प्रति किग्रा. गेहूं का खुदरा मूल्य		प्रति किग्रा. चने का खुदरा मूल्य	
	9.5.90	22.8.90	9.5.90	22.8.90	9.5.90	22.8.90
दिल्ली	4.85	5.10	2.70	2.90	9.85	11.10
बम्बई	4.80	4.80	3.50	3.80	9.80	11.00
कलकत्ता	2.82* (4.5.90)	3.31* (3.8.90)	सू.न.	सू.न.	9.50 (2.5.90)	10.50
मद्रास	4.60	4.60	3.80	3.60	10.50	11.00
नागपुर	4.20	4.00	3.25	3.00	9.50	10.00
लखनऊ	3.40 (2.5.90)	3.60	2.30 (2.5.90)	2.75	10.00 (2.5.90)	9.25
चण्डीगढ़	3.25	4.75	2.40	2.65	9.50	9.50

केन्द्र	प्रति किग्रा. अरहर का खुदरा मूल्य		प्रति किग्रा. सरसों के तेल का खुदरा मूल्य		प्रति किग्रा. नारियल के तेल का खुदरा मूल्य	
	9.5.90	22.8.90	9 5.90	22.8.80	9.5.90	22.8.90
दिल्ली	10.95	12.05	22.39	28.80	32.00 (11.5.90)	36.00 (17.8.90)
बम्बई	11.00	12.00	25.00	30.00	28.00	34.00
कलकत्ता	11.00 (2.5.90)	13.00	23.00	29.00	40.00 (4.5.90)	43.00 (3.8.90)
मद्रास	13.00	14.00	28.00 (11.5.90)	33.00 (27.7.90)	26.00	34.00
नागपुर	10.50	11.50	25.50	32.00	26.80	33.00
लखनऊ	11.00	13.00	24.00 (2.5.90)	29.00	26.00 (4.5.90)	30.00 (3.8.90)
चण्डीगढ़	11.00	12.50	22 00	28.00	सू.न.	सू.न.

*उचित दर दुकानें

केन्द्र	प्रति किग्रा. चीनी की खुदरा मूल्य		प्रति किग्रा. चाय (खुली) का खुदरा मूल्य		प्रति किग्रा. वनस्पति का खुदरा मूल्य	
	9.5.90	22.8.80	9.5.90	22.8.90	9.5.90	22.8.90
दिल्ली	8.60	8.90	54.00	59.80	29.35	34.80
बम्बई	7.80	8.40	68.00	64.00	31.00	40.00
कलकत्ता	9.00 (2.5.90)	8.80	45.00 (2.5.90)	42.00	31.00 (2.5.90)	36.00
मद्रास	7.70	7.90	68.00	72.00	32.00	40.00
नागपुर	8.20	8.40	65.70	56.00	32.00	38.00
लखनऊ	8.25 (2.5.90)	8.50	60.00 (2.5.90)	65.00	30.00	36.00
चंडीगढ़	8.50	9.75	58.00	58.00	28.50	34.00

केन्द्र	प्रति किग्रा. कपड़े धोने के साबुन का खुदरा मूल्य		प्रति बट्टी लाइफबाय का खुदरा मूल्य		प्रति बट्टी हमाम का खुदरा मूल्य	
	27.4.90	27.7.90	27.4.90	27.7.90	27.4.90	27.7.90
दिल्ली	12.00	12.50	4.00	4.00	4.00	4.25
बम्बई	4.00	सू.न.	4.00	सू.न.	4.15	सू.न.
कलकत्ता (सनलाइट बट्टी)	2.75	2.75	3.90	3.90	4.25	4.25
मद्रास (100 ग्राम बट्टी)	1.00	1.00	सू.न.	4.25	सू.न.	4.20
नागपुर (निमार)	13.20	13.20	4.00	4.00	4.30	4.30
लखनऊ	10.00	10.00	4.00	4.00	4.50	4.50
चंडीगढ़	12.90	9.50	4.00	4.00	4.15	4.00

केन्द्र	कमीज के कपड़े खुदरा मूल्य (टेरीकाट—प्रति मीटर)		पेन्ट के कपड़े का खुदरा मूल्य (टेरीकाट—प्रति मीटर)	
	27.4.90	27.7.90	27.4.90	27.7.90
दिल्ली (डी.सी.एम.)	29.20	29.20	82.87	82.87
बम्बई	24.50	24.00	सू.न.	सू.न.
कलकत्ता	40.00	40 00	90.00	90.00
मद्रास	35.00	35.00	सू.न.	60.00
नागपुर (युनाइटेड बम्बई)	22.00	30.00	41.70	50.00*अरविन्द
लखनऊ एम.टी.सी.	17.90	18.75	सू.न.	सू.न.
चंडीगढ़	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.

स्रोत : 1. (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नागरिक पूर्ति विभाग)

2. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मन्त्रालय।

केन्द्र	टूथ ब्रुश के खुदरा मूल्य (रु. प्रति पीस में)	
	10.5.90	27.8.90
दिल्ली (फारहेन्स एंगुलर डीलक्स)	3.30	3.30
मद्रास (कोलगेट (रैगूलर)	2.35	2.35
कलकत्ता (कालगेट रेग्यूलर)	2.20	2.25
लखनऊ (कालगेट रेग्यूलर)	2.25	2.25
बम्बई	उ.न.	उ.न.
नागपुर	उ,न.	उ.न.
चंडीगढ़	उ.न.	उ.न.

स्रोत : उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, लखनऊ, कलकत्ता थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, कलकत्ता दि कोआपरेटिव स्टोर्स, सुपर बाजार, दिल्ली दि, ट्रिपलीकेन अरबन कोआपरेटिव स्टोर्स लि., मद्रास।

उ.न. = उपलब्ध नहीं।

जनकपुरी, नई दिल्ली में अनधिकृत दुकानें

3430. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, नई दिल्ली में विकास प्राधिकरण के आवासीय मकानों में अनधिकृत दुकानों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन दुकानों का अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में आया है कि जनकपुरी, नई दिल्ली में 205 आवासीय फ्लैटों को अनधिकृत रूप से व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(ग) जैसे ही ऐसे अनधिकृत उपयोग के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण को पता लगता है वैसे ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 तथा पट्टा/आवंटन की शर्तों के अन्तर्गत डी. डी. ए. फ्लैटों के आवंटियों के विरुद्ध उपयुक्त कारंवाई की जाती है।

दिल्ली में बढ़ता यातायात

3431. श्री सनत कुमार मंडल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जुलाई, 1990 के 'दि हिन्दू' (नई दिल्ली संस्करण) में "ट्रैफिक काओस इन दिल्ली रोडस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी की सड़कों पर बढ़ते हुए यातायात को विनियमित करने और यातायात को द्रुतगामी ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी बनाने के लिए क्या दीर्घकालिक अथवा अल्पकालिक योजना बनाई गई है अथवा बनाई जा रही है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में जन-परिवहन संबंधी दीर्घकालिका योजना तैयार करने हेतु, दिल्ली प्रशासन ने विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम मैसर्स रेल इण्डिया टैक्निकल तथा इकानोमिक सर्विस लि. (राइट्स) को सौंपा। राइट्स ने हाल ही में इसको विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी की है। लघु कालिक उपाय के रूप में भी, ग्रेड सैपरेटर, सड़क चौराहों को चौड़ा करने/सुधार करने का

कार्य, विभिन्न मार्गों पर उपमार्गों, भूमिगत/ऊपरी सड़क पुलों तथा अधिक भीड़-भाड़ वाले सड़क चौराहों पर फ्लाई ओवरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेंच सुविधायें

3432. श्री कैलाश मेघवाल : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और प्राइवेट प्रबन्ध द्वारा संचालित ऐसे कितने-कितने केन्द्र हैं जहां कामकाजी महिलाओं को क्रेंच सुविधा उपलब्ध है,

(ख) इन सुविधाओं का कुल कितनी महिलायें लाभ उठा रही हैं,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार इन क्रेंच सुविधाओं के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) क्या ये सुविधायें विभिन्न अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल क्षेत्रों में भी उपलब्ध हैं और क्या इन क्रेंचों का उपयोग अनुसूचित जाति और जनजाति की कामकाजी महिलाओं द्वारा भी किया जाता है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) ऐसे केन्द्रों की संख्या 12230 है।

(ख) लगभग 2.98 लाख महिलाएं इन सुविधाओं से लाभ उठा रही है।

(ग)	1987-88	—	11.95 करोड़ रुपए
	1988-89	—	12.03 करोड़ रुपए
	1989-90	—	13.72 करोड़ रुपए

(घ) और (ङ) निर्धन कामकाजी और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशुगृह सुविधाएं उपलब्ध है। इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बाहुल्य वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान शिशुगृह कार्यक्रम के लिए कुल योजना आवंटनों में से अनुसूचित जाति के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7½ प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

होम्योपैथी औषधियों का आयात

3433. श्री रविनारायण पाणि :

श्री राम गोपाल मिश्र :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में उत्पादित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की होम्योपैथी औषधियों के नाम क्या हैं;

(ख) इसकी विश्वसनीयता और इसके प्रभाव का किस प्रकार पता लगाया जाता है; और

(ग) होम्योपैथी औषधियों के आयात करने का क्या करण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) हमारे देश में विनिर्मित विभिन्न तरह की होम्योपैथिक औषधें :—

(क) तरल (ख) पाउडर (ग) गोलियां। पिल्स और (घ) मरहम/ बाह्य उपयोग की औषधें।

(ख) इसकी विश्वसनीयता की जांच औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 की दूसरी अनुसूची में निहित मानकों के अनुसार की जाती है और इसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन साहित्य सर्वेक्षण और प्राथमिक प्रलेखों द्वारा किया जाता है।

(ग) होम्योपैथिक औषधियां अप्रैल, 1990 से मार्च, 1993 की आई टी सी नीति के अंतर्गत वास्तविक उपयोग स्टाक और बिक्री के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा खुले सामान्य लाइसें परिशिष्ट-6, क्रम सं. 38 के अधीन आयात की जाती है।

दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को 'काल लैटर''

[हिन्दी]

3434. श्री राम सिंह शाक्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले दो वर्षों और पांच वर्षों में रोजगार कार्यालयों में क्रमश: कितने व्यक्ति पंजीकृत किए गए किन्तु उन्हें अब तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस आशय के आवश्यक निर्देश जारी करने का है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकरण के पहले वर्ष में कम से कम एक अथवा दो बार तथा पंजीकरण के दूसरे तथा तीसरे वर्ष के दौरान पांच अथवा छ: बार 'काल लेटर' प्राप्त हों; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) चालू रजिस्टर पर समयावधि के अनुसार पंजीकृत रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों सम्बन्धी आंकड़े केवल अ. जा./अ. ज. जा. के बारे में रखे जाते हैं, सभी वर्गों के लिए नहीं।

(ख) और (ग) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज रोजगार चाहने वालों और अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के बीच अधिक अन्तर होने के कारण, रोजगार चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय-सीमा के भीतर प्रायोजित करना सम्भव नहीं है।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से सरकारी उपक्रमों और सशस्त्र सेनाओं में भर्ती

3435. श्री राम सिंह शाक्य : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों में से सरकारी उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती कराने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग जैसी एजेंसियों के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत सभी रिक्तियां अधिसूचित की जानी चाहिए और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरी जानी चाहिए। इसी तरह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अधिक से अधिक 1250/-रुपये वेतनमान वाले पद, भी रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरे जाने अपेक्षित हैं।

जहां तक सुरक्षा सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती, जोकि उनके संबद्ध भर्ती संगठनों द्वारा की जाती का संबंध है, रोजगार कार्यालयों से भर्ती दलों की सहायता करना और इन संगठनों में नामांकित करने के लिए पंजीकृत उपयुक्त उम्मीदवारों को प्रायोजित करना भी अपेक्षित है।

सब्जी मार्किट को शाहदरा, दिल्ली में स्थानांतरित करना

[अनुवाद]

3336. **श्री जे. पी. अग्रवाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जी मार्किट को शाहदरा और झील खुरंजा में स्थानांतरित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त सब्जी मार्किटों को किन स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा; और

(घ) मार्किटों को कब स्थानांतरित किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) शाहदरा स्थित सब्जी मण्डी को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है किन्तु किसी उपयुक्त स्थान को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। झील-कुरंजा में सड़क के किनारों पर सब्जी बेचने वालों को गीता कालोनी पुलिस स्टेशन के सामने खाली भूमि पर स्थानांतरित करने का भी एक प्रस्ताव है। स्थानीय रामलीला कमेटी रामलीला के प्रयोजनार्थ इस भूमि का उपयोग करती है और इस स्थानांतरण को चुनौती देते हुए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्थगनादेश प्रदान किया है। मामला न्यायाधीन है।

निर्माण, आवास और आपूर्ति मंत्रालय की को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी की प्रतिभूति जमा-राशि वापस करना

3437. **श्री कमल नाथ** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण, आवास और आपूर्ति मंत्रालय की को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के नाम जमा की गई प्रतिभूति जमा-राशि कालोनी का पूरा विकास हो

जाने तथा दो वर्ष से भी अधिक समय पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा सेवाओं को अपने पास ले लिए जाने के बावजूद वापस नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतिभूति जमा-राशि कब तक वापस की जायेगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"एड्स" रोग संबंधी जांच-किटें

3438. श्री अमल दत्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट जर्मन फार्मास्यूटिकल फर्म ने भारत को "एड्स" रोग सम्बन्धी जांच किटों की सप्लाई की थी;

(ख) क्या इनमें कोई कमी पाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली में शांति निकेतन में एक विद्यालय को भूमि का आबंटन

3439. श्री सनत कुमार मंडल : क्या शहरी विकास मंत्री 16 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8869 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में शांति निकेतन कालोनी में एक गैर-सरकारी मिशन स्कूल को 3.7 एकड़ भूमि, जिस पर बाल उद्यान/खेल का मैदान बना हुआ है, आवंटित की गई है और यह भूमि इस क्षेत्र के क्षेत्रीय मास्टर प्लान में मूल रूप से इस कालोनी के निवासियों के उपयोग हेतु ही दर्शायी गई थी;

(ख) क्या उपर्युक्त विद्यालय को इस भूमि का आवंटन तत्कालीन स्वीकृत क्षेत्रीय मास्टर प्लान का उल्लंघन करके किया गया है;

(ग) क्या कालोनी के निवासियों में अत्यधिक असंतोष एवं उनसे प्राप्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए सरकार इस भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण को लौटाने पर पुनर्विचार करेगी ताकि इसका अन्य उद्यानों की तरह विकास एवं रख रखाव किया जा सके और इसके बाहर एक सूचना पट्ट लगा दिया जाये कि उपर्युक्त विद्यालय को प्रतिदिन कुछ निर्धारित घंटों के लिए इसके उपयोग की अनुमति दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) शान्ति निकेतन कालोनी के अनुमोदित विन्यास नक्शे में, प्रश्नगत भूमि का पार्क के रूप में उपयोग किया जाना दिखाया गया है। इस भूमि का स्कूल से बच्चों द्वारा खेल के मैदान के रूप में प्रयोग करना आंचलिक विकास योजना का उल्लंघन नहीं है। चूंकि इस स्थान का वास्तव में स्कूल द्वारा खेल के मैदान के रूप में ही प्रयोग नहीं किया जा रहा है अपितु उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा भी इस खेल के मैदान का टहलने इत्यादि के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अतः साधु वासवानी मिशन के विद्यार्थियों को इस स्थान का खेल के मैदान के रूप में प्रयोग करने से रोककर इसे केवल कालोनी के निवासियों के लिए ही प्रतिबंधित करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

दन्त चिकित्सक

3440. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री दिल्ली के अस्पतालों में दन्त चिकित्सकों के पदों के बारे में 16 मई, 1990 के अतरांकित प्रश्न संख्या : 9064 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दन्त चिकित्सकों की तैनाती के लिए आवश्यक मानदण्ड अब तक कार्यान्वित किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या उन दन्त चिकित्सकों के चक्रानुक्रम के बारे में कोई कार्यवाही की गई है जो एक अस्पताल में पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ङ) केन्द्रीय दन्त सेवा संवर्ग का गठन करने के लिए 16.8.1990 को एक समिति स्थापित की गई है। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय दन्त नियमावली तैयार करेगी। इस समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। दंत सेवा संवर्ग को अंतिम रूप दे देने के बाद दंत शल्य-चिकित्सकों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेजने की प्रक्रिया लागू की जाएगी।

केरल में विकलांगों के कल्याण हेतु खर्च की गई धनराशि

3441. श्री पी. सी. थामस : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है; तथा इसके लिए केरल में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा में स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता तथा प्रत्येक संगठन द्वारा खर्च की गई राशि का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन देने हेतु अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जैसा कि संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) जैसा कि विवरण-2 से दिया गया है।

(ग) (1) केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत सहायता निर्मुक्त करने के प्रस्तावों के साथ आगे आने के लिए केन्द्रीय सरकार अनावृत्त क्षेत्रों के स्वैच्छिक संगठन को प्रोत्साहित करती है।

(2) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगठनों को हर वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

विवरण-1

1988-89 तथा 1989-90 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से मानसिक रूप से विकलांगों के कल्याण के लिए खर्च की गई धनराशि

वर्ष	धनराशि (रु. लाख में)
1988-89	127.4
1989-90	110.6

वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान केरल के स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से मानसिक रूप से विकलांगों के कल्याण हेतु खर्च की गई धनराशि

क्रम सं.	संगठन का नाम	सस्वीकृत/उपयोग की गई राशि 1988-88 (रु. लाखों में)	1989-90
1	2	3	4
1.	सोसायटी फार द रिहैबिलीटेशन आफ मेण्टली डिफिसिएण्ट चिल्ड्रेन, एस.एम. हास्पिटल, कन्नौर-670012 (केरल)	3.00	1.46

1	2	3	4
2.	रोटरी इंस्टीट्यूट फार चिल्ड्रेन इन नीड आफ स्पेशल केयर, बिहाइण्ड टैगोर थिएटर, त्रिवेन्द्रम (केरल)	1.47	1.76
3.	यंग वूमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन विकास भवन, क्वीलोन (केरल)	0.31	0.27
4.	मेडिन्ना चैरिटेबल सोसायटी सेण्टर फार मेण्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, पोस्ट-पोट्टा, चलकुड़ी-680307 त्रिचूर—जिला, केरल	0.18	0.50
5.	सोशल वेलफेयर सेण्टर, त्रिचूर-680005	2.89	3.61
6.	बाल विकास सोसयटी, पीकरकाड़ा (त्रिवेन्द्रम)-685005	0.39	0.44
7.	प्रतीक्षा ट्रेनिंग सेण्टर, क्राइस्ट नगर, इरीनजालकुदा, त्रिचूर—(केरल)	—	0.34
8.	जे.सी. सोसायटी फार रिहैबिलीटेशन आफ द हैंडीकैप्ड, तपस्या, तेलीचरी—670103	—	0.12
	कुल :	8.24	8.47

विवरण-2

क्रम सं.	संगठन का नाम	संस्वीकृत/उपयोग की गई धनराशि (रु. लाखों में) 1988-89	1989-90
1	2	3	4
1.	हैण्डीकैप्ड वेलफेयर एसोसियेशन मिशन कम्पाउण्ड, बालासोर—756001 (उड़ीसा)	2.27	2.11

1	2	3	4
2.	उड़ीसा एसोसियेशन फार दि ब्लाइण्ड, माल गोदाम रोड़, यूनिट-?, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	0.80	—
3.	रेडक्रास स्कूल फार दि ब्लाइंड बेहुराम-पुर, जिला-गंजम, उड़ीसा	3.88	5.07
4.	काता मेमोरियल रिहैबिलीटेशन सेण्टर, भुवनेश्वर 108-डी, मास्टर कैण्टोन, स्कैयर यूनिट-3, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	—	1.40
5.	नेहरू सेवा संघ, बानपुर, जिला-पुरी (उड़ीसा)	—	2.90
	कुल :	4.95	11.48

केरल में वस्त्र उद्योग

3442. श्री पी.सी. थामस : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार सरकारी वस्त्र उद्योगों के नामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मुनाफा कमा रहे उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन इकाइयों द्वारा किए गए निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम को घाटा

3443. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराजा वाडियर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना घाटा हुआ है ?

(ख) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के घाटे को कम करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले छह महीनों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम में कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को हुए घाटे के जिम्मेवार विभिन्न कारणों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन टी सी को हुई निबल हानियां निम्नोक्त अनुसार है :—

वर्ष	करोड़ रुपये में
1987-88	261.60
1988-89	311.66
1989-90 (अनन्तिम)	196.28

(ख) जी, हां।

(ग) फरवरी, 1990 से जुलाई, 1990 तक की अवधि के दौरान एन टी सी को अनन्तिम निबल हानियां लगभग 71.03 करोड़ रु. मूल्य की हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 117.91 करोड़ रु. मूल्य की निबल हानियां हुई थीं।

(घ) और (ङ) एन टी सी मिलों के कार्यपालन का गहन अध्ययन करने पर यह पता चला है कि उत्पादन की अधिक लागत होने के विभिन्न कारण हैं जैसे पुरानी मशीनें, कम उत्पादकता, फालतू श्रमिक, कम क्षमता उपयोगिता तथा बिजली की कटौती और अनुपस्थिति। इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि कम मूल्य वर्धित उत्पादों के कारण कम इकाई बिक्री, वसूली होती है, प्रे बिक्री का अधिक प्रतिशत होता है तथा विद्युत चालित करघा क्षेत्र से स्पर्द्धा है।

राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं

[हिन्दी]

3444. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिरोही जिले में सुकाली सिंचाई परियोजना, जालोर जिले में बांदी सेन्द्रा सिंचाई परियोजना और राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू बहुउद्देशीय परियोजना का वर्तमान दर्जा क्या है तथा इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता कितनी है और इन परियोजनाओं से कितने क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी; और

(ग) इन परियोजनाओं पर, परियोजना-वार, कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) 11.48 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की सुकली सिंचाई परियोजना, जिससे 3.21 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई लाभों की परिकल्पना की गई है, के संबंध में राज्य सरकार ने वन स्वीकृति प्राप्त करनी है। 7.13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की बांदी सेन्द्रा सिंचाई परियोजना, जिससे 1.8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, के संबंध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन किया जाना है। 15.46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की माऊंट आबू बहुप्रयोजनी परियोजना, जिससे 1.71 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई लाभ प्रदान करने की परिकल्पना है, को टिप्पणियों का अनुपालन न किए जाने के कारण राज्य सरकार को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के वास्ते लौटा दिया गया है।

मध्य प्रदेश में सहकारी कपड़ा मिल

3445. श्री एस. सी. वर्मा : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी कपड़ा मिलें कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या इन मिलों द्वारा हथकरघा और विद्युत करघा उद्योग की आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं; और

(ग) क्या सरकार का सहकारी क्षेत्र में एक नई कपड़ा मिल लगाने का विचार है, यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी नई मिलें स्थापित की जाएंगी।

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मध्य प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में दो कताई मिलें चल रही हैं।

(ख) ऐसा अनुमान है कि हथकरघा द्वारा सूती यार्न के 81.5 प्रतिशत की मांग तथा विद्युत करघों की 98.2 प्रतिशत मांग की पूर्ति मध्य प्रदेश में की जा रही है।

(ग) सरकार ऐसी मिलें स्थापित नहीं करती।

सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जाना

[अनुवाद]

3446. श्री कैलाश मेघवाल :

श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भीड़-भाड़ कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन सम्भावित स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन कार्यालयों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिल्ली के बाहर कार्यालयों को स्थानांतरित करने के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालयों/विभागों को लिखा गया था। अब तक 50 मंत्रालयों/विभागों ने उत्तर भेजा है। 50 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना तथा साथ ही साथ सम्पदा निदेशालय में प्राप्त आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा लिये गये स्पष्ट निर्णयों के आधार पर संलग्न विवरण में दिए गये कार्यालय उनके नाम के आगे दर्शाये गये स्थानों पर दिल्ली से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने हैं।

विवरण

दिल्ली से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने वाले कार्यालयों की सूची

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	जहां स्थानांतरित किए जाने हैं
1	2	3
1.	तटरक्षक (मुख्यालय)	गाजियाबाद
2.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, डाक विभाग	गाजियाबाद
3.	निरीक्षण निदेशक, उत्तरी निरीक्षण परिमण्डल, पूर्ति विभाग	गाजियाबाद
4.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग, फिल्म प्रभाग तथा क्षेत्र प्रचार निदेशालय	गाजियाबाद
5.	राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय	किसी भी डी. एम. ए. शहर में।
6.	लाइट हाउस तथा लाइटसिप्स विभाग	नोयडा
7.	केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, श्रम मंत्रालय	नोयडा
8.	भुगतान आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग	किसी भी उपयुक्त स्थान जैसे गुड़गांव।
9.	प्रकाशन विभाग	फरीदाबाद

1	2	3
10.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, प्रशिक्षण संस्थान	गाजियाबाद
11.	राष्ट्रीय अकादमी, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा नारकोटिक्स	फरीदाबाद

मिन्टो रोड क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों का रखरखाव

3447. प्रो. यमुनाथ पाण्डेय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिन्टो रोड क्षेत्र, नई दिल्ली के निवासी कल्याण संगठनों ने वहां की बिगड़ती हालत, सड़कों, सड़क-लाईट, सफाई की स्थिति, क्वार्टरों में सफेदी और पेंट किये जाने और उनके रखरखाव के बारे मे शिकायतें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी हां।

(ख) पटरी सहित सड़कों का प्री-मिक्स कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय —तौर पर आरम्भ किया गया है। क्वार्टरों की भीतरी और बाहरी सफेदी और रंग-रोगन के कार्य पूरे किए जा चुके है। स्वच्छता व्यवस्थाओं से संबंधित शिकायतों को भी जब-कभी प्राप्त होती हैं, निपटाया जाता है।

सरकारी कालोनियों में समाज सदनों का निर्माण

3448. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कालोनियों में समाज सदनों के निर्माण हेतु कुछ वर्ष पहले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आदि ने स्वीकृति प्रदान की थी परन्तु अभी तक इसका निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति संबंधी ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उनका निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन समाज सदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा अब उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सेक्टर VIII तथा XII, आर.के. पुरम; सेक्टर-1, एम.बी. रोड; सादिक नगर और क्लस्टर-V, तिमारपुर में समाज सदनों के निर्माण के

लिये प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय मंजूरी कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (अब कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय) द्वारा लगभग 1 से 3 वर्ष पूर्व जारी की गई थी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में नई चीनी मिलें

[हिन्दी]

3449. श्री जनार्दन तिवारी :

श्री बसई चौधरी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार में नई चीनी मिलें स्थापित करने हेतु आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन जिलों में स्थापित किये जायेंगे;

(ग) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान उनके मन्त्रालय को इस प्रयोजनार्थ आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (घ) भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिये प्राप्त प्रस्तावों पर ही विचार करता है। बिहार राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना करने के लिए 1989-90 और 1990 (31.7.90 तक) के दौरान आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है, जिन पर दिनांक 23.7.90 के प्रेस नोट के तहत घोषित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विचार किया जाएगा।

विवरण

1989-90 (31.7.90 तक) के दौरान बिहार राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए प्राप्त हुए प्रस्तावों की सूची

क्रम सं.	प्रस्ताव का नाम	शर्करा निदेशालय में आवेदन प्राप्त होने की तारीख	क्षेत्र
1	2	3	4
***1.	मै. बिहार राज्य चीनी निगम लि.	6.3.89	सार्वजनिक

1	2	3	4
	सम्मू हुसन्य, तह. बगहा, जि. प. चम्पारन		
2.	बिहार सरकार गन्ना विभाग पीरपईंती, तालुक पीरपईंती, जि. भागलपुर	8.1.90	संयुक्त
3.	बिहार राज्य, गन्ना विभाग, जमुई तालुका जमुई जि. मुंगेर	8.1.90	संयुक्त
4.	मै. राधाकृष्ण एक्सपोर्ट इण्डस्ट्रीज लि. प्रस्तावित-बगहा, तह./तालुका बगहा जिला पश्चिमी चम्पारन	23.1.90	संयुक्त
5.	मै. स्पनेसर एण्ड कम्पनी लि. बगहा, जिला पश्चिमी चम्पारन	10.7.90	संयुक्त
6.	मै. हैरीसन्स मलयालम लि. पूर्वी चम्पारन	10.7.90	संयुक्त
7.	मै. विन मेडीकेयर लि. सीतालपुर, तह. छपरा, जिला सारण	12.7.90	संयुक्त
8.	मै. बिहार सहकारी चीनी फैक्ट्री लि. गपूल, जि. सहरसा	18.7.90	सहकारी
9.	मै. बिहार सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि., सीतलपुर, जिला सारण	18.7.90	सहकारी
10.	मै. बिहार सरकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि., अमरपुर, जिला भागलपुर	18.7.90	सहकारी
11.	मै. बिहार सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि., बगहा, जि. पश्चिमी चम्पारन	18.7.90	सहकारी

*** इस प्रस्ताव पर खाद्य विभाग की जांच समिति की जांच समिति द्वारा 9.6.89 को विचार किया गया था जिसमें दूरी के मानदंड की पूर्ति न होने के कारण इस समिति ने इसको अस्वीकार कर देने की सिफारिश की। निगम/बिहार राज्य सरकार ने अस्वीकृति पत्र के खिलाफ अभ्यावेदन किया है। उपर्युक्त पत्र बिहार सरकार के औद्योगिक विभाग को इस संबंध में उनके विचारों की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

इराक में असहाय रूप में रह रहे भारतीय श्रमिक

[अनुवाद]

3450. श्री जनार्दन तिवारी :

डा. बंगाली सिंह :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री शिव शरण वर्मा :

श्री हरीश पाल :

श्री बी. एन. रेड्डी :

श्री के. एस. राव :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री आर. एस. राकेश :

प्रो. महादेव शिवशंकर :

श्री के. मुरलीधरण :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इराक में बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक बेरोजगार और असहाय रूप में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है, तो वह क्या है।

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इराक में कोई भी ऐसा भारतीय कर्मकार फंसा हुआ नहीं है जिसके पास रोजगार न हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जलाशय योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

[हिन्दी]

3451. श्री दौलत राम सारण : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में जलाशय विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) उपरोक्त धनराशि में से कितनी रकम राजस्थान के लिए निर्धारित की गई है और उस योजना का ब्योरा क्या है जिसके लिए यह रकम मंजूर की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) इस समय, विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान में कोई सिंचाई परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

विवरण

निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं जिनमें विश्व बैंक द्वारा जलाशयों/बांधो के निर्माण/विकास के लिए वित्त पोषण किया जा रहा है

	परियोजना का नाम	सहायता की राशि अमरीकी डालर
	1	2
1.	गुजरात मध्यम सिंचाई-II परियोजना (क्रेडिट 1496-आई एन)	172 मिलियन
2.	सरदार सरोवर बांध तथा विद्युत परियोजना (क्रेडिट सं. 1552-आई एन/ऋण सं. 2497 आई एन)	300 मिलियन
3.	अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना सोपान दो (क्रेडिट सं. 2010-आई एन/ऋण 3050 आई एन)	325 मिलियन

	1	2
4.	मध्य प्रदेश बृहद सिंचाई परियोजना (क्रेडिट सं. 1177-आई एन)	320 मिलियन
5.	पंजाब सिंचाई तथा जल निकास परियोजना (क्रेडिट 2076-आई एन/ऋण स. 3144 आई एन)	165 मिलियन
6.	पेरियार वैगई सिंचाई-II परियोजना (क्रेडिट 1468-आई एन/एस एफ-16-आई एन)	35 मिलियन

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से मूंगफली और सरसों के तेल को मिल खोलना

3452. **श्री दौलत राम सारण :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से सहकारी क्षेत्र में मूंगफली और सरसों के तेल की मिलें खोलने के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान में कितनी मिलें खोलने का विचार किया गया है और ये मिलें किन-किन स्थानों पर खोली जाएंगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से राजस्थान में 5 सरसों के तेल की मिलें स्थापित करने के लिए एन. सी. डी. सी. द्वारा 343.42 मिलियन रुपये की धनराशि मन्जूर की गई है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान में कुल 6 सरसों के तेल की मिलें खोलने का विचार किया है जिनमें से 5 तेल मिलों की मंजूरी हो गई है जो गंगानगर सिटी, जालोर, झुनझुनू, मेड़ता सिटी तथा श्री गंगानगर में होगी। छठी तेल मिल कोटा में खोलने का विचार है।

समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना के अन्तर्गत नैनीताल को शामिल करना

3453. **श्री एम. एस. पाल :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या नैनीताल के कुछ गांवों को समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना के अन्तर्गत शामिल करने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित नई समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) परियोजनाएं आवंटित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु, 1989-90 के दौरान नैनीताल के काशीपुर और थारा क्षेत्र में आई सी डी एस परियोजनाएं आवंटित करने का जुलाई, 1989 में प्रस्ताव किया गया था।

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में "महिला विकास निगम" एककों की स्थापना

3754 **श्री हरि शंकर महाले :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या महिला विकास निगम का विचार वर्ष 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने एकक स्थापित करने का है,

(ख) यदि हां, तो नासिक जिले के किन-किन स्थानों में ऐसे एकक खोलने का विचार किया गया है, और

(ग) ऐसे एककों का ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विकलांग लोगों को नौकरी दिए जाने के बारे में चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करना

[अनुवाद]

3455. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को शिक्षा और नौकरी दिए जाने के बारे में विद्यमान उपबन्धों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या चट्टोपाध्याय आयोग ने भी इस बारे में सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण-1 पर रखे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण—1

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए वर्तमान मुख्य योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियां

नेत्रहीनों समेत शारीरिक विकलांगों को 9 कक्षा से आगे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने की भारत सरकार की एक योजना है। विकलांगों को तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, पत्राचार पाठ्यक्रम तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। दिवा-छात्रों तथा छात्रावासियों के अध्ययन-पाठ्यक्रमानुसार भिन्न-भिन्न इन छात्रवृत्तियों के अलावा, नेत्रहीनों को वाचक (रीडर) भत्ता भी दिया जाता है।

2. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का अर्थ है सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्रों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्यों को 100% सहायता प्रदान करती है। यह योजना अब 17 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

3. विकलांग व्यक्तियों हेतु संगठनों को सहायता की योजना

इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान दिया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नियोजन तथा पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

4. रोजगार

(1) आरक्षण केन्द्र सरकार के वर्ग "ग" तथा "घ" पदों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के समकक्ष पदों की 3 प्रतिशत रिक्तियां क्रमशः नेत्रहीनों, बधिरों तथा अस्थि विकलांगों के लिए 1-1 प्रतिशत आरक्षित की गई है।

(2) शारीरिक विकलांगों हेतु विशेष रोजगार कार्यालय : लाभदायक रोजगारों में विकलांगों की अनन्य रूप से सहायता हेतु, शारीरिक विकलांगों के लिए 22 विशेष रोजगार कार्यालय तथा सामान्य रोजगार कार्यालय में यह विशेष प्रकोष्ठ खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार केन्द्र भी उन्हें उपयुक्त रोजगार खोजने में सहायता देते हैं।

(3) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र :

इस समय देश भर में 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र खुले हुए हैं। व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा दी गई सेवाओं में, चिकित्सा मूल्यांकन व्यावसायिक मूल्यांकन, कौशल, विकास तथा नियोजन शामिल है।

विवरण—2

सिफारिश सं.	विषय	भारत सरकार के विचार
1	2	3
23.	इस समय केवल 5 प्रतिशत नेत्रहीनों	सरकार सैद्धांतिक रूप से इस सिफारिश

1	2
और बधिरों और 0.5 प्रतिशत मंद-बुद्धि बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सुविधाएं विद्यमान हैं। इनका विस्तार किया जाना चाहिए।	को स्वीकार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को कार्यान्वित करने हेतु तैयार किए गए कारंवाई-कार्यक्रम में भी इसके विस्तार की परिकल्पना की गई है।
24. हम सिफारिश करते हैं कि विकलांगों के लिए सभी शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा पद्धति का एक हिस्सा होने चाहिए और शिक्षा विभाग द्वारा इन पर कारंवाई की जानी चाहिए। विकलांग बच्चों की शिक्षा अब एक कल्याण उपाय नहीं मानी जानी चाहिए।	आयोग की सिफारिश जहां तक इसका सम्बन्ध कम विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा से है पहले ही मान्य तथा स्वीकृत की जा चुकी है और अब शिक्षा पद्धति का हिस्सा है। तथापि, अत्यधिक विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में विशेष शिक्षा कल्याण उपाय के रूप में ही प्रदान करनी होगी और इस समय कल्याण मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों, पुनर्वास केन्द्रों आदि में, संबंधित एजेंसियों के माध्यम से इसकी देखभाल की जा रही है।
25. उप-सिद्धांत के रूप में विकलांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के पर्याप्त प्रावधान सहित, विशेष स्कूलों को उसी आधार पर अनुदान दिए जाने चाहिए जैसा कि नियमित स्कूलों को दिए जाते हैं।	विशेष स्कूलों को अनुदान आवश्यकता के आधार पर होने चाहिए न कि विकलांगता की सीमा के संदर्भ में। तदनुसार, विशेष स्कूलों को अनुदान अन्य स्कूलों जैसे आधार पर नहीं दिए जा सकते।
26. विशेष शिक्षकों को वही वेतनमान दिये जाने चाहिए जैसे कि सामान्य प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। विशेषता योग्यताओं के लिये एक विशेष वेतन अथवा अग्रिम वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए।	व्यक्तियों/विशेषज्ञों को जो संपूर्ण रूप से योग्यता प्राप्त है; कठिन प्रकार के कार्य करने के लिए, विशेष वेतन के प्रावधान सहित सामान्य स्कूलों के समान वेतन-मान प्राप्त होने चाहिए। विशेष योग्यताएं और प्रशिक्षण रखने वालों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जा सकती है।
27. सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में साधारण अध्यापकों को दिए गए	विशेष शिक्षकों को भी दिए जाने वाले लाभ आवश्यकता पर आधारित होने

1	2
अन्य लाभ विशेष शिक्षकों को भी दिए जाने चाहिए।	चाहिये और उनकी योग्यताओं आदि से संबंधित होने चाहिए। इसे अन्य अध्यापकों को दिए जा रहे वेतनमान आदि से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
28. विशेष शिक्षा अध्यापकों को राज्य अध्यापकों के संवर्ग का हिस्सा होना चाहिए।	सिफारिश संख्या 27 पर निर्णय को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत नहीं किया गया।
29. और अधिक विश्वविद्यालयों को विशेष शिक्षा के लिए डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु कहा जाना चाहिए और स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर विशेष शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए।	सरकार सैद्धान्तिक रूप से इन सिफारिशों को स्वीकार करती है। विश्वविद्यालय को इस संबंध में उपयुक्त उपाय करने के लिए कहा जाना चाहिए।
30. विशेष शिक्षा के अध्यापकों के सेवाकालीन अनुस्थापना के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा पुनश्चर्या पाठ्क्रम आरम्भ किए जाने चाहिए।	
34. विशेष शिक्षा के अध्यापकों को तैयार करने के पाठ्यचर्या विकास की निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए।	इसकी नियमित अन्तरालों पर समीक्षा की जा रही है।
32. विशेष शिक्षा में जहां आवश्यक हो आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जाना चाहिए।	सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है।

वक्फ अधिनियम, 1984

3456. श्री ए. के. ए. अब्दुल समद : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 में यथा संशोधित वक्फ अधिनियम को देश भर में अथवा देश के किसी भाग में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अधिसूचनाओं का उनके संबंधित प्रावधानों और क्षेत्रों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुस्लिम समुदाय के आग्रह पर वक्फ अधिनियम में और संशोधन किया जाएगा और सरकार द्वारा गठित संसद सदस्यों की समिति द्वारा इन संशोधनों को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु विधेयक लाने में विलंब किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) उन सभी क्षेत्रों जहां वक्फ अधिनियम 1954 लागू है, वक्फ अधिनियम, 1984 के केवल दो उपबंध अर्थात नई धारा 66-छ द्वारा प्रतिस्थापित (वक्फ सपत्तियों की बहाली के मुकद्दमे दायर करने की 12 वर्षीय अवधि को बढ़ाकर तीस वर्ष करने से संबंधित) तथा 66-ज (वक्फ बोर्ड द्वारा निष्क्रांत संपत्तियों के प्रबंध से) संबंधित) ही प्रवर्तित हैं। उपर्युक्त धाराएं 23.6.86 की अधिसूचना संख्या* सा. सा. नि. 942 के तहत प्रवर्तित की गई थी।

(ग) और (घ) संशोधन अधिनियम के कुछ उपबंधों के विरुद्ध केन्द्र सरकार को प्राप्त आपत्तियों के संबंध में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 विषयक समिति ने कतिपय सिफारिशें की हैं, जो सरकार के विचाराधीन है।

*सं. सा. सां. नि. 897 (अ) 10.7.1986 के शुद्धिपत्र संख्या-

चीनी का उत्पादन

[हिन्दी]

3457. श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री संजय लाल :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान, चीनी के उत्पादन की प्रति क्विंटल अलग-अलग लागत क्या है;

(ग) इस वर्ष किन-किन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने मूल्यों में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, इस उत्पादन लागत में कमी करने के लिए कोई उपाय सुझाए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या सरकार का चीनी पर लगाई गई लेवी में छूट देने का विचार है; और

(छ) इस वर्ष प्रति क्विंटल चीनी पर कितनी लेवी लगाई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान लेवी के लिए, सांविधिक न्यूनतम गन्ना कीमत के

आधार पर चीनी की अखिल भारतीय औसत आकलित उत्पादन लागत क्रमशः 436.09 और 494.16 रुपये प्रति क्विंटल रही है।

(ग) 4.8.90 को समाप्त पिछले 31 सप्ताहों के दौरान (30.12.89 से 4.8.90 को समाप्त सप्ताहों के मध्य) चावल, गेहूं, बाजरा, चना, अरहर, मूंग, उड़द, आलू, प्याज, मांस, चाय, चीनी, गुड़, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल तेल, वनस्पति, राई और सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन और सीमेंट आदि प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) उत्पादन लागत को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) नई चीनी फैक्ट्री की न्यूनतम आर्थिक क्षमता 2500 टी. सी. डी. निर्धारित की है।

(2) क्षमता में 2500 टी. सी. डी. तक विस्तार के लिए प्रोत्साहनों की मंजूरी।

(3) उच्च सुक्रोज मात्रा वाली किस्मों के उत्पादन के लिए गन्ना विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना और क्षमता के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना।

(4) चीनी फैक्ट्रियों को उनके आधुनिकीकरण/विस्तार तथा गन्ना विकास के लिए शर्करा विकास निधि से आसान शर्तों पर ऋण की मंजूरी।

(च) जी, नहीं।

(छ) लेवी और खुली बिक्री की चीनी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वर्तमान दरें निम्न प्रकार हैं :—

(रुपये/क्विंटल)

	मूल	अतिरिक्त	कुल
लेवी चीनी	17	21	38
खुली बिक्री चीनी	24	26	50

उपर्युक्त के अतिरिक्त चीनी (लेवी और खुली बिक्री दोनों पर) पर 14 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चीनी उपकर भी लगाया जाता है।

दवाओं की नियमित जांच

3458. श्री रामेश्वर यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान दवाओं की नियमित जांच के आधार पर भेषज कम्पनियों के लाइसेंस रद्द अथवा निलंबित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अब सरकार ने इस संबंध में नियमित जांच न कराने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो बाजार में घटिया दवाओं की सप्लाई पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) औषधों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण को राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य और नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा लागू किया जा रहा है। राज्यों और केन्द्र के औषध निरीक्षक औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन नियमित रूप से जांच करने के लिए औषधों के नमूने लेते हैं। जब कभी औषध के किसी नमूने को मानक किस्म का नहीं पाया जाता अथवा नकली पाया जाता है तो राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा जो लाइसेंसिंग प्राधिकरण हैं, बाजार से बैच को वापस उठा लेने लाइसेंस को रद्द करने/निलंबित करने तथा फर्म पर मुकदमा चलाने आदि जैसी कार्रवाइयां की जाती है जो जांच रिपोर्टों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के लिए औद्योगिक लाइसेंस

[अनुवाद]

3459. **श्री कल्पनाथ राय :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी उत्पादन के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) राज्य में कितनी चीनी मिलों को अपनी वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने हेतु लाइसेंस दिये गये; और

(ग) इन चीनी मिलों में कितनी समयावधि के अन्तर्गत गन्ने की पेराई प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ख) 2.1.87 को 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा के पश्चात् केन्द्र सरकार ने (31.7.90 को) उत्तर प्रदेश राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए 12 आशय पत्र और वर्तमान इकाइयों में विस्तार के लिए 69 आशय पत्र जारी किए हैं।

(ग) सामान्यत: नई फैक्ट्री की स्थापना में 3 से 4 वर्ष और विस्तार परियोजना के पूरा होने में लगभग 2 से 3 वर्ष लग जाते हैं।

तमिलनाडु में चीनी मिल

3460. श्री आर. जीवरत्नम : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में चीनी मिलों की स्थापना के लिए नए परमिट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में चीनी के नए एककों की स्थापना के लिए चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए गैर सरकारी क्षेत्र के बारे में भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामपूजन पटेल): (क) से (घ) तमिलनाडु राज्य में 2500 टी. सी. डी. क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना हेतु चालू चीनी वर्ष (अक्तूबर 1989 से आगे) के दौरान 31.7.90 तक खाद्य विभाग में 12 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन लंबित आवेदन पत्रों पर 23.7.90 के प्रेस नोट के तहत घोषित नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाएगा।

विवरण

तमिलनाडु राज्य में चालू चीनी वर्ष (अक्तूबर से सितम्बर) के दौरान 31.7.90 को नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के आवेदन पत्रों की सूची

क्रम सं.	आवेदक का नाम और स्थान	खाद्य विभाग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख	क्षेत्र	क्षमता टी. सी. डी.	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	मै. राम्को इन्डस्ट्रीज लि., नजदीक मेतासेवाल ता. अम्बासमुन्द्रम, जि. तिरुनेलवेली कटाबोमान	2.11.09	संयुक्त	2500	20.12.89 को विचार किया गया
2.	मै. शिव शक्ति शुगरस, तालु. गुमुन्डोपुन्डी, जिला चेंगालपट्टू	16.11.89	संयुक्त	2500	विचार किया गया और अस्वीकृत कर दिया गया
3.	मै. आर. वेन्टाकटेसालू, ओडनथुरई, ता. मेटटुपलेयम जिला कोयम्बटूर	16.11.89	संयुक्त	2500	—वही—
4.	मै. टी. एन. सहकारी चीनी परिसंघ लि. तालु. गुमुन्डीपुन्डी, जिला चेंगाल प्पन्ना	3.1.90	सहकारी	2500	27.7.90 को आशय पत्र जारी किया गया
5.	मै, टी, एन. सहकारी चीनी परिसंघ लि. अम्बासमुन्द्रम, तालु. जिला मेलाईकट्टाबोमान	3.1.90	सहकारी	2500	20.1.90 को विचार किया गया
6.	मै. टी. एन. सहकारी चीनी परिसंघ लि. चीनोसालेम तालु. कालाकुरची, जि. द. आरकोट	3.1.90	सहकारी	2500	12.4.90 को आशय पत्र जारी किया गया

1	2	3	4	5	6
7.	मैं. बरनी सुगरज एंड कैमीकल्स लि. कलेपुम्डी, ता. पोलूर, जिला उ. आरकोट	3.1.90	संयुक्त	2500	30.1.90 को विचार किया गया
8.	मैं. टी. एन. सहकारी चीनी परिसंघ लि. तालु. पोलूर जि. सम्भूवारयार	3.1.90	सहकारी	1750	30.1.90 को विचार किया गया
9.	मैं. पुनी सुगवज एंड कैमीकल्स लि. स्थान पोट्टीवाम तह. कउकुरची, जि. द. आरकोट	8.1.90	संयुक्त	2500	अभी विचार किया जाना है
10.	एन. मुनूस्वामी मुदालियर, स्थान—उठियारामेकर तह. उठियारामेकर, जि. चिंगलेपेट	1.2.90	संयुक्त	2500	अभी विचार किया जाना है
11.	श्रीमती देवी पलोनीस्वामी, अतुर तालुक, तह. अतुर जिला स्लेम ।	6.3.90	संयुक्त	2500	—वही—
12.	श्री ई. एन. पलनीस्वामी, सूलानगुरोची, तह. कला-कुरची, जि. द. आरकोट	23.5.90	संयुक्त	2500	—वही—

केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

3461. डा. असीम बाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान वर्ष 1976 में अपनी स्थापना से ही शतप्रतिशत वित्त पोषित संस्थान रहा है;

(ख) क्या इस संस्थान के कर्मचारियों को दिसम्बर, 1989 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्मचारियों को धन की कमी, कर्मचारियों के आन्दोलन, निदेशक के असहयोग और संस्थान में गतिरोध के फलस्वरूप जनवरी, 1990 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। योग कर्मचारी संघ अन्य बातों के साथ-साथ संस्थान के निदेशक को हटाने की मांग कर रहा है। उन्होंने सरकार को लिखा है कि यदि संस्थान को और धन जारी कर दिया जाता है तो हो सकता है कि संस्थान का निदेशक उनके वेतन का भुगतान न करे। उन्होंने दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की है जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ वेतन के समय पर भुगतान की मांग की है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्व-वित्त योजना फ्लैटों के आवंटितियों को अधिकार पत्र जारी करना

3462. डा. असीम बाला : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण स्व-वित्त योजना के ऐसे फ्लैटों के बारे में आवंटितियों को अधिकार पत्र जारी कर रहा है, जो किसी भी प्रकार से कब्जा लिए जाने हेतु पूरी तरह तैयार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने, इस कारण आवंटितियों को हो रही असुविधा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) फ्लैटों के बारे में पूर्णता रिपोर्ट आवंटियों से पूर्ण भुगतान तथा यथापूर्ण अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त हो जाने के पश्चात कब्जा पत्र जारी किये जाते हैं। तथापि, नागरिक सेवाओं की अनुपलब्धता के कुछ अपवादिक मामलों में कब्जा पत्र जारी करने के कार्य को रोका जाता है। इस संबंध में नागरिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी प्राधिकरणों से समन्वय स्थापित करने के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं।

मध्य प्रदेश में गलगंड रोग

3463. श्री रामलाल राही : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गलगंड रोग फैलने संबंधी रिपोर्ट देखी है;

(ख) क्या सरकार ने इसके शिकार हुए, इसके कारण बेडौल हुए तथा लाइलाज हुए लोगों की संख्या का और इससे प्रभावित हुए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि इन इलाकों में केवल आयोडीन-कृत नमक का ही प्रयोग किया जाए; और

(घ) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में आयोडीकृत नमक उपलब्ध कराने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के 16 जिलों में विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षणों से गलगंड की जिन घटनाओं का पता चला है, वे इस प्रकार हैं :—

क्र. सं	जिले का नाम	गलगण्ड की व्यापकता	अभिकरण जिसके द्वारा सर्वेक्षण किया गया
1.	दमोह	19.3	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशा (1–6)
2.	टिकमगढ़	18.7	
3.	जबलपुर	16.1	
4.	सागर	19.2	
5.	छतरपुर	25.1	
6.	सरगुजा	41.1	
7.	शहदाल	55.6	
8.	मांडला	34.4	भारतीय आयुर्विज्ञान
9.	खण्डवा	35.0	अनुसंधान परिषद
10.	खारगोन	35.0	मध्य प्रदेश राज्य सरकार (10–12)
11.	बेतूल	35.0	
12.	होशगाबाद	35.0	
13.	छिंदवाड़ा	35.0	

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने आयोडीन युक्त नमक के अलावा अन्य किसी नमक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना 1 अप्रैल, 1990 को जारी की थी। अतः उक्त तिथि से राज्य में केवल आयोडीन युक्त नमक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में आयोडीन युक्त नमक की कमी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उपक्रमों के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

[हिन्दी]

3464. श्री हुकमदेव नारायण यादव : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों के कितने अधिकारियों के विरुद्ध गबन और अन्य मामलों में विभागीय जांच और केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो की जांच चल रही है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्य जारी था, उन्हें पदोन्नति दी गई थी और वे अब सेवानिवृत्त भी हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन अधिकारियों का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि के विचाराधीन मामले

3465. श्री हुकमदेव नारायण यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन सभी मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.12.89 की स्थिति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के पास भविष्य निधि बकाया राशियों के अन्तिम निपटान के लिए 61,231 दावे लम्बित पड़े थे। दावों के निपटान में विलम्ब के सामान्यतया निम्नलिखित कारण हैं :—

(i) दावों को अधूरे तथा दोषपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना;

(ii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दावा फार्मों का साक्ष्यांकन न करना;

(iii) नियोजकों द्वारा आवश्यक विवरणियां प्रस्तुत न करना;

(iv) नियोजक द्वारा भविष्य निधि अंशदान की अदायगी न करना।

(ख) दावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं,

(i) फार्मों और कार्यविधि को सरल बनाया गया है;

(ii) प्राधिकृत अधिकारियों की सूची में विस्तारित कर दी गई है ताकि सदस्य कामबंदी आदि के कारण नियोजक से उनके आवेदनपत्रों को साक्ष्यंकित कराने में असमर्थ होने की दशा में उनके द्वारा साक्ष्यंकित किए जाने वाले आवेदनपत्रों में उनके हस्ताक्षर करा सकें।

(iii) जहां अन्तिम निपटान व्यवहार्य न हो, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को अंशतः निपटान करने के निदेश दिए गए हैं ताकि सदस्यों की मुश्किलों को कम किया जा सके।

खाद्य प्रसंस्करण एकक और मूल्यों में अन्तर

3466. श्री हुकमदेव नारायण यादव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने औद्योगिक समूहों की सहयोगी कम्पनियां (सबचेन), खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत हैं;

(ख) कितने एककों ने लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात भी अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया है और कितने एकक बन्द हो गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि किसानों को दिए जाने वाले उत्पादों के मूल्यों और प्रसंस्करण के पश्चात इनके बाजार मूल्यों में भारी अन्तर होता है; और

(घ) क्या सरकार का मूल्यों में इस अन्तर को कम करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इस बारे में केन्द्रीय रूप से कोई सूचना नहीं रखी जा रही है क्योंकि अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कुछ शर्तों पर लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई विश्लेषण नहीं किया गया है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कैश-विन्डो की सुविधा प्रदान करना

[अनुवाद]

3467. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में केवल एक ही कैश-विन्डो (राशि जमा करने की खिड़की) है, जहां भारी संख्या में रोगियों अथवा उनके संबंधियों को चिकित्सा सम्बन्धी राशि जमा करने के लिए अत्यधिक गर्मी, वर्षा आदि में, पंक्तिबद्ध खड़े रहना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो जनता/रोगियों की सुविधा हेतु "कैश-विन्डो" की संख्या बढ़ाने के संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि संस्थान के अस्पताल में 5 कैश-विन्डो हैं जिनमें इसके केन्द्रों के कैश विन्डो भी शामिल हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. केन्द्रीय दाखिला कार्यालय (अ. भा. आयु. सं. मुख्य)

2. एक्सरे काउंटर (अ. भा. आयु. सं. मुख्य)

3. डा. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र

4. हृदय वक्ष तथा स्नायु विज्ञान केन्द्र

5. इनस्टीटयूट रोटरी कैंसर अस्पताल

ये सभी कैश काउंटर छतदार स्थानों पर हैं और रोगियों तथा उनके रिश्तेदारों को अत्यधिक गर्मी, वर्षा आदि में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है।

(ख) ऊपर प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्वार्टरों में अतिरिक्त पंखा

3468. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में एक अतिरिक्त छत का पंखा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्वार्टरों में हाल ही में ऐसे पंखों के बारे में कोई आंकलन किया गया है जो पुराने हैं और काम करने योग्य नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे छत के पंखों को बदलने के लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है जिनकी कार्य करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अमरावती जिला (महाराष्ट्र) प्रशिक्षण योजनाएं

3469. श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख : क्या श्रममन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरावती जिला (महाराष्ट्र) में महिलाओं के लिए दस्तकार प्रशिक्षण योजना प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना,

शिल्प प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी महिलाओं को भर्ती किया गया और अंत में कुल कितनी महिलाओं ने प्रशिक्षण पूरा किया ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गंगा के बाढ़ के पानी को दूसरे मार्ग से ले जाना

3470. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने गंगा बाढ़ के पानी को अन्य मार्ग से बिहार के जहानाबाद जिले तक ले जाने की बिहार सरकार की मांग के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) बिहार सरकार की मांग को कब तक पूरा किया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) गंगा बाढ़ नियंत्रण मण्डल को ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 में छूट

3471. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 अथवा किसी अन्य अधिनियम अथवा नियम में दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के नियम 25 में पूर्ण रूप से अथवा इसके किसी भाग में छूट देने संबंधी कोई उपबंध है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त नियम के उपबन्धों को उस दिन से लागू न करने के क्या कारण हैं; जब से सहकारी समिति पंजीकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि नियम 25 अथवा इसके किसी उपखंड का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) दिल्ली में सहकारी आवास निर्माण समितियों तथा सामूहिक आवास समितियों द्वारा आवंटित किये गये फ्लैटों/भूखंडों को रद्द करने सम्बन्धी आदेशों को लागू करने वाला सक्षम अधिकारी कौन है, ताकि इन रद्द किये गये फ्लैटों/भूखंडों का खाली कब्जा संबंधित समितियों को बहाल किया जा सके ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिल्ली के उपबन्धयथा दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 88 के अंतर्गत इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान तथा दिल्ली सहकारी समिति नियमावली, 1973 के नियम 155 के अंतर्गत इन नियमों के किसी भी प्रावधान से किसी भी सहकारी समिति को छूट दे सकते हैं अथवा मुक्त कर सकते हैं।

(घ) दिल्ली में सहकारी आवास निर्माण समितियों तथा सहकारी सामुहिक आवास समितियों द्वारा आवंटित फ्लैटों/प्लाटों को रद्द करने बहाल करने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण (पट्टाकर्ता) सक्षम प्राधिकारी है।

सहकारी आवास निर्माण समितियों की सदस्यता के लिए हलफनामा

3472. श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा पाया गया है कि सहकारी आवास निर्माण और सामूहिक आवास समितियों के कुछ सदस्यों ने भू-खंडों/फ्लैटों के आवंटन के लिए इन समितियों की सदस्यता प्राप्त करने हेतु गलत हलफनामे प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण/पंजीयक, सहकारी समिति की जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गलत हलफनामे प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 181 के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) उन व्यक्तियों के नाम संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं जिन्होंने सहकारी आवास निर्माण सामूहिक आवास समितियों की सदस्यता प्राप्त करने के लिये गलत हलफनामा प्रस्तुत किया है।

(ग) जैसे ही ऐसे मामले सहकारी समितियों के पंजीयक के ध्यान में आते हैं, दिल्ली सहकारी समिति नियमावली, 1973 की धारा 25 के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्यवाई की जाती है। इस प्रयोजनार्थ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 181 के अन्तर्गत कारंवाई शुरू करने की संभाव्यताओं की भी जांच की जाती है।

विवरण

क्र. सं.	गलत हलफनामा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के नाम
1	2
1.	श्रीमती द्रोपदी मेहता
2.	श्रीमती विमला रानी
3.	डा. एल. के. बहल
4.	श्री बालचन्द गुप्ता
5.	श्री वी. के. धींगरा
6.	श्री एन. एस. जैन
7.	श्री सतीश जैन
8.	श्री प्रीतम कुमार जैन

1	2
9.	श्री दीपक मल्होत्रा
10.	श्री आर. के. गुप्ता. श्रीमती सुशीला गुप्ता पत्नी श्री आर. के. गुप्ता
11.	श्रीमती नलिनी सहगल
12.	श्रीमती अनुराधा सोई
13.	श्रीमती लक्ष्मी नागरिती
14.	श्री राम कुमार कपूर
15.	श्री बी. एल. मल्होत्रा
16.	श्री ओम प्रकाश मसकी
17.	श्रीमती चम्पा रानी
18.	श्री दौलत राम
19.	श्री मित्तर सैन
20.	श्री भूप चन्द राजन
21.	श्री हरी सिंह मोंगिया
22.	श्री जे. के. साहनी
23.	श्रीमती भाग मल्होत्रा
24.	श्री विष्णु दत्त नागर
25.	श्री किशन चन्द
26.	श्रीमती सीता मोंगा
27.	श्री मेनू मल
28.	श्री जे. एस. कोहली
29.	श्री ओ. पी. चोधरी
30.	श्री एल. आर. निझावन
31.	श्री राय गुलबाग
32.	श्रीमती कमलेश कुमारी बहल
33.	श्रीमती प्रेम सेठी

महाराष्ट्र में औषधालय

[हिन्दी]

3473. श्री हरि शंकर महाले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कितने औषधालय/अस्पताल चल रहे हैं;

(ख) महाराष्ट्र के किन-किन जिलों में ये औषधालय/अस्पताल नहीं हैं;

(ग) इन क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार 1990 में महाराष्ट्र में विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक भी अस्पताल नहीं है, ऐसे औषधालय/अस्पताल खोलने का का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केवल बम्बई, पुणे और नागपुर में कार्य कर रही है। महाराष्ट्र में कार्य कर रहे औषधालयों की संख्या संलग्न विवरण में देखी जा सकती है। जिन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्य नहीं कर रही है वहां पर रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सिविल सेवा (चिकित्सापरिचर्या) नियमावली के अधीन चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पुणे में एक और एलोपैथिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में औषधालयों की संख्या

शहर	पालीक्लिनिक	औषधालयों की संख्या				
		एलोपैथिक	आयुर्वेदिक	होम्योपैथिक	यूनानी	सिद्ध
बम्बई	2	28	2	3	—	—
पुणे	1	7	1	2	—	—
नागपुर	1	10	2	1	—	—
योग	4	45	5	6	—	—

नशीली औषधों के विरुद्ध चलाये गये अभियान पर व्यय

3474. श्री हरिशंकर महाले : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान नशीली औषधों के विरुद्ध चलाए गए अभियान पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई,

(ख) इस अभियान के परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है, और

(ग) छात्रों और अन्य युवकों को नशीले औषधों की लत से बचाने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कल्याण मंत्रालय द्वारा, 1989-90 के दौरान, नशीली औषधों के विरुद्ध अभियान पर 36,34,381 रुपये की राशि व्यय की गई।

(ख) यह चूंकि एक निवारक कार्य नीति है इसलिए इसकी सफलता को संख्यात्मक रूप में नहीं मापा जा सकता। तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार जागरूकता का सामान्य स्तर बढ़ा है।

(ग) छात्रों तथा युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में चेतावनी देने के उद्देश्य से विभिन्न औपचारिक तथा गैर औपचारिक मीडिया प्रारूपों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि नशे से दूर रहने मे उनकी सहायता की जा सके।

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

3475. श्री हरि शंकर महाले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र की कुछ सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनु भाई कोटाडिया) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने 7वी योजना म सिंचाई के विस्तार, सुधार तथा आधुनिकीकरण के लिए (1) कृष्णा नहर का विस्तार (2) भातघर का सुदृढ़ीकरण (3) एकरुख का सुदृढ़ीकरण (4) राधानगरी का सुदृढ़ीकरण (5) वर्ना का सुदृढ़ीकरण (6) कोदवा पर गेटीड वीयर (7) सगोला शाखा नहर (8) पुरानी वृहद परियोजनाओं का आधुनिकीकरण और (9) पुरानी माध्यम परियोजनाओं का आधुनिकीकरण नामक 9 स्कीमें शुरु की थीं 7वीं योजना के दौरान लगभग 14.70 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। वर्ष 1990-91 के लिए राज्य सरकार द्वारा संस्तुत किया गया परिव्यय 2.8 करोड़ रुपए है।

बाल श्रमिकों का शोषण

3476. श्री तेज नारायण सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए कोई कारगर उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को कुछ विशिष्ट व्यवसायों और प्रक्रियाओं में चौदह वर्ष से कम की आयु के बालकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य उन नियोजनों में, जिनमें बालकों के काम करने पर रोक नहीं है, बालको की काम की दशाओं को, विनियमित करना भी है। कारखाना अधिनियम, 1948; खान अधिनियम, 1952, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, राज्य दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम जैसे अनेक अन्य श्रम कानूनों में ऐसे उपबन्ध हैं, जो या तो विशिष्ट क्षेत्रों में बालकों के रोजगार को प्रतिसिद्ध या विनियमित करते है। इन कानूनी उपबन्धों के उल्लंघन के लिए कठोर दण्ड निर्धारित किए गए हैं।

(ii) बाल श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति मे, जो 1987 में तैयार की गई थी, अन्य बातों के साथ साथ, बाल श्रमिकों से संबंधित कानूनी उपबन्धों के कारगर कार्यान्वयन, बाल श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लाभ के लिए सामान्य कल्याण और विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देने और उन क्षेत्रों में, जहां बाल श्रमिक अधिक है, परियोजनाओ को शुरू करने की व्यवस्था है ताकि कामकाजी बालकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसी कल्याण सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

(iii) स्वैच्छिक संगठनों को बाल श्रमिकों के फायदे के लिए कार्रवाईउन्मुख परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम में खिलाड़ियों को पदोन्नति

[अनुवाद]

3477. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में भर्ती किए गए अनेक खिलाड़ियों को संबंधित खेलों में उनके प्रदर्शन के रिकार्ड के आधार पर पदोन्नति और विशेष वेतन वृद्धि दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय को कुछ ऐसे कर्मचारियों के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी पदोन्नति के दावों की अनदेखी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के एक कर्मचारी ने खेल में प्रदर्शन के आधार पर उनकी पदोन्नति न करने के बारे में अभ्यावेदन दिया है । भारतीय खाद्य निगम से कहा गया है कि वे उक्त अभ्यावेदन पर उपयुक्त कार्रवाई करें ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर व्यय की गई धनराशि

[हिन्दी]

3478. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :**
श्री नन्द लाल मीणा :
क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार, कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या इस व्यय के बावजूद, इन जातियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विकास सुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) विवरण-1, विवरण-2 और विवरण-3 संलग्न हैं ।

(ख) यद्यपि छठी तथा सातवीं योजना के दौरान अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों की संख्या का लक्ष्य जिन्हें आर्थिक सहायता देकर गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाना था पूरे से भी अधिक हो चुका है, तथापि उनमें से अधिक संख्या वास्तव में गरीबी की रेखा को पार नहीं कर सके मुख्यत: इसलिए कि उन्हें दी गई आर्थिक सहायता अपर्याप्त थी । आठवीं योजना के दौरान उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने तथा उन्हें वहां बनाए रखने के लिए और आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता होगी ।

(ग) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए अपनाई गई विशेष संघटक योजना और अनु. जन. के लिए आदिवासी उपयोजना की प्रमुख कार्यनीतियां आठवीं योजना के दौरान भी जारी रहेगा ताकि अनु. जाति और अनु. जनजातियों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके । इन कार्यनीतियों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री द्वारा 12.1.90 को सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्रीय मंत्रियों को एक पत्र लिखकर इस बात पर जोर दिया गया था कि अनु. जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए

आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत पर्याप्त परिव्यय आवंटित करने की आवश्यकता है। यह परिव्यय कम से कम कुल जनसंख्या में इन समुदायों से संबंधित लोगों की प्रतिशतता के अनुपात में होने चाहिए, आवश्यकताओं से सम्बद्ध करने की आवश्यकता है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की कमियों को ठीक करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों की विकास आवश्यकताओं का प्राथमिकता क्रम के अनुसार पता लगाया जाना चाहिए तात्कालिक विकासात्मक आवश्यकताओं में से अनुसूचित जाति बस्तियों और आदिवासी क्षेत्रों में पेय जल बिजली विद्यालय स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भूमि सीमा कानूनों का कारगर रूप से क्रियान्वयन होना चाहिए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों में पर्याप्त गति लाई जानी चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए लघु, छोटी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक व्यापक तथा त्वरित कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए, भूमि अपवर्तन को रोका जाना चाहिए तथा अनुसूचित जनजाति लोगों की अपवर्जित भूमि उन्हें बहाल की जानी चाहिए। समुचित आय सृजन योजनाएं अर्थात डेयरी, पशुपालन, बागबानी आदि होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति लोगों के कृषि एवं लघु वन उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अनुसूचित जाति के उन वर्गों के लिए जो तथाकथित अस्वच्छ व्यवसायों अर्थात मैला ढोने, चमड़ा उतारने और चमड़े को रंगने के काम में लगे हुए हैं, व्यवसायों के विविधिकरण के कार्यक्रम होने चाहिए, शुष्क शौचालयों पर प्रतिबन्ध होना चाहिए तथा विस्थापित सफाई कर्मचारियों का शीघ्र पुनर्वास तथा विभिन्न परियोजनाओं को लगाने के परिणामस्वरूप विस्थापित अनुसूचित जनजाति लोगों का पुनर्वास होना चाहिए इत्यादि। उक्त प्राथमिकताएं सामाजिक परिवर्तन की ओर शीर्षक वाले आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में भी स्पष्ट की गई है। इसे राष्ट्रीय विकास परिषद पहले ही स्वीकार कर चुकी है।

विवरण—1

विशेष संघटक योजना/आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत व्यय

(रु. करोड़ में)

क्रम सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987-88		1988-89		1989-90	
	वि. सं. यो. के अन्तर्गत व्यय	आ. उ. यो. के अन्तर्गत व्यय	वि. सं. यो. के अन्तर्गत व्यय	आ. उ. यो. के अन्तर्गत व्यय	वि. सं. यो. के अन्तर्गत व्यय	आ. उ. यो. के अन्तर्गत व्यय
1. आंध्र प्रदेश	118.90	60.02	142.52	68.22	153 87	69.06
2. असम	29.66	64.90	19.35	79.92	33.22	72.25
3. बिहार	92.56	320.73	108.58	390.00	134.53	440.67
4. गोवा (दमन एवं दीव)	0.66	—	1.08	0.81	1.11	—
5. गुजरात	31.43	122.60	33.93	146.71	40.14	157.78
6. हरियाणा	36.07	—	54.65	—	71.13	—
7. हिमाचल प्रदेश	24.45	21.37	29.70	25.73	33.65	29.25
8. कर्नाटक	88.20	14.89	79.98	16.09	93.67	14.74
9. जम्मू एवं कश्मीर	11.86	—	21.69	—	22.59	—

10. केरल	32.60	7.60	38.01	9.23	93.17	10.13
11. महाराष्ट्र	88.93	154.98	108.79	164.19	123.86	202.15
12. मध्य प्रदेश	88.00	309.00	97.44	312.56	113.26	362.69
13. मणिपुर	1.31	23.27	1.62	26.96	1.89	83.55
14. उड़ीसा	54.34	184.59	101.04	212.31	136.65	221.64
15. पंजाब	27.39	—	29.76	—	39.47	—
16. राजस्थान	96.00	62.08	107.50	79.93	141.90	71.58
17. सिक्किम	0.21	8.00	3.83	11.31	0.35	10.92
18. तमिलनाडु	135.97	8.97	186.88	11.00	208.23	14.07
19. त्रिपुरा	11.06	41.25	15.52	74.94	17.33	53.78
20. उत्तर प्रदेश	252.22	1.13	284.97	11.90	435.22	1.54
21. पश्चिम बंगाल	70.00	29.48	39.64	33.84	110.45	37.85
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन						
22. चण्डीगढ़	1.69	—	5.31	—	6.28	—
23. दिल्ली	28.91	—	30.15	—	32.68	—
24. पाण्डिचेरी	7.17	—	8.63	—	10.98	—
25. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	6.72	—	10.15	—	12.00
26. दमन एवं दीव	—	0.76	—	—	—	0.82
कुल :	135.40	442.34	1600.17	1685.80	2952.72	1866.62

विवरण—2

विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना को निर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987-88		1988-89		1989-90	
		वि. स. यो. को. वि. कें. सहायता	आ. उ. यो. को. वि. कें. सहायता	वि. सं. यो. को वि. कें. सहायता	आ. उ. यो. को. वि. कें. सहायता	वि. सं. यो. को वि. कें. सहायता	आ. उ. यो. को वि. कें. सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1459.355	1063.23	1444.17	1165.12	1415.05	1347.45
2.	असम	194.525	705.83	210.28	786.86	179.32	886.08
3.	बिहार	1617.385	2178.10	1636.61	2472.15	1617.51	2731.50
4.	गुजरात	566.730	1347.58	374.10	1330.59	402.24	1611.96
5.	गोवा	5.170	—	5.57	—	2.73	—
6.	हरियाणा	335.730	—	367.61	—	327.36	—
7.	हिमाचल प्रदेश	230.125	237.19	156.95	287.32	162.06	376.25

8. कर्नाटक	1056.440	127.47	919.46	134.82	852.06	153.90
9. केरल	571.060	83.74	414.91	115.78	375.61	126.21
10. मध्य प्रदेश	1212.960	4518.48	1267.12	4924.15	1347.99	5582.98
11. महाराष्ट्र	1067.270	1784.51	1113.38	1266.41	1165.94	1486.97
12. मणिपुर	3.600	281.76	3.72	282.89	3.50	320.30
13. उड़ीसा	594.475	2263.82	718.18	2388.66	608.71	2755.98
14. पंजाब	497.070	—	649.24	—	618.64	—
15. राजस्थान	985.035	1138.15	1027.45	1234.03	1025.27	1429.64
16. तमिलनाडु	1504.495	178.54	1299.62	194.95	1858.83	229.92
17. त्रिपुरा	43.980	273.23	51.39	305.65	47.67	336.80
18. उत्तर प्रदेश	3677.300	35.23	4054.26	105.11	4224.73	45.92
19. पश्चिम बंगाल	1684.810	831.57	2052.27	876.29	1949.92	1016.58
20. सिक्किम	4.210	39.57	5.75	49.22	2.31	60.64
21. जम्मू एवं कश्मीर	61.000	—	65.24	—	66.46	—
22. दिल्ली	106.750	—	127.97	—	120.31	—
23. चण्डीगढ़	15.320	—	7.81	—	13.05	—

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	पाण्डिचेरी	15.205	—	16.75	—	12.73	—
25.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	50.00	—	60.00	—	41.00
26.	दमन एवं दीव	—	7.00	—	10.00	—	9.00
	कुल :	17500.002	1665.00	18000.00	18000.00	18000.00	20550.00

विवरण—3

अनुसूचित जाति विकास निगमों को निर्मुक्त केन्द्रीय सरकार की सहायता

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987-88	1988-89	1989-90
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	150.00	361.21
2.	असम	25.25	41.39	55.42
3.	बिहार	142.63	50.00	87.50
4.	गुजरात	—	—	48.02
5.	हरियाणा	—	43.45	60.56
6.	हिमाचल प्रदेश	18.43	23.00	66.42
7.	जम्मू और कश्मीर	—	3.00	49.78
8.	कर्नाटक	75.66	30.00	65.00
9.	केरल	58.04	15.00	129.83
10.	महाराष्ट्र	30.00	27.93	99.37
11.	उड़ीसा	21.50	21.41	39.30
12.	पंजाब	37.50	43.45	84.21
13.	राजस्थान	26.14	15.00	42.50
14.	तमिलनाडु	98.00	50.00	252.91
15.	त्रिपुरा	33.60	57.66	15.29
16.	उत्तर प्रदेश	43[illegible].63	304.06	240-50
17.	पश्चिम बंगाल	190-62	115-25	254.39
18.	चंडीगढ़	—	—	7.15
19.	दिल्ली (सं. रा. क्षे.)	8.00	—	56.10
20.	पांडिचेरी (सं. रा. क्षे.)	—	—	19.83
21.	मध्य प्रदेश	30.00	8.80	68.20
	कुल :	1300.00	1000.00	2103.49

हुडको द्वारा वित्तपोषित आवास योजनाएं

[अनुवाद]

3480. श्री इरा अम्बारासु :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या हुडको द्वारा किन्हीं आवास योजनाओं को वित्त प्रदान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) आवास तथा नगर विकास निगम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उधार देने वाले विभिन्न अभिकरणों की आवास योजनाओं की वित्त व्यवस्था करता है। 31.7.90 को स्थिति के अनुसार हुडको ने 4413.13 करोड़ रुपए की ऋण वचनबद्धता से 7043.99 करोड़ रुपए की लागत की कुल 7003 आवास परियोजनायें स्वीकृत की हैं। पूर्ण होने पर इन परियोजनाओं से देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 38.64 लाख रिहायशी एकक, 0.21 लाख गैर-रिहायशी भवन और 3.25 लाख विकसित प्लाट उपलब्ध होंगे।

उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की स्थापना

3481. श्री हरीश रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिले में प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में सभी चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में अब तक ऐसे कितने अस्पताल खोले गए हैं और शेष जिलों में ऐसे अस्पताल कब तक खोले जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए राज्यों में नए अस्पतालों का खोलना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जिलों में नए अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश को खाद्य तेलों की सप्लाई

3482. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

श्री फूलचन्द शर्मा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश को कितना खाद्य तेल सप्लाई किया गया;

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए इस राज्य की खाद्य तेलों की कुल कितनी मांग है;

(ग) राज्य को चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेल सप्लाई किया जायेगा; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस राज्य को खाद्य तेल की सप्लाई किस दर पर की जाती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामपूजन पटेल) : (क) गत एक वर्ष अर्थात अगस्त, 1989 से जुलाई, 1990 दौरान मध्य प्रदेश को आबंटित की गई तथा उक्त राज्य द्वारा उठाई गई आयातित तेलों की मात्रा नीचे दी गई है—

(मात्रा मी. टनों में)

	आबंटन	उठाई गई मात्रा
अगस्त, 89	1600	229
सितम्बर, 89	2000	681
अक्तूबर, 89	3000	1642
नवम्बर, 89	4000	3550
दिसम्बर, 89	2000	1464
जनवरी, 90	2000	1299
फरवरी, 90	2000	1757
मार्च, 90	2000	1044
अप्रैल, 90	2000	1484
मई, 90	2000	1165
जून, 90	4000	1448
जुलाई, 90	4000	1058

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने तेल वर्ष 1989-90 अर्थात् (नवम्बर, 1989-अक्तूबर, 1990) तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 60,000 मी. टन खाद्य तेलों की मांग की थी। वार्षिक मांग के औसत मासिक मांग 5,000 मी. टन बनती है। तेल वर्ष 1990-91 तेल वर्ष 1990-91 (नवम्बर-अक्तूबर) के लिए राज्य से खाद्य तेलों की मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों का वितरण, खाद्य तेलों की उपलब्धता में कमी की पूर्ति के लिए किया जाता है न कि सभी उपभोक्ताओं की खाद्य तेल की समूची आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने के लिए खाद्य तेल की सीमित मात्रा उपलब्ध है। बाजार में खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि तथा त्योहारों के कारण खपत में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए मध्य प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किए जाने वाले खाद्य तेलों के मासिक आबंटन को जुलाई, 1990 के 4,000 मी. टन से बढ़ाकर अगस्त, 1990 में 5,000 मी. टन कर दिया गया है और इस बढ़े हुए आबंटन के त्योहार मौसम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे त्योहार मासों तक जारी रखे जाने की संभावना है।

(घ) आयातित खाद्य तेल मध्य प्रदेश सरकार को 15 कि.ग्रा. के टीनों में 14,500 रु. प्रति मी. टन की दर से सप्लाई किया जाता है।

मध्य प्रदेश में भारत सरकार जनसंख्या परियोजना

3483. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली भारत जनसंख्या परियोजना के लिए मध्य प्रदेश ने किन-किन जिलों का चयन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का इस कार्यक्रम में और जिले शामिल करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से छठी राष्ट्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण और सेवा प्रदाय भारत जनसंख्या परियोजना का मध्य प्रदेश राज्य में राज्यव्यापक आधार पर कार्यान्वयन किया जा रहा है और यह परियोजना विशिष्ट जिलों तक सीमित नहीं है। अतः इस परियोजना के अन्तर्गत और जिलों को शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व संसद सदस्यों/भूतपूर्व राज्यपालों/भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा सरकारी आवास का खाली किया जाना

3484. श्री शंकर सिंह वघेला :

डा ए. के. पटेल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी आवास में निवास कर रहे भूतपूर्व मंत्रियों, भूतपूर्व राज्यपालों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक के विरुद्ध कितनी धन-राशि बकाया है एवं जिन्होंने आवास खाली कर दिया है, उनके विरुद्ध कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) क्या कुछ भूतपूर्व संसद सदस्यों एवं भूतपूर्व राज्यपालों को और अधिक समय तक ठहरने की स्वीकृति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) विवरण-1, विवरण-2, विवरण-3 विवरण-4, विवरण-5 संलग्न है।

(ख) जी, हां। कुछ भूतपूर्व सांसदों को अधिक समय तक ठहरने की अनुमति दी गई है।

(ग) विवरण-6 संलग्न है।

विवरण—1

उन भूतपूर्व मंत्रियों, भूतपूर्व राज्यपालों के नाम जिनके पास दिल्ली में सरकारी वास है और 31·7·90 को उनमें से प्रत्येक की तरफ बकाया देय राशि

क्रम सं..	नाम तथा पता		कुल देय राशि
1.	श्री एन. डी. तिवारी	2 जन्तर मन्तर रोड,	1,71,722 00
2.	श्री बूटा सिंह	16 अशोक रोड	2,97,557.00 (आर.पी. देसी सहित)
3.	श्री के. सी. पन्त	7, त्याग राज मार्ग	शून्य
4.	श्री बी. एस. इंग्ती	13 तालकटोरा रोड	8,636.00 (आर. पी. प्रभार रहित)
5.	श्री भीष्म नारायण भूतपूर्व राज्यपाल	सी 1/1 पंडारा पार्क	49,405.00
		(एन-112/445 सी आर होस्टल (24.4.81 से 27.1082) उनके द्वारा प्रतिथि वास इसके पश्चात् खाली कर दिया गया)	5,236.00

विवरण—2

31.7.90 को समाप्त अवधि तक उन भूतपूर्व मंत्रियों की तरफ बकाया देयराशि के ब्योरे दर्शाने वाला वि जिनके पास दिल्ली में सरकारी वास था (अब खाली कर दिया गया है)—31.7.90 को स्थिति

क्रम सं.	नाम तथा पता		कुल देय राशि (रुपए)	
1	2		3	
1.	श्री बालेश्वर राय	9 अशोक रोड	8,268.52	
2.	स्व. श्री ए. पी. शर्मा	17 अकबर रोड	95,810.00	
3.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया	9 कृष्णा मेन मार्किट	5,492.76	
4.	श्री आर. मलिकबुर्क	3, सकुलंर रोड	12,886.25	
5.	कुमारी कुमुद बेन जोशी	9 तीन मूर्ति लेन	2,553.35	
6.	श्री ए. रहीम	7, तुगलक लेन	15,195.00	फर्नीचर रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण मांग संशोधित की।
7.	स्व. श्री धर्मवीर	एबी-2 पंडारा रोड	7,370.30	
8.	श्री अशोक गहलोत	1, डूपलेक्स लेन	1,825.11	
9.	श्री रामानन्द यादव	14, डा. आर. पी. रोड	6,527.25	
10.	श्री जगन्नाथ कौशल	15, तुगलक रोड	2,855.00	
11.	श्री एच. एस. सिसोदिया	11, तालकटोरा रोड	8,585.00	

1	2		3
12.	श्री अर्जुन सिंह	3, तुगलक रोड	93,083.00
13.	श्रीमती राजदुलारी सिन्हा	एबी-96 शाहजहां रोड	77,989.00
14.	श्री पी. ए. संगमा	30, केनिंग लेन	17,432.00
15.	श्रीमती सुशीला रोहतगी	4, कृष्णा मेन मार्किट	22,293.35
16.	श्री के. एन. सिंह	16, अशोक रोड	11,093.26
17.	स्व. श्रीचन्द्र शेखर सिंह	15, अशोक रोड	74.090 00
18.	श्री योगेन्द्र मकवाना	11, रेसकोर्स रोड	1,62.132.00
19.	श्री एस. पी. शाही	7, तुगलक लेन	87,010.00
20.	श्री सुखराम	12, सफदरजंग एन्कलेव	13,164.00
21.	श्री बी. के. गाडवी	5, —वही—	12,773.00
22.	श्री दलबीर सिंह	23, तुगलक रोड	20,872.00
23.	श्री डी एल बैठा	20, कोपर निकस लेन	18.178 00
24.	श्री जगदीश टाइटलर	10, कृष्णा मेन मार्किट	64,112.00
25.	श्री के. के. तिवारी	10, जनपथ	23.892.00
26.	श्रीमती मोहसिना किदवई	12, जनपथ	51,303.00

27.	श्री मोतीलाल वोहरा	20, तुगलक क्रीसेंट	4,614.00	
28.	श्री पी. आर. दास मुंशी	16, जनपथ	38,387.00	(आर. पी. देय सहित)
29.	श्री आर. एन. मिर्धा	17, सफदरजंग रोड	40,878.00	
30.	श्रीमती कृष्णा शाही	7, तीन मूर्ति मार्ग	33,633.00	
31.	श्री एस. एल. यादव	23, अशोक रोड	10,739.00	
32:	श्री राजेश पायलट	3, सफदरजंग रोड	58,349.00	
33.	श्रीमती शीला दीक्षित	1, सर्कुलर रोड	11,696.00	
34.	श्री के नटवर सिंह	9, सफदरजंग रोड	2,0554.00	(देय राशि 31.5.90 तक है क्योंकि खाली किये जाने के सूचना की प्रतीक्षा है)
35.	श्री वरुण गोगोई	5, महादेव रोड	82,313.00	(उनको यह बंगला विवाहोत्सव के लिए आबंटित किया गया था, परन्तु वे इसमें रुके रहे)
36.	श्री भीखूराम जैन	4-बी मार्केट रोड	1,0[illegible],171.00	—वही—
37.	श्री जेड. आर. अंसारी	9, अकबर रोड	97,011.00	
38.	श्री एच. के. शास्त्री	4, तीन मूर्ति मार्ग	50.00	2.1.90 से किराया देयता का अभी निर्णय किया जाना है
39.	श्री सी. एम पाणिग्रही	10, बीड़ी मार्ग	1,016.00	14.8.89 से लाइसेंस फीस/क्षतियों की दर निर्धारित नहीं की गई है और मांग नहीं की गई है।

विवरण—3

1.1.90 को समाप्त अवधि तक के लिए उन भूतपूर्व मंत्रियों को जो अब संसद सदस्य है और जिनके पास दिल्ली में सरकारी वास है, की तरफ बकाया देय राशि—31.7.90 की स्थिति

क्रम सं.	नाम तथा पता		कुल देय राशि (रुपये)	
1	2		3	
1.	श्री एस. एम. देव	15, अशोक रोड	शून्य	
1.	श्री एडुवर्ड फैलियरो	5, जनपथ	35,358.00	
3.	श्री एम.एल. फोतेदार	6, कुशक रोड	शून्य	
4.	श्रीमती आर.के. बामबेई	6, अशोक रोड	7,115.00	
5.	श्री कल्पनाथ राय	36, औरंगजेब रोड	27,656.00	
6.	श्रीमती मारगॅट अल्वा	23, सफदरजंग रोड	22,491.00	(16.4.90 पूर्वाहन को बंगला खाली किया)
7.	श्री आर.के. मालवीय	30, केनिंग लेन	16.482.00	
8.	एम.एम. जेकब	4, कुमाक रोड	4,081.00	
9.	श्री एच.के.एल. भगत	34, पृथ्वी राज रोड	62,197.00	
10.	श्री बिन्देश्वरी दुबे	1, तीनमूर्ति मार्ग	68,399.00	19.4.90 को खाली किया
11.	श्री पी.वी. नरसिंहा राव	9, मोतीलाल नेहरू मार्ग	34,711.00	

12.	श्री अरूणाचलम	10, रायसीना रोड	3,434.00	
13.	श्री सी.के. जाफर शरीफ	17, अकबर रोड	2,063.00	
14.	श्री के.आर. नारायण	12, सफदरजंग रोड	47.00	5.4.90 को खाली किया
15.	श्री जनार्दन पुजारी	7, अकबर रोड	शून्य	
16.	श्री एस.कृष्ण कुमार	19, तीनमूर्ति मार्ग	18,062.00	
17.	श्री वी.पी. साठे	2, कृष्णामेनन मार्ग	20.00	
18.	श्री एस.बी. चौहान	4, कृष्णामेनन मार्ग	7,948.00	
19.	श्री बी. शंकरानन्द	तीस जनवरी मार्ग	4,371.00	
20.	श्री पी. चिदम्बरम	30, औरंगजेब रोड	7,350.00	
21.	श्री के. वेंगलराव	24, विलिंग्डन क्रिकेट	शून्य	संसद सदस्य के रूप में 2.1.90 को नियमित किया गया
22.	श्री भजनलाल	1, रेसकोर्स रोड	64,412.00	
23.	श्री दिनेश सिंह	1, त्यागराज मार्ग	3,097.00	
24.	श्री महावीर प्रसाद	17, तीनमूर्ति मार्ग	470.00	
25.	श्री एम.एस. सोलंकी	2-ए मोतीलाल नेहरू मार्ग	5,234.00	
26.	श्री पी. शिवशंकर	2-विलिंग्डन क्रीसेंट	1,528.00	

1	2		3	
27.	श्री शिवराज पाटिल	4 जनपथ	6,455.00	उपाध्यक्ष (लोक सभा) के रूप में 19.3.90 से नियमित किया गया किन्तु 2.1.90 से 18.8.90 तक की देयता अभी निर्धारित की जानी है
28.	श्री रफ़ीक आलम	1, केनिंग लेन	6,477.00	
29.	श्रीमती सुमति ओरन	3, ए.आर. सिंधिया	232.00	
30.	श्री अजीत पांजा	17 टिलक रोड	शून्य	
31.	सुश्री सरोज खापरडे	98-100 साउथ एवेन्यू	62,669.00	
32.	श्री एम.आर. सिंधिया	27 सफदरजंग रोड	शून्य	
33.	श्री एम थमली दुरई	25, तुगलक रोड	शून्य	
34.	श्री एच.आर. भारद्वाज	14 —वही—	शून्य	
35.	श्री गिरधर गोमांगो	सूट नं. 108-110, 113 और 219	12,509.00	संसद सदस्य के रूप में 2.1.90 को नियमित किया गया।
36.	श्री ब्रह्म दत्त	16 तुगलक रोड	641.00	
37.	श्री आर प्रभु	सी-1/7 एण्ड सी-1/8 पंडारा रोड	शून्य	सी-1/8 पंडारा पार्क 2.1.90 से नियमित किया गया
38.	श्री ए.बी.ए. गनीखान चौधरी	12, अकबर रोड	15,792.15	
39.	श्री गुलाम नबी आजाद	1, राजा जी मार्ग	3,453.85	

विवरण—4

भूतपूर्व संसद सदस्य जिन्होंने अभी तक सामान्य पूल के आवंटित आवासों को खाली नहीं किया है के पास बकाया देय 31.7.90 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	नाम सर्व/श्री	आवास	अवधि	देय राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती मीरा कुमार भू.पू. संसद सदस्य (लोक सभा)	6-कृष्णा मेनन मार्ग	1.12.89-31.7.90	1,48,823 रुपये	बिल भेजे गये
2.	जितेन्द्र प्रसाद —वही—	60-लोधी एस्टेट	1.190-31.7.90	50,687 रुपये	—वही—
3.	श्रीमती अकबर जहां —वही—	9, सफदरजंग लेन	1.1.90-31.7.90	60,312 रुपये	—वही—
4.	मनोज पांडेय —वही—	सी-2,67 मोती बाग	31.7.90 तक	21020 रुपये	—वही—
5.	विलास मुत्तमवार —वही—	एबी-81, शाहजहां रोड	1.11.89-31.7.90	55064 रुपये	—वही—
6.	अतर रहमान —वही—	सी-2, वी.के.एस. मार्ग	31.7.90 तक	3444 रुपये	—वही—
7.	भाई समिन्द्र सिंह —वही—	बी-2 —वही—	1.8.89-31.7.90	38941 रुपये	—वही—
8.	जी.के. सूपवार भूतपूर्व संसद सदस्य (राज्य	24 अकबर रोड	1.4.90-31.7.90	77840 रुपये	—वही—
9.	दरबारा सिंह —वही—	9-कृष्णा मेनन मार्ग	11.5.90-31.7.90	52879 रुपये	—वही—

1	2	3	4	5	6
10.	जगन्नाथ मिश्र —वही—	8-सफदरजंग लेन	1.12.89-31.7.90	34968 रुपये	—वही—
11.	जगत पाल सिंह —वही—	20-केनिंग लेन	जुलाई, 90	6353 रुपये	—वही—
12.	लक्ष्मी नारायण —वही—	7-महादेव रोड	1.2.90-20.6.90	16106 रुपये	खाली कर दिया है।
		8-वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	1.2.00-31.7.90	7553 रुपये	अनुस्मारक जारी किया

विवरण—5

भूतपूर्व संसद सदस्यों/पूर्व मंत्रियों जिन्होंने हाल ही में सामान्य पूल में आवंटित आवासों को खाली किया है के पास बकाया देय 31.7.90 को

क्र. सं.	नाम	आवास	अवधि	देय राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	सर्व/श्री/श्रीमती				
1.	मिलंप कौर	9-तीन मूर्ति मार्ग	1.4.70-19.9.72	1653 रुपये	मामला कलेक्टर के पास भेजा गया
2.	लल मोहन राम	37-जी.आरजी रोड	1.72 से 24.4.77	2975 रुपये	—वही—
3.	आर. शंलता	2-तीन मूर्ति लेन	1.72 से 1.4.80	3531 रुपये	—वही—
4.	टी.एन. तिवारी	24-जी. आरजी रोड	8.79 से 3.4.80	5295 रुपये	—वही—

5.	महीलाल	16-जी.आर.बी. रोड	1.1.80 से 24.1.80	747 रुपये	—वही—
6.	नबरी राम	22- —वही—	5.79 से 27.3.80	1651 रुपये	—वही—
7.	स्व. रामनरायन	8-रेसकोर्स रोड	1.3.72 से 13.7.72	13053 रुपये	—वही—
8.	डी.पी. साहा	28-जनपथ	5.79 से 10.4.80	4173 रुपये	—वही—
9.	जे.बी. घोते	4-जन्तर-मंतर रोड	12.12.84 से 2.3.85	23700 रुपये	—वही—
10.	स्व. श्री एस. डी. सिंह	7-रायसीना रोड	31.1.85 से 11.5.85	2822 रुपये	भुगतान के लिये पी.डी. तथा 20 दिन का नोटिस जारी किया
			4.83		
11.	स्व. श्री मु. हसन खां	20-विंडसर प्लेस	4.2.84	16922 रुपये	मामला कलेक्टर को भेजा गया।
12.	आर.वाई. घोरपडे	14 तुगलक रोड	31.1.85-10.9.85	21255 रुपये	—वही—
13.	एस.पी. सिंह	10-अकबर रोड	31.1.85 से 15.2.85	9178 रुपये	—रुपये—
14.	मगनभाई बारोत	9-त्यागराज मार्ग	1.85 से 23.6.85	16637 रुपये	—वही—
15.	के.सी. पाण्डेय	1-इलेक्ट्रिक लेन	31.12.85-9.5.85	6000 रुपये	—वही—
16.	ए.आर. मूर्ति	24-जी.आर.बी. रोड	1.12.84 से 24.4.85	3864 रुपये	मुकदमा अनुभाग से अनुरोध किया गया, पी. ओ. भेजने के लिए।
17.	के.पी. तिवारी	4-टेलीग्राफ लेन	31.1.85-24.5.85	4908 रुपये	मामला कलेक्टर को भेजा गया

1	2	3	4	5	6
16.	बालेश्वर राम	9-अशोका रोड	31.3.85-31.10.85	18721 रुपये	—वही— (पूर्व संसद सदस्य के रूप में, देय)
17.	आर.सी.रथ	8-तीन मूर्ति मार्ग 54, डब्ल्यू एस.एच.	3.8.84-19.3.85 3.8.84-19.3.85	32327 रुपये	लोक परिसर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। उन्होंने सर्टिफिकेट अधिकारी, बहरामपुर के न्यायालय में याचिका दी है।
			2.4.85 ————		
20.	स्व. श्री एस. ऐ.	4-अशोक रोड	20.6.85	1424 रुपये	अदायगी के लिए अनुस्मारक जारी किया
21.	स्व. ए.आर. मजूमदार	ए-1, बाबा खड़क सिंह मार्ग	9.6.88-7.11.88	25066 रुपये	20 दिन का नोटिस जारी किया
22.	स्व. श्री जयदीप सिंह	17-तीन मूर्ति मार्ग	1.8.88-9.1.88	21277 रुपये	लोक परिसार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही
23.	पी.के. मुकर्जी	2-जन्तर-मन्तर मार्ग 18-विलिंगडन क्रीसेंट 21-बी टेलीग्राफ लेन	19.1.86-29.3.86 13.9.87-14.9.87 27.3.86-17.7.86	2185 रुपये	संशोधित बिल जारी किया गया

24.	जहांआरा बैंपाल सिंह	6-अशोक रोड	3.78-31.10.79	32395 रुपये	मामला कलेक्टर के पास भेजा गया
25.	के. बी. खन्ना	7-तीन मूर्ति मार्ग	1.86-31.7.80	2774 रुपये	सम्पदा अधिकारी के निर्णय में संशोधन किया
26.	कामेश्वर सिंह	12-तालकटोरा रोड	1.80-22.3.80	44181 रुपये	रेवेन्यु सचिव, बिहार प्रदेश को भेजा गया
27.	श्री बी.पी. दत्त	17-कर्जन लेन	10/81 से 6.11.87	293.00	मुकदमा अनुभाग द्वारा वसूली के लिए नया सर्टीफिकेट जारी किया जाना है। मामला समाहर्ता को भेजा गया है
28.	श्री एम.आर. कृष्णा	4-कुशक रोड	31.5.82 से 11.7.83	1700.00	
29.	श्री जे.के.पी.एन. सिंह	5-सफदरजंग लेन	9.5.84 से 14.1.85	35759.00	
30.	श्रीमती उषा मल्होत्रा	7-तीन मूर्ति मार्ग	1.2.87 से 2.3.87	3314.00	भुगतान के लिए अनुस्मारक जारी किया गया
31.	श्री एच.के. मलिक	25-अशोक रोड	1.5.86 से 20.5.86	28797.00	पी. पी. अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई कर दी गई है
32.	श्री आर. मोहन रंजन	11-तीन मूर्ति लेन	1.9.86 से 21.9.86	15420.00	—वही—
33.	श्री बी.आर. कार	15-तीन मूर्ति लेन	3.1.86 से 27.1.88	19540.00	20 दिन का नोटिस जारी किया गया
34.	श्री एस.एस. महापात्र	2-सफदरजंग लेन	1.8.86 से 2.4.87	65709.00	पी.ओ.पारित किया
35.	श्रीमती कृष्णा कौल	1-तीन मूर्ति लेन	2.5.88 से 4.4.90	156121.00	20 दिन का नोटिस जारी किया गया

1	2	3	4	5	6
36.	कुमारी कुमुद बेन जोशी	9-तीन मूर्ति लेन	1.11.85 से 26.11.85	35.46-00	भुगतान के लिए अनुस्मारक जारी किया
37.	स्व. श्री सी.पी.एन. सिंह	2-अकबर रोड	26.1.90 से 19.3.90	39888.00	बिल भेज दिया
38.	श्रीमती रोडा मिस्त्री	21-अशोक रोड	1.5.86 से 20.5.86	4757.00	20 दिन का नोटिस जारी किया
39.	श्री चन्दुलाल चन्द्राकर	22-अकबर रोड	1.11.89 से 16.3.90	49814.00	बिल भेज दिया
40.	श्रीमती जयन्ती पटनायक	20-अकबर रोड	1.3.90 से 20.3.90	1613.00	बिल भेज दिया
41.	श्रीमती बेगम आबीदा अहमद	19-अकबर रोड	1.11.89 से .6.12.89	1011.00	बिल भेज दिया एफ. आर. 45-ए के लाइसेंस फीस या वेतन का 10 प्रतिशत इसमें जो भी कम हो, के भुगतान पर रखने की अनुमति दी गई
42.	श्री विजय एन पाटिल	13-बलवन्त राय मेहता लेन	1.9.90 से 14.5.90	36801.00	बिल भेज दिया

43.	श्री बी.एस. रामूवालिया	15-फिरोजशाह रोड	1.8.89 से 10.5.90	53165.00	बिल भेज दिया अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की हैसियत से 11.5.90 से आवंटन नियमित किया गया
44.	श्री जी. एस. मिश्रा	6-जी.आर.जी. रोड	1.11.89 से 3.5.90	29041.00	बिल भेज दिया
45.	श्री जगननाथ राव	3-मोती लाल नेहरू प्लेस	1.12.89 से 1.3.90	68507.00	बिल भेज दिया। खाली करने की तारीख की प्रतीक्षा है
46.	श्री रामेश्वर नीखरा	सी-1/39 पंडारा रोड	1.2.90 से 15.5.90	18253.00	बिल भेज दिया
47.	श्री जी.एस. ढिल्लो	3-त्याग राज मार्ग	1.1.90 से 29.7.90	104878.00	बिल भेज दिया
48.	श्रीमती माधुरी सिंह	11-त्याग राज मार्ग	1.11.89 से 21.7.90	79089.00	बिल भेज दिया
49.	श्री अब्दुल गफूर	3-तुगुल लेन	1.11.89 से 6.6.90	44788.00	बिल भेज दिया
		220-वी.पी. हाउस (अतिथि वास	1.9.69 से 19.12.89	4000.00	20 दिन का नोटिस जारी किया
				48788.00	
50.	श्री आर.सी. विकल	5-डुप्ले रोड	1.5.90 से 6.7.90	34540.00	बिल भेज दिया
51.	श्रीमती कृष्णा कौल	1-तीन मूर्ति लेन	2.5.88 से 4.4.90	156121.00	20 दिन का नोटिस जारी किया

1	2	3	4	5	6
52.	श्रीमती प्रतिभा पाटिल	11-तीन मूर्ति लेन	1.4.90 से 25.4.90	9513.00	बिल भेज दिया
53.	श्री जगन्नाथ चौधरी	13-वी.पी. हाउस (अतिथि वास)	8.10.89 से 16.2.90	5949.00	बिल भेज दिया
54.	श्री रणवीर सिंह	17-वी.पी. हाउस (अतिथि वास)	1.5.90 से 11.6.90	1586.00	बिल भेज दिया
55.	श्री सुखदेव प्रसाद (भूतपूर्व संसद सदस्य तथा भूतपूर्व राज्यपाल)	14-तीन मूर्ति लेन	1.2.90 से 11.5.90	23392.00	बिल भेज दिया
56.	श्री भगवत झा आजाद	7-अशोक रोड	14.2.88 से 5.4.90	313290.00	20 दिन का नोटिस जारी किया
57.	श्री गदाधर शाह	14-अशोक रोड	26.8.89 से 12.2.90	28572.00	बिल भेज दिया
58.	श्रीमती उषा रानी तोमर	ए-5 बाबा खड़क सिंह मार्ग	1.11.89 से 13.3.90	13173.00	बिल भेज दिया
59.	श्री अशोक चौहान	डी-1 बाबा खड़क सिंह मार्ग	1.11.89 से 5.2.90	6902.00	बिल भेज दिया

60.	श्रीमती मनोरमा सिंह	6-भगवान दास मार्ग	1.11.87 से 26.12.89	653.00	बिल भेज दिया। बंगले के सिविल क्षेत्र की के. लो. नि. वि से प्रतीक्षा है। इसके प्राप्त होने पर आगे मांग भेज दी जाये।
61.	श्री असलम शेर खां	19-भगवान दास मार्ग	1.11.89 से 4.4.90	20537.00	बिल भेज दिया
62.	श्री अशोक गलहोत	1-डुप्ले लेन	1.9.89 से 4.3.90	21254.00	बिल भेज दिया
63.	श्री दिग विजय सिंह	4-डुप्ले लेन	1.11.89 से 23.4.90	38046.00	बिल भेज दिया
64.	श्री बीर सेन	4-जन्तर मन्तर रोड	1.11.89 से 23.4.90	53552.00	बिल भेज दिया
65.	श्री एन. के. शर्मा	3-कृष्णा मेनन मार्ग	1.10.89 से 2.1.90	22616.00	बिल भेज दिया
66.	श्री तपेश्वर सिंह	6-लोधी एस्टेट	1.11.89 — 20.3.90	35,239.00	बिल भेजा गया
		520 वी.पी. हाउस	3.9.89 — 31.3.90	10,156.00	—वही— अतिथि वास
		69, डब्ल्यू सी. होस्टल	22.12.89 तक	9,726.00	—वही—
				55.122.00	

1	2	3	4	5	6
67.	श्री मनोज पांडेय	104 वी.पी. हाऊस	1.1.90 — 30.3.90	3,4.4.00	बिल भेजा गया
68.	प्रो. निर्मला कुमारी शेखावत	बी-1/3 पंडारा पार्क	1.11.89 — 9.1.90	4,410.00	—वही—
69.	श्री एस.बी. सिंह	सी-1/4 पंडारा रोड	1.1.90 — 15.12.89	55,905.00	—वही—
70.	श्री डी. माध्व रेड्डी	7 रायसीना रोड	1.7.89 — 15.12.19	4,270.00	—वही—
71.	श्री पी.सी. सेठी	7 सफदरजंग रोड	1.11.89 — 31.12.89	4,302.00	—वही—
72.	श्री बी.आर. भगत	1 सुनहरी बाग रोड	1.11.89 — 1.1.90	1,952.00	—वही—

73.	श्री एच.पी. साह	सी-11/63 शाहजहां रोड	1.11.89 — 21.3.90	16,408.00	—वही—
74.	श्री के.पी. सिंह देव	4 साउथ एवेन्यू लेन	4.11.89 — 26.12.89	4,185.00	बिल भेजा गया
75.	श्री वीरेन्द्र पाटिल (इस समय कर्नाटक के मुख्यमन्त्री	2 तुगलक रोड	1.11.89 — 15.4.90	45,089.00	—वही—
76.	श्री जगन्नाथ कौशल	15 तुगलक रोड	1.11.89 — 24.1.90	16,769.00	—वही—
97.	श्री तारिक अनवर	20 विलिंगडन क्रिसेंट	1.11.89 — 23.3.90	14,384.00	—वही—
		4/3 वी.पी. हाउस (अतिथि)	1.11.89 — 17.1.90	4,895.00	
				29,279.00	

1	2	3	4	5	6
78.	श्री जे.के. जैन	7 बलवन्ता राय मेहता लेन	1.2.90 —— 23.2.90	9,181.00	—वही—
79.	श्री मौलाना असरूल हक	14 कोपरनिकस लेन	1.5.89 —— 15.9.89	16,895.00	—वही—
80.	कुमारी कमला कुमारी	एबी-16 पंडारा रोड	1.11.89 —— 25.1.90	7,974.00	—वही—
81.	श्री जी. वरदराज	एबी-91 शाहजहां रोड	1.2.90 —— 17.4.90	16,259.00	—वही—
82.	श्री शमीम अहमद सिद्की	20 विंडसर प्लेस	1.12.89	12,182.00	के.लो.नि.वि. से लिविंग एरिया की प्रतीक्षा की जा रही है। अतिरिक्त बिल इसके प्राप्त होने पर भेजा जाएगा।

83.	स्व. श्री एल. के. झा	10 जनपथ	7.7.88	39,107.00	भुगतान के लिए अनुस्मारक जारी किया गया।
84.	श्री आर. के. जयचन्द्र	7 तुगलक लेन 35 वेस्टर्न कोर्ट	27.8.88 24.9.87 तक	8,121.00 2,984.00 11,105.60	20 दिन का नोटिस जारी किया गया।
85.	श्री मोती लाल सिंह भूतपूर्व सांसद	5 डब्ल्यू. सी. होस्टल		7,384.00	20.3.90 को प्रतिथि वास खाली किया गया।
86.	श्री जगन्नाथ प्रसाद	36-37 डब्ल्यू.सी. होस्टल		10,097.00	8.2.90 को प्रतिथि वास खाली किया गया।
87.	श्री सफराज महमद	45 डब्ल्यू.सी. होस्टल		6,057.00	31.1.90 को अतिथि वास खाली किया गया।
88.	श्री बी.डी. दुबे	51 डब्ल्यू सी. होस्टल		55,407.00	12.2.90 को प्रतिथि वास खाली किया गया।

1	2	3	4	5	6
89.	श्री डी. पी. यादव	52 डब्ल्यू. सी. होस्टल		11,643.00	11.4.89 तक अतिथि वास खाली किया गया ।
90.	श्रीमती सरोजनी महिषी	66 डब्ल्यू सी. होस्टल		7,776.00	4 4.90 को अतिथि वास खाली किया गया ।
91.	श्रीमती मोहसिना किदवई	30 डब्ल्यू सी. होस्टल		19,493.00	23.5.90 को अतिथि वास खाली किया गया । पत्र की प्रतिलिपि जी. बी. को उनकी मांग में सम्मिलित करने के लिए भेजी गई ।
92.	श्री टी. बी. राजेश्वर	सी-1/28 पंडारा रोड	9.7.90 पूर्वाह्न तक	37,052.00	
93.	श्रीमती सरला ग्रेवाल	5 तुगलक लेन	29.6.90 पूर्वाह्न तक	45,390.00	
94.	श्री रोमेश भण्डारी	18 अशोक रोड	31.3.90 को खाली किया	4,32,809.00	
95.	श्री कल्पनाथ राय	एफ-313 सी.आर. होस्टल	18.1.82 से 9.7.82	3,370.00	

विवरण-6

उन भूतपूर्व सांसदों के नाम जिनको रहने के लिए समयवृद्धि दी गई

क्रम संख्या	नाम	वास	कारण
1.	श्रीमती अकबर जहां बेगम	9 सफदरजंग लेन	जम्मू और कश्मीर में अशान्त स्थिति के कारण रहने की अनुमति दी गई है।
2.	श्री बी. एस. एंगटी	13 तालकटोरा रोड	असम में चुनाव होने तक रहने देने की अनुमति दी गई।
3.	श्री अतीर रहमान	सी-2, वी. के. एस. मार्ग	—वही—

राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों का आवास

3485. श्री शंकर सिंह वघेला :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) संसद में तथा संसद से बाहर विभिन्न राजनैतिक दलों और उनसे संबद्ध संगठनों तथा मजदूर संघ, महिला वालियन्टरी फोर्स तथा अन्य संगठनों जैसे मोर्चा संगठनों के पदाधिकारियों को बंगले/फ्लैटों/मकानों के आवंटन के लिए क्या मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) सरकार द्वारा अभी तक जो आवास आवंटित किए गए हैं; उनका ब्योरा क्या है और ये आवंटन कितनी अवधि के लिये किए गये हैं ;

(ग) क्या आवंटितियों ने उक्त आवासों का अभी तक अपने कब्जे में रखा हुआ है; यदि हां, तो उन्हें किराए और बकाया राशि के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान करना है और ये आवास उनके कब्जे में बने रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या तत्संबंधी नीति/मार्गनिर्देशों में संशोधन करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) राजनीतिक पार्टियों/ग्रुपों को आवंटन संबंधी मार्ग निर्देशनों की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है

(ख) तथा (ग) कोई अलग आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, वर्तमान आवंटियों के ब्यौरे संलग्न विवरण 2 में दिए गये हैं।

(घ) और (ङ) नीति मार्गनिर्देशनों के पुनरीक्षण करने का कोई विचार नहीं है।

विवरण-1

वास संबंधी मन्त्रि मन्डलीय समिति द्वारा राजनीतिक पार्टियों को सामान्य पूल वास आवंटन संबंधी मार्गनिर्देशनों की समीक्षा 12 सितम्बर, 1985 को हुई बैठक में की गई थी और समिति द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं :—

(1) केवल स्पीकर द्वारा मान्यता प्रदान राजनीतिक पार्टियों/ग्रुपों को वास दिये जाने की आवश्यकता है। स्पीकर द्वारा मान्यता प्रदान पार्टियों और ग्रुपों की एक सूची संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त की जाये। लाइसेंस शुल्क का हिसाब एफ-आर 45 ए के अनुसार लगाया जाये।

(II) अपात्र मामलों में आवंटन रद्द किया जावे।

(III) रिहायशी प्रयोजनार्थ पार्टी के लिए 6 यूनिटस की समग्र अधिकतम सीमा के अन्तर्गत केवल 1/3 स्टाफ को आवंटन किया जाये।

(IV) जहां तक कार्यालय वास का संबंध है, बाजार दर लाइसेंस शुल्क वसूल करने की शर्त पर स्थान आवश्यकताओं की जांच करने के पश्चात् उपलब्धता की शर्त पर रिहायशी भवन आवंटित किये जायें।

(V) आवंटन राजनीतिक पार्टियों के नाम में किया जाये न कि किसी कार्यालय पदाधिकारी के नाम में।

विवरण-2

विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और उनको सम्बद्ध विंग को आवंटित पूल वास के ब्यौरे

क. सं.	आवंटी का नाम	आवंटित वास के ब्यौरे	31.7.90 को किराये की देय राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	कांग्रेस (आई) पार्टी	सेक्टर-IV/209, आर.के.पुरम	60.00 रु.	
2.	—वहीं—	सेक्टर-II/598, आर.के.पुरम	792.00 रु.	
3.	—वही—	सेक्टर-IV/181, आर.के.पुरम	60.00 रु.	
4.	—वही—	सेक्टर-IV/592, आर.के.पुरम	60.00 रु.	
5.	—वही—	781, लक्ष्मीबाई नगर	121.00 रु.	
6.	—वही—	401 और 402, अलवर्ड एस्क्वायर	328.00 रु.	
7.	—वही—	556-जे, मन्दिर मार्ग	148.00 रु.	
8.	—वही—	896, बाबा खड़क सिंह मार्ग	148.00 रु.	
9.	—वही—	80-एच, सेक्टर-IV, डी आई जेड एरिया	148.00 रु.	
10.	—वही—	74-बी, सेक्टर-IV, डी आई जेड एरिया	131.00 रु.	
11.	—वही—	81-बी, सेक्टर-Iv, डी आई जेड एरिया	131.00 रु.	

12.	अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी	12, पार्क लेन	237.00 रु.	
13.	—वही—	5, रायसीना रोड	5,40,970 रु.	
14.	दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई)	2, तालकटोरा रोड	26,445.00 रु.	17.5.00 से लाइसेंस रद्द किया गया
15.	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	1-बी, मौलाना आजाद रोड	6,390.00 रु.	12.7.90 से लाइसेंस रद्द किया गया
16.	दिल्ली मजदूर कांग्रेस	15-बी, मार्किट रोड	3,360.00 रु.	
17.	सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स	6, तालकटोरा रोड	28,263.75 रु.	
18.	भारतीय जनता पार्टी	11, अशोक रोड	शून्य	
19.	—वही—	सूट नं. 24, वी.पी. हाउस	185.00 रु.	
20.	—वही—	सूट नं. 523, वी.पी. हाउस	शून्य	
21.	—वही—	सूट नं. 55, वी.पी.हाउस	शून्य	
22.	लोकदल (ए)	15, विंडसार प्लेस	84,947.00	16.2.81 से लाइसेंस किया गया
23.	लोकदल (बी)	3, पंडित मार्ग	26,433.00 रु.	16.2.81 से लाइसेंस रद्द किया गया

1	2	3	4	5	6
24.	लोकदल		सूट नं. 1, वी.पी. हाउस	7,400 रु.	
25.	लोकदल		सूट नं. 2, वी.पी. हाउस	513.00 रु.	
26.	जनता पार्टी		सूट नं. 115, वी.पी. हाउस	1,749.00 रु.	
27.	—वही—		सूट नं. 416, वी. पी. हाउस	216.00 रु.	
28.	—वही—		सूट नं. 416, वी. पी. हाउस	205 00 रु.	
29.	—वही—		5, पण्डित पंत मार्ग	7,977.00 रु.	
30.	जनता दल		सूट नं. 17 वी. पी. हाउस	55.00 रु.	
31.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्सवादी) पार्टी		सूट नं. 8, वी.पी. हाउस	274.00 रु.	
32.	—वही—		सूट नं. 14, वी. पी. हाउस	609.00 रु.	
33.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया पार्टी		सूट नं. 119, वी.पी. हाउस	शून्य	
34.	—वही—		सूट नं. 201-ए. वी. पी. हाउस	293.00 रु.	
36.	—वही—		सूट नं. 209, वी. पी. हाउस	191.00 रु.	

राजस्थान की मध्यम वर्ग की सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

3486. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान मध्यम वर्ग की कुछ सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिये भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है, इन परियोजनाओं के लिए कितनी राशि की मांग की गई है और केन्द्रीय सरकार वास्तव में कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) कोई नई सिंचाई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली के लिए मास्टर-प्लान

3487. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :

श्री कल्पनाथ राय :

श्री कुन्दुर कृष्ण मूर्ति :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

कुमारी उमा भारती :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली के लिए नया मास्टर-प्लान हाल ही में मंजूर किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस नए मास्टर-प्लान में अन्य किन-किन राज्यों को शामिल किया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) दिल्ली की संशोधित वृहद योजना (संदर्भ 2001) जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा दिनांक 1.8.90 के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है, की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(i) इसमें वर्ष 2001 तक 128 लाख जनसंख्या के प्रबन्ध के लिये विभिन्न शहरी क्रिया-कलापों जैसे आवास, परिवहन, रोजगार केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, मनोरंजनात्मक क्षेत्रों आदि के लिये विकसित किए जाने वाले शहर एवं क्षेत्र के सुनियोजित विकास की व्यवस्था है ।

(ii) इस योजना में छोटे रिहायशी प्लाटों पर संवृद्धि आवास की संकल्पना को लागू किया गया है। जिससे निम्न आय वर्ग लाभान्वित होंगे।

(iii) रेल ट्रांजिट सेवाओं सहित एक बहु-रूपात्मक जन परिवहन प्रणाली एवं चार दिशाओं वाले महानगरीय यात्री टर्मिनलों, चार लदान परिसरों तथा पांच अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनलों का भी प्रस्ताव किया जाता है।

(iv) पहली बार "मिश्रित भू-उपयोग" और "अनौपचारिक क्षेत्र" की संकल्पना का प्रस्ताव किया गया है।

(v) पहाड़ी और नदी के रूप में प्राकृतिक विरासत और पर्यावरण का संरक्षण एवं विभिन्न स्तरों पर मनोरंजनात्मक तथा खेल-कूद के लिये बड़े पैमाने पर क्षेत्रों के विकास का इस योजना में प्रस्ताव किया गया है।

(vi) समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने और अधिक बेहतर जीवन कोटि के लिए पर्यावरण तैयार करने के लिए भूमि को संरक्षित करने हेतु स्थान-स्तरों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है।

(vii) उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं के प्रावधान के लिये तथा ग्रामीण औद्योगिक सम्पदाओं एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास के लिये भी 11 ग्रामीण विकास केन्द्रों की भी इस योजना में पहचान की गई है।

(viii) योजना में (क) सुव्यवस्थित विकास कोड और (ख) सशक्त प्रबोधन एकक की व्यवस्था की गई है।

(ग) दिल्ली की बृहत योजना में कोई और राज्य शामिल नहीं है। तथापि, दिल्ली की बृहत योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक एकीकृत भाग के रूप दिल्ली के विकास की दलील दी गई है। जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं।

तेलगु-गंगा मामले पर चर्चा हेतु बैठक

3488. श्री जे. चोक्का राव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलगु-गंगा परियोजना से संबंधित विषयों पर विचार करने हेतु हाल ही में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य-मंत्रियों की कोई बैठक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई;

(घ) इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश की इचमपल्ली परियोजना

3489. श्री के. थोक्का राव : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग को आंध्र प्रदेश सरकार से गोदावरी नदी पर इंचमपल्ली परियोजना के संबंध में स्वीकृति के लिए विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट पर इस समय किस स्तर पर विचार किया जा रहा है और इसे कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार करवाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1988 में केन्द्र में प्राप्त इंचमपली परियोजना को, जैसा कि सहमति हुई थी, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के संयुक्त अन्तर्राज्यीय कार्यबल द्वारा रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते राज्य सरकार को लौटा दी गई है ।

आन्ध्र प्रदेश की जुराला परियोजना

3490. श्री थोक्का राव : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश की जुराला परियोजना के लिए कब प्राप्त हुई थी;

(ख) क्या इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य के सूखा-प्रवण क्षेत्रों के लाभार्थ इस परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (घ) राज्य मार्च, 1986 में प्रस्तुत की गई जुराला परियोजना पर सलाहकार समिति द्वारा अप्रैल, 1988 में विचार किया गया था और राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण तथा वन स्वीकृति प्राप्त किए जाने के अध्यधीन इसे तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकार्य पाया गया था ।

असंगठित मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम का कार्यान्वयन

3491. श्री के. थोक्का राव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में धनराशि के अभाव के कारण कृषि जैसे मजदूरों के असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए राज्यों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कुछ राज्यों में श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा किए गए अध्ययनों से, अन्य बातों के साथ-साथ प्रवर्तन स्टाफ के लिए सुविधाओं के अभाव और धनराशि की कमी से निरीक्षण स्टाफ के अभाव के कारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन में कठिनाइयों का पता लगा है ।

(ख) इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकारों को धन राशि प्रदान करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

खाद्य तेल में वायदा व्यापार

3492. श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों में वायदा व्यापार करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) सरकार का इस समय खाद्य तेलों में वायदा व्यापार की अनुमति देने का कोई इरादा नहीं है। इस समय खाद्य तेलों की मांग व आपूर्ति में काफी अन्तर है और उनमें वायदा व्यापार की अनुमति देने से सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलने तथा खाद्य तेलों के मूल्यों में और वृद्धि होने की संभावना है ।

पटसन निर्यात योजना

3494. श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस पटसन निर्यात योजना को कार्यान्वित न किये जाने की सम्भावना है, जिस पर सरकार द्वारा पहले विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस निर्णय पर पुनःविचार करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सरकार ने फसल की मात्रा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1990-91 में कच्चे पटसन का निर्यात करने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य कच्चे पटसन के लिये बाजार में कीमत स्थिर बनाए रखना तथा किसानों के हितों की रक्षा करना है । इस निर्णय में परिवर्तन नहीं किया गया है और यह बरकरार है ।

शराब का उपभोग कम करने हेतु नीति

[हिन्दी]

3495. श्री आर. एन. राकेश :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शराब का उपभोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार शराब का उपभोग घटाने हेतु कोई नीति तैयार कर रही है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश को खाद्य वस्तुओं की सप्लाई

[अनुवाद]

3496. श्री आर. एन. राकेश :

श्री सी. एम. नेगी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में चावल, चीनी, गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की मासिक औसत मांग कितनी है;

(ख) क्या उपरोक्त वस्तुओं की आवश्यकता पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1988, 1989 तथा वर्ष 1990 में महीने-वार वास्तविक सप्लाई और मांग का ब्यौरा क्या है। और

(ङ) राज्य की आवश्यकता को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से मास प्रति मास प्राप्त मांगों के आधार पर जनवरी-सितम्बर, 1990 की अवधि के लिए चावल और गेहूं की औसत मासिक मांग क्रमश: 40.22 हजार मीटरी टन और 63.33 हजार मीटरी

टन बैठती है। 1990 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की आयातित खाद्य तेलों की मासिक औसत आवश्यकता 9250 मीटरी टन है। जहां तक चीनी और मिट्टी के तेल का संबध है, कोई मांग प्राप्त नहीं की जाती है।

(ख) (ग) और (ड) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेलों के आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के अनुपूरक होते हैं और वे राज्य की समूची मांग को पूरा करने के लिये नहीं होते हैं। ये आवंटन स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता, और अन्य संगत तथ्यों को दृष्टि मे रखते हुए प्रत्येक मास के आधार पर किये जाते हैं। चीनी का आवंटन 1.10.1986 को परियोजित जनसंख्या के लिये 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास के एक-समान मानदण्ड के आधार पर किया जाता है। लेवी चीनी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस मानदण्ड में संशोधन करना संभव नहीं है। विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की मिट्टी के तेल की आवश्यकताओं का पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के लिए किये गए आवंटन की तुलना में उपयुक्त वृद्धि की व्यवस्था कर जायजा लिया जाता है। नियमित आवंटनों के अलावा, बाढ़, सूखा, समुद्री तूफान, एल. पी. जी. की कमी आदि जैसी विशेष आकस्मिकताओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर अतिरिक्त तदर्थ निर्मुक्तियां भी की जाती हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमे अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

वर्ष 1988, 1989 के लिए और 1990 के लिए मासवार उत्तर प्रदेश के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की मांग, आवंटन और उठान

(हजार मीटरी टन में)

वर्ष	चावल			गेहूं			चीनी		खाद्य तेल			मिट्टी का तेल	
	मां.	आ.	उ.	मां.	आ.	उ.	आ.	उ.	मा.	आ.	उ.	कुल आवंटन	आपूर्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1988	1000.0	510.0	396.5	1000.0	695.0	520.8	651.05	*	102.00	45.76	24.32	811.75	819.85
1989	705.0	405.0	286.5	830.0	715.5	465.3	651.05		103.50	5.60	2.17	881.07	890.05
1990													
जनवरी	32.0	32.0	30.5	50.0	50.0	42.2	52.92		9.25	0.50	0.45	77.79	77.99
फरवरी	35.0	35.0	24.1	55.0	50.0	20.0	52.92		9.25	0.50	0.20	76.79	80.32
मार्च	45.0	35.0	28.0	75.0	50.0	17.9	52.92		9.25	1.00	0.12	72.04	73.90
अप्रैल	45.0	35.0	24.7	75.0	50.0	14.6	52.92		9.25	1.00	0.18	72.04	73.13
मई	25.0	45.0	27.7	75.0	50.0	15.0	52.92		9.25	1.15	0.17	72.04	72.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जून	40.0	35.0	26.4	60.0	50.0	9.2	52.92		9.25	2.00	0.18	72.04	71.09
जुलाई	40.0	35.0	24.0	60.0	50.0	9.2	52.92		9.25	2.10	0.68	76.44	उ. न.
अगस्त	40.0	35.0	उ. न.	60.0	50.0	उ. न.	52.92		9.25	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
सितंबर	40.0	35.0	उ. न.	60.0	50.0	उ. न.	60.89		9.25	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.

मां. = मांग आ. = आवंटन उ. = उठान उ. न. = उपलब्ध नहीं

* राज्य सरकार आवंटित चीनी फैक्ट्रियों से उठाने का स्वयं प्रबंध कर रही है।

राज्यों को पामोलीन का कोटा

3497. श्री के. प्रधानी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पामोलीन के आबंटन हेतु राज्यवार कोटे में कोई वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) पामोलीन तेल का वितरण किस आधार पर किया जाएगा; और

(घ) उड़ीसा के लिये पामोलीन का कितना कोटा निर्धारित है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पामोलीन का आबटन जुलाई, 1990 में 70,00 मी. टन से बढ़ाकर अगस्त, 1990 मे 90,000 मी. टन कर दिया गया है। जुलाई और अगस्त, 1990 के दौरान किया गया राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन राज्यों की युक्तिसंगत मांग खुले बाजार में देशीय खाद्य तेलों के मूल्यों, राज्यों द्वारा माल उठाने की गति तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखकर माह-दर-माह आधार पर किया जाता है।

(घ) उड़ीसा को सितम्बर, 1990 के दौरान आयातित पामोलीन का आबंटन 4,000 मी. टन पर नियत किया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जुलाई, 90 आवंटन	अगस्त, 90 आबंटन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	6500	8000
2.	अरुणाचल प्रदेश	150	150
3.	असम	300	400
4.	बिहार	1000	1500
5.	गोआ	650	800
6.	गुजरात	9500	12500
7.	हरियाणा	800	1000

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	1000	1200
9.	जम्मू व कश्मीर	700	700
10.	कर्नाटक	5000	6500
11.	केरल	3500	5000
12.	मध्य प्रदेश	4000	5000
13.	महाराष्ट्र	14500	16500
14.	मणिपुर	300	400
15.	मेघालय	200	300
16.	मिजोरम	300	400
17.	नागालैण्ड	300	400
18.	उड़ीसा	3000	3000
19.	पंजाब	400	600
20.	राजस्थान	750	1750
21.	सिक्किम	150	200
22.	तमिलनाडु	6000	7500
23.	त्रिपुरा	300	350
24.	उत्तर प्रदेश	2100	2100
25.	पश्चिम बंगाल	6000	10000
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	200	250
27.	चंडीगढ़	50	90
28.	दादरा व नगर हवेली	60	80
29.	दिल्ली	1600	2400
30.	दमण	80	100
31.	दीव	60	80
32.	लक्षद्वीप	—	—
33.	पाण्डिचेरी	550	750
	योग :	70000	90000

आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन

3498. श्री के. प्रधानी : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को 10, 20 और 30 प्रतिशत विशेष भत्ता तथा स्टाफ क्वार्टर जैसे प्रोत्साहन देने के लिए ताकि कर्मचारी कठिन परिस्थितियों और अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों मे काम करने को प्रोत्साहित हो सके, उपयोजना क्षेत्रों में प्रशासन का दर्जा बढ़ाने के तहत धनराशि के आवंटन का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या नवें वित्त आयोग ने ऐसी कोई व्यवस्था की थी; और

(ग) यदि नहीं, तो आदिवासी क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) 1985-89 की अवधि के लिये क्रियात्मक आठवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अन्तर्गत, आदिवासी प्रशासन के उन्नयन को निम्नलिखित तीन योजनाओं के अन्तर्गत 13 राज्य सरकारों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को अनुदान दिए गए हैं :—

1. आदिवासी क्षेत्रों में सेवा के लिए तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूरक भत्ते का भुगतान ;
2. आदिवासी क्षेत्रों में गृह इकाइयों का निर्माण; और
3. चुनिंदा आदिवासी गांवों में अवसंरचनात्मक विकास के लिये पूंजी परिव्यय ।

नवे वित्त आयोग ने वर्ष 1989-90 की अपनी पहली रिपोर्ट में आदिवासी क्षेत्रों में गृह इकाइयों के निर्माण की योजना के लिए उन्नयन अनुदान तथा चुनिंदा आदिवासी गांवों में अवसरचनात्मक विकास के लिए पूंजी परिव्यय की सिफारिश की थी । आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूरक भत्ते का भुगतान जारी रखने के लिये संबंधित राज्यों को निधियों के अन्तरण की सिफारिश करते समय आयोग ने इस दायित्व को ध्यान में रखा है ।

नवें वित्त आयोग ने वर्ष 1990-95 की अपनी दूसरी रिपोर्ट मे राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय के निर्धारण के लिए एक "नियामक दृष्टिकोण" अपनाया है । आयोग ने सेवाओं के उन्नयन के लिए किसी विशिष्ट सहायक अनुदान की सिफारिश नहीं की है क्योंकि "इन राज्यों मे इन सेवाओं के उन्नयन की आवश्यकता, जहां ये औसत से कम है" को आयोग द्वारा अपनाए गए मानदण्डों को ध्यान में रखा गया है ।

कल्याण मन्त्रालय ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि न्यायगत विधियों के अंतर्गत किए गये प्रावधान के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते के भुगतान की योजना जारी रखी जाए । जहां तक आदिवासी क्षेत्रों में गृह इकाइयों के निर्माण तथा आदिवासी

गांवों में अवसंरचनात्मक विकास का संबंध है इन योजनाओं में चूंकि नया निवेश अंतर्ग्रस्त है, यह योजना कार्यक्रमों का एक हिस्सा बनेगी।

लेबल लगाने के नए प्रावधान को लागू करना

3499. श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री लेबल लगाने के नये प्रावधान को लागू के बारे में 23 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10104 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषज्ञों की किस सलाह के आधार पर भारी संख्या में भोज्य पदार्थों में कृत्रिम रंगों और सुगन्धों की मात्रा को कम करने संबंधी प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया ;

(ख) क्या इस समय सभी भोज्य पदार्थों के प्रयोग में काफी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या हाल ही में दिल्ली में कुछ ऐसे मामले पकड़े गए हैं जिनमें ऐसे रंग और सुगंन्ध मिले हुए थे; जिनके मिलाने की अनुमति नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का ऐसे सिन्थेटिक रंगों और सुगन्धों के प्रयोग को पूरी तरह कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : विशेषज्ञों ने राय व्यक्त की है कि कृत्रिम रंग की मात्राओं में कमी करने के प्रस्ताव पर विशेष रूप से कुछ संसाधित खाद्य वस्तुओं, जहां संसाधन के दौरान फलों और सब्जियों के मूल रंग के समाप्त होने की संभावना रहती है, को रंगने की प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और आगे विचार किए जाने की आवश्यकता है।

जहां तक कृत्रिम जायकों के प्रयोग का संबंध है विशेषज्ञों का मत है कि कृत्रिम जायकों लिए कोई सीमा निर्धारित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसा जायका स्वत: सीमित है।

(ख) और (घ) कृत्रिम रंगों और जायकों का उपयोग केवल निर्धारित खाद्य वस्तुओं में ही अनुमत्य है।

(ग) चालू वर्ष 1990 के दौरान दिल्ली प्रशासन के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग ने 8 मामलों में गैर-अनुमत्य रंगों के उपयोग का पता लगाया है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में पहले ही ऐसे मामलों के लिये कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है।

उड़ीसा के जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में कर्मचारियों को विशेष भत्ते का बन्द किया जाना

3500. श्री अरविन्द नेताम : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष भत्ते को देना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सूचना उड़ीसा सरकार से एकत्र की जा रही है और जब प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का कब्जा लेना

[हिन्दी]

3501. श्री अरविन्द नेताम : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट की पूरी कीमत प्राप्त करने के बाद तथा फ्लैट की कब्जा लेने की तारीख के समाप्त होने के कई साल बाद तक भी फ्लैटों के आबंटितियों को वास्तविक कब्जा नहीं देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे मामलों में कब्जा लेने की तारीख के गुजर जाने के बाद की अवधि के लिये आबंटितियों को कोई ब्याज दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) आबंटियों को समय पर कब्जा देने के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं। तथापि, निर्माण कार्य के पूरा न होने अथवा अनिवार्य नागरिक सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण वास्तविक कब्जा सौंपने के स्थगित रखे जाने की स्थिति में आबंटियों को उनके द्वारा अदा की गई राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज दिया जाता है।

देश में आवासों की कमी

[अनुवाद]

3502. प्रो. पी. जे. कुरियन :

श्री बी. एन. रेड्डी :

श्री ए. के. ए. अब्दुल समद :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक अद्यतन पारिवारिक इकाइयों के रूप में कितने आवासों की कमी होने का अनुमान है ;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत, राज्य-वार कितने आवास-स्थल/आवास आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान सरकारी आवास के लिए हुडको द्वारा, ऋण दिए जाने का पारिवारिक इकाइयों के रूप में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार देश में आवास की कमी संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि आवास की सूची बनाने कार्य केवल जनगणना के समय किया जाता है। दशकीय जनगणना 1991 में की जानी है और सही आंकड़े इसके पश्चात ही उपलब्ध होंगे। 1981 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने देश में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मार्च, 1990 को क्रमश: 100 लाख और 203 लाख मकानों की कमी का पूर्वानुमान लगाया है.

(ख) आवास राज्य का विषय है और सभी आवास योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी-अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप तैयार/कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से लक्ष्य निर्धारित किए जाते है और उन पर निगरानी रखी जाती है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के राज्य-वार लक्ष्य संलग्न विवरण मे दिए गये हैं। विभिन्न आय वर्गों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आवास-स्थल आवंटन करने के लक्ष्यों को राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) निजी अभिकरणों द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने हेतु हुडको द्वारा कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। विशिष्ट प्रस्तावों पर हुडको के ऋण देने के मानदण्डों के अनुसार गुणाव गुण आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्यों का ब्यौरा

राज्य	मकानों की संख्या जिनका निर्माण किये जाने की सम्भावना है
1	2
1. आंध्र प्रदेश	7913
2. अरुणाचल प्रदेश	289
3. असम	1119
4. बिहार	16346
5. गोआ	10
6. गुजरात	4661
7. हरियाणा	941
8. हिमाचल प्रदेश	351

1	2
9. जम्मू तथा कश्मीर	205
10. कर्नाटक	5443
11. केरल	1733
12. मध्य प्रदेश	18266
13. महाराष्ट्र	7651
14. मणिपुर	59
15. मेघालय	450
16. मिजोरम	226
17. नागालैंड	392
18. उड़ीसा	9110
19. पंजाब	1287
20. राजस्थान	7347
21. सिक्किम	52
22. तमिलनाडु	7222
23. त्रिपुरा	286
24. उत्तर प्रदेश	18914
25. पश्चिम बंगाल	11594
26. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	16
27. चंडीगढ़	5
28. दादर तथा नगर हवेली	61
29. दिल्ली	8
30. दमन तथा द्वीव	79
31. लक्षद्वीप	16
32. पांडिचेरी	48
	योग = 122100

मकानों के आकार का परिसीमन

3503. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवासीय मकानों के आकार को बड़े मकानों पर होने वाले स्रोतों के अपव्यय को देखते हुए, परिसीमित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) विलासिता वाले मकानों के निर्माण में दुर्लभ वित्तीय संसाधनों के पूंजी-निवेश की मात्रा घटाने की दृष्टि से, राष्ट्रीय आवास नीति के मसौदे में यह व्यवस्था की गई है कि शहरी क्षेत्रों में प्लाटों का आकार 120 वर्गमीटर से अधिक न हो। प्लाटों तथा रिहायशी एककों के आकार के संबंध में समुचित अधिकतम आवासीय मानदण्ड, विनिर्देशन, निर्माण की लागत, उपस्कर तथा आंतरिक सुविधायें स्थानीय परिस्थितियों तथा राष्ट्रीय मानदंडों को ध्यान में रखते हुए राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ये मानदण्ड आवास संबंधी वित्तीय संस्थानों के ऋण संबंधी मानदंडों के साथ-साथ स्थानीय भवन-निर्माण विनियमनों में भी शामिल किए जायेंगे।

दिल्ली में मुख्तारनामा प्रणाली को नियमित करना

3504. श्री जे. पी. अग्रवाल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में प्रचालित मुख्तारनामा प्रणाली को नियमित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को मुख्तारनामे को बहुत ऊंची दरों पर नियमित करने की वर्तमान प्रणाली के विरुद्ध कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को स्नातकोत्तर भत्ता

3505. श्री गंगा चरण लोधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन मेडिकल ग्रेजुएटों को मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा डिग्री धारक होने पर कोई स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाता है, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में मेडिकल आफिसर के पद पर, जिसके लिए मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक नहीं है, की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में भारतीय चिकित्सा पद्धति में

चिकित्सकों और अन्य मेडिकल आफिसरों को, जिसके लिए स्नातकोत्तर शिक्षा अनिवार्य शिक्षा के रूप में निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जो स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा धारण किए हुए हैं, कभी वही उतना ही भत्ता दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस असंगतता को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सूचना इस प्रकार है :—

	स्नातकोत्तर	
	डिग्री	डिप्लोमा
एलोपैथिक चिकित्सक	200/-रुपये	100/-रुपये
भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक चिकित्सक	100/-रुपये	50/-रुपये

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के चिकित्सकों के स्नातकोत्तर भत्ते की दर में वृद्धि करके उसे एलोपैथिक चिकित्सकों के बराबर करने के प्रश्न पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

आठवीं योजना में आवास के लिए धनराशि का आकलन

3506. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान में आवास के लिए आवश्यक धनराशि का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुमान लगाया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आवासीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग द्वारा गठित किये गये "आवास समस्याओं की मात्रा पर उपदल" ने 1990-95 की अवधि के दौरान निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की कुल वित्तीय आवश्यकता 77,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है।

हथकरघा बुनकरों को पेंशन

3507. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकरों का पेंशन देने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई याचिका प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार केरल में ऐसी कोई योजना आरम्भ करने के लिए उक्त राज्य के हथकरघा कामगार कल्याण निधि बोर्ड को दी जाने वाली धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सरकार को इस समय केरल हथकरघा कामगार कल्याण निधि बोर्ड जैसी राज्य स्तरीय निधियों को सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। इसलिए राज्य में ऐसी योजना शुरू करने के लिए बोर्ड को निधियां प्रदान का कोई प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन में खाद्य तेल का उत्पादन

3508. श्री हरीश पाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन में वर्ष-वार खाद्य तेलों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान खाद्य तेलों के उत्पादन में कोई गिरावट आई है और यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 5 जून, 1990 से अब तक की अवधि के दौरान खाद्य तेलों की बिक्री और खरीद का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों के विनिर्माण के कार्य में लगा है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन ने हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल का निम्नवत उत्पादन किया है :—

वर्ष	(मी. टनों में) उत्पादन
1987-88	47,747
1988-89	45,401
1989-90	53,218

(ख) 1988-89 के दौरान सरकार द्वारा वनस्पति तैयार करने में रियायत प्राप्त आयातित खाद्य तेलों का उपयोग रोक दिये जाने के कारण वनस्पति का उत्पादन प्रभावित हुआ था।

(ग) हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन द्वारा 5 जून, 1990 से आगे की गई वनस्पति (हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल) की बिक्री तथा वनस्पति तेलों की खरीद का विवरण संलग्न है।

विवरण

	मात्रा (मी. टन में)	न्यूनतम दर (रु. नए पैसे में)	अधिकतम दर (रु. में)
5.6.90 से 8.8.90 तक बेचा गया वनस्पति (हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल)	64.81	405.33 (प्रति 15 कि. ग्रा. का टीन)	476.00 (प्रति 15 कि. ग्रा. का टीन)
5.6.90 से 7.8 90 तक खरीदे गए वनस्पति तेल			
(1) तिल का तेल	706.5	24,200	28,800
(2) चावल की भूसी का तेल	500.5	20,800	27,000
(3) सरसों (निष्कर्षित) तेल	1170.5	21,350	27,100
(4) सरसों (एक्सपेलर) तेल	637.0	20,900	24,300
(5) सोयाबीन का तेल	1308.0	21,900	27,700
(6) सूरजमुखी का तेल	496.0	24,900	28,100
(7) महुआ का तेल	374.0	25,500	28,000
(8) मक्का का तेल	181.0	23,600	27,700
(9) बिनौले का तेल	1844.1	22,100	28,400
(10) तरबूज के बीजों का तेल	73.5	23,000	25,000

बिहार में उचित दर दुकानें

[हिन्दी]

3509. श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 8 अगस्त, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) बिहार के दरभंगा, मधुबनी और दिओनी क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र में स्थापित किये फल प्रसंस्करण एकक बहुत समय से बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हां तो उत्पादन के लिए उन्हें फिर से चालू करने के लिये किन-किन वस्तुओं की आवश्यकता है और कब तक;

(ग) उपरोक्त एककों में भूमि मशीन और भवन आदि के रूप में कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है और उन्हें चालू करने के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) क्या उपरोक्त उद्योगों को सहकारी क्षेत्र में या सरकारी नियंत्रण के अधीन अथवा ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के ठेके के आधार पर पुन: कुछ वर्षों के लिये चालू किया जा सकता है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बिहार के मधुबनी, दरभंगा और बेनी में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की सहायता से सहकारी सैक्टर में वर्ष 1966-67 में फल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित किये गये थे । प्राप्त सूचना के अनुसार दिओनी में कोई सहकारी फल यूनिट स्थापित नहीं किया गया है ।

उपर्युक्त तीन यूनिट उत्पादन नहीं कर रहे हैं । राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने 1976 में दरभंगा स्थित यूनिटों को 4.80 लाख रुपये और मधुबनी तथा बेनी स्थित दूसरे सहकारी यूनिटों को 1982 में क्रमश: 4.12 लाख रुपये और 4.20 लाख रुपये की पुनर्स्थापन सहायता मंजूर की थी । परन्तु इन सहकारी समितियों ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा मंजूर की गई धनराशि का लाभ नहीं उठाया ।

यद्यपि निवेश से संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती, परन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार तीनों यूनिटों की परियोजना लागत प्रत्येक की अलग-अलग लगभग 4.00 लाख रुपये थी ।

यूनिटों को चालू करने के लिए आवश्यक वर्तमान निवेश अनेक बातों पर निर्भर करेगा जैसे मशीनरी की हालत, मशीनरी बदलने की लागत आदि ।

केन्द्र सरकार का इन यूनिटों को अपने हाथ में लेने का कोई विचार नहीं है । जहां तक ये यूनिट ठेके आदि पर प्राइवेट उद्यमियों को देने की बात है यह निर्णय लेना राज्य सरकार/सहकारी समितियों का काम है ।

औद्योगिक वस्तुओं की लागत का आकलन

[अनुवाद]

3510. प्रो. राम गणेश कापसे :

श्री अनंतराव देशमुख :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औद्योगिक वस्तुओं की लागत के आकलन के संबंध में महाराष्ट्र राज्य कपास उत्पादक संघ, अकोला के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के किसानों का कोई निर्णय प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) वस्त्र मंत्रालय में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सतुलज-यमुना लिंक नहर

[हिन्दी]

3511. श्री जय प्रकाश : क्या जल संसाधन यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतुलज-यमुना लिंक नहर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) क्या इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों ने वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए बार-बार अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप कई अधिकारी मारे गए;

(घ) भविष्य में उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन घटनाओं के फलस्वरूप हरियाणा को पानी न मिलने के कारण कितनी हानि हो रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) पूरा करने की समय अनुसूची मार्च, 1991 थी। तथापि, पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि हाल की घटनाओं को देखते हुए, इसको पूरा करने के लिए उन्हें कुछ और समय की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) से (घ) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, कार्य स्थलों पर आवश्यकता के आधार पर सुरक्षा प्रदान की गई थी। राज्य सरकार को 23 जुलाई, 1990 की घटना से कुछ दिन पूर्व स्वर्गीय श्री एम. एल. सेखरी, मुख्य अभियन्ता से वैयक्तिक

सुरक्षा के वास्ते एक मात्र अनुरोध प्राप्त हुआ था : जब कुछ आतंकवादियों द्वारा वे तथा अन्य अधीक्षक अभियन्ता मारे गए थे, तो उस समय उनके अनुरोध पर विचार किया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा मुख्य अभियंता (स. य. सम्पर्क अभिकल्पम) के आवास पर सुरक्षा प्रदान की जा रही है। पदनामित मुख्य अभियंता (स. य. सम्पर्क निर्माण) जब कार्यभार सम्भालेंगे तो उनके आवास पर सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा अन्य कार्यालयों पर भी आवश्यकता पर आधारित सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

(ङ) रावी तथा व्यास जल अधिकरण के अनुसार हरियाणा ने विद्यमान नहर प्रणाली के माध्यम से वर्ष 1980-85 के दौरान उस अवधि के लिए 2811 मि. घन मी. के अपने हिस्से में से 71 प्रतिशत जल पहले ही प्राप्त कर लिया है।

भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार

3512. श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा जनवरी, 1988 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ख) क्या इस संघ ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों से लकड़ी का गोंद खरीदना बंद कर दिया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या महाराष्ट्र आदिवासी विकास संघ ने नीलामी के माध्यम से गोंद बेचा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जनवरी, 1988 से अब तक भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) द्वारा 49 अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

औद्योगिक संबंध अधिनियम के बारे में नियुक्त समिति की रिपोर्ट

[अनुवाद]

3513. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक संबंध अधिनियम में संशोधन के सुझाव देने हेतु नियुक्त की गयी समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गयी हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र समिति की सिफारिशें

[हिन्दी]

3514. श्री आर. एल. राकेश :

श्री संजय लाल :

श्री नरसिंह सूर्यवंशी :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जुलाई, 1990 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "व्ही टु अक्सेप्ट सजेशन्स आफ टैक्सटाइल कमेटी" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को वस्त्र उद्योग के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने समिति की कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ङ) यदि हां, तो श्रमिकों से संबंधित सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण है; और

(च) भविष्य में इन सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) से (च) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने तथा इसका मूल्यांकन करने के लिए तक इसका वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है सरकार ने श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर विचार किया जा रहा है। आबिद हुसैन समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं :—

विवरण

वर्ष 1985 की वस्त्र नीति पर आबिद हुसैन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति सही सिद्धान्तों के आधार पर बनाई गई है।

(2) समिति ने समय परिप्रेक्ष्य में अगले 10 वर्षों के लिए अपनाया है।

(3) उद्योग के सभी विभिन्न भागों से गैर सरकारी स्थायी प्रतिनिधि के साथ एक शीर्ष परिषद समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप कार्रवाई को मानिटरी और कार्यान्वयन करने के लिए नियुक्त की जानी चाहिए। परिषद 2 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त की जानी चाहिए और बाद में स्थायी आधार पर नियुक्त की जानी चाहिए।

(4) कपास के उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमत दी जानी चाहिए। कच्ची रूई के लिए कीमत नीति को प्रतियोगिता का लाभ मिलना चाहिए। कपास की कीमतों में स्थिरता लाई जानी चाहिए। भारत को कपास का एक स्थायी निर्यातक होना चाहिए। एक शीर्ष स्तर का कपास विकास एवं औद्योगिकी प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए।

(5) सिंथेटिक फाइबर और यार्न पर आयात शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि सिंथेटिक फाइबर की उतराई कीमतें बी आई सी पी द्वारा निर्धारित की जाने वाली पूर्व-घोषित चरण बद्ध घरेलू कीमतों के लगभग बराबर हों।

(6) कताई उद्योग के लिए न्यूनतम आर्थिक आकार निर्धारित किया जाना चाहिए।

(7) हैंक यार्न की प्रणाली की तुलना में आरक्षण को इस तरह से बनाया जाना चाहिए जिससे कि हथकरघा बुनकरों को प्रभावकारी ढंग से पर्याप्त हैंक यार्न मुहैया कराया जा सके। हैंक यार्न का विद्युत करघा क्षेत्र में अंतरित करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हथकरघा सहकारी समितियों तथा विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य हथकरघा संगठनों को मिलों द्वारा सप्लाई किए गए हैंक यार्न पर ऐसे उत्पाद शुल्क की छूट दी जानी चाहिए ताकि हैंक यार्न पर अन्यथा प्रभारित किया जाता है। हथकरघा बुनकरों को हैंक यार्न प्राप्त करने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हथकरघा के लिए वस्त्रों के आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए समिति ने सामान्य कल्याण निधि तथा बुनकर पुनर्वास निधि की स्थापना करने की सिफारिश की है।

(8) जनता कपड़ा योजना को दुबारा से बनाया जाना चाहिए और इसका लक्ष्य कम आय वाले बुनकरों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाना होना चाहिए।

(9) समिति ने हथकरघा बाहुल्य क्षेत्र में क्षेत्र आधारित हथकरघा संवर्धन अभिकरण तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास प्राधिकरण नामक शार्ष अभिकरण की स्थापना की सिफारिश की है ताकि सभी व्यवसायिक, तकनीकी, डिजाइन, प्रबंधकीय, विपणन तथा वित्तीय अन्तर्निविष्टियों का एक साथ मिलाया जा सके। इन सब को आवश्यकता देख के हथकरघा का संवर्धन करने पर अत्यधिक महत्व देना है।

(10) विद्युत करघा बुनकरों की दशा में सुधार लाया जाना चाहिए। उनका और विकास किया जाना चाहिए। उनमें गतिशीलता लाई जानी चाहिए तथा विद्युत करघा के

क्रियाकलाप का विनियमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विद्युत करघा बुनकरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य बीमा निधियों तथा सामाजिक सुरक्षा निधियों की स्थापना की जानी चाहिए। पहले से स्थापित विद्युत करघा केन्द्रों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, उन्हें और कारगर बनाया जाना चाहिए तथा साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। जहां कहीं भी 23,000 से अधिक विद्युत करघा बुनकर हैं, वहां पर विद्युत करघा क्षेत्रीय विकास निगम स्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्युत करघा बाहुल्य क्षेत्र में पी ए डी सी के एक सहायक निगम के रूप में श्रमिक प्रावर्तन तथा कल्याण एजेंसी स्थापित की जानी चाहिए।

(11) मिल उद्योग का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाता रहना चाहिए। अपेक्षित औद्योगिक इनफ्रास्ट्रक्चरिंग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत प्रबंध किए जाने चाहिए। 25,000 अथवा उससे अधिक वस्त्र कामगारों वाले औद्योगिक महानगरीय क्षेत्रों में वस्त्र पुनर्निर्माण परिसम्पदा न्यास स्थापित किए जाने चाहिए। इन न्यासों को कानूनी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।

(12) देश को वस्त्रों में अपनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता का पूरा फायदा उठाना चाहिए तथा विशेषकर परिधानों के निर्यात बढ़ाने चाहिए। हथकरघा निर्यातों का डिजाइन और विपणन सहायता देने की ओर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

(13) वस्त्रों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क फैब्रिक प्रोसेसिंग, फिनिशिंग की स्थिति की बजाय यार्न की स्थिति में लगाना चाहिए।

(14) समिति ने यह सिफारिश की है कि औद्योगिक विकास विभाग वस्त्र मंत्रालय के साथ मिल कर संयुक्त रूप से एक तकनीकी समूह की नियुक्ति करे जोकि वस्त्र मशीन उद्योग की मध्यम तथा दीर्घकालिक आवश्यकताओं की जांच करेगा।

सोवियत संघ के कपड़े का निर्यात

2515. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ विश्व में भारतीय वस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक बन रहा है;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान सोवियत संघ को किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अप्रैल, 1990 के दौरान सोवियत संघ को किए वस्त्रों का निर्यात गत वर्ष के दौरान इसी अवधि के निर्यात की तुलना में दुगुना है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में आगे और सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्यप्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां, सोवियत संघ विश्व में भारतीय सूती वस्त्रों (मिल-निर्मित) विद्युत करघा। बुने हुए) के बड़े आयातकों में से एक है।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान सोवियत संघ को सूती वस्त्रों का निर्यात 183.85 करोड़ रु. का रहा।

(ग) जी हां।

(घ) हालांकि, सोवियत संघ के साथ व्यापार, व्यापार योजनाओं के तहत किया जाता है, फिर भी सोवियत संघ के प्राधिकारियों को भारत से अधिक माल लेने हेतु राजी करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा, सामान्य निर्यात संवर्धन उपाय जैसे क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन, प्रदर्शनियों में भाग लेना और व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भेजना, आदि भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जा रहे हैं।

सूती धागे के निर्यात की अधिकतम सीमा निश्चित करना

3516. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सूती धागे के निर्यात की क्या अधिकतम सीमा निश्चित की गई है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान सूती धागों के निर्यात वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सरकार ने प्रारम्भ में वर्ष 1990 के दौरान निर्यात के लिए सूती यार्न की उच्चतम सीमा 40 एम. किग्रा निर्धारित की थी। फिर भी देश में अधिक मांग तथा कच्ची रुई के रिकार्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 70 एम. किग्रा कर दिया गया है।

पंजाब में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नि:शुल्क चिकित्सा सहायता

3517. श्री कमल चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता देने की कोई विस्तृत योजना वर्ष 1989 और 1990 के दौरान कार्यान्वित की गई अथवा कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पंजाब में इस योजना से अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है अथवा हो रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का भविष्य में पंजाब में ऐसी निःशुल्क व्यापक चिकित्सा सहायता योजना कार्यान्वित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) राज्य में खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और और समाज के अन्य कमजोर वर्गों सहित सभी को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 30,000 आबादी तथा उप-केन्द्रों के लिए 5000 आबादी बुनियादी मानदण्ड निश्चित किया गया है।

पंजाब को बाढ़ राहत सहायता

3518\. **श्री कमल चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में विध्वंसकारी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब को बाढ़ राहत कोष से कुल कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई; और

(ग) क्या पंजाब राज्य को बाढ़ राहत सहायता प्रदान करने का कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) बाढ़ प्रबंध संबंधी स्कीमों की आयोजना, अभिकल्पन तथा क्रियान्वयन राज्यों द्वारा स्वयं किया जाता है। क्रमशः सतलुज एवं ब्यास पर भाखड़ा तथा पोंग बांधों के निर्माण से इन नदियों की बाढ़ समस्या काफी हद तक कम हो गई है। रावी नदी पर अब पंजाब सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे थीन बांध से रावी बेसिन में क्षेत्रों को बाढ़ सुरक्षा मिलेगी। पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर इन बांधों के नीचे नदियों के साथ-साथ तटबंधों, ठोकरों (स्परों), तटबंधों को ऊंचा उठाने आदि के निर्माण कार्य जैसे बाढ़ नियंत्रण तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य भी शुरू किए गए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ राहत-उपायों के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान पंजाब सरकार को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी है :—

वर्ष	बाढ़ राहत उपायों के लिए संस्वीकृत उच्चतम सीमा	बाढ़ राहत के लिए निर्मुक्त गैर आयोजना अनुदान
		(करोड़ रुपये में)
1987-88	1.48	0.63
1988-89	150.20	81.09
1989-90	कोई आपदा नहीं	11.50*

(*वृष्टि के कारण सहायता दी गई)

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने सतलुज तथा रावी पर प्रतिकारी सुरक्षात्मक बाढ़ कार्यों के लिये पंजाब सरकार को 1983 से अब तक 1705 लाख रुपये की सहायता प्रदान की है। केन्द्र से एक दल ने फरवरी, 1990 में रावी नदी के कुछ पहुँचों का निरीक्षण किया, क्षेत्र स्थिति का पुनरीक्षण किया और पंजाब सरकार को कुछ सिफारिश की।

"भाटी माइन्स ए डैथ ट्रैप" शीर्षक से समाचार

3519. श्री माधवराव सिंधिया : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 31 मई, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में भाट्टी माइन्स ए डैथ ट्रैप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसके बाद से होने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं की कोई जांच की है तथा दिल्ली में भाट्टी खानों में खनन कार्य को जारी रखने और व्यवस्थित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काम के अधिकार की नीति

3520. श्रीमती उमा गजपति राजू :

श्री शंकर सिंह बघेला :

डा. ए. के. पटेल :

प्रो. शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम के अधिकार की नीति को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ख) इस नीति को कार्यान्वित करने से कितनी धन-राशि खर्च होने का अनुमान है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) काम के अधिकार से संबंधित विभिन्न ब्योरे विचाराधीन है।

कोचीन/में उन्नत तकनीकी वाला मेडिकल कालेज खोलना

3521. प्रो. के. वी. थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में माडल इंजीनियरिंग कालेज के सहयोग से उन्नत तकनीक वाला एक मेडिकल केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद को बढ़ावा देना

3522. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने की इच्छुक है और यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कोई कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोभी निर्यातकों और बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में और बेतहाशा निर्यात किये जाने के कारण बड़ी संख्या में जड़ी-बूटियों के लुप्त होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है;

(ग) क्या सरकार का प्रथम कदम के रूप में कच्चे माल पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने तथा विदेशों में खुदरा बिक्री के लिये केवल तैयार मूल्य वर्द्धित जड़ी-बूटी उत्पाद बेचने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में जड़ी-बूटी के बड़े संरक्षण क्षेत्र स्थापित करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां। योजना आबंटनों में वृद्धि की गई है। आठवीं योजना के दौरान कुछ नए कदम उठाने का विचार है।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ जड़ी-बूटियों के लुप्त होने का खतरा है। इसके कुछ कारण इनका बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया जाना है।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्राकृतिक जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए विभिन्न कृषि-जलवायु वाली स्थितियों में देश के हिस्सों में बहुत से जड़ी-बूटी उद्यान स्थापित किए गए हैं।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री रामलाल राही (मिर्सारिख) : अध्यक्ष जी, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए नोटिस दे दीजिये। अब आप सब लोग बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, जब से इस सरकार ने कार्यभार सम्भाला है विशेषरूप से दिसम्बर, 1989 से हम बार-बार यह मांग कर रहे हैं कि सरकार को बोफोर्स से सम्बन्धित सभी दस्तावेज सभा पटल पर प्रस्तुत कर देने चाहिए। महोदय, समय-समय पर सरकार ने इन दस्तावेजों को सभापटल पर प्रस्तुत करने का वायदा किया है परन्तु इन दस्तावेजों को कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। मुझे अभी भी एक घटना याद है जब माननीय प्रधान मंत्री जी सभा में आये और तब उन्होंने कहा कि वे सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे। अगले ही दिन वे आए और उन्होंने सभा पटल पर दो दस्तावेज को प्रस्तुत किए। आज मुम्बई के एक समाचारपत्र 'दे इन्डिपेन्डेन्ट' ने दो दस्तावेज प्रकाशित किए हैं। शायद वह समाचारपत्र शीघ्र ही दिल्ली में उपलब्ध हो जाएगा। इन दो दस्तावेजों में जो प्रकाशित हुआ हैं, भारत में स्वीडन के राजदूत द्वारा स्वीडन स्थित विदेश मंत्रालय को भेजा गया संदेश है। अब सरकार को और अधिक चुप्पी साधने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस सरकार के लिए कुछ कार्यवाही करने का समय आ गया है। यह इस मुद्दे को जारी नहीं रख सकती हम जानना चाहते हैं कि यह सरकार इस बारे में जानती है अथवा नहीं, इन पर सरकार की टिप्पणी और प्रतिक्रिया क्या है। यह इस प्रथा मौन नहीं रह सकती अपने दल की ओर से स्पष्ट रूप से मुझे यह कहना है कि हम इस सरकार को मौन रहने की अनुमति नहीं देंगे (व्यवधान) आपको इस सरकार को कार्यवाही के लिए बाध्य करना चाहिए और महोदय हमें आपका विनिर्णय चाहिए। वे सभा पटल पर इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे अथवा नहीं ? मैं नहीं जानता कि इन दस्तावेजों को किसने दिया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है आदि। लेकिन, इस सरकार में कुछ गड़बड़ जरूर है। इस सरकार के अधिकांश मंत्री गण इस्तीफा देते रहे हैं। उन्होंने सुबह इस्तीफा दिया है और शाम में वापस ले लिया है (व्यवधान) महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में हमें एक विनिर्णय दिया जाना चाहिए। क्या सरकार इन दस्तावेजों पर टिप्पणी करेगी और क्या यह सरकार बतायेगी कि इसकी स्थिति क्या है ? क्या सभा पटल पर वे बोफोर्स से सम्बन्धित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जिसका वायदा वे विगत आठ मास से करते रहे हैं ? (व्यवधान) इस दस्तावेज में बोफोर्स के मामले पर स्वीडन सरकार को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा किये गये प्रस्ताव का भी उल्लेख है। मैं उद्धृत करता हूं; "स्वीडन की सरकार का आश्वासन देने के लिए भारत आइये।" यदि तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने ऐसा प्रस्ताव किया है तो उस प्रस्ताव को इस सभा में बताया जाए, माननीय प्रधान मंत्री जी इस सभा में आएं और बतायें कि उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा था और यह भी बतायें कि क्या उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया अथवा नहीं। इससे सम्बन्धित सभी बातें सभा में बतायी जानी चाहिएं। हम किसी भी प्रकार का विलम्ब सहन नहीं कर सकते हैं। कृपया हमारी गलतियां न निकालें। हमने यह मुद्दा उठाया है और हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : महोदय, बोफोर्स एक कल्पना है और यह इस सरकार द्वारा की गयी प्रमुख घोषणाओं में से एक है। माननीय प्रधान मन्त्री जी ने कहा है और जैसा कि मेरे सहयोगी श्री चिदम्बरम जी ने आठ मास पहले कहा कि वे सभा पटल पर सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे। अब, ये दो दस्तावेज, जो समाचारपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बोल चुके हैं, आप हैं, अब आपको समय नहीं मिलेगा। आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सम्बन्ध स्थापित किया है। ये दो दस्तावेज बोफोर्स के बारे में जो अवधारणा बनी है, खण्डन करते हैं। महोदय, संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। क्या आप उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करने का निर्देश देंगे ? सरकार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। आपको इस सभा में माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन को इस प्रकार से अनसुना नहीं कर देना चाहिए। क्या आप उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करने का निर्देश देंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अकबर जी, मैंने आपको नहीं बुलाया है। मैंने श्रीमती गीता मुखर्जी को बुलाया है और आपको महिला सदस्य को कुछ सम्मान देना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं अकबर साहब से कुछ सहयोग चाहती हूं। महोदय, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन. पी. सी. सी.) के 300 कर्मचारी इस महीने की 28 तारीख से ही 1987 में सेवा से बर्खास्त किये गये हजारों नियमित कर्मचारियों को फिर से बहाल कर लिये जाने की मांग कर रहे हैं। विभिन्न सरकारों, वर्तमान सरकार और साथ ही भूतपूर्व सरकार के सम्बन्धित मंत्री अर्थात् जल संसाधन मंत्रालय के माननीय मन्त्री महोदय ने वायदा किया था कि उन्हें फिर से बहाल कर लिया जायेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश यह वायदा पूरा नहीं किया गया है। जल संसाधन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री महोदय ने विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से, जो इस ट्रेड यूनियन आन्दोलन के सदस्य हैं, यह वायदा किया था कि बहुत शीघ्र ही उन्हें फिर से बहाल कर लिया जायेगा, अब नौ मास व्यतीत हो चुके हैं और सिर्फ 50 कर्मचारियों को वापस लिया गया है और वह भी नयी नियुक्ति पर। यह स्थिति है। वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन को भंग करने और इसे वापस ठेकेदारों के हाथों में देने के लिए ऐसा किया गया है। यहां तक कि कीमती उपकरणों, मशीनों की बिक्री की जा रही है। अत: महोदय, मैं चाहती हूं कि उन्हें वापस ले लिया जाए और माननीय मंत्री महोदय को इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, श्रीमती गीता मुखर्जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। एक वर्ष से भी अधिक समय से एक हजार से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हैं। तीन वर्षों से अधिक समय से वे नौकरी से बाहर हैं। अब, सरकार निजी ठेकेदारों को यह अधिकार सौंप रही है। एन. पी. सी. सी., का मुख्य उद्देश्य राजकीय कार्य करना है लेकिन, यह कार्य निजी ठेकेदारों द्वारा किया गया है इन कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया यद्यपि उन्हें आश्वासन दिये गये थे। ट्रेड यूनियन के नेताओं को और इस सभा

के सदस्यों को भी आश्वासन दिया था कि इन कर्मचारियों को वापस ले लिया जायेगा। मैं जल संसाधन मंत्रालय के माननीय मन्त्री महोदय से जवाब देने का और वक्तव्य जारी करने का अनुरोध का अनुरोध करता हूं। उन्हें सभा को बताना चाहिए कि इन कर्मचारियों को, जो कि सड़क पर आ गये हैं, वे जो विगत तीन दिनों से धरना दे रहे हैं; कब वापस लिया जायेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोकनाथ बाबू, क्या आप इसी मुद्दे पर बोलना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम हमेशा सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण के विरुद्ध हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निर्मल बाबू आप उसी मुद्दे पर बोल रहे हैं। सरकार भी तो है। इसका जवाब उन्हें देना है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह कांग्रेस (आई) की सरकार द्वारा किया गया था। लोग नीति में परिवर्तन चाहते हैं। हम भी एक परिवर्तन चाहते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय, आपने बिल्कुल सही कहा है कि सरकार को जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती गीता मुखर्जी ने जो कहा है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले 3 साल से वर्कर्स वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय इस पर बयान दें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप सरकार को जवाब देने का निर्देश क्यों नहीं दे सकते?

अध्यक्ष महोदय : सरकार भी तो है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, इसी विषय से सम्बन्धित मैं एक और बात कहना चाहता हूं। कृपया मुझे बुलाइये।

श्री बसुदेव आचार्य : आप सरकार को जवाब देने का निर्देश क्यों नहीं देते हैं? (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हम चाहते हैं कि सरकार जवाब दे।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है, गीता जी ने अपनी बात कह दी है और श्री रावत ने भी अपनी बात कह दी है। (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : आपकी अनुमति से मैं पहले भी इस सभा में यह प्रश्न उठा चुका हूँ। (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के ध्यान में यह लाना चाहता हूँ (व्यवधान) कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि दूरदर्शन पर लिये गये साक्षात्कारों को सेंसर नहीं किया जायेगा।

दो दिन पहले ही दूरदर्शन ने भारतीय जनता पार्टी के महासचिव से एक साक्षात्कार देने का अनुरोध किया था। वे उनके कार्यालय में आये, उनका साक्षात्कार लिया और जब इसका प्रसारण किया गया तो सम्पूर्ण साक्षात्कार को पूरी तरह से सेंसर कर दिया गया तथा सिर्फ चार पंक्तियों का ही प्रसारण किया गया।

मैं चाहूंगा कि यह सभा इन सब बातों पर अन्तिम रूप से निर्णय ले। क्या मैं जान सकता हूँ कि सम्पादन का अर्थ सिर्फ अर्द्ध विराम लगाना और वर्णविन्यास को शुद्ध करना है अथवा पूरी तरह से इसे सेंसर कर देना है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है।

आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय तथा इस सभा से अनुरोध करूंगा कि सभा के समक्ष सरकार को अपनी स्थिति बतानी चाहिए ताकि इस प्रकार से किये जा रहे सेंसर को रोका जा सके। उन्हें सम्बद्ध अधिकारियों को, जिन्होंने यह गलत कार्य किया है तथा लोगों का अपमान किया है, दण्डित करना चाहिए।

श्री एम. जे. अकबर (किशनगंज) : मुझे बोफोर्स से सम्बन्धित मुद्दे पर एक प्रश्न करना है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम बोफोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, मैं इसी सवाल पर आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से टेलीविजन का उपयोग किया जा रहा है, उसमें दो बातें हमारे सामने हैं। एक बात यह है कि राईट टू इनफारमेशन के लिए गवर्नमेंट कटिबद्ध है। राईट टू इन-फरमेशन में जितने भी प्वाइन्ट आफ व्यू हैं वे टेलीविजन पर दिखाए जाने चाहिए। परन्तु यहां पर परसों जो प्रोग्राम दिखाया गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री कदार नाथ साहनी का इन्टरव्यू दिखाया गया है। परन्तु सारा इन्टरव्यू जो 12 मिनट का था, आधे मिनट का इन्टरव्यू दिखा कर साढ़े ग्यारह मिनट का इन्टरव्यू काट दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि राईट टू इनफरमेशन को किल किया। जिस आदमी का इन्टव्यू किया गया उससे बिना पूछे, उनको बिना बताए इन्टरव्यू काट दिया जाए यह इम्मोरल है, अनबिकमिंग है और टोटली अन-डेमोक्रेटिक है। आखिर मिनिस्टर साहब कांग्रेस का जो 70 से या 75 से पहले का टाईम है, उस टाईम पर क्यों जाना चाहते हैं। क्यों टेलीविजन का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। यह तो दिखा दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने कास्टवार की अपील की, परन्तु साहनी जी ने कहा कि शांति होनी चाहिए, कंसेंसस बनने चाहिए

और बातचीत के द्वारा हल करना चाहिए । वाजपेयी जी ने कहा कि सबको बुला कर गोल मेज कांफ्रेंस करो उसको डिलीट कर दिया । एक तरफा चीज को दिखाना और बाकी चीजों को काट देना, ठीक नहीं है । मैं आपसे कहूंगा कि टेलीविजन का दुरुपयोग जारी रहेगा तो सरकार की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा । आप टेलीविजन के लिए प्रसार भारती बिल लाकर उसकी आटोनामी की बात कर रहे हैं । (व्यवधान) ।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, एमरजेंसी से पहले एक एक डिक्लेयर्ड सेंसरशिप थी और अब अन-डिक्लेयर्ड सेंसरशिप हो रही है । भारतीय जनता पार्टी के 86 मेम्बर इस हाऊस के मम्बर हैं । उसके जनरल सेक्रेटरी को यह कहा गया कि हम आपका इन्टरव्यू लेने के आए हैं । प्वाइन्ट आफ व्यू जो इसके बारे में भारतीय जानता पार्टी का है कि इसको आयाम देना चाहिए, वह नहीं बताया । जैसा विजय जी ने कहा कि जो हिंसा भड़काने वाली नीति थी और जो पिछले दिनों से जिस तरह से टी. वी. एकतरफा प्रचार कर रहा है, वह देश-हित में नहीं है । वे भड़काने वाली बातें कर रहे हैं उससे देश टूटने की ओर जा रहा है । इस बात को गंभीरता से लिया जाए और टी.वी. के ऊपर अनुशासन होना चाहिए, मेरा यह कहना है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनन्तराव देशमुख (वाशिम) : हाल ही में, नई चीनी मिलों को लाइसेंस जारी करने के बारे में सरकार की लाइसेंस नीति में काफी परिवर्तन हुए हैं । पहले, जो नीति निर्धारित की गई थी उसमें प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से आता था एक स्क्रीनिंग कमेटी भी थी जो उस प्रस्ताव की संवीक्षा करती थी । खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करता था । अब, सरकार ने इन सब औपचारिकताओं को समाप्त कर दिया है । वस्तुत: यह एक नई नीति बन गई है (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इन सभी मानदण्डों को समाप्त करके चार प्राइवेट पार्टियों को लाइसेंस दिये हैं । इसलिये, मैं चाहता हूँ कि सरकार और माननीय मंत्री इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें । इससे भ्रान्ति उत्पन्न हो रही है । जब तक सरकार इस बारे में एक स्पष्ट नीति नहीं बनाती तब तक स्थिति ठीक होने वाली नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रो. कुरियन ।

(व्यवधान)

श्री एम. जे. अकबर : मैं आपसे अनुरोध करता हूं, महोदय, कृपया मुझे मत रोकिये (व्यवधान) कृपया मुझे श्री कुरियन के बाद बोलने की अनुमति दीजिए ।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) मैं श्री अकबर को बोलने का अवसर देने के लिये तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं केवल आपको बोलने के लिए कह रहा हूं । (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : मुझे विश्वास है कि इस सदन के सभी दल सरकारी धन और सरकारी वाहन के दुरुपयोग की निन्दा करने के लिये सहमत होंगे चाहे यह कहीं से भी प्राप्त हुआ हो, विशेष तया जाति की मूल्य पर आधारित राजनीति तथाकथित मूल्य आधारित राजनीति । यहां एक मामला मंत्री द्वारा दुरुपयोग के बारे में है (व्यवधान) सरकारी विमान, और यह शिकायत में नहीं,

बल्कि कैबिनेट मंत्री ने स्वयं शिकायत की पर्यावरण और वन मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री ने शिकायत की है। उनके अपने सहयोगी राज्य मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने विमान का दुरुपयोग किया है जो केवल प्रोजेक्ट कार्य के लिए है (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आपने नोटिस दिया है ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैंने दिया है (व्यवधान) यू. एन. डी. पी. ने पर्यावरण मंत्रालय को इस शर्त पर विमान दिया है कि इस विमान का प्रयोग प्रोजेक्ट कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य के लिये इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

लेकिन, कैबिनेट मंत्री ने प्रधान मंत्री को लिखा है कि इसका दुरुपयोग किया गया है। मैं उनके पत्र से उद्धृत करूंगा। वह इस प्रकार है :

> 'मुझे आपको लिखते हुए संकोच हो रहा है कि पिछले दिनों श्रीमती मेनका गांधी की घरेलो यात्रा में विमान का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था, यू. एन. डी. पी. द्वारा रखी गयी शर्तों के विपरीत जिस विमान का उपयोग गैर-योजना कार्य के लिये नहीं किया जा सकता।"

इतना ही नहीं 5 जून को वह पर्यावरण दिवस के लिए जाना चाहती थीं (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यह सब बताने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : उन्होंने यह कह कर विमान लिया कि यह एक परीक्षण उड़ान थी। वह विमान को एयरपोर्ट ले गयीं। तब, अचानक वह नेपाल जाना चाहती थी। एक नया विमान तैयार खड़ा था और प्रबन्ध किये जाने के बाद वह नहीं गई। नेपाल सरकार ने हमारे विदेश सचिव से शिकायत की है। इससे नेपाल के साथ हमारे सम्बन्धों में प्रभाव पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : इतनी सविस्तार प्रतिपादित मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो पी. जे. कुरियन : मैं सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी को यहां आना चाहिए और सदन से क्षमायाचना करनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम कुमार धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में सतलुज-ब्यास लिंक में हजारों कर्मचारियों की छटनी की गई है और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन अब नये कर्मचारी नियुक्त कर रहे हैं। जबकि इन कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि जहां नये प्रोजेक्ट बनेंगे तो इन कर्मचारियों को ही लिया जायेगा। मेरा अनुरोध है कि सतलुज ब्यास लिंक मे जिन कर्मचारियों की छंटनी की गई है उनको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाये

और इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन को निर्देश जारी करे। इसके अतिरिक्त नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन के जो कर्मचारी बाहर बैठे हुए हैं उनको भी तुरन्त नौकरी पर लगाया जाये।

श्री कंकुर मुंजारे (बालाघाट) : मैं सदन का ध्यान महाराष्ट्र के विदर्भ में नागपुर और भण्डारा जिले तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन जिलों में मैंगनीज और इण्डिया लिमिटेड की खदानों में मजदूरों ने अपने वेतन सम्बन्धी समझौते की मांग को लेकर बालाघाट जिले में भरवेली खान, उकवा, चिरोड़ी, नागपुर में कांदरी-मन्सर, बेलडोंगरी, गुमगांव और भण्डारा जिले में चिखला, बुजगडोंगरी खदानों के मजदूरों ने 21 अप्रैल को जो वेतन समझौता किया है उसको रद्द करने और 1.4.87 से वेतन समझौते को लागू करने के लिए एक दिन की काम बन्द हड़ताल की है। 13 जुलाई को पूरी खदानों के मजदूरों ने संयुक्त मोर्चे के तहत नागपुर के सी. डी. एम. कार्यालय पर प्रदर्शन करके एक ज्ञापन उनको दिया। जिसमें वेतन समझौते को रद्द करना और 1.4.87 से लागू करना तथा अन्तरिम राहत की दूसरी किस्त देने की मांग की गई है। 3 सितम्बर को इन खदानों के सारे मजदूर बोट क्लब पर धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इनकी मांगों पर ध्यान देकर पूरा करे। इसके पहले भी खान और इस्पात मंत्री और श्रम कल्याण मंत्री को इनके प्रतिनिधिमण्डल और संसद सदस्यों ने ज्ञापन दिया और उस पर विचार करके औद्योगिक शांति के हित समझौते और अन्य मांगों को लेकर फैसला करने का आग्रह किया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मैंने जनार्दन यादव जी को बुलाया है।

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : बिहार में टाइम्स आफ इण्डिया के कर्मचारियों को और पत्रकारों को अभी तक प्रबन्धकों ने बछावत आयोग के अनुसार वेतन नहीं दिया है। जबकि बिहार से नवभारत टाइम्स और टाइम्स आफ इण्डिया को ढाई करोड़ की आमदनी हो रही है। वहां के कर्मचारियों पर और पत्रकारो पर दमनात्मक कार्यवाही हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार प्रबन्धन पर दबाव डालकर बिहार के पत्रकारों को बछावत आयोग के अनुसार वेतन दिलाये।

[अनुवाद]

श्री पी आर कुमारमंगलम (सलेम) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, कमल नाथ जी ?

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : कितनी बार उन्हें अनुमति दी जायेगी ?

श्री कमल नाथ : मैंने एक नोटिस दिया है।

पिछले दो दिनों से समाचार पत्रों में अचानक चुनाव होने के बारे में एक रिपोर्ट आ रही है। यह अस्थिरता जो देश में व्याप्त है इससे सरकारी कार्यालयों में, प्रशासन में एक अस्थिरता आ कर रही है। (व्यवधान) मैंने एक नोटिस दिया है। प्रधान मंत्री जी ने कहा है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया दो सैकिण्ड और लीजिए।

श्री कमल नाथ : दो महीने पहले जब पूछा गया था कि क्या मध्यावर्ती चुनाव होने की संभावना है तब उन्होंने कहा था कि किसी भी समय चुनाव हो सकते हैं। अब समाचार पत्र किसी गुम नाम कैबिनेट मंत्री के माध्यम से विशेष कहानी को उद्धृत कर रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव होने जा रहे हैं। यह बात हल्के-फुल्के ढंग से लेने वाली नहीं है। हम चुनाव से नहीं डरते, हम इसका स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी इसका स्वागत करेगी क्योंकि हम इस तरफ से उस तरफ जायेंगे। सरकार को और प्रधान मंत्री को इसके स्पष्टीकरण के लिए कदम उठाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री तारीफ सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री तारीफ सिंह को बुलाया है।

[हिन्दी]

श्री तारीफ सिंह (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले महरोली के पास भट्टी माईन्स में कुछ मजदूर दबकर मर गए थे और वह खान बंद कर दी गयी। इससे दस हजार मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। उन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है। मेरा अनुरोध है कि ये माइन्स दोबारा खोली जायें ताकि उन मजदूरों की रोजी रोटी का सवाल हल हो सके। इसके लिए प्रशासन को आवश्यक आदेश भी दिये जायें।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारी इस बात से पूरा हाउस सहमत होगा कि काम के अधिकार को संविधान में शामिल किये जाने के लिये राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार पर दबाव डाला गया है और यह उनके मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि नौजवानों को काम का अधिकार दिया जायेगा और इसे संवैधानिक दर्जा दिया जायेगा। हमारा सरकार से निवेदन है कि इसी सत्र में इस बिल को लाकर काम के अधिकार का संवैधानिक दर्जा स्वीकार करे जिससे उसके मैनिफैस्टों को लागू किया जा सके। यदि सरकार को बधाई भी देंगे और धन्यवाद भी देंगे। जैसा नेशनल फ्रंट की सरकार ने अपने मैनिफैस्टो के अनुसार दूसरे बिल लाकर अपना काम किया है, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं।

श्री महेश्वर सिंह (मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार द्वारा सैट-70 में दो प्रमुख जल परियोजनाओं का कार्य सम्पन्न किया गया जो भाखड़ा और व्यास सतलुज के नाम से प्रसिद्ध हैं। जहां इन दोनों जल परियोजनाओं के निर्माण कार्य से हिमाचल प्रदेश में काफी उन्नति हुई है, वहां लगभग इक्कीस हजार स्किल्ड कर्मचारियों को इन योजनाओं के निर्माण के बाद रिट्रैंच किया गया है। इस समस्या के समाधान के लिए भाखड़ा व्यास मैनेजमैंट बोर्ड का गठन किया गया था लेकिन खेद का विषय है कि आज बोर्ड के चेयरमैन सीधी भर्ती कर रहे हैं और जो रिट्रैंच्ड कर्मचारी हैं, उनको वरीयता के आधार पर नौकरी नहीं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी से और श्रम मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे चेयरमैन, भाखड़ा व्यास मैनेजमैंट बोर्ड को ऐसे निर्देश दें कि जिन लोगों को रिट्रैंच किया गया था, उन्हीं को वरीयता के

आधार पर भर्ती किया जाये। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार कम से कम दो जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य अपने हाथ में ले ताकि जो 21 हजार रिट्रेंच्ड लोग आज बेरोजगार हैं, उनको रोजगार का अवसर मिल सके। जहां तक एन. पी. सी. सी. का सम्बन्ध है, श्रीमान् साठे साहब के जमाने में यह निर्णय लिया गया था कि जहाँ भी विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य एन. पी. सी. सी. के द्वारा किया जायेगा, इन कर्मचारियों को वहां एब्जौर्ब कर लिया जायेगा लेकिन आज एन. टी. पी. सी. के चेयरमैन महोदय सारे काम सीधे ठेके के आधार पर एलाट करते जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप आज कर्मचारी यहां धरने पर बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे एन. पी. सी. सी. के चेयरमैन को ऐसे निर्देश जारी करें कि वहां से रिट्रेंच किये हुए कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाये।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैंने भी देखा है कि एन. टी. पी. सी. के चेयरमैन व व्यवहार के खिलाफ कुछ लोग धरने पर बैठे है। माननीय श्रम मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, आप उनसे कहिये कि वे इस सम्बन्ध में सदन को आश्वस्त करें। (व्यवधान)

श्री रामकृष्ण यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, यह बड़े खेद का विषय है कि कुछ सामंतवादी और प्रतिक्रियावादी ताकतें इस देश के नवयुवकों को गुमराह कर रही हैं आरक्षण विरोध के बहाने, वे लोग सारी व्यवस्था को चुनौती देना चाहती हैं। किसी न किसी बहाने जब कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हे पथभ्रष्ट किया जाता है। 30 अक्तूबर को मन्दिर का निर्माण कार्य करने की योजना की घोषणा कर दी गयी है। केवल आरक्षण विरोध का बहाना लेकर वे सामंतवादी और प्रतिक्रियावादी ताकतें लोगों को बहका रही हैं, उनके बीच में जाकर भाषण देकर उन्हें उकसाती हैं। यह देश के सामने एक गम्भीर चुनौती है। आरक्षण विरोध का बहाना लेकर जिस तरह से सारे देश में वातावरण तैयार किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि जो लोग यहां मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का समर्थन करते हैं, यहां से बाहर जाकर वे ही लोग गुण्डों और बदमाशों को संरक्षण प्रदान करने की बात करते हैं। उनके कामों से देश के सामने गम्भीर चुनौती खड़ी हो रही है। मेरा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि वे सामंतवादी और प्रतिक्रियावादी ताकतों के मंसूबे सफल न होने पायें। वे लोग जहां गुण्डों को बढ़ावा दे रहे है, मन्दिर बनाने की घोषणा कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये। बस हो गया।

श्री राम कृष्ण यादव : वे लोग राम जन्म भूमि का सवाल खड़ा कर रहे है, जो देश में एक अप्रिय वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया, आप बैठ जाइये।

श्री के डी सुल्तानपुरी (शिमला) मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश की विषम स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों हुई भारी वर्षा के कारण हिमाचल प्रदेश में स्थान स्थान पर सड़कें टूट गयी हैं। शिमला जिला, सिरमौर जिला और सोलन जिला में इतनी भारी वर्षा हुई है कि वहां किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। सेबों की हालत यह है कि दूरदराज के इलाकों से सेब को सड़क पर लाने में भारी कठिनाई हो रही है, सेबों को मार्केट तक लाना मुश्किल हो

गया है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेबों के मामले में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई हुई है, वह फिरकापरस्ती की तरफ जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप भारी वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान किस विषय पर ही बात कहिये। किसी सरकार के बारे में कुछ मत बोलिये।

श्री के डी. सुल्तानपुरी : मैं बताना चाहता हूं कि बहुत अधिक वर्षा के कारण हिमाचल प्रदेश में अधिकतर फसलें बर्बाद हो गयी हैं, किसान तबाह हो गया है, उसके फ्रूट बर्बाद हो रहे हैं। स्थान-स्थान पर सड़कें टूट गयी हैं। मैं अपने क्षेत्र रोहडू की स्थिति की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जहां दस पंचायतें ऐसी हैं,जो अपने सेबों को मार्केट तक नहीं ला सकती हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश दें कि उसने सेबों का समर्थन मूल्य को कम कर दिया है, पिछली सरकार दो रुपये 75 पैसे मूल्य देती थी, इस सरकार ने उस समर्थन मूल्य को आधा करके 1.25 और 1.35 रुपये कर दिया है। इस समय मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को पहले के समान समर्थन मूल्य मिलना चाहिये, लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिये। सेबों को दूरदराज के इलाकों से बाहर निकालने की व्यवस्था की जाये और सेबों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : बस, बहुत हो गया, अब आप बैठ जाइये।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : वहां तीन आदमियों का कत्ल हुआ है, पुलिस की गोली से लोग मारे गये हैं। वहां गोलियां चल रही हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुल्तानपुरी जी, अब आप बैठ जाइये मेहरबानी करके।

12.34 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और शिशु अधिनियम, 196 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और नेशनल इन्सटीट्यूट फार दी आर्थोपेडीकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी और सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 1990, जो 16 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए-32 (11)-1/84-स्थापना I (ए) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1350/90]

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1989 जो 21 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 781 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1351/90]

(3) (एक) नेशनल इन्सटीट्यूट फार दि आर्थोपेडीकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इन्सटीट्यूट फार दि आर्थोपेडीकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गये। देखिये संख्या एल. टी. 1352/90]

(5) संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के वर्ष 1987-89 के उनतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 1353/90]

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1990, जो 19 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई पी. 41-2/89 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय निगम (मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान) (पहला संशोधन) विनियम, 1990, जो 19 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी. 39-3/83 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय खाद्य निगम (मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1990, जो 19 अप्रैल 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी. 39 (3)/83 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1354/90]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.35 ½ म. प.

प्राक्कलन समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं श्रम मंत्रालय—कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.35 ½ म. प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं एयर इण्डिया—किराया पहलू के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 51वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शुरू होगा—श्री प्रबोध कुमार पांडा।

12.36 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमने दो या तीन अन्य मदें ली है। पीछे इतना सम्भव नहीं है। आप इस मुद्दे को कल उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मुझसे सहयोग कीजिये ।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप अपने स्थान पर बैठ जाइये । जब मैं खड़ा हूं तो व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा । ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि सदस्य कुछ बातें कहना चाहते हैं । यदि यह वास्तव में ही व्यवस्था का प्रश्न है तो मैं उसका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा । यह आपका ध्यानाकर्षण है । आपके दल के सदस्य बोलने वाले हैं । यदि आप उन्हें बोलने नहीं देना चाहते तो यह आपकी इच्छा है । अब श्री कमलनाथ ।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : जब आप यहां पीठासीन नहीं थे तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने शालीनता से मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी थी । उस समय, मैंने कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री सभा में उपस्थित नहीं थे । वे अब सभा में उपस्थित हैं । मेरा यह निवेदन था कि अध्यक्ष महोदय बोफर्स सम्बन्धी ही दस्तावेजों पर सरकार की प्रतिक्रिया बनाने के लिए उन्हें निदेश दें । वे अब सभा में उपस्थित हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें कहने दीजिए ।

श्री कमल नाथ : कृपया उन्हें यह कहने का मौका दीजिए कि सरकार अपनी प्रतिक्रिया कब बताएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निदेश नहीं दूंगा । मंत्री जी सभा में मौजूद हैं । आपने जो कहा है वह उन्होंने सुन लिया है । मैं उन्हें यह नहीं कहूंगा कि उन्हें वक्तव्य देना चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जाइए । आप जो बात व्यवस्था के प्रश्न के रूप उठाना चाहते थे, उसे आपने सभा के सामने रख दिया है । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मेरा यह कहना है कि यदि आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो आप इसे कल अध्यक्षपीठ की अनुमति से अच्छी प्रकार से उठा सकते हैं । परन्तु आप पीठासीन अधिकारी को अपने फैसले से हटने के लिए बाध्य नहीं कर सकते । अब हम अन्य मद ले चुके हैं । आपको हमसे सहयोग करना चाहिए । यह बात ठीक नहीं है । इस तरह से नहीं । आपको बोलने दिया जाएगा । आप कल यह अवसर ले सकते हैं यदि आप चाहें, परन्तु आज नहीं ।

श्री एम. जे. अकबर (किशनगंज) : श्री वी. पी. सिंह सभा में ** बोल रहे थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शब्द कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा ।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, मैंने सुबह स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दी है। मैंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बंद होने के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। यह हड़ताल जारी है। कोई बातचीत नहीं हो रही है। रोगी परेशान है, लोग परेशान है, कर्मचारी परेशान हैं। इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना के बारे में मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय अथवा लोक सभा सचिवालय से कोई सूचना नहीं मिली है कि इस सूचना को अस्वीकार किया गया है अथवा इसे स्वीकार कर लिया गया है। महोदय, नियम 60 में कहा गया है "परन्तु जब अध्यक्ष ने अपनी सम्मति देने से इन्कार कर दिया हो"—यदि उन्होंने स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया है तो मुझे यह बात जाननी चाहिए। अन्यथा उन्हें यह सूचना मुझे सभा में देनी चाहिए। नियम में यह भी कहा गया है वह यदि आवश्यक समझे, उस प्रस्ताव की सूचना पढ़कर सुना सकेगा और देने से इंकार करने या प्रस्ताव को नियमानुकूल न ठहराने के कारण बता सकेगा।" ऐसा नहीं किया गया है। यदि सदस्य बने सभा से बाहर अथवा सभा में वह सूचना दिए बिना कि अध्यक्ष का निर्णय क्या है, इस महत्वपूर्ण मामले पर सभा की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इस नियम को बनाने का उद्देश्य क्या है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न के बारे में मुझे हरेक की बात नहीं सुननी। मैं इस बारे में निर्णय ले सकता हूँ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावत ने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए। अच्छा, श्री कुमारमंगलम जी, आपका व्यवस्था का प्रश्न अध्यक्षपीठ से विनिर्णय लेने के बारे में है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : कृपया सुनिये तथा स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, स्थगन प्रस्ताव पर मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। मैं उनके व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर रहा हूं। आप अपनी बात कह चुके हैं। मैं वहां जो कुछ हो रहा है उसके बारे में सदस्य की चिन्ता समझ सकता हूं। यदि आप इस पर बातचीत करना चाहते हैं, तो आप मंत्री महोदय के साथ इस पर बातचीत कर सकते हैं। परन्तु, इसके बाद व्यवस्था के प्रश्न के बहाने आप इस विषय पर पूर्ण चर्चा नहीं कर सकते। तब इस विषय के साथ न्याय नहीं होगा। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री कुरियन, आपको बार-बार खड़ा नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : आप अपना निर्णय दें उससे पहले मैं जो कुछ इस विषय में कहना चाहता हूं, आप मेहरबानी करके उसे सुन लीजिए।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा होता हूं तो आप बोलना शुरू कर देते हैं आप जब यह विषय निकाल रहे हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने ऐडजोर्नमेंट मोशन दिया है। यहां पर उस ऐडजोर्नमेंट मोशन को उठाने की परमीशन देने के बाद ही उसकी चर्चा हो सकती है। आप वह चर्चा चाहते हैं, आप स्पीकर साहब से मिल लीजिए, उनको कनविंस कीजिए कि ऐडजोर्नमेंट मोशन है, तब वह यहां पर आ जाएगा। ऐडजोर्नमेंट मोशन मेरे सामने नहीं है, वह स्पीकर साहब के सामने हैं, आफिस के सामने है, वह देखेंगे, उनको कनविंस कीजिए। उन्होंने अगर परमीशन दे दी तो आप भली-भांति उसको यहां पर उठा सकते हैं, उसकी जैसे चाहें, चर्चा कर सकते हैं। पर मेहरबानी करके यह जो विषय है जिसके बारे में सबके मन में कुछ विचार करने का है, वह कैसे विचार कर सकते हैं, उनसे बोलिए। और दूसरा क्या है कि उसी किस्म का एक महत्व का

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : ये चेयर से रूलिंग चाहते हैं, इसमें स्पीकर साहब का सवाल नहीं है चेयर पर आप विराजमान हैं इसलिए आपको रूलिंग देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दे रहा हूं। कुमारमंगलम जी ने जो पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है वह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मगर देखिए

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारमंगलम जी देखिए यह ठीक बात नहीं है

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावत यह ठीक बात नहीं है। इससे आपकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं—

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : महोदय, मैं आपका कहना मानने से इंकार नहीं कर रहा हूं मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहा हूं। श्री रावत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अतर्गत उतने ही महत्व का एक अन्य मुद्दा उठाया जा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जोर देकर आप उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं सम्भव है जिस पर आप गुस्सा हो और संभव है आप चर्चा करना चाहें। अब यदि आप इतना ही गुस्सा है तो अध्यक्ष महोदय से मिलिए और फिर इस पर फैसला कीजिए इस मुद्दे पर जोर मत दीजिए।

श्री पी. आर कुमारमंगलम : महोदय, मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न पर आपका विनिर्णय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम जी मेरा विनिर्णय यह है कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठा कर स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय का विचार नहीं ले सकते हैं। आपको पीठासीन अधिकारी को विश्वास दिलाना होगा कि विषय ऐसा है कि इस पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जा सकती है। श्री जसवंत सिंह जी अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जसवंत सिंह को अनुमति दी है

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पता होना चाहिए कि यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। जसवंत सिंह जी आपका व्यवस्था का प्रश्न है या कोई और मुद्दा है ?

श्री जसवंत सिंह (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और इस व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कोई दूसरा मामला न उठाएं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं काफी संक्षेप में कहूंगा। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किशनगंज से आए सदस्य ने प्रधान मंत्री का उल्लेख किया था और कहा था कि "वे···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा। मैंने पहले ही ऐसा कहा है।

श्री जसवंत सिंह : उसके बाद कोलाहल में जो कहा गया शायद हमने उसे नहीं सुना। और मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अनुचित और असंसदीय होने के कारण उसे भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। मैंने पहले ही कह दिया है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ उन्हीं सदस्यों की बात जो मेरी अनुमति से बोल रहे हैं, कार्यवाही वृत्तांत में शामिल की जाएगी।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बसवंत जी आपने अपनी बात कही। कृपया अब सीट पर बैठ जाइए...

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बगैर सदस्य जो कुछ भी कहेंगे वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, कृपया सीमा से बाहर न जायें।

श्री जर्नादन पुजारी (मंगलौर) महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नियम संख्या का उल्लेख करें।

श्री जर्नादन पुजारी : महोदय मैं लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 10 का उल्लेख कर रहा हूं। इसमें कहा गया है :

> "10 उपाध्यक्ष या संविधान अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिए सक्षम किसी अन्य सदस्य को, जब वह पीठासीन हो, वही शक्ति होगी जो कि पीठासीन होने पर अध्यक्ष को होती है और इन परिस्थितियों में इस नियमावली में अध्यक्ष के प्रति सब निर्देश इस तरह पीठासीन व्यक्ति के प्रति निर्देशित समझे जाएगें।"
>
> महोदय, इसलिए आपको पूरा अधिकार प्राप्त है और आप निर्णय देने की स्थिति में है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस बात पर निर्णय स

श्री जर्नादन पुजारी : हमने अध्यक्ष को शून्य काल के दौरान कतिपय मुद्दे उठाने के लिए सूचना दी थी। क्या यह काफी नहीं है ? हम नियम 10 का उल्लेख कर रहे हैं ताकि आप उस नियम के अंतर्गत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकें और निर्णय दे सकें (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मुद्दे को समझ लिया है। कृपया मुझे निर्णय करने दें। अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत मामला सभा के समक्ष है। जिस मामले को अध्यक्ष ने स्वीकृति नहीं दी है, वह सभा के समक्ष नहीं है। यदि स्वीकृत मामला सभा के समक्ष आता है तो पीठासीन अधिकारी चाहे वह अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो अथवा सभापति हो निर्णय वही लेगा। परन्तु यदि मामला स्वीकार नहीं

** कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

किया जाता है अथवा अध्यक्ष के पास विचाराधीन है तो उपाध्यक्ष या सभापति को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, हमारी समस्या यह है कि आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों के बारे में सरकार ने बिल्कुल इनह्यूमन एप्रोच अपनाया हुआ है हम अपने मंत्रियों से पहले भी इस बारे में लड़ते थे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावत, आपने अपनी बात कह दी।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया उस नियम का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं प्रश्न को उसी नियम के तहत उठाना चाहता हूं जिसका उल्लेख श्री जनार्दन पुजारी ने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे पुनः नहीं उठाया जा सकता है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि कल जब मैं एक विशेषाधिकार का मुद्दा उठाना चाह रहा था तो अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि जब तक मैं इस संदर्भ में कोई सूचना न दूं मै इस प्रश्न को नहीं उठा सकता। आज मैंने श्री शरद यादव के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना दी है। परंतु अध्यक्ष महोदय उस सूचना पर चुप हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के तहत आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं ?

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैंने नियम 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की सूचना दी है।

(व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनें। मैंने नियम 222 के अधीन विशेषाधिकार की एक सूचना दी है क्योंकि कल मैं सूचना दिए बिना बोल रहा था, मैंने आज सुबह सूचना दी है। यह ठीक है कि मैंने अध्यक्ष को सूचना दी है। अब अध्यक्ष ने कोई विनिर्णय नहीं दिया है तथा इसके बारे में कुछ नहीं कहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष ने आपका प्रस्ताव स्वीकार करना है और तत्पश्चात् इस पर चर्चा हो सकती है। आप वस्तुस्थिति का पता करें।

(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैंने इसे अध्यक्ष को दिया है। इसे स्वीकार किया गया है अथवा नहीं मुझे इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। अब आप पीठासीन हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना का क्या हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने आज सूचना दी है। कार्यालय ने मुझे बताया है कि यह अध्यक्ष के विचाराधीन है। मैं आपको बता दूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री पांजा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपका अपना विषय है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, यह तेल की नाकेबंदी के बारे में है। पांच सदस्यों को बोलना है। आप अपने ही सदस्यों को बाधा पहुंचा रहे हैं। आप श्री पांजा को बाधा पहुँचा रहे हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : दोनों पक्षों मे बैठे सभी सदस्यों को समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रक्रिया में आप श्री पांजा को बाधा पहुंचा रहे हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं बाधा नहीं पहुँचा रहा हूं (व्यवधान)।

12.57 म. प.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

असम में तेल नाकाबन्दी आन्दोलन के कारण बरौनी, गुवाहाटी तथा बोंगाइगांव के तेलशोधक कारखाने बन्द होना

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें।

> "अखिल असम छात्र संघ द्वारा तेल-नाकाबन्दी आन्दोलन के कारण बरौनी, गुवाहाटी तथा बोंगाइगांव के तेलशोधक कारखानों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाई।"

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम.एस. गुरुपादस्वामी) : उपाध्यक्ष महोदय, अखिल असम छात्र संघ ने 15 अगस्त, 1990 से 7 दिनों के लिए तेल रोको आन्दोलन का आह्वान किया इसके फलस्वरूप आयल इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइन से दुलियाजान से बरौनी तक कच्चे तेल को प्रवाहित करने का काम रुक गया। यह आन्दोलन 24 अगस्त, 1990 तक अर्थात् तीन दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप, असम के मुख्य मंत्री ने अखिल असम छात्र संघ को अपील जारी करके आन्दोलन को समाप्त करने का आग्रह किया और अखिल असम छात्र संघ ने आन्दोलन को 27 अगस्त, 1990 से उठा लिया।

सिबसागर जिला छात्र संघ, जो अखिल असम छात्र संघ का एक यूनिट है, उसने भी 7 अगस्त, 1990 से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के संपूर्ण बंद का आह्वान किया जो समय-समय पर बढ़ाया गया और अब भी जारी है। इसके परिणामस्वरूप, असम में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकांश प्रतिस्थापनाओं में उत्पादन और वेधन प्रचालन बंद हो गए। आन्दोलनकर्ताओं ने न केवल धमकी दी है और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्मिकों के साथ हाथापाई की बल्कि उन्हें काम करने से रोका और कहीं-कहीं तेल एवं गैस उत्पादक कुओं को नुकसान पहुंचाया जिससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया।

इन आन्दोलनों के कारण अगस्त महीने में कच्चे तेल के उत्पादन की कुल क्षति लगभग 200,000 टन होने का अनुमान है। पाइप लाइनों में पंपिंग के कारण क्षति लगभग 210,000 टन होने का अनुमान है। बरौनी रिफाइनरी में लगभग 140,000 टन, बोंगाईगांव रिफाइनरी में 60,000 टन और गुवाहाटी रिफाइनरी में 10,000 टन कच्चे तेल की सप्लाई नहीं हुई। सौभाग्य से, डिगबोई रिफाइनरी में संधान की कोई अधिक हानि नहीं हुई। नुकसान वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर लगभग 70 से 80 करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर बैठता है।

असम में तेल कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले वितरण कार्यों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई, यद्यपि मिट्टी के तेल और एल.पी.जी. की सप्लाई पर बुरा प्रभाव पड़ा था।

गुवाहाटी रिफाइनरी के महाप्रबंधक, उनके पुत्र और ड्राइवर के हाल के अपहरण और असम में कार्यरत तेल कम्पनियों के कार्मिकों को दी जा रही मौजूदा धमकियों के परिप्रेक्ष्य में असम में तेल कम्पनियों में कार्यरत अधिकारियों और कार्मिकों में काफी असुरक्षा की भावना आई है और उनका उत्साह भंग हुआ है।

केन्द्रीय सरकार ने असम सरकार से आग्रह किया है कि वह तेल रोको आन्दोलन और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बंद को उठवाने का प्रयास करे और तेल कंपनियों के कर्मचारियों और तेल प्रतिस्थापनाओं के कर्मचारियों और तेल प्रतिस्थापनाओं की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस संबंध में मैंने मुख्य मंत्री से व्यक्तिगत तौर पर 25 अगस्त, 1990 को असम के अपने हाल के दौरे के समय विशेष बल देकर कहा था। मुझे प्रसन्नता है कि तेल रोको आन्दोलन उठा लिया गया है और रिफाइनरी को कच्चे तेल की सप्लाई शुरू हो गई है। तथापि, यह भी अनिवार्य है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बंद भी तुरंत वापस लिया जाए और राज्य में तेल कम्पनियों के कार्य-चालन को सुचारू बनाया जाय और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि अब हम सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित कर दें तथा प्रश्नों के लिए सभा 2 बजे म.प. पर समवेत होगी।

1.00 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई :

2.05 म. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

असम में तेल-नाकाबन्दी आन्दोलन के कारण बरौनी, गुवाहाटी तथा बोन्गाइगाव के तेलशोधक कारखाने बन्द होना—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजीत पांजा।

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य से सैकड़ों प्रश्न उठते हैं। मैं मुझे दिए गए समय में ही अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। यदि आप ध्यानाकर्षण संबंधी वक्तव्य पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि उसमें सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये गए कदमों के बारे मे उल्लेख नहीं किया गया है।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री ने दूसरे पैरा में कहा है कि :

> "सिबसागर जिला छात्र संघ, जो अखिल असम छात्र संघ की एक यूनिट है, उसने भी 7 अगस्त, 1990 से तैल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के संपूर्ण बंद का आह्वान किया जो समय-समय पर बढ़ाया गया और अब भी जारी है।"

सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। एक शब्द भी नहीं कहा गया है। यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरे, क्या इस समय सारे देश को केवल तेल-समस्या का ही खतरा है?

वक्तव्य के अंतिम पैरे में यह कहा गया है कि मंत्री महोदय ने वहां का दौरा किया तथा 25 अगस्त, 1990 को मुख्य मंत्री से भेंट की।

आन्दोलन काफी पहले शुरू किया गया था और यह काफी लम्बे समय से चल रहा है। वास्तव मे यह 15 अगस्त, 1990 से शुरू किया गया था।

मैंने कुछ समाचार सामग्री इकट्ठी की है। पिछले तीन महीने से प्रेस द्वारा, तथा जो भी असम से आया उसके द्वारा तथा भारत के सभी समाचार पत्रों द्वारा चेतावनी दी जा रही थी मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय ने उन्हें अवश्य ही देखा होगा। इस बारे में बताया गया होगा।

"दि पेट्रियट" ने काफी पहले लिखा था।

"ओमीनस असम सोन"

"दि हिन्दुस्तान टाइम्स ने "असम आर्डियल" से अपना सम्पादकीय लिखा था।

"तीसरे, "दि स्टेट्समेन" ने "डेन्जर इन असम" से लिखा था।

चौथे दि टेलीग्राफ कलकत्ता ने "प्राइस आफ इनडन्जेन्स" शीर्षक से लिखा था।

पांचवे "दि डेकन क्रानिकल" का शीर्षक था "डुबिसियस रिप्रीव"

छठे, "दि टाईम्स आफ इण्डिया" ने शीर्षक "टाइम टू एक्ट" अपने सम्पादकीय में स्पष्ट शब्दों में पुनः लिखा था।

यदि वे विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं, तो कम से कम प्रचार माध्यमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

"दि पेट्रियट" ने लिखा था "टायरनी आफ बन्धस आपरेसिस असम"

एक और समाचार था "असम हैंडिंग फार इम्स्टेबिलीटी"

सभी समाचार पत्रों ने एक ही भाव से लिखा है।

आंदोलन 15 अगस्त, 1990 से शुरू हुआ था। मंत्री महोदय तथा जो भी उनके साथ गये थे उन्होंने 25 अगस्त, 1990 को जाने समय चुना और तब तक नुकसान वर्तमान दर पर 7,280 करोड़ रुपए का हो चुका था जैसाकि मंत्री महोदय द्वारा बताया गया था।

सवाल तेल तथा अन्य बातों का नहीं है। सवाल यह है कि अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मन्त्री मण्डल मौजूद है यद्यपि अल्पमत की सरकार ही है। युवा छात्रों द्वारा आन्दोलन तुरन्त वापस कैसे लिया जा सकता है क्या मन्त्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे। उस राज्य से एक मात्र केबीनेट मंत्री ने त्यागपत्र कैसे दे दिया है। किन परिस्थितियों में उन्होंने त्यागपत्र दिया है? इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। इससे फिर से भारी अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में उन्होंने त्यागपत्र दिया। बातचीत के दौरान वह उपस्थित थे। मैं समझता हूं कि उनकी बातों पर विचार किया गया था। जैसे ही आन्दोलन वापस ले लिया गया था वह वापस आ गये थे तथा लोग अब कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। परन्तु मंत्री महोदय श्री दिनेश गोस्वामी ने स्वयं त्यागपत्र दे दिया। मुझे सही स्थिति की जानकारी नहीं है। माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर दें। क्या प्रधानमंत्री सहित इस सरकार में कोई मंत्री ऐसा है जिसने त्यागपत्र देकर उसे वापस न लिया हो अब क्या हो रहा है? सरकार अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करके जले पर नमक क्यों छिड़क रही है। यदि कोई कालीना मंत्री असम में दिसम्बर के चुनावों को ध्यान मे रखते हुए त्यागपत्र देना चाहता है तथा वहां पर अस्थिरता उत्पन्न करना चाहता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं क्योंकि मन्त्री महोदय बातचीत में शामिल हुए थे। समाचार पत्रों से हमें पता है कि उन्होंने संयमित रवैया अपनाया था तथा अब उन्हीं माननीय मन्त्री महोदय विशेष श्री दिनेश गोस्वामी त्यागपत्र देकर अलग हो गए हैं। हमें इसका कोई कारण नजर नहीं आता और उन्होंने कि इस सम्बन्ध में उन्होंने इस संबंध में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। समाचार पत्रों से मुझे यह पता चला है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र मे वापस चले गये हैं। (व्यवधान) हमें समाचार पत्रों से पता चलता है कि जिस दिन उन्होंने त्यागपत्र दिया था, उसी दिन वह गुवाहाटी चले गये थे। मुझे नहीं पता है कि वह वापस आए हैं कि नहीं।

एक माननीय सदस्य : वह वापस आ गए हैं।

श्री अजीत पांजा : ठीक है, वह वापस आ गए हैं, परन्तु कारण क्या है। हम सब जानते हैं, कि जब कोई मन्त्री त्यागपत्र देता है तथा वह वक्तव्य देता है।

महोदय, अब मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न केवल भीतरी नाकेबन्दी का नहीं है बलिक बाहरी नाकेबन्दी का भी है, जिससे समस्या बढ़ जाती है। हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव असम के किसी विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। केवल सम्पूर्ण भारत ही नहीं प्रभावित हो रहा है बल्कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। जैसाकि मैं समझता हूं कि प्रारम्भ में यह प्राक्कलन किया गया था कि चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान देश को कुल 6 करोड़ टन कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता होगी। परन्तु यह बताया गया है उस विदेशी मुद्रा की भारी कमी है जिससे कि तेल खरीदा जाता है, इस कारण सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने का निर्णय लिया तथा इस वर्ष के बजट में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। परन्तु यदि खाड़ी की स्थिति ऐसी ही खराब रहती है जैसी अब है तथा यदि इराक की नाकेबन्दी जारी रहती है तथा तेल के मूल्यों में 40 डालर प्रति बैरल की वृद्धि हो जाती है तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार किया है ? इस मामले में सरकार क्या करने जा रही है ? जैसाकि मुझे पता है कि उत्पादों की कुल मात्रा जिसमें नेफ्था, गैस, डीजल तथा पेट्रोल आदि शामिल हैं, विभिन्न साधनों से प्राप्त की जाती है अर्थात सीधे आयात द्वारा तथा देश के स्रोतों से और आयात द्वारा प्राप्त आयातित कच्चे तेल को शोधन करके मामला और जटिल हो जाता है क्योंकि भारत उस समान तेल को शोधित नहीं कर सकता जिसका उत्पादन भारत में होता है। यह कहने से कोई लाभ नहीं होगा कि चूंकि वहां नाकेबन्दी चल रही है, इस कारण हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। भारत अपने यहां उत्पादित समस्त कच्चे तेल को शोधित नहीं कर सकता है, रिकार्ड से मुझे पता चला है कि भारत को यह कच्चा तेल निर्यात करना पड़ता है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस बात का उत्तर देंगे।

श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी : कृपया बात को मत बदलिए। हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल नहीं है। हमारे पास यहां उत्पादित कच्चे तेल तथा आयातित कच्चे तेल को शोधित करने की क्षमता मौजूद है। यह कहना सही नहीं है कि हम कच्चा तेल निर्यात कर रहे हैं। हम अपने कच्चे तेल का निर्यात नहीं कर रहे हैं। देश में उत्पादित कच्चे तेल को शोधित करने की हमारे देश में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। हम कच्चे तेल को आयात भी कर रहे हैं, तथा वह भी शोधित किया जा रहा है।

श्री अजीत सिंह पांजा : मैं यह मंत्री महोदय तक छोड़ता हूं। मन्त्री महोदय मेरी बात का उत्तर अन्त मे दे सकते हैं। मुझे पता चला है कि इस वर्ष कुल कच्चे तेल का उत्पादन 3 करोड़ 59 लाख टन तक पहुँचेगा और हमे 1 करोड़ 85 लाख टन कच्चे तेल के आयात की और आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमारे पास इसे शोधित करने की पर्याप्त सुविधा नहीं है। मैं आपको वास्तविक आंकड़े बता रहा हूं कच्चे तेल के अलावा भारत को अतिरिक्त 1.2 करोड़ टन परिष्कृत उत्पादों का आयात करने की भी आवश्यकता है। मंत्री महोदय बाद में इसका उत्तर दे सकते हैं।

परम्परागत रूप से भारत 80 प्रतिशत कच्चा तेल संविदात्मक शर्तों पर कुछ चुने हुए देशों से प्राप्त करता है। शेष मात्रा में तेल उस बाजार से खरीदा जाता है, जहां पर तेल का मूल्य तेल उत्पादक देशों के मूल्यों से कम है। मन्त्री महोदय को यह पता होना चाहिए कि इस वर्ष भारत ने 1 करोड़ 15 लाख टन तेल सात देशों से आयात करने का निर्णय किया है पता नहीं यह सही है या नहीं—यह आयात इन देशों से आयात करने वाले तेल का ब्यौरा इस प्रकार है—सोवियत यूनियन से 45 लाख टन सऊदी अरब से 30 लाख टन, इराक से 22.5 लाख टन, कुवैत से 15 लाख टन, संयुक्त अरब अमीरात 10 लाख टन और मलेशिया 0·5 मिलियन टन। इराक संकट तक आयातित कच्चे तेल का मूल्य 14 अमरीकी डालर प्रति बैरल था। फिर भी सरकार के विश्लेषण कर्त्ताओं ने यह अनुमान लगाया है कि विश्व के तेल के मूल्यों में वृद्धि की संभावना है तथा सुझाव दिया है कि वित्त मंत्रालय 1990 के दौरान औसतन 18 डालर प्रति बैरल की दर से तेल खरीदने को तैयार रहे। इसमें और वृद्धि हो गई है। यह सुझाव आपके विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तथा विदेशी मुद्रा में 6,440 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय तेल आयात के लिए किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह सही है या नहीं।

कुल 1 करोड़ 45 लाख टन कच्चा तेल जिसके लिए आपने संविदा की है उसमें से 80 लाख टन से अधिक तेल, जिसमें सोवियत संघ से आने वाला तेल भी सम्मिलित है, इराक तथा कुवैत के माध्यम से आना है, जोकि गड़बड़ी वाले क्षेत्र है। जुलाई के अन्त तक आपके विभाग की रिपोर्ट अपने आप कहेगी सौभाग्य से 35 लाख टन कच्चा तेल ले लिया गया है। बाकी 5 मिलियन टन का क्या होने वाला है यह पता नहीं है। सरकार के सभी विशेषज्ञ तथा प्रधानमंत्री के सलाहकार इसके बारे में पता लगाने के संबंध में पूर्णतः असमंजस की स्थिति में दिखायी पड़ते हैं तथा केवल ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुवैत की स्थिति जल्द से जल्द ठीक हो जाये।

अन्तिम बात यह है कि समस्या वितरण की नहीं है, बल्कि मूल्यों की है। प्रति बैरल कच्चे तेल के मूल्यों में प्रत्येक अमरीकी डालर की वृद्धि से वित्त मंत्रालय यह आंकलन लगाता है कि उसे विदेशी मुद्रा में अतिरिक्त 400 करोड़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी अतः, हम जानना चाहते हैं कि इन प्रश्नों के संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है। मैं श्री गुरुपदस्वामी का उनके लम्बे अनुभव के कारण बहुत सम्मान करता हूं। हमने पैट्रोलियम विभाग से उत्तर मांगा है। परन्तु उसने यह मामला गृह विभाग, तथा वित्त मंत्रालय पर टाल दिया है।

यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर नहीं है। अतः आज के मूल्य के कारण जोकि अनुमानित मूल्य से 11 डालर अधिक है, जोकि 18 अमरीकी डालर प्रति बैरल है करदाता को 4,400 रु. अतिरिक्त अपने पास से देने होंगे।

क्या यह सही है या नहीं हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं ? यह स्पष्ट रूप से देश पर दबाव है, सरकार ने कुल पैट्रोलियम आयात के लिए 6,440 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। विभाग मंत्री महोदय के अधीन इसे कैसे पूरा करेगा। ये प्रश्न हैं जो मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री महोदय का जवाब पढ़ा। इस जवाब में केवल यही लिखा है कि आन्दोलनकारियों ने कर्मचारियों को धमकाया,

तेल को नहीं आने दिया और उसे रोका लेकिन इसमें कहीं यह नहीं बताया गया कि जिन लोगों ने धमकाया और कानून को तोड़ा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई ? मंत्री महोदय ने जो बयान में बताया है उससे तो आई. पी. सी. का सैक्शन बनता है। मंत्री महोदय द्वारा उत्तर में यह भी कहा जाना चाहिये था कि उन आन्दोलनकारियों के खिलाफ कौन कौन सी दफा के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया है। इसका कहीं जिक्र नहीं आया है। इस बात का यद्यपि मंत्री जी ने जिक्र किया है कि तेल सप्लाई रुक जाने के कारण सरकार को काफी घाटा हुआ है, कालम 4 में कहा गया है कि सौभाग्य से डिगबोई रिफाइनरी में संसाधन की कोई अधिक हानि नहीं हुई, फिर भी यह नुकसान वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर लगभग 70 से 80 करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर बैठता है। इसका मतलब सरकार को 70 से 80 करोड़ रुपये की हानि हुई, फिर भी मंत्री महोदय के जवाब से ऐसा कहीं प्रकट नहीं होता कि आन्दोलनकारियों के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही की गयी, उनके विरुद्ध किसी तरह का मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर के लास्ट में कहा गया है कि तेल रोको आन्दोलन उठा लिया गया है परन्तु इसका कहीं जिक्र नहीं है कि सरकार इस तरह के आन्दोलन फिर से आसाम में न होने पायें, इस मामले में कटिबद्ध है, सरकार किसी भी कीमत पर ऐसे आन्दोलन को सफल नहीं होने देगी। आन्दोलन सफल न होने देने का मतलब है कि आन्दोलन के कारण वहां से जो तेल आना बंद हो गया था, उसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ गयी, वह स्थिति दोबारा से न आये, इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है, इसका कहीं उत्तर में जिक्र नहीं है। मंत्री महोदय के उत्तर से कहीं ऐसा स्पष्ट नहीं होता, इसलिये मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सदन को लिखित रूप में जवाब दें कि अब आसाम में अगर इस तरह का कोई आन्दोलन होगा तो किसी भी कीमत पर तेल का आना-जाना बंद नहीं होने दिया जायेगा। यदि मंत्री जी ऐसा जवाब सदन में नहीं देते हैं तो इसका साफ मतलब यह हुआ कि सरकार आन्दोलनकारियों पर कानूनी कार्यवाही करने में अक्षम है और सरकार का किसी मामले में अक्षम होना उचित प्रतीत नहीं होता। इस देश में जितने कानून बने हुए हैं, सरकार का कर्त्तव्य है कि उन कानूनों की रक्षा की जाये, सरकारी मशीनरी के द्वारा उन कानूनों की रक्षा की जाये और जो व्यक्ति उन कानूनों का उल्लंघन करे, न माने, उसके खिलाफ आप आई. पी. सी. के अंतर्गत मुकदमा दायर करें, सी. आर. पी. सी. के अन्तर्गत ट्रायल करें और एविडेंस एक्ट के अंतर्गत उसके खिलाफ गवाही का प्रबन्ध करें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि असम में जिस तरह की घटना हुई, उसकी फिर से पुनरावृत्ति न होने पाये, उसके लिये कानूनी कार्यवाही की बात इसमें जोड़ी जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं होगा तो न हमें कोई विश्वास हो सकता है और न इस देश की जनता को कोई विश्वास होगा।

असम में अब इस तरह की स्थिति आगे नहीं आने दी जायेगी, इस मामले में कुछ नहीं कहा है और वहां के लोगों ने उनके दल के जो यहां केन्द्र में मंत्री हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिये मजबूर किया है, और उन्होंने अपना त्यागपत्र दे भी दिया है, यह भी सुनने में आया है कि उनका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ है, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि असम में आन्दोलन की स्थिति अभी जारी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस मामले में कड़ाई का रुख अपनाये, जो भी आन्दोलनकारी इस तरह की हरकतें करे जिससे देश के लोगों का नुकसान हो, देश का नुकसान हो, सरकार को तेल की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़े, ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिये। जहां तक कर्मचारियों में व्याप्त असुरक्षा की भावना

का ताल्लुक है, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। यदि कोई इस तरह की बात सामने आये तो जैसे देश के बार्डर की रक्षा के लिये आर्मी लगायी जाती है, जिन स्थानों से हमें तेल प्राप्त होता है, ऐसे स्थानों पर भी आर्मी की व्यवस्था की जाये ताकि आन्दोलनकारियों का कड़ाई से मुकाबला किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, तेल रोको आन्दोलन के सम्बन्ध में, सदन में आये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में, मंत्री जी की ओर से जो उत्तर दिया गया है, उस पर माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं सवाल उठाये हैं। सबसे पहला प्रश्न तो हमारे सामने यह है कि आज जो स्थिति बनी है, उसने ऐसा गम्भीर रूप धारण कर लिया है, जिससे सारा देश चिन्तित है और मंत्री जी स्वयं अवगत हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तेल का आवागमन बंद न होने पाये, इस मामले में सरकार क्या कर रही है। इसके साथ साथ हमारे देश में तेल उत्पादन की जो स्थिति है, उसमें हम कैसे अपने यहां अधिक से अधिक तेल उत्पादन कर सकें, कैसे अपनी रिफाइनरीज में अधिक से अधिक कच्चा तेल पहुंच सके, इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो देश की अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और स्थिति बद से बदतर होती चली जायगी। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण सदन में स्पष्ट करे। दूसरा सवाल हमारे सामने यह है कि देश में जो इस तरह की प्रवृत्तियां बनती जा रही हैं, आन्दोलन का रुख लोग अपनाते हैं, ये प्रवृत्तियां देश के लिये खतरनाक हैं और इन प्रवृत्तियों से निपटने के लिये सरकार कौन सा रास्ता अपना रही है। प्रवृत्ति बन रही है। आन्दोलन अपनी जगह पर है। प्रवृत्ति यह बन रही है कि हम अपने राज्य का माल दूसरे राज्य में नहीं जाने देंगे। यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। यह राइफल, बन्दूक से काबू नहीं पा सकती है। यह फौज और पलटन से काबू नहीं पा सकती है। आप आन्दोलनकारियों से बात करना चाहते हैं, उनसे बात कीजिए तथा उनकी समस्या को देखें। अगर यह प्रवृत्ति बनी रही, तो फिर बिहार में जमशेदपुर और बोकारो भी बन्द होने की स्थिति में आ जाएंगे। मूल बात यह है कि यह प्रवृत्ति कितनी मजबूत होती जा रही है, इसको देखना है। अभी हमारे माननीय सदस्य जो मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक बात कही है यह सही कहा है कि यह सरकार अल्पमत में है। लेकिन जब उनकी बहुमत की सरकार थी, तो यह आन्दोलन क्यों तेज हुआ और आज वही आन्दोलन चल रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण विगत 40 वर्ष में गलत रास्ता पकड़ा गया यही है। क्या उन लोगों को इतने दिनों तक उपेक्षित रखा गया? क्यों वे देश की राष्ट्रीय धारा से अलग-थलग हो गए? देश खतरे में है, तेल की कमी है, यह तो ठीक है लेकिन हमको यह जवाब भी मिलना चाहिए कि इस प्रवृत्ति को आप किस प्रकार रोकेंगे? किस प्रकार इस पर काबू पाएंगे? अभी तो उन्होंने अपने मन से आन्दोलन उठा लिया है, तो आप चुप हो रहे हैं। उनसे बात करके, उनके विकास की गति तेज करनी पड़ेगी। क्या आप उनको इसी तरह से जानवर की स्थिति में रखना चाहते हैं? इन सब बातों का मंत्री जी जवाब दें।

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है जिसमें इस बात की चर्चा की है कि कच्चे तेल का जो ब्लाकेड हुआ, इसके बाद वार्ता हुई है फिर कहा गया है कि ब्लाकेड समाप्त हो गया है। अब फ्यूल सप्लाई चालू है। मगर उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि ब्लाकेड जो उठाया गया है वह प्रधान मंत्री की एश्योरेंस के बाद उठाया गया है। प्रधान मंत्री का एश्योरेंस यह था कि अतिरिक्त कच्चा तेल आसाम के बाहर नहीं

जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बड़े खतरनाक निहितार्थ हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां पुराना रिफाईनरी कारखाना है और वह पब्लिक सेक्टर की दूसरी ओल्डैस्ट रिफाइनरी है। आश्चर्य की बात यह है कि पिछले 12 वर्षों में, 1977-78 से लेकर 1989-89 तक 36 मिलियन मीटरिक टन क्रूड आयल की सप्लाई होनी थी, वहां मुश्किल से 28.67 मिलियन मीट्रिक टन की आपूर्ति हुई पिछले दिनों में जब इस सवाल को उठाया गया था, तो पेट्रो केमिकल काम्पलैक्स के बारे में मंत्री जी ने कहा था कि चूंकि कच्चे माल की कमी है इसलिए पेट्रो केमिल कांपलैक्स नहीं खोला जाएगा। अगर पेट्रो कैमिल काम्पलैक्स नहीं खोला जाता है, तो उद्योग धंधों का विकास नहीं हो सकता है। जो भी कारखाने अभी चल रहे हैं, उनको कच्चे माल की सप्लाई नहीं हो पाएगी। जैसे हमारे 41 मोम के कारखाने चल रहे हैं, यदि आसाम से एडीशनल क्रूड आयल बाहर नहीं जाने दिया जाएगा तो वे 41 मोम के कारखाने बन्द हो जाएंगे। टोटल प्रोडक्शन का जो 12 परसेंट उनको मिलता है, उससे भी उनका काम नहीं चल रहा है और वे सिक हो गए हैं। इसके कारण वे कारखाने बन्द होने के कगार पर आ गए हैं और ह्यूज लास वहां के उद्यमियों को होने वाला है। आसाम से क्रूड आयल नहीं जाएगा। मोम के कारखानों को स्लैक-वैक्स कलों से मिलेगा। 12 प्रतिशत वहां के उद्योगों को मिलता है और 88 प्रतिशत बाहर जा रहा है। उस तरह से कैल-साइनिंग पैट्रोलियम कोक के 5 कारखाने में से एक कारखाना बनकर तैयार हुआ है। उसको कच्चा माल मिला ही नहीं है, वह शुरू से बन्द है। शेष कारखानों को 50 प्रतिशत लोड पर चलाना पड़ता है और वहां पर भी उनको 12 प्रतिशत आर पी सी मिलता है। मैं बहुत ही परेशानी की स्थिति में आपसे बयान करना चाहता हूं कि एक हजार एकड़ जमीन रिफाईनरी के कारखाने के बनाने में दी गई है और उस इलाके के लोगों ने दी है और 500 परिवार उजड़ गए हैं। हम इस पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि बरौनी रिफाईनर के बाद गुजरात में रिफाईनरी का कारखाना चार मिलियन टन से बढ़कर नौ मिलियन टन, मथुरा छः मिलियन टन से नौ मिलियन टन हो गया, हल्दिया की कैपिसिटी बढ़ाई गई लेकिन बरौनी की कैपिसिटी नहीं बढ़ाई गई, इसके बारे में मंत्री जी को क्या कहना है। क्या बरौनी रिफाईनरी का एक्सपेंशन करना चाहते हैं और अगर करना चाहते हैं तो क्रूड सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था क्या करना चाहते हैं? यदि आसाम से अतिरिक्त क्रूड बन्द हो जाएगा तो इसका प्रभाव बिहार में पड़ेगा और बिहार की स्थिति और भी बिगड़ेगी, इसका नतीजा कल ही निकलने वाला है, अब ज्यादा दिन नहीं है। तब आप यह कहेंगे कि बिहार में गुंडागर्दी का राज कायम हो गया है। इसका मंत्री जी क्या जवाब देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

प्रो. के. वी. थामस (एरणाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, यू. एल. एफ. ए. तथा बोडो आन्दोलनकारियों द्वारा भड़काई गयी हिंसा तथा अखिल असम छात्र संघ तथा असम गण परिषद में टकराव के परिणामस्वरूप एक केन्द्रीय केबीनेट मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है। यह निराशावादी संकेत है जो कि देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से मिल रहे है। इसी प्रकार का एक संकेत 19 8 में मिला था, जब जनता पार्टी सत्ता मे थी। देश के विभिन्न हिस्सों से निराशावादी संकेत मिलने का मतलब है कि केन्द्र सरकार कमजोर है। महोदय, मंत्री महोदय, असम की ताजा स्थिति को नोट करें। हमारे गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को असम की राजधानी में सार्वजनिक सभा मे बोलने नहीं दिया गया था। श्री दिनेश गोस्वामी का उनके ही पार्टी के लोगों द्वारा घेराव किया गया था। यह असम गण परिषद सरकार मे काफी बतेजना है। यह समय ऐसा है कि जब केन्द्र सरकार को असम में जबर्दस्त राजनीतिक अस्थिरता का समना करना पड़ रहा है। क्या सरकार इस दिशा में कुछ कर

रही है। दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है, कि तेल की नाकाबन्दी के कारण वर्तमान हानि 70 करोड़ रु. से 80 करोड़ रु. तक है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का बन्द जारी है तथा केन्द्र सरकार की संस्थायें ठीक से काम नहीं कर रही है। क्योंकि गुवाहाटी तेल शोधक कारखाने के महाप्रबन्धक तथा उनके पुत्र का अपहरण होने के कारण असुरक्षा की भावना विद्यमान है।

अतः असम की सम्पूर्ण स्थिति कुछ हद तक नियन्त्रण के बाहर जा रही है। हाल ही में यह बताया गया है कि असम के विभिन्न हिस्सों में तेल पाया गया है। असम समझौते के एक खण्ड में यह बताया गया है असम में एक नया तेल शोधक कारखाना लगेगा जोकि असम में उपलब्ध सम्पूर्ण तेल को साफ करेगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है।

इसके बाद महोदय, राजनीतिक अस्थिरता का जिक्र आता है। असम समझौते के एक खण्ड में यह भी है कि सरकार असम के आर्थिक विकास के लिये पर्याप्त कदम उठायेगी तथा यह भी बताया गया था कि थोड़े समय बाद ही केन्द्र सरकार द्वारा कुछ उपाय इस दिशा में किये जायेंगे, कि वहां पर एक आई. आई. टी. स्थापित किया जाय। अशोक कागज मिल को पुनर्स्थापित करने के लिये कुछ किया जायगा। अतः अब तक सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठायें गये हैं ?

कुछ समस्यायें ऐसी है जोकि असम के लोगों को सोचने के लिए विवश करती है साथ ही एक महत्वपूर्ण आश्वासन यह दिया गया था कि असम की सांस्कृतिक अखण्डता की रक्षा की जायेगी। परन्तु इस विशेष खण्ड असम सरकार स्वयं असम को विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन की मांग कर रही है। यह खतरनाक रुझान है। हमारा संघीय ढांचा है तथा सभी राज्य देश को अपना योगदान दे रहे है तथा बदले में देश सभी राज्यों के विकास के लिए अपना योगदान दे रहा है। असम में जो रूझान पैदा हो रहे है, वह कि वह तेल की नाकाबन्दी करेंगे तेल शोधक कारखानों को कार्य नहीं करने देंगे यदि उनके राज्य की अमुक अमुक बातें नहीं मान ली जाती। यदि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही रूझान शुरू हो जाता है तो देश की क्या स्थिति होगी ? इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में ही मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस संक्षिप्त चर्चा में भाग लिया है। चर्चा संक्षिप्त थी परन्तु विषय न केवल असम के लिए अपितु सारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रारम्भकर्ता श्री बाजल गोजी ने न केवल तेल नाकाबन्दी जैसे विशिष्ट मामले को उठाया है बल्कि विस्तृत चर्चा की है, तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण मामले उठाये है जोकि तेल की स्थिति से सम्बन्धित हैं।

तेल की स्थिति के बारे में मैं माननीय सदस्य तथा अन्य मित्रों को बता देना चाहता हूं कि सरकार तेल को एक प्रमुख ईंधन समझती है, तथा न केवल देश के लोगों बल्कि सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के लिये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानती है। मैं समस्या को दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं।

तेल सभी क्षेत्रों के लिये महत्वपूर्ण है, अर्थात आन्तरिक, कृषि, औद्योगिक, वाणिज्यिक, तथा

सरकारी क्षेत्र आदि। यदि तेल क्षेत्र पर कुछ प्रभाव पड़ता है तो वह सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देता है। वाणिज्यिक ऊर्जा बक्त में 40 प्रतिशत से अधिक तेल की खपत है। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। महोदय, उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, तथा मुझ से यह जानना चाहा है कि क्या यह सही है या नहीं। पिछले वर्ष हमने तेल तथा तेल उत्पादों के आयात पर 6,440 करोड़ रु. खर्च किये हैं।

पिछले वर्ष कच्चे तेल सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों के भुगतान में समग्र रूप से लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। केवल पेट्रोल की मांग मे 14.2 प्रतिशत वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी।

यह सत्य है कि भारत में कच्चे तेल के उत्पादन तथा शोधन के लिए कच्चे तेल की मांग का अंतराल बढ़ता जा रहा है। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 3.3 करोड़ टन तक पहुंच गया है। हमारा पूर्वानुमान है कि इस वर्ष के अन्त तक देश में कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 3.5 करोड़ टन तक हो जाएगा। किन्तु कच्चे तेल का मांग में वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष कच्चे तेल की मांग लगभग 5.3 करोड़ टन थी। मैं अपनी स्मरण शक्ति से ऐसा कह रहा हूँ, मैं आकड़े नहीं बता रहा हूँ। इस वर्ष के अन्त तक कच्चे तेल की मांग लगभग 5.8 करोड़ टन हो सकती है। अतः, कच्चे तेल की मांग और उसकी आपूर्ति के अंतराल में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। यदि हम देश में कच्चे तेल उत्पादन में सुधार कर लें तब भी हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे। वर्तमान स्थिति में कच्चे तेल के मामले मे हम लगभग 58 प्रतिशत आत्मनिर्भर है। छठी योजना में यह आत्मनिर्भरता 70% तक हो गई थी तथा अब इसमे कमी आ गई है। इसमें आने वाले समय में और कमी आ सकती है क्योंकि कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग मे हमेशा वृद्धि होती रहेगी। अतः हम कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हैं। यह ठीक नहीं है कि चूंकि हम इसका आयात कर रहे हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने न केवल अपने स्वदेशी कच्चे तेल बल्कि आयातित कच्चे तेल का भी शोधन करने की क्षमता स्थापित कर ली है। हम आठवीं योजना मे अपनी क्षमता बढ़ाने तथा नई क्षमता स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए, इस सम्बन्ध में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। हमारी पर्याप्त क्षमता है। हमारी समुचित क्षमता है। किन्तु हमारा कच्चा तेल हमारे देश तथा देशवासियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

उन्होंने मूल्यों का मामला उठाया और कहा कि हम आयात किए जा रहे कच्चे तेल का अधिक मूल्य दे रहे है। मैं सभा को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने उस समय, जबकि खुले बाजार में कीमतें कम थी, खुले बाजार से कच्चे तेल खरीद कर उसका आयात करने के लिए समय पर कदम उठाए हैं। जब मूल्य कम थे तो हमने 15 अथवा 16 डालर प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल खरीदा है जिसके परिणामस्वरूप हमने लगभग 340 करोड़ रु. की बचत की है। हमने इस बारे में कदम उठाए हैं। हमने वर्ष भर कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए विभिन्न विदेशी सरकारों और एजेंसियों के साथ समझौते किए है। हमने यह व्यवस्था की है। इसलिए, सभा में हमारे साथियों के मन में कोई संदेह अथवा आशंका नहीं होनी चाहिए कि हमने विदेशी सरकारों और एजेंसियों के साथ आयात समझौते करने के बारे में कुछ नहीं किया है। उन्होंने मध्यपूर्व के संकट के फलस्वरूप विदेशों से कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा पड़ने का मामला उठाया है। यह बात सत्य है। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि मध्यपूर्व में तनाव अथवा संकट होगा

जिसके फलस्वरूप कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में बाधा आएगी। हमने कुवैत, इराक और रूस के साथ लगभग 0.8 करोड़ टन कच्चे तेल का सौदा किया था। इसके साथ ही हमने अन्य देशों के साथ भी सौदे किए हैं, किन्तु इन तीनों देशों ने समझौते के अन्तर्गत 0.8 करोड़ टन कच्चे की आपूर्ति करने का वायदा किया था जिसमें से हमने दो देशों से अब तक लगभग 0.35 करोड़ टन कच्चा तेल आयात किया है।

हमें इसका भरोसा नहीं है क्या हम इन देशों से शेष कच्चे तेल का आयात कर पाएंगे। यदि हम ऐसा करना भी चाहें तो इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक प्रतिबन्ध है। इसलिए हम इन देशों से शेष कच्चे तेल का आयात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अन्य कहीं से भी कच्चे तेल की आपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पहले ही कुछ देशों को दो शिष्टमंडल भेजे हैं। एक शिष्टमंडल मलयेशिया और इन्डोनेशिया गया था; वह वापस आ गया है। दूसरा शिष्टमंडल मास्को गया है तथा तीसरा शिष्टमंडल शायद आज अथवा कल मध्य पूर्व देशों के लिए जाएगा। हमें सकारात्मक उत्तर मिले हैं; मलयेशिया ने हमारी थोड़ी सहायता करने का वायदा किया है। शायद रूस से भी सकारात्मक उत्तर प्राप्त हो। रूस के सम्बन्ध में, उसे हमें इराक से मिलने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति करनी है। दूसरे शब्दों में रूस हमें इराकी कच्चे तेल की आपूर्ति कर रहा था। अब रूस को इराक से कच्चा तेल नहीं मिलेगा। इसलिए, हम रूस को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वह हमें कोई और कच्चा तेल दे सकता है; और हम कोशिश जारी रखे हुए हैं। शायद हम वहां से सफल हो सकें।

तीसरा शिष्टमंडल चला गया है। पहले हमारे दो साथी, विदेश मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल तथा श्री आरिफ मोहम्मद खान रूस तथा मध्य पूर्व के अन्य देशों को गए थे। वहां उन्होंने वहां के नेताओं के साथ भेंट की। हमें कुछ सकारात्मक उत्तर मिले हैं किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थिति अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश तथा देशवासियों को तेल की कमी के कारण कठिनाई न हो। किन्तु इसमें कुछ अन्य बातें भी हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : क्या मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी : मेरे वक्तव्य पूरा करने के बाद आप पूछ सकते हैं; अन्यथा मेरा तारतम्य टूट जाएगा।

श्री भोगेन्द्र झा : मुझे आश्चर्य है कि क्या हमने रूस संघ के साथ सीधे व्यापारिक सम्बन्ध शुरू कर दिए हैं अथवा क्या हम अभी भी सोवियत संघ के साथ व्यापार कर रहे हैं क्योंकि मंत्री महोदय ने बार-बार 'रूस' कहा है। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह भविष्य की बात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उस देश को रूस के रूप में नहीं सोवियत संघ के रूप में जाना जाता है।

श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी : सोवियत संघ, ठीक है यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं अपनी गलती सुधार लेता हूं।

मैं इस मुद्दे पर था अर्थात् कि हम अन्य स्रोतों से कच्चे तेल का आयात करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम वैकल्पिक स्रोतों के लिए प्रयास कर रहे हैं। किन्तु तीन बातें

विश्व में तेल क्षेत्र की स्थिति को जटिल बना रही हैं। जैसाकि मैंने कहा है कि उनमें से एक बात मध्य पूर्व के संकट के कारण हुई बाधा है।

जैसाकि मैंने कहा, दूसरी बात यह है कि भारत में कच्चे तेल की उपलब्धता की कमी है। कच्चे तेल का हमारा उत्पादन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरी बात यह कि कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं। तेल उत्पादक देशों ने कुछ समय पहले तेल का मूल्य में 21 डालर प्रति बैरल निश्चित किया था लेकिन अब वे इन मूल्यों पर स्थिर नहीं हैं। वे इन मूल्यों में और भी वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य 26 से 30 डालर प्रति बैरल के बीच चल रहा है। यह बहुत ही अस्थिर उतार-चढ़ाव है। इससे स्थिति और जटिल हो गयी है। चौथी बात, जहां तक हमारा संबंध है वह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, और वह यह है कि हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं हैं। हमारे विदेशी मुद्रा के स्रोत सीमित हैं मेरे साथी, वित्त मन्त्री महोदय से खर्च को 6440 करोड रुपये तक सीमित रखने के लिए कहा है ये आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। यदि मैं उनके अनुरूप चालू तो रहता है तो कोई भी सकारात्मक नहीं होगा।

मैंने कहा था कि सभी पेट्रोलियम पदार्थों के लिए मांग में 8 प्रतिशत वृद्धि है। और यदि मुझे 6440 करोड रुपये दिए गये तो एक प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि होगी, 8 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि नहीं होगी। इसको हम सभी को प्रशंसा करनी चाहिए। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, कि वह हमें कुछ और साधन उपलब्ध करायें, मुझे इस बात का पता है कि उनकी अपनी समस्यायें हैं, और उन्हें विदेशी मुद्रा की विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को पूरा करना है। परन्तु मैं अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहा हूँ यह देखने का मेरा प्रयास रहेगा कि मुझे अपेक्षाकृत अधिक विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाए ताकि मैं वितरण तन्त्र को यथासंभव रूप से अक्षुण्ण बनाये रखं। संकू और केन्द्र सरकार में यह अनवरत प्रक्रिया चल रही है। परन्तु सदस्यों को यह बात समझनी होगी कि हमारी स्थिति क्या है, और तेल के क्षेत्र में देश को गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मैं जनता के दिमाग में कोई भय नहीं पैदा करना चाहता हूं। यह मेरा इरादा नहीं है क्योंकि यह देखने का मेरा प्रयास रहेगा कि तेल तथा तेल उत्पादों की पर्याप्त मात्रा में लोगों को आपूर्ति की जाए। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि इनकी सभी फालतू तथा बेकार खपत को रोका जाना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र में उपयुक्त कटौती की जानी चाहिए। अनेक माननीय सदस्य क्या सोचते हैं यह मैं जानता हूं। सरकार तथा सरकारी क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत होती है। इसलिए हम सभी सरकारी क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा रहे हैं हम लोगों पर भी रोक लगा रहे हैं। परन्तु यथासंभव रूप से यह देखने के लिये ध्यान दिया जा रहा है कि तेल की कमी की वजह से बिना किसी ज्यादा रुकावट तथा कठिनाई के उद्योग चलते रहें। यह बहुत मुश्किल काम है। इस संबंध में मुझे सभा के समर्थन की आवश्यकता है। संभवतः हमें इस दिशा में कुछ और उपायों के बारे में सोचना होगा। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। अब वर्तमान स्थिति की बात करें; यदि वर्तमान स्थिति को तो इस समय असम ने हमें झटका दे दिया है जब देश तेल के क्षेत्र में इतने गम्भीर संकट मिल रहा है तो अखिल असम छात्र संघ (आसू) तथा उसके सहयोगी संगठनों ने शिवसागर में बंध तथा नाकाबन्दी की हैं जिसके परिणाम स्वरूप तेल के उत्पादन में गिरावट आयी है इसके मैंने आकड़े दिये है तथा तेल की आपूर्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है मैंने इन उत्पादों का मोटे तौर मूल्य बता दिया है अथवा जो हानि हुई है उसके अनुमानित

आंकड़े दे दिये हैं।

यह सच नहीं है कि हमने छात्रों और नौजवानों को आन्दोलन समाप्त करने के लिये कहा है। समझाने के लिए कुछ नहीं किया है। और यह भी सच नहीं है कि हमने देर से कदम उठाया है। हमें असम की स्थिति की जानकारी है। हम भी समाचार पत्र पढ़ते रहे हैं जैसे कि मेरे मित्र भी भी समाचार पत्र पढ़ते होंगे। हम भी समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा स्थिति को जानते है। हम स्थिति पर निगरानी रखे हुये हैं, स्थिति का अध्ययन करते रहे हैं। स्थिति का आंकलन करने के लिए तथा असम की स्थिति को जानने के लिये वहां पर जल्दी-जल्दी अधिकारियों को भेजा जाता है परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य तथा खेद की बात है कि वहां नौजवान सीधी कार्यवाही करने पर उतर आये हैं परिणामस्वरूप हमारी उत्पादन क्षमता पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सामान की आपूर्ति अस्त-व्यस्त हो गयी है। तेल शोधक कारखानों में काम बन्द हो गया है। बरौनी तथा बोंगाईगांव तेल शोधक कारखानों में काम बन्द हो गया है। गुवाहाटी तेल शोधक कारखाना भी बन्द हो गया है, इस कारण नहीं बल्कि इस कारण कि उसमें मरम्मत तथा रखरखाव की आवश्यकता है यह बन्द हो गये हैं। जब देश में तेल की आवश्यकता है तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

पिछली बार जब मैं असम गया था तब मैंने अखिल असम छात्र संघ (आसू) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी।

मैं मुख्य मन्त्री, सभी मन्त्री महोदयों और अधिकारियों से भी मिला था। मैंने तेल की स्थिति के बारे में उनको बताया था। मैंने उनको संतुष्ट भी किया था, मैंने समझता था कि मैंने उन्हें संतुष्ट कर दिया था। उन्होंने बताया कि मन्त्री महोदय बहुत समझदार है। उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गयी थी परन्तु मुझे इस बात से भारी धक्का लगा कि फिर वहीं मांग उठायी गयी है। मेरी समस्या है कि किस प्रकार उनको इस बात का विश्वास दिलाऊं जो मैं कहना चाहता हूं। जो लोग विश्वास नहीं कर रहे है उन्हें विश्वास कैसे करवाऊं। वह विश्वास करने से मना करते हैं। उनको कैसे विश्वास कराऊं। मैंने अपने समस्त कौशल का इस्तेमाल उनको यह समझाने के लिए किया है कि असम का विकास हमें भी उतना ही प्रिय है जितना कि उन्हें है।

संभवत: माननीय सदस्य यह जानते होंगे, कि अकेले मेरे विषय क्षेत्र में मैंने आठवीं योजना अवधि के दौरान असम में 8000 करोड़ रु. खर्च करने का वादा किया है। असम में 8000 करोड़ रु. का निवेश होगा। मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं। परन्तु असम में इसके अलावा अन्य निवेश भी होंगे। हम पिछली सरकार द्वारा असम के साथ किए गए समझौते की शर्तों को पूरा कर रहे हैं। हम हर संभव कदम उठा रहे हैं। परन्तु वह सहयोग देने से इंकार कर रहे हैं।

मैं हाल ही में वहां गया था और मैंने पूर्वोत्तर पर्वतीय परिषद की बैठक में भाग लिया था। मेरे साथी भी वहां मौजूद थे। प्रो. मधु दण्डवते, मुफ्ती साहब, विधि मन्त्री सभी वहां पर थे।

3.00 म. प.

मैंने उनसे बिल्कुल स्पष्ट परन्तु मित्रतापूर्वक बातचीत की थी। मैंने उन्हें समस्या पर अपने रवैये तथा दृष्टिकोण की जानकारी दे दी। मैंने उन्हें दृढ़तापूर्वक बता दिया कि आन्दोलनकारियों द्वारा चुना गया रास्ता आत्मघाती है।

महोदय वे असम में विकास के लिए अधिक से अधिक निवेश कराना चाहते हैं। जब वे असम का विकास चाहते हैं, तो सबसे पहले जो बात आवश्यक है, वह यह है कि सामान्य स्थिति होनी चाहिए कानून एवं व्यवस्था होनी चाहिए, शान्ति होनी चाहिए तथा जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उनमें सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। यह न्यूनतम बात है जिसकी आवश्यकता है। यदि वहां शान्ति नहीं होगी तो असम में कौन निवेश करेगा। मैंने यहीं प्रश्न वहां भी पूछा था, जब वहां पर सुरक्षा की भावना नहीं है तो असम में कौन निवेश करेगा ? दूसरे जब पैसा कमाने की कोई संभावना नहीं होगी, तब कोई वहां क्यों कारखाने तथा उपक्रम लगाएगा। यह मूलभूत प्रश्न है। इसलिए मैंने असम के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से अपील की थी कि वे यह देखें कि वहां कानून एवं व्यवस्था बहाल होगी, जब सुरक्षा का वातावरण नहीं बनेगा, वहां विकास नहीं हो सकता इसलिए मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। हम असम की स्थिति को जानते हैं। यह स्थिति पहले से चल रही है यह एक दिन में नहीं हो गयी है यह स्थिति वहां पर पहले से थी। हम सब यह जानते हैं। भारत के नागरिक के रूप में मैं इस अवधारणा से सहमत नहीं हूं कि किसी राज्य विशेष में जो बहुमूल्य वस्तुयें अथवा खनिज पाए जाते हैं उन्हें उस राज्य से बाहर न ले जाया जाये। मैं इस अवधारणा से सहमत नहीं। इस अवधारणा से कोई भी सहमत नहीं होगा। परन्तु इसके साथ ही समस्त क्षेत्रीय विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास के नाम पर राज्य के विकास को तिलांजली नहीं दी जा सकती। दोनों के बीच में संतुलन बनाना होगा। हम इस सिद्धांत पर चलते हैं। मैं समझता हूं कि यह सभा इस सिद्धांत का समर्थन करेगी।

हमारे लिए असम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि देश का अन्य कोई राज्य मैंने खुले तौर पर कहा है। असम भारत में है। 'भारत असम में है।' हर कोई इस अवधारणा से सहमत हैं।

महोदय, मुझे आशा और विश्वास है कि असम में बेहतर समझ पैदा होगी और अखिल असम छात्र संघ अपने हित में सहयोग करेगा। मैं उनसे सहयोग करने की अपील करता हूं।

एक या दो बातें यहां उठायी गयी हैं। मैं बरौनी की बात कर रहा हूं। बरौनी तेल शोधक कारखाने की क्षमता 3 करोड़ तीस लाख टन है। हमने इस क्षमता को बनाये हुए हैं। हम इस तेल शोधक कारखाने को चला रहे हैं। अब असम का तेल, इतनी दूर इस तेल, तेल शोधक कारखाने में आ रहा है। इस तेल शोधक कारखाने को बन्द करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसको चालू रखा जाएगा। अन्य तेल शोधक कारखानों (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि 3.3 मिलियन टन की आपूर्ति वहां लगातार हुई है, यह बिलकुल गलत है। बारह वर्षों में सिर्फ दो बार अधिष्ठापित क्षमता के मुताबिक आपको क्रूड आयल की आपूर्ति की गई। शेष वर्षों में क्षमता से बहुत ही कम क्रूड आयल की आपूर्ति की गई और 3.3 मिलियन टन कभी नहीं मिला। इसके बारे में बताइए।

[अनुवाद]

श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी : क्षमता 3.3 मिलियन टन की है। हम इस क्षमता का इस्तेमाल

कर रहे हैं । इसलिए हमारा हमेशा यह प्रयास रहा है कि हम कच्चे तेल की आपूर्ति करते रहें ताकि उस क्षमता का इस्तेमाल हो सके । सवाल ही नहीं उठता । (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या पूरी आपूर्ति असम से होती है ।

श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी : पूरी आपूर्ति असम से होती है । हमें सिर्फ असम से कच्चा तेल मिल रहा है । असम को चिंतित नहीं होना चाहिए कि उनका कच्चा तेल ले लिया जाएगा । हमने आठवीं योजना में 30 लाख टन क्षमता का एक नया तेल शोधक कारखाना लगाने का पहले ही निर्णय लिया है और असम में मिलने वाला तेल बरौनी सहित सभी तेल शोधक कारखानों के लिए पर्याप्त होगा । हमारा इरादा असम के तेल शोधक कारखानों को कच्चे तेल से वंचित रखने का विकसित करना चाहते है । हम बी आर जी एस डिगबोई और गुवाहाटी तेल शोधक कारखानों का विस्तार कर रहे है । इसके अतिरिक्त हम 30 लाख टन क्षमता का एक नया तेल शोधक कारखाना स्थापित कर रहे है । असम को कच्चे तेल से वंचित रखने का प्रश्न ही कहां उठता है ।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण सिंह : बरौनी रिफाइनरी के एक्सपेंशन के बारे में क्या करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम एस. गुरुपदस्वामी : बरौनी तेल शोधक कारखाना ने को बंद नहीं किया जाएगा । इसकी क्षमता वही रहेगी । बरौनी तेल शोधक कारखाना हमें इतना ही प्यारा है जितने कि असम के तेल शोधक कारखाने ।

सामान्य स्थिति और सुरक्षा बनाइए रखने के लिए हम सभी प्रकार के कदम उठा रहे हैं । हम राज्य सरकार से बराबर सम्पर्क बनाये हुए है । असने अधिकारियों से भी हमने सम्पर्क बनाया हुआ है क्योंकि हमारे लिए वे काफी महत्वपूर्ण है । यदि उनकी स्थिति किसी तरह से अस्त-व्यस्त तो है । तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी । इस हम असने अधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाये हुए है और उन्हें आवश्यक सहायता दे रहे है । यह एक कठिन स्थिति है । हम यह देखने की कोशिश कर रहे है कि हमारे संस्थान, उपक्रम और तेल शोधक कारखाने ठीक से कार्य करें ।

3.08 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गोदावरी एक्सप्रेस में बस्तर और कोरापुट रेलवे स्टेशनों में अधिक डिब्बे जोड़े जाने की मांग

श्री के. प्रधानी (नौरंगपुर) : वाल्टेयर से बैलाडिला को एक यात्री व मालगाड़ी जाती है जो जयपुर, कोरापुट जैसे महत्वपूर्ण शहरों तथा अनेक छोटे नगरों और गांवों से गुजरती है। यह एक

विद्युत गाड़ी है और यह 250 किलोमीटर तक एक मात्र यात्री गाड़ी है, पहले बैलाडिला से भुवनेश्वर के लिए डिब्बे लगते थे ताकि कोरापुर जिला के मंत्रियों को भुवनेश्वर स्थित राज्य मुख्यालय आने जाने में आसानी हो। उन डिब्बों को ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस की अप और डाउन गाड़ियों में वाल्टेयर में जोड़ा और काटा जाता है। मुझे पता चला है कि अब डिब्बे नहीं लगते हैं, बस्तर और कोरापुर जिला की जनसंख्या लगभग 55 लाख है जो एक छोटे राज्य के बराबर है। यदि इन डिब्बों को फिर से लगाया जाए तो वहां के लोगों को भुवनेश्वर जाने के लिए स्थानीय रेल स्टेशन पर ही आरक्षण मिल सकता है और वे यात्रा के काफी पहले वाल्टेयर जाकर आरक्षण कराने की कठिनाई से बच जाएंगे। इस क्षेत्र से दिल्ली जाने वाले लोगों को भी आरक्षण के लिए कठिनाई उठानी पड़ती है क्योंकि इस लाइन के लिए कोई डिब्बा नहीं है। यदि इस गाड़ी में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के दो डिब्बे एक भुवनेश्वर के लिए और दूसरा दिल्ली के लिए लगायी जाए तो बस्तर और कोरापुर के यात्री निकटतम महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन से आरक्षण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह यथाशीघ्र इस जनजाति बहुल क्षेत्र के लिए इस गाड़ी में दो डिब्बों की व्यवस्था करें।

(दो) कर्नाटक के बेल्लारी जिले में होसपेट के समीप विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना की मंजूरी दिये जाने की मांग

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : बेल्लारी जिले में होसपेट के समीप एक समेकित इस्पात संयंत्र के लिए विजयनगर इस्पात संयंत्र की आधारशिला भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने 19 वर्ष पहले रखी थी। लगभग उसी समय उड़ीसा में दैतारी और आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम् में इस्पात संयंत्र का कार्यान्वयन भी शुरू किया गया। विशाखापटनम् इस्पात संयंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। विजयनगर में स्थान का चयन निम्न बातों को ध्यान में रखकर किया गया (क) बेल्लारी जिला तथा उसके चारों ओर उच्च स्तर के लोह अयस्क का काफी बड़ा भंडार है और (ख) भारत के उन चार दक्षिणी राज्यों की इस्पात की जरूरत जहां कोई प्रमुख इस्पात संयंत्र नहीं है और जिनकी जरूरतें देश के उत्तरी राज्यों से पूरी होती है। संयंत्र के लिए जिस स्थान का चयन किया गया है वह कई मामलों में बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यह एक ऐसे क्षेत्र में है जहां लोह अयस्क अधिक मात्रा में उपलब्ध है और वहां छोटा तथा बड़ा रेल लाइन है और उसमें जो उत्पादन होगा वह समूचे दक्षिण क्षेत्र की इस्पात की आवश्यकता को पूरी करेगा। ऐसा समझा जाता है कि दैतारी इस्पात संयंत्र और विजयनगर इस्पात संयंत्र पर विचार किया जा रहा परन्तु दक्षिण कोरिया के पोहांग स्टील के सहयोग से शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक के रूप में दैतारी परियोजना के कार्यान्वयन में उड़ीसा काफी प्रगति कर चुका है। इन दोनों परियोजनाओं में विजयनगर अपेक्षाकृत पुराना है और उसमें ऐसी अनेक सुविधायें हैं जो दैतारी में नहीं हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विजयनगर इस्पात संयंत्र को स्वीकृति दे।

(तीन) काफी उत्पादकों की दशा सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियार (मैसूर) : मैं सरकार का ध्यान सामान्यतः देश के

और विशेषतौर पर कर्नाटक के काफी उत्पादकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करता हूं। यद्यपि सिर्फ कर्नाटक का ही देश के कुल काफी उत्पादन में 70% हिस्सा है, राज्य के 35 से अधिक काफी उत्पादकों को पूरे विश्व में काफी की कीमत में गिरावट से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफी उत्पादकों की यह दयनीय स्थिति अनेक देशी कारणों से भी है।

इस संबंध में राज्य के काफी उत्पादकों द्वारा अनेक अभ्यावेदन दिये जाने के बावजूद वाणिज्य मंत्रालय ने अब तक उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

काफी उद्योग में कदाचार को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस उद्योग के वर्तमान स्थिति का देखते हुए दक्षिण के तीन राज्यों में बिक्री कर और क्रय कर को युक्ति संगत बनाने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। मैं सरकार से काफी उत्पादकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का अनुरोध करता हूं।

(चार)　उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाये जाने की मांग

श्री सी. एम. नेगी (गढ़वाल) : पिछले तीन दशक से भी लम्बे अरसे से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के लोग उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों को मिलाकर एक पृथक पहाड़ी राज्य बनाये जाने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इस मांग को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र के द्रुत विकास के लिए एक पर्वतीय विकास विभाग बनाया। दुर्भाग्यवश, यह प्रयोग भी ठीक प्रकार से परियोजनायें न बनाये जाने और योजनाओं को ठीक प्रकार से निगरानी न किये जाने के कारण असफल सिद्ध हुआ। उपर्युक्त आठ पहाड़ी जिलों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता भी प्राप्त कर रहे हैं। किन्तु राज्य का अंशदान सदैव तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में राज्य का अंशदान केन्द्रीय सहायता से बहुत अधिक रहा है। इन सभी तथ्यों का कुल मिलाकर यह प्रभाव पड़ा है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी लोगों में बहुत आक्रोश पैदा हो गया है और पहाड़ी राज्य की मांग को दिन-ब-दिन अधिक जन-समर्थन प्राप्त होता जा रहा है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाये, इन पहाड़ी क्षेत्रों का द्रुत विकास करने के लिये उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिये एक अलग राज्य बनाने हेतु एक कानून बना दिया जाये।

(पांच)　उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने के निर्देश दिये जाने की मांग

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : सरकारी क्षेत्र के अनेक संगठनों (उद्योगों) विशेषकर आई.डी.एल., राउरकेला और तालचेर भारी जल संयंत्र ने अपने कर्मचारियों को उड़ीसा सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी, जो कि 25 रुपये प्रतिदिन है, देने से इन्कार कर दिया है। इन संगठनों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पर अमल करने की मांग कर रहे कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा रही हैं। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने के निदेश जारी करे।

(छः) देश में बार-बार आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिये कदम उठाये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि देश में हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका के कारण राज्य के करोड़ों व्यक्ति प्रभावित होते हैं तथा उन्हें पुनः सुचारू रूप से बसाये जाने हेतु सरकार का काफी धन बरबाद हो जाता है, लेकिन फिर भी हर वर्ष वही समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो नदियां भारी बाढ़ लाती है, उन्हें गहरा किया जाये एवं जो गहरा करने पर मिट्टी निकलती है, उसे उनके बांध लगाये जाने हेतु प्रयोग में लाया जाये। इससे सरकार के वित्तीय खर्च में कटौती होगी, साथ ही जो बाढ़ के कारण जनता प्रभावित होती है, उससे जनता को छुटकारा मिल सकेगा। यह कार्य जन-धन हित में सरकार द्वारा पूर्ण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है और इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

(सात) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों के द्रुत विकास के लिये विकास बोर्ड गठित किये जाने की मांग

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, जालौन तथा मध्य प्रदेश के जनपद दतिया, मुरैना, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना आदि सब पठारी क्षेत्र में है। इनकी आर्थिक स्थिति, खेती सम्बन्धी समस्याएं, सिंचाई सम्बन्धी और पेयजल सम्बन्धी समस्याएं एक हैं और जल के स्रोत भी एक है।

इन सभी जनपदों में सिंचाई का स्तर न्यूनतम है और इस कारण किसान बहुत गरीब हैं, क्योंकि सिंचाई की कमी के कारण वह अच्छी उपज नहीं कर पाते। वर्ष के केवल चार महीनों को छोड़कर 80 प्रतिशत जनता पेयजल के संकट की चपेट में रहती है और सम्पूर्ण क्षेत्र में सूखे की स्थिति बन जाती है, यहां तक कि पशुओं के चारे की भी कमी हो जाती है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यों का यह मिला-जुला स्रोत है तथा पानी की उपलब्धता अधिक है। जब तक दोनों सरकारें सहमत नहीं होंगी, तब तक पानी के स्रोतों को बांध बनाकर रोका नहीं जा सकता। इस कारण आज तक सिंचाई के साधन कम है और पेयजल का भयकर संकट है। आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों की सहमति से एक विकास परिषद का गठन किया जाये, जिसके अध्यक्ष भारत सरकार का सिंचाई मंत्री हों। वित्तीय साधनों की उपलब्धता दोनों सरकारें मिलकर करें जिससे कि इन पठारी क्षेत्र के 15 जनपदों का पिछड़ापन दूर किया जा सके और सिंचाई के साधन, पेयजल संकट की समाप्ति और उद्योगों का विकास हो सके।

(आठ) दादर और नगर हवेली का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर (दादर और नगर हवेली) : महोदय, दादर और नगर हवेली बम्बई के बहुत निकट स्थित है, जो कि व्यापार का केन्द्र है। प्रत्येक वर्ष विदेशी पर्यटक भारी

संख्या में बढ़ाई जाते हैं। दादरा और नगर हवेली के अन्तर्गत विशाल वन क्षेत्र है। इस स्थान को वन्य पर्यावरण को क्षति पहुँचाये बिना पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है जिससे दादरा और नगर हवेली को अधिक आय प्राप्त हो सकेगी।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाये।

3.18 म. प.

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक (जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रसार भारती विधेयक को लेते हैं जिस पर विचार करने का प्रस्ताव श्री पी. उपेन्द्र द्वारा 21.8.90 को रखा गया था। इससे पहले मैं श्री श्रीवास्तव जी का नाम पुकारूं, मैं सभा को इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि इस विधेयक के लिए आठ घंटे का समय नियत किया गया था। हम पहले ही आठ घंटे और उनसठ मिनट का समय ले चुके हैं। मैं सभा से यह जानना चाहूंगा कि आप इस पर कितने समय तक चर्चा करना चाहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : एक घंटा और

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, चर्चा एक घंटे में पूरी हो जानी चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, दो घंटे का समय होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह दो घंटे में पूरी हो जानी चाहिये।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मावेलीकारा) : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है और हमारे सदस्यों ने अनेक संशोधन रखे हैं। अधिकांश संशोधनों पर सहमति भी हो गई है। किन्तु इसके बावजूद हमारे सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसलिये हम इस पर चर्चा को एक घंटे तक ही सीमित न करें। जब सब कुछ सर्वसम्मति से किया जा रहा है, तो क्यों न हम और अधिक समय लें और इस पर चर्चा कर लें? महोदय, इसलिये हमें दो घंटे का समय रखना चाहिए।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। यहां एक विधेयक नहीं है, अनेक विधेयक सभा के समक्ष लम्बित हैं जिनमें वित्त विधेयक भी है। हमने पहले ही समय बढ़ा दिया है। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा पहले छः घण्टे का समय निर्धारित किया गया था। बाद में हमने नौ घण्टे ले चुके हैं। हम एक घण्टा और ले सकते हैं क्योंकि 5.30 बजे आधे घण्टे की चर्चा होनी है। इससे पहले मुझे उत्तर देना है और फिर मतदान होगा। आप कृपया समय को इसी प्रकार निर्धारित करें ताकि यह कार्य 5.30 बजे तक पूरा हो जाये तथा हम अगले कार्य को ले सकें।

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : यदि मंत्री महोदय इतने तकनीकी हो रहे हैं, तो हम भी तकनीकी हो जायेंगे। 64 सरकारी संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। ये संशोधन कहां हैं? क्या इनको सदस्यों में परिचालित किया गया है? हमारे पास ये संशोधन नहीं हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि ये 64 संशोधन पहले सदस्यों को दिये जायें और तब हम इन पर चर्चा करेंगे। अतः हमें तकनीकी नहीं

होना चाहिये। आधा घण्टा इधर या उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सरकार से सहयोग करने को तैयार हैं वर्ना हमको सभी 64 संशोधन दिये जायें। (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : असीमित समय नहीं दिया जा सकता।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह समझता हूँ कि इसके ऊपर बोलने वालों की संख्या काफी है और बिल महत्व का होने की वजह से इसको बहुत तेजी से ले जाना अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि इसको हम बहुत देर तक बढ़ाते रहें। बहुत देर तक भी नहीं बढ़ा सकते हैं। एक तरफ से कहा गया है कि एक घंटे का टाइम दिया जाए, दूसरी तरफ से कहा गया है कि दो घंटे का टाइम दिया जाए। मैं एक घंटा तीस मिनट का टाइम फिक्स कर रहा हूं। फिर भी यदि कुछ रह जाता है, तो मैं उनसे कहूँगा कि वे इस सदन के बाहर उनके ऑफिस में बैठकर चर्चा कर के इसको निपटाएं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, यह 64 संशोधन जो दिये गये हैं, इनकी प्रतियां हमें दी जानी चाहिये इनको परिचालित नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य द्वारा जो आपत्ति उठायी गयी है उस पर भी ध्यान दिया जाना है। सामान्यत: संशोधन परिचालित किए जाते हैं। परन्तु यह समझा जाता है कि कुछ संशोधनों पर सहमति है तथा कुछ दूसरे संशोधन भी हैं। मैं सदस्यों तथा सचेतकों से निवेदन करता हूँ कि मामले पर चर्चा करें तथा यह बतायें, कि क्या करना है। यदि सहमति है तो कोई समस्या नहीं है, यदि सहमति नहीं है तब हम यह तय करना होगा कि किस प्रकार आगे की कार्यवाही करें।

श्री पी. उपेन्द्र : संशोधन पहले से मौजूद है। केवल प्रतियां बनानी है। हिन्दी की प्रतियां बनाने के लिये अनुवाद की कठिनाई सामने आ रही थी। परन्तु वह भी समय पर किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया संबंधित सदस्यों से बाहर बात कर लें।

श्री पी. उपेन्द्र : जो बात बाहर की जाती है उस पर अन्दर कायम नहीं रहते उन्हें हमारी कठिनाई को समझना चाहिये हमें सभी की कार्यवाही चलानी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस पर जोर दे रहे हैं तो केवल एक दल ही नहीं है और यदि एक सदस्य भी आपत्ति उठाता है तो मुझे यह कहना होगा कि इसे परिचालित किया जाना चाहिये। कृपया समझिये। इसीलिये आप उनसे बात करें तथा मामले को तय करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या आप बता सकते हैं कि किस समय मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने समय 1 1/2 घण्टे बढ़ा दिया है मुझे नहीं पता कब यह समाप्त कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वह बढ़े हुये 1½ घण्टे के समय के बाद उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसाकि अब स्थिति है, यह 1½ घण्टे के अन्दर समाप्त होना चाहिये।

[हिन्दी]

डा. शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव (पटना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रसार भारती विधेयक एक ऐतिहासिक विधेयक है जिसका स्वागत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक मेरी जानकारी में, तीनों दृष्टियों से ऐतिहासिक है—देश की दृष्टि से, संसद की दृष्टि से और व्यक्तिगत रूप से, मेरी दृष्टि से भी। मैं बाद में अपनी दृष्टि पर चर्चा करूंगा। 15 अगस्त, 1947 को इस देश की जमीन आजाद हुई थी, आज 29 अगस्त, 90 को आकाश स्वतंत्र हो रहा है, आकाशवाणी स्वतंत्र हो रही है इस देश की लोकवाणी स्वतन्त्र हो रही है और इसलिए मैं इसे मानता हूं कि यह एक ऐतिहासिक दिवस है। इतना ही नहीं संसद की दृष्टि से भी यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। 1 मई, 1979 को सबसे पहले श्री आडवाणी जी ने इसे तत्कालीन सदन में प्रस्तुत किया था। जैसा उन्होंने बताया कि राजनीतिक भूकम्प के कारण वह विधेयक उस समय धाराशायी हो गया। इस बार 29 दिसम्बर, 89 को हमारे माननीय मंत्री श्री उपेन्द्र जी ने इसे प्रस्तुत किया है। आज हम 29 अगस्त, 90 को इस पर चर्चा कर रहे हैं। पूरे नौ महीने के बाद, आज भारत की गोद में एक नई विद्यार्थी बालिका प्रसार भारती आई है। आज पूरे नौ महीने हो रहे हैं और संसद की दृष्टि से जब मैं इसे ऐतिहासिक विधेयक कहता हूं तो मैं अपने मित्रों को यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब श्री उपेन्द्र जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था और उपस्थापन के समय जो भाषण दिया था, कहीं मैंने पढ़ा कि वह अब तक किसी भी विधेयक के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला सबसे लम्बा भाषण था और शायद गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में उसे स्थान भी मिलने जा रहा है कि किसी विधेयक को इतनी चर्चा के साथ, इतने समय के बाद विस्तारपूर्वक शायद पहली बार इस सदन में प्रस्तुत किया है। कल जब मैं इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ तो अचानक हमारे एक मित्र··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सारा समय बिना वजह गवां रहे हैं, आप बिल पर आ जाइए।

डा. शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : एक मित्र को कोरम की याद आई, घंटी बजने लगी, प्रधान मंत्री आ गए, अन्य मंत्रीगण आ गए लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के सदस्यों की संख्या इतनी कम थी कि कोरम पूरा नहीं हो सका, उस पर विचार नहीं हो सका। आज आपने मुझे पुनः समय दिया है। अतः मेरी दृष्टि से भी यह एतिहासिक विधेयक समय की एक मांग है, आवश्यकता की एक पूर्ति है। आज विश्व का शायद ही कोई ऐसा सभ्य देश हो जहां रेडियो, दूरदर्शन को स्वायत्तता प्राप्त न हो। यहां तक कि सोवियत रूस ने भी अब सरकारी तन्त्र का अंकुश इस पर से हटा लिया है और श्री गोरबाचोफ इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अन्ततः स्वायत्तता को स्वीकार किया। हमारे देश में इसलिए इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी कि वर्षों से इसकी मांग थी, हमारे यहां शायद सरकारी तंत्र ने इसका सर्वाधिक दुरुपयोग किया है। इस का स्वरूप सरकारी प्रचार भारती का था। मैं इसे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना मानता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी सूचना और प्रसारण मंत्री हुई और उन्होंने "इनफार्मेशन इज पावर" के सिद्धान्त को ग्रहण

करते हुए एक ऐसी स्थिति पैदा की कि जब सचमुच वे प्रधानमंत्री हुई तो उन्होंने इस स्वायत्तता का विरोध करना शुरू किया और आकाशवाणी और दूरदर्शन का गला घोटा जाने लगा। आपातकाल के भीतर हम सबको याद है कि रेडियो और दूरदर्शन की विश्वसनीयता किस प्रकार से घटी थी। सारा देश मानता था कि दूरदर्शन पर जो कुछ दिखाया जा रहा है वह असत्य है, सच के साथ जनता का साक्षात्कार बिल्कुल नहीं हो पाता है। सारे देश को कालकोठरी में अज्ञान के अन्धकार में धकेलने की कोशिश की गई जिसके परिणामस्वरूप उस समय दुष्यंत को लिखना पड़ा था :

यहां दरख्तों के साये में भी धूप लगती है
चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए।

लेकिन स्थिति तब भी उनकी समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि वे स्वभावत: तानाशाही में विश्वास करती थीं, स्वायत्तता का विरोध करती थीं, अपने ढंग से उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद और भी तमाशा शुरू हो गया जब श्री राजीव गांधी आए। इंदिरा गांधी जी ने तो दूरदर्शन को जिसको शॉर्ट में अंग्रेजी में डी.डी. कहते थे, आई.डी. बनाया था, इंदिरा दर्शन। श्री राजीव गांधी ने तो उसको आई.बी., इंडियट बाक्स बना दिया। सारा देश दूरदर्शन को इंडियट बाक्स कहने लगा। इस प्रकार से दूरदर्शन और आकाशवाणी की निष्ठा, विश्वसनीयता घटती चली गई। इस लिए मैं कहता हूं कि यह ऐतिहासिक विधेयक है क्योंकि आज फिर वही इंडियट बाक्स जनता के बीच में विश्वसनीय रूप में, एक सच्चाई के साक्षात्कार के माध्यम के रूप में आ रहा है तो इसका स्वागत अवश्य करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि इस सदन में इस विषय में आम सहमति है सिवाए हमारे कुछ कांग्रेसी मित्रों ने जिन्होंने कई संशोधन दिये हैं यह उनका अधिकार है, संशोधन के अधिकार को मैं चुनौती नहीं देना चाहता। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें सुबुद्धि दे कि वे अपने संशोधनों के कारण इस विधेयक को रोकने की कोशिश न करें। सूचना एवं प्रसार का लगभग उतना ही महत्व है जितना किसानों का कर्जा माफी का, जितना आरक्षण के प्रावधान का, लोकतंत्र के ये जो आधार हैं, रोटी का आधार, काम का अधिकार, उसी प्रकार सूचना का अधिकार भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है और यह विधेयक उसी के लिए लाया गया है। आप जानते हैं, दूरदर्शन के दुरुपयोग के विषय में मैंने अभी थोड़ी सी चर्चा की है···

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिल पर बोलिये।

डा. शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : आपने समय का ध्यान दिलाया है लेकिन हम यह जानते हैं··· बिल के ऊपर ही आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पृष्ठभूमि को अगर आप समझेंगे नहीं तो बिल के उपबन्धों को देखने की कोशिश करेंगे तो फिर वही सोचेंगे, भोंडा दूरदर्शन, भोंपू बना हुआ रेडियो। मैं एक बात जानता हूं कि हमारे अधिकांश मित्रों को सत्य याद है, लेकिन वे सत्य को सुनने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कष्ट उनको इस बात का है कि फिर से उनको सच्चाई को याद दिलाया जा रहा है। हम कैसे इस बात को भूल जायें कि अभी भी, इस सरकार के सत्ता में आने के कुछ महीने पहले 30 अगस्त, 1989 को भारत बन्द का आह्वान किया गया, हममें से अधिकांश लोग बन्द में थे लेकिन दूरदर्शन पर भारत खुला हुआ दिखाया गया था। इसी प्रकार से दूरदर्शन का दुरुपयोग होता रहा हो तो इस सरकार ने ठीक ही किया कि पहले सत्र में यह

ऐतिहासिक काम किया, उपेन्द्र जी ने कि विधेयक प्रस्तुत किया। एक पौराणिक इन्द्र थे, जिनका सिंहासन डोलने लगता था जब कि उनसे कोई सत्ता छीनने की कोशिश करता था लेकिन यह एक दूसरे इन्द्र हैं, उप-इन्द्र, जिन्होंने अपने सत्ता को, अपनी शक्ति का छोड़ने का, बांटने का काम अगर किया है तो निश्चित रूप से वह बधाई के पात्र हैं। किस प्रकार प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग हुआ है, अगर आप नहीं सुनना चाहते, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, कवि धूमिल ने एक जगह लिखा है कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो, जिसके मुंह में लगाम है," आप तो लोहार रहे, आपको यह पता नहीं लेकिन जिनके मुंह में लगाम लगाई गई थी, उनकी आवाज अगर आज स्वतन्त्र हो रही है तो आप कृपया इस स्वतन्त्रता में बाधक न बनें।

आप बिल पर कह रहे है। मैं बिल पर दो चार बातें कहना चाहूंगा...

उपाध्यक्ष महोदय : अब तक नहीं हुआ ?

डा. शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : पहली बात कि माननीय मंत्री जी आप कहते हैं कि आप बोर्ड आफ गवनर्स के माध्यम से इसे संचालित करना चाहते हैं, इस गवर्नर शब्द पर, जिसका अनुवाद आपने हिन्दी में शासक किया है, अपने विधेयक मे, इस पर मुझे सख्त एतराज है। गवर्नर या शासक यह लोकतंत्र की शब्दावली नहीं हो सकती। जहां-जहां गवर्नर है, उसको बदलिये। निश्चित रूप से उसके लिए आप बोर्ड आफ मैनेजमैंट, ट्रस्टी, जैसा कि इन्द्रजीत जी ने कल सुझाया था या और भी कोई शब्द हो, अन्य पर्यायवाची शब्दों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है लेकिन इस गवर्नर शब्द से, उसकी भावनाओं से झगड़ा है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि रिजर्व बैंक मे जो भी गवर्नर बना हुआ है, उसको भी हटाने का प्रावधान इस सरकार के द्वारा दूसरे अवसर पर होना चाहिए, यह अवसर नहीं है। "गवनर" कहीं नहीं रहना चाहिये।

दूसरी बात, कि आपने इस निगम के लिए जो बजट का प्रावधान किया है। वह एक-एक साल का है। अगर आप सचमुच कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए पांच साला बजट बनाइये। एक साला बजट से आप कोई बहुत दूरगामी परिवर्तन प्रारम्भ में नहीं कर सकेंगे। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला काफी अर्से से चल रहा है। दूरदर्शन में भी उस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

विज्ञापन प्रदर्शन पर निश्चित रूप से अंकुश लगाना चाहिए। दूरदर्शन ने विज्ञापनों के माध्यम से इस देश की नौजवान पीढ़ी को अप-संस्कृति में ढकेलने की कोशिश की है। एक गन्दी ओछी नकल वाली संस्कृति आप इस देश में दूरदर्शन से फैलाना चाहते हैं। आप संस्कृति के नाम पर केवल पांच सितारा होटलों में बजने वाले पाप संगीत को प्रदर्शित कर रहे है। गांव के लोक गीतों पर आपका ध्यान नहीं जाता, राजस्थान के लोक नृत्यों पर, उड़ीसा के लोक नृत्यों पर, बिहार के लोक गीतों पर अगर आपका ध्यान नहीं जाता तो केवल ओये-ओये वाले गीत और पाप संगीत के माध्यम से आप हिन्दुस्तान के नौजवानों को कोई सही दिशा नहीं दे सकते। प्रसार भारती को नामाकूल भारतीयता का प्रसार करना चाहिये, भारतीय कला साहित्य और जीवन मूल्यों को बढ़ावा देकर इसे सुसंस्कार भारती बनाना चाहिये।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा, आप बिल का रोना रोयेंगे कि विज्ञापन हटा देंगे तो पैसे कहां से आयेंगे। आप इसका पूरा भार वहन करें। सरकार दूरदर्शन आकाशवाणी का पूरा भार वहन करे। अगर शिक्षा का भार, स्वास्थ्य का भार और परिवहन का भार सरकार

वहन कर सकती है तो जन-कल्याण का जो सबसे सशक्त माध्यम है दूरदर्शन और आकाशवाणी, इसके लिए क्यों नहीं वित्तीय प्रावधान किया जा सकता है ? आपने इस बार जो बजट बनाया है, वह पिछले वर्ष के बजट 455 करोड़ रुपए को बढ़ा कर 509 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। ऐसा लगता है कि इतनी छोटी राशि से आप कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर आप विज्ञापन पर अंकुश नहीं लगाते और दूरदर्शन व आकाशवाणी का वित्तीय व्यवस्था सरकार अपने हाथ में नहीं रखती और उसको समुचित वित्तीय सहायता नहीं करती, तो निश्चित रूप से बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन कर रह जायेगी और यह देश कभी भी आपको क्षमा नहीं कर पाएगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। आप चैनल्स बढ़ाने जा रहे हैं, तो एक चैनल ऐसा बनाइए जिस में कोई सरकारी कार्यक्रम न हो। आज यह समझा जाता है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी सरकार का भोंपू है, तो उस धारणा को खत्म करने के लिए कम से कम एक चैनल ऐसा भी होना चाहिए जिस पर सरकार का कोई नियन्त्रण न हो और अन्य भी अपनी बात कह सकें। प्रशासन सम्बन्धी शिकायतों को सुनने के लिए आपने एक काउन्सिल की स्थापना की बात कही है, लेकिन इसमें कोई भी सरकारी पदाधिकारी नहीं होना चाहिए और इस के निर्णयों को कभी भी गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए। 1979 वाले बिल में ऐसा प्रावधान था और माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में भी ऐसा प्रावधान जोड़ा जाए। प्रबन्धकों और संचालकों में पूरी तरह इन्जीनियरिंग कार्यों की देखभाल करने वाला एक जानकार आदमी होना चाहिए। इसी तरह से जिसको आप बोर्ड आफ गवर्नर्स कहते हैं, उसमें भी मेरा निवेदन यह है कि आकाशवाणी के महानिदेशक और दूरदर्शन के महानिदेशक को भी अवश्य स्थान मिलना चाहिए, नहीं तो मैन-आफ-एमिनेंस के नाम पर जैसे-तैसे लोग भर कर आ जायेंगे और जिन लोगों ने आकाशवाणी और दूरदर्शन को अपना जीवन अर्पित किया जवानी अर्पित की और अपना जीवन उन लोगों को आप इस से वंचित करेंगे तो अन्याय होगा अपराध होगा। मैन-आफ-एमिनेंस को भी काफी ठीक ढंग से परिभाषित करने की आवश्यकता है, नहीं तो मुझे आशंका है कि कहीं शाही इमाम और हाजी मस्तान जैसे लोग आपके बोर्ड-आफ-गवर्नर्स में न आ जायें।

मेरा प्रस्ताव है कि इस मण्डल में इसी तरह से इसमें एक शिक्षाविद और एक न्यायविद् को भी अवश्य रखा जाना चाहिए।

आपने निगम की शक्तियों को खण्ड-12 में गिनाया है, लेकिन यह सूची अपूर्ण है। इसमें आपने यह भी नहीं लिखा है कि हम साम्प्रदायिकता का विरोध करेंगे। इसका भी उल्लेख होना चाहिए, इसमें और भी दस बातें जोड़ने की हो सकती हैं। या तो उसमें और दस बातें जोड़ी जायें सब की सहमति से या उस पूरी सूची को ही वहां से हटा दिया जाए। मैं नहीं समझता हूं कि उस विधेयक में उस सूची को अंग बनाए रखने का कोई औचित्य है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आटोनोमी कोई मंजिल नहीं है, आटोनोमी एक रास्ता है। एक संस्कृति है। मंजिल तो पूरी आजादी है। आज आप स्वायत्तता का ऐतराज कर रहे हैं, लेकिन स्वायत्तता क्या होती है इसको मैं भी जानता हूं। मैं विश्वविद्यालय से लगभग 32 वर्षों तक एक अध्यापक के रूप में जुड़ा रहा, जिसको कहा जाता है—आटोनोमस बाडी। हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालय कितने आटोनोमस हैं आटोनोमस होने के बावजूद किस तरह से वहां आटोनोमी का

दुरुपयोग होता है, उसका स्वाद भी हमने चखा है। श्री वी एन गाडगिल ने तो जून, 1985 में एक वक्तव्य देते हुए स्पष्ट कहा था—

[अनुवाद]

यदि मैं हस्तक्षेप करना चाहूँ तो मैं स्वायत्त निगम में हस्तक्षेप कर सकता हूँ।

[हिन्दी]

ऐसी आशा को निर्मूल होना चाहिए। अगर आप आटोनोमी दे रहे हैं, तो यह आटोनोमी, फ्रीडम मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। यह स्वायत्तता पूर्ण स्वायत्तता तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन इस स्वायत्तता का अर्थ स्वच्छन्दता नहीं होना चाहिए, निरंकुशता नहीं होनी चाहिए और इसी लिए कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि सदन की कोई-न-कोई समिति ऐसी अवश्य होनी चाहिए जो निगम के कार्यों पर अपना नियन्त्रण रख सके, अन्यथा आप किसी को आटोनोमी नहीं दे सकते हैं। कानून आटोनोमी को प्रोटेक्शन दे सकता है। आटोनोमी क्रिएट नहीं कर सकता है, स्वायत्तता का निर्माण नहीं कर सकता है। हम चाहते हैं कि अभी से इस प्रकार की गारन्टी हो कि जिसमें लोगों के मन में यह जो आशंका है कि आटोनोमी सरकारी का दुरुपयोग हो सकता है, यह दूर होनी चाहिए। जब तक यह विधेयक पास नहीं हुआ था, आपने ऐसा कुछ किया। खुला-मंच का दुरुपयोग किया है, कई लोगों ने चर्चा की है। श्री केदारनाथ साहनी जी का भाषण आपने कतरब्योंत करके दिखा दिया, उसकी भी चर्चा हुई है, लेकिन ये सारी घटनायें प्रसार भारती विधेयक के पास होने के पहले की हैं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके बाद, आज की तारीख के बाद किसी भी प्रकार की मनमानी, किसी भी प्रकार की कटौती ऐसी न हो जिससे उसकी वांछित किया जाय जिसकी रचना, जिसके चेहरे, जिसके विचार में कटौती की जा रही है। साथ ही साथ आप इतनी बड़ी राशि एकत्र कर रहे हैं, दूरदर्शन के नाम पर और आकाशवाणी के नाम पर देश के अन्य लोगों से, लेकिन आकाशवाणी में भाग लेने वाले जो कलाकार और लेखक हैं जिनकी रचना का प्रसारण होता है तारीफ होती है, उनकी रायल्टी की दर क्या है? उनको आप ब्राडकास्टिंग फीस क्या दे रहे हैं। टेलीविजन पर आप किसी को बुलाते हैं और देश को उसका चेहरा दिखाते हैं, किसी की महत्वपूर्ण रचना को प्रसारित करते हैं, लेकिन जो रचनाकार हैं, जो शायर हैं, जिसकी कृतियों को लेकर आप ये सारे तमाशे रच रहे हैं उसके साथ न्याय नहीं होता। यह प्रसार भारती लेखकों, कलाकारों और संगीतकारों के शोषण का कारण न बने।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अन्त में मैं पुनः इस ऐतिहासिक विधेयक के लिये सूचना एवं प्रसारण मन्त्री जी को बधाई देता हूं और अपने सभी माननीय सांसद बन्धुओं से यह कहना चाहता हूं कि चाहे वे किसी भी दल के हों, संशोधन आप अवश्य दें, संशोधन देना हमारा अधिकार है, लेकिन अगर संशोधन इस विधेयक को पारित करने में बाधक होंगे तो यह देश इस बात को मानकर चलेगा कि यहां के सदस्य, आम जनता की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता देना नहीं चाहते और आप इस सारी निरंकुशता के समर्थक हैं।

कृपया ऐसी छवि न आप अपनी बनायें और न किसी और की बनने दें। धन्यवाद।

3.43 म.प.

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुये]

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम् : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पर लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूँ मेरे दल के अनेक माननीय सदस्य बोल चुके हैं, तथा श्री वी. एन. गाडगिल बोलेंगे।

मैं कुछ ऐसी बातों पर ध्यान आकर्षित करूंगा जिसको हम आगे ला सकते थे तथा बहुत अधिक प्रयास के बाद हम सरकार को इस पर विचार करने के लिए राजी कर सके। (व्यवधान)

हमारे सहयोग के बावजूद हमारे गम्भीर चर्चा करने के बावजूद प्रत्येक वक्ता जो अपनी याददाश्त से, कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया कि हमारा रुकावट खड़ी करने का रवैया रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वे अब सहयोग कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम् : वो मुझे बोलने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए कल एक माननीय सदस्य ने, जो इस समय पीठासीन कहा था कि हमने "सही स्वायत्तता" शब्द बनाया था। मुझे खेद है कि मैं आपको तथा अन्य माननीय सदस्यों को निराश कर रहा हूं। 'सही स्वायत्तता" शब्द का इस्तेमाल करने वाले श्री उपेन्द्र हैं, तथा इसका उल्लेख उन्होंने कारण एवं उद्देश्यों के कथन में किया है। हम स्वायत्तता में विश्वास रखते हैं और कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में इस प्रकार कहा गया है—

> इस उद्देश्य के लिये इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यम सरकारी नियन्त्रण में रहेंगे। फिर भी कार्य करने वाली स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिये उच्च स्तर की व्यावसायिकता तथा मनोरंजन, सूचना समाचार तथा विचार के सही मिश्रण के लिये आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक निगम में बदल दिया जायेगा।"

हमारे से बात करने से पूर्व इस विधेयक में यह कमी थी कि सरकार का आकाशवाणी और दूरदर्शन में जो व्यवसायी कार्यरत हैं उनमें विश्वास नहीं था। श्री उपेन्द्र और उनकी सरकार जो बनाना चाहती थी वह वास्तव में फ्रैंकन्टीभ मोन्सटर था एक असंगठित प्रसार भारती निगम और एक और असंगठित प्रसारण परिषद जिसका कोई संगठन नही था कोई प्रशासनिक तारतम्य नही था कोई ढांचा नहीं था, उन 38,000 कर्मचारियो के लिए जिन्हे आकाशवाणी और दूरदर्शन मे काम करना था। हम लागों को सही बात समझाने में कई घण्टे लग गये। मैं मा.क.पा. तथा मा.क.पा. को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होने बहस के मुद्दे को समझा था। और कहा था, आप एक असंगठित संगठन को नहीं रख सकते हैं जोकि नीतियां बनायेगा, एक शीर्षहीन तथा दिशा हीन संगठन जोकि उन 38,000 कर्मचारियों से बना होगा। जोकि नीतिया को लागू करेंगे। आधुनिक प्रबन्ध यह अपेक्षा करता है, कि जो नीतियां बनायेगा वह नीतियों को लागू भी करेगा। जो नीतियों को लागू करते हैं उन्हें नीतियां बनाने मे भी हिस्सा मिलना चाहिये। आज चर्चा के कई दोरों के बाद हमारा यह संशोधन कि प्रसार भारती निगम के बोर्ड में एक महानिदेशक दूरदर्शन तथा एक महानिदेशक आकाशवाणी तथा दो कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी होगें सरकार द्वारा स्वीकार कर

की गयी है । अब यह विधेयक ठीक लगता है अब यह विधेयक नीति को लागू करने वाला लगता है अब यह विधेयक उन उद्देश्यों को पूरा करता है जिन्हें हम स्वीकार करते हैं अर्थात् स्वायत्तता को व्यावसायिकता से अलग नहीं करना चाहिये । अत: दूसरा संशोधन जिस पर बहुत जोर दे रहे थे कि इस संस्था को सरकार से अलग नहीं किया जा सकता इसको संसद तथा लोगों के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए सरकार ने जो करना चाहा, मैं गम्भीरता से नहीं कह रहा हूं मैं यहां पर जो कह रहा हूं वह सच है कि उन्होंने एक श्री उपेन्द्र के स्थान पर 10 श्री उपेन्द्रों बनाने की कोशिश की । केवल इतना ही फर्क था कि संसद के प्रति केवल एक श्री उपेन्द्र उत्तरदायी होंगे तथा शेष 10 श्री उपेन्द्र संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे । हमने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं होगा । जो भी प्रसार भारती निगम में होगा, जो भी प्रसारण परिषद में होगा तथा जो भी ढांचा हो वह संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए । श्री राम विलास पासवान 540 संसद सदस्यों के बारे में कुछ भी कहें यह संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करती है । 540 संसद सदस्य लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा लोगों की सम्प्रभुता का प्रतिनिधित्व करते हैं । अतः प्रसार भारती निगम तथा ब्रोडकास्टिंग परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए, इस हद तक हमारा सुझाव है कि एक संयुक्त संसदीय समिति होनी चाहिये सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । हमारा सुझाव कि एक संयुक्त संसदीय समिति होनी चाहिए को भा.क.पा., मा.क.पा., तथा भा.ज.पा. द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है । उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

श्री पी. उपेन्द्र : सरकार को भी ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं अन्त में आपको भी धन्यवाद देता हूं । जो संशोधन मैंने रखा था उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया था । दुर्भाग्यवश, हमारे कुछ सदस्य कानूनी भाषा तथा तकनीकी भाषा से अनभिज्ञ थे । आज आप अपने ट्रान्जिस्टर को बी. बी. सी. पकड़ने से रोक नहीं सकते हैं । 40 या 50 वर्ष पूर्व लोग कहते थे आप बी. बी. सी. सुने. आवाज साफ नहीं होगी ट्रान्समिशन लुप्त हो जायेगा" तकनीक की कोई सीमा में नहीं होती है, तकनीक के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं होती है । भारत में आज क्या हो रहा है ? भा. क. पा. तथा भा. क. पा. के मेरे मित्रों को विचारधारा की दीवारों में बंधकर नहीं रहना चाहिए । उन्हें यह समझना चाहिये कि देश में आज क्या हो रहा है जमशेदपुर में आज केबिल दूरदर्शन है । आप इसे रोक नहीं सकते हैं । प्रत्येक होटल में निजी ब्रोडकास्टिंग व्यवस्था है । वह कैसटों का प्रयोग करते हैं तथा प्रत्येक कमरे में दिखाते हैं । निजी प्रसारण प्रणाली से दूरदर्शन को अनुपयोगी किया जा सकता है । कुछ कैसट अपने पास रखने से आप व्यावहारिक रूप से चौबीस घंटे का चैनल चला सकते है । आज बम्बई में क्या हो रहा है । बम्बई में केबल टेलिविजन चल रहे हैं इस समय बन रहे हर बहुमंजिले भवन, जिसमें 50 फ्लैट या 100 फ्लैट होते है अथवा आवासीय काम्पलैक्स होता है, केबिल टैलीविजन चल रहा है , इससे वर्ष 1991 तक होगा यह कि कुछ देश ऐसे हैं जो उपग्रह स्थापित करने जा रहे है । ये उपग्रह न केवल भारत बल्कि एशियाई महाद्वीप के देशों के ऊपर मंडराते रहेंगे । ये उपग्रह सीधे संकेत छोड़ेंगे तथा भारतीय टेलीविजन रिसीवर जिनमें उपयुक्त डिश एन्टीना लगा होगा, उन संकेतों को ग्रहण कर सकेंगे, आप इस सब की ओर आंख बंद कर सकते और यह नहीं कह सकते कि हम केवल दूरदर्शन देखेंगे और दूरदर्शन की ही व्यवस्था करेंगे । आपको जनता दूरदर्शन देखना बंद कर देगी । पहले ही असम के लोग बंगलादेश के टेलीविजन के प्रसारण देखते हैं श्री संतोषमोहन देव ने कल ही यह बात कही थी पश्चिमी पंजाब के लोग लाहौर टेलीविजन के प्रसारण देख रहे हैं, होगा यहकि अगले एक

या दो या तीन वर्षों में जब इस डिश एन्टीना का मूल्य 1000 या 1500 रु. हो जायेगा तब सारे देश में लोग इसके माध्यम से बी. बी. सी. या वायस आफ अमरीका लगाने लगेंगे। तथा विश्व के अन्य केन्द्रों के प्रसारण देखने लगेंगे। हम कहना यह चाहते हैं कि आप भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम 1955 को देखें मैंने इस धारा की खोज नहीं की है। इस धारा में यह बताया गया है कि सरकार ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर जो उसे उचित लगे, किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी हिस्से में टेलिग्राफ स्थापित करने का टेलीग्राफ का कार्य करने का लाइसेंस प्रदान कर सकती हैं। मेरे मित्र श्री सैफुद्दीन समझते हैं कि टेलीग्राफ केवल मोर्स कोड है टेलिग्राफ में टेलीविजन सम्मिलित है, रेडियो सम्मिलित हैं, टेलिग्राफ में वह सब सम्मिलित है जो विज्ञान ने हमें दिया है। बात यह है कि यह 1955 का अधिनियम है और हमारा कहना यह है कि एक बार आप बार आप प्रसार भारतीय निगम बना देती हैं और इसे आप धारा 12 के अन्तर्गत एकाधिकार दे देते हैं तो धारा 3 का क्या अर्थ रह जाएगा, उसकी क्या स्थिति रहेगी ? अतः हमने कहा कि इस कानून की किसी भी बात के बावजूद सरकार लाईसेंस प्रदान करने की शक्ति अपने पास रखेंगी। और मैंने आप सबको यह कहते हुये सुना है कि मैंने इसके गैर सरकारीकरण की वकालत कर रहा हूं। यह मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं इस बात की वकालत कर रहा हूं सरकार को अपनी शक्तियां अपने पास रखनी चाहिए। इसको बिल्कुल स्पष्ट करते हुए और इसे दुहरे अर्थों से बचाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को किसी व्यक्ति या अधिकरण को यदि आवश्यक हुआ तो विशिष्ट क्षेत्रों में, यदि आवश्यक हो तो दूरदर्श के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए कानूनी भाषा में लाइसेंस देने की शक्ति अपने पास रखनी चाहिए ताकि इस प्रतिस्पर्द्धा से भारतीय दर्शकों को अच्छे कार्यक्रम देखने को मिल सकें और हम बी बी सी और वायस आफ अमेरिका से आने वाली प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला कर सकें। गैर-सरकारीकरण क्या है यह केवल तकनीक के साथ, विज्ञान के साथ, तथा दुनिया में जो हो रहा है उसके साथ चलने की बात है। मैं अपने मित्रों से अपील करता हूं कि वे इसके बारे में अपनी आंखें न मूंदें और शुतुरमुर्ग का सा रवैया न अपनाएं। सरकार ने हमारे संशोधन को स्वीकार नहीं किया है। परन्तु सौभाग्यवश सरकार सूत्रीकरण के लिये तैयार हो गयी है। यहां भी श्री उपेन्द्र मेरे विचार से सहमत होंगे। आपने अपने विशेष संशोधन में जो सूत्रीकरण शामिल किया है। वह सूत्रीकरण नहीं है। जो आपने सूत्रीकरण प्रचालित किया वह गलत सूत्रीकरण है।

श्री पी. उपेन्द्र : मैंने दूसरा सूत्रीकरण भेज दिया है।

श्री पी. चिदम्बरम : अच्छी बात है। इसके लिए धन्यवाद। हम सही सूत्रीकरण को स्वीकार कर लेंगे। ताकि धारा 12 के अन्तर्गत दी गई शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और इसके अलावा भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों में कमी न आए। यदि स्वभावतः ऐसा समय आता है तो भारतीय खेल प्राधिकरण या भारतीय ओलम्पिक परिषद को खेलकूद की आयोजनों के प्रसारण का लाईसेंस दे सकते हैं, यदि ऐसा समय आता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दूरस्थ शिक्षा के प्रसारण का लाईसेंस दे सकते हैं तो सरकार को उन्हें लाईसेंस क्यों नहीं देना चाहिए मुझे इसमें कोई हानि नजर नहीं आती है। यदि दूरदर्शन शिक्षा या खेलों पर अच्छे कार्यक्रम प्रसारित नहीं कर सकता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा भारतीय ओलम्पिक ऐसोसियेसन को अच्छे कार्यक्रम तैयार करने के लिए लाइसेंस दिया जाये। यह पांच साल बाद या दस साल बाद यह स्थिति आ सकती है। परन्तु प्रश्न यह है

कि हमें दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अपने आंख कान खुले रखने चाहिए। हमें अपने आपको वैचारिक परिधि में ही सीमित नहीं रहना चाहिये।

हम इस बात पर भी बल देते हैं कि निगम कर्मचारी इसके पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए। कल सुबह तक हम किसी समझौते पर नहीं पहुँच सके थे। अंततः मंत्री महोदय इस बात से सहमत हो गये थे कि वे निगम के कर्मचारी होने चाहिये। उन्होंने कहा है कि वह निगम के कर्मचारी होंगे। परन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने उनके अवकाश ग्रहण करने की आयु 62 वर्ष कर दी है। मैं समझता हूं यह गलत है। मैं समझता हूं कि सेवानिवृत्ति के बाद आराम की नौकरी चाहते है। कृपया इस सलाह से काम मत करिए। यदि निगम के सभी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं तो पूर्णकालिक निदेशक जोकि निगम का कर्मचारी है, 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त क्यो नही होगा। कृपया दो वर्गीकरण मत करिए। मैं अभी भी उनसे अनुरोध करूंगा कि जब उन्होने संशोधन स्वीकार भी कर लिया है तो सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बदलकर 58 वर्ष की जानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि नौकरशाह, मंत्रियो को किस तरह सलाह देते हैं वे नौकरशाह उनको बतायेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण पद है और केवल अनुभवी व्यक्ति ही यह कार्य कर सकता है और वह अपने लिए 58 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करने के बाद 4 वर्ष की आराम की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप यह वायदा कीजिए कि आप एक भी अवकाश प्राप्त अधिकारी को नियुक्त नहीं करेंगे। मुझे यह विश्वास है कि आपको उन लोगों से सलाह मिल रही है जो अवकाश प्राप्त करने वाले हैं। अन्यथा आप सेवानिवृत्ति की आयु सबके लिए 62 वर्ष करिये। आखिरकार हरियाणा सरकार ने नौकरी में आने की आयु बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी है। (व्यवधान)

यह गलत है सभी कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिकी आयु एक समान होनी चाहिये। इसका कोई कारण समझ में नहीं आता है कि तीन या चार कर्मचारी जो निदेशक बन जाते हैं वह 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। वह एक और सुझाव है।

अब, गवर्नर जैसे बड़े नाम का प्रयोग हो रहा है। मैं समझता हूँ, हम कर यह रहे हैं कि लोगों को ऐसे भारी भरकम नाम देकर अनावश्यक रूप से अपेक्षाएं जगा रहे है। इंग्लैंड में जिले के पुलिस प्रमुख को 'चीफ कांस्टेबल' कहा जाता है। यहां पर हम उन्हें महानिरीक्षक तथा महानिदेशक कहते हैं। मुझे नही पता है कि उस समय क्या होगा जब एक राज्य मे सात या आठ महानिदेशक होंगे। शायद हम कुछ नया कर रहे हैं साठे साहब ने कहा है कि सभी गवर्नर होंगे तो चेयरमैन को गवर्नर जनरल बनाये ?

मै समझता हूँ इन शब्दो का कोई मतलब नही है। मुझे खुशी है कि उन्होंने संशोधन स्वीकार कर लिया है। वह अब इन्हें सदस्य नाम दे रहे है। मैं समझता हूं कि हमें वास्तविकता से जुड़े रहना चाहिए। उनके आधार पर मजबूत होना चाहिए। उन्हें आसमान मे नही उड़ने दीजिये।

श्री पी. उपेन्द्र : साथ ही साथ आप उन बातो के बारे में नही बता रहे हैं जिनमे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री पी. विश्वम्बरन : मैं उन बातो का जिक्र कर रहा हूं जिन पर हम किसी सहमति पर पहुंचे हैं। अभी भी एक दो बातें ऐसी हैं जिन पर सहमति नहीं हुई है। मुझे विश्वास है जब तक

यह चर्चा समाप्त होगी तथा श्री गाडगिल तथा अन्य लोग बोलेंगे, मंत्री महोदय हमारे सुझावों को स्वीकार करने वाले होंगे।

सबसे पहली बात परिसम्पत्तियों के स्वामित्व के बारे में है। प्रसार भारती की परिसम्पत्तियों का स्वामित्व किसके पास होगा ? बी.बी. सी. माडेल में परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार का है। लीज या लाईसेंस के आधार पर परिसम्पत्तियां बी बी.सी. को प्रदान की जाती हैं। यह हमारी जानकारी है। जब यह बात हमने मंत्री महोदय के सामने रखी तो उन्होंने कहा था, कि वह इसको देखेंगे। यदि उन्होंने इस पर विचार किया हो तो वह इससे सभा को अवगत कराएं। हम मानते हैं कि ये परिसम्पत्तियां सरकार के पास रहनी चाहिये परन्तु ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिससे ये परिसम्पत्तियों को लीज या लाइसेंस के आधार पर निगम को दी जा सकती हैं तथा परिसम्पत्तियां सरकार के पास रहनी चाहिए। ताकि निगम इन परिसम्पत्तियों को इधर-उधर न कर दे या गलत उपयोग न करें। या अनुचित वृद्धि न करे। आखिरकार इसका निर्णय कौन करेगा कि ट्रांसमीटर कहां लगाया जाएगा और इसके अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे ? ये बहुत मूल्यवान परिसम्पत्तियां हैं और मुझे इसकी एम. टी. एन. एल. की सम्पदाओं से तुलना करने की कोई तुक नजर नहीं आती। जैसाकि श्री आडवाणी ने स्वयं ही कहा है यह एक अनूठा अनुभव है। जब हम कोई बिलकुल नये किस्म का प्रयोग करते हैं, तो हमें बहुत अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। हम उन लोगों को, जो प्रसार भारती में होंगे पूर्ण कार्यात्मक स्वायतता और व्यावसायिक नियंत्रण प्रदान करने को पूर्णतः इच्छुक हैं। परन्तु परिसम्पत्तियों पर राज्य का ही स्वामित्व होना चाहिए। यह सरकार के स्वामित्वधीन ही होनी चाहिये और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ऐसी व्यवस्था तैयार कर ली जायेगी जिसकी तहत ये परिसम्पत्तियां निगम को पट्टे पर अथवा लाइसेंस पर, या नाममात्र के लाइसेंस अथवा नाममात्र के पट्टे पर ही उपलब्ध कराई जायेगी। मैं समझता हूँ अब जबकि आपने खण्ड 22 (ख) लागू करके निगम को समाप्त करने की शक्ति प्राप्त कर ली है आपको हमारे इन तर्कों की वैधता को भी स्वीकार करना चाहिए कि ये परिसम्पतियां सरकार के पास ही रहेंगी और उन्हें निगम को या तो पट्टे पर, या लाइसेंस पर दिया जाना चाहिये।

दूसरा संशोधन प्रसारण परिषद के बारे में है। उसमें भी हमने कहा था कि यह एक प्रकार का अम्बडसमेन है जो शिकायतों को सुनेगा और इसलिए इसमें संसद सदस्यों को अवश्य ही प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। इसमें भी हमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला है। मंत्री जी प्रसारण परिषद में चार ससद सदस्यों को शामिल करने को सहमत हो गये है। जब कभी प्रसारण परिषद किसी शिकायत को उचित समझेगी उस बारे में उसकी सिफारिशें दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित कर दी जायेगी। मेरे विचार से अब पहली बार ससद और प्रसारण परिषद को श्री साठे के शब्द 'नपुंसक' को चरितार्थ नही करना चाहिए। अब मैं चाहूँगा कि हम प्रसारण परिषद को वास्तव में कुछ शक्तियां प्राप्त हों, ताकि प्रसारण परिषद उन लोगों से समुचित न्याय कर सके जो प्रसार भारती निगम के काम करने के तरीके के विरुद्ध शिकायतें लेकर सामने आयें।

एक माननीय सदस्य : और सेंसर करने की अनुमति न दे।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं समझता हूं कि मैं अधिकांश संशोधन को निपटा चुका हूं।

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात पूरी कीजिये।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं जो बात कहना चाहता हूँ, वह यह है कि सरकार ने सामंजस्य की जो भावना पिछले तीन अथवा चार दिनों में दिखाई है, यदि वही पहले दर्शायी होती, तो इसमें पहले ही कोई समझौता हो गया होता। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, वह यह है कि हमारा एक दृष्टिकोण है, हमारे पास एक नीति है जो विस्तार से स्पष्ट कर दी गई है। आज यह विधेयक हमारी नीति से बहुत मेल खाता है और इसलिए हम इसका उस सीमा तक समर्थन करने के इच्छुक हैं, जिस सीमा तक हमारे संशोधन स्वीकार किये जाते हैं। किन्तु अब भी एक या दो संशोधन बाकी हैं और यदि वे स्वीकार नहीं किये जाते, तो हमें उन संशोधनों को मनवाने का आग्रह करना पड़ेगा और हमें अपने संशोधनों पर जोर देना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ हमारे संशोधन अस्वीकार हो जायें, हो सकता है कि हमें समर्थन मिल जाये अथवा हो सकता है कि जब तक ये संशोधन मतदान के लिये आयें, आपको इस समर्थन देने का कारण दिखाई दे जाये, किन्तु मुद्दा यह है कि यदि आपने सामंजस्य की पारस्परिक समझ की यही भावना पहले दर्शायी होती, तो जितना सहयोग हमने दिया है, उससे हम इस विधेयक को कई महीने पहले पारित कर चुके होते।

यह एक प्रयोग है। किन्तु इस प्रयोग पर सावधानीपूर्वक नजर रखी जानी चाहिये। यदि हम यह लगता है कि यह प्रयोग पूरी तरह ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है, यदि हम यह पाते हैं कि इस प्रयोग से इसके उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो निस्संदेह संसद को अधिनियम में और संशोधन करने का अधिकार है। मैं अपने दल की ओर से यह पूरी तरह स्पष्ट कर दूं कि यह प्रयोग उतने उत्साह से नहीं किया जाता जितने उत्साह से इस कानून को पारित किया गया था, तो इस प्रयोग के बावजूद कि श्री उपेन्द्र स्वयं बर्ष के सम्पादक, यानि एक राष्ट्रीय सम्पादक बन बैठे हैं जो प्रसार भारती में आने वाली हर चीज का सम्पादन करेंगे, तो मेरा दल निश्चित रूप से संसद में अपनी आवाज उठायेगा और इस अधिनियम में और संशोधन करने की मांग करेगा। किन्तु फिलहाल हम उन संशोधनों को स्वीकार करते हैं जिन पर समझौता हुआ है। जिन दो संशोधनों पर कोई समझौता नहीं हुआ है, उनके सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र से मेरा अनुरोध है कि हमारे मतदान करने से पहले इन पर हमसे समझौता करने का प्रयास करें।

यह संशोधन हमारी नीति के अधिक करीब है। इसके साथ ही हम उन संशोधनों के साथ जिन पर हम सहमत हो गये हैं, इस विधेयक को अपना रचनात्मक समर्थन देते हैं।

4.00 म. प.

श्री खेमचन्द भाई सोमाभाई चावड़ा (पाटण) : सभापति महोदय, मैं प्रसार भारती विधेयक, 1989 का समर्थन करता हूँ। ऐसा करते हुये मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि माननीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्री पी. उपेन्द्र ने इस विधेयक को जितना अच्छा बनाया जा सकता है, उतना अच्छा बनाने के लिए भरसक प्रयास किये हैं। उन्होंने समर्थक देने वाले दलों से परामर्श लिया है और उन्होंने कई संशोधन स्वीकार किये हैं। इसलिए जैसाकि कुछ सदस्यों ने संशोधनों द्वारा मांग की है इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजने अथवा परिचालित किये जाने के लिए भेजने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

कल माननीय सदस्य श्री संतोष मोहन देव ने श्री उपेन्द्र से यह प्रश्न किया था "दूरदर्शन में प्रधान मंत्री को कितनी बार दिखाया गया है?" मैं आपके माध्यम से उन्हें उन दिनों की याद

दिलाना चाहता हूं जब लोग 'आल इण्डिया रेडियो' को बजाय 'इन्दिरा रेडियो' कहा करते थे। राजीव सरकार के समय में लोग दूरदर्शन को 'राजीव दर्शन' कहा करते थे। तत्कालीन सरकार द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन का दुरुपयोग किया गया। (व्यवधान) मेरा आशय कांग्रेस (आई) सरकार से है। इसलिए आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय मोर्चा ने अपने घोषणापत्र में जनता से यह वादा किया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को सरकार के चंगुल से मुक्त कर दिया जायेगा। अब वह वादा पूरा कर दिया गया है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने जनता से जो वादे किये थे, उनमें से कई पूरे कर दिये गए हैं और शेष को शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा।

दूरदर्शन और आकाशवाणी में भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग और अनुचित पक्षपात किये जाने की चर्चा आम है। किन्तु इस विधेयक में दूरदर्शन और आकाशवाणी में अनुचित पक्षपात को समाप्त करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में भ्रष्टाचार और अनुचित पक्षपात को रोकने के लिए एक स्वतन्त्र सतर्कता बोर्ड गठित किया जाना चाहिए। इसके चेयरमैन और चार सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिये और चेयरमैन उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश होना चाहिए। एक सदस्य लोकपाल द्वारा, एक सदस्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा, एक सदस्य स्वयं भारत सरकार द्वारा और एक सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि स्वायत्त इस शासित संगठन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये एक स्वतन्त्र सतर्कता बोर्ड का होना आवश्यक है।... (व्यवधान)...जब मैं अपने छोटे से गांव में रहा करता था, तबसे मैं जानता हूं कि ग्रामीण जनता की यह आम धारणा है कि चित्रहार, फीचर फिल्मों और विज्ञापनों में भी अश्लील दृश्य दिखाये जाते हैं। इन दृश्यों को कोई अपनी बेटी, बहिन अथवा मां के साथ नहीं देख सकता। मेरा अनुरोध है कि इस किस्म के दृश्य टेलीविजन पर न दिखाये जायें। और महोदय, यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो मुझे निजी तौर पर यह आशंका है कि हम ब्लू फिल्मों की दिशा में बढ़ रहे हैं और आप जानते हैं कि ब्लू फिल्म क्या होती है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने कभी नहीं देखी।

(व्यवधान)

श्री खेमचन्द भाई सोमाभाई चावड़ा : मेरा दूसरा सुझाव यह है कि खण्ड 9 के अधीन एक या दो और भर्ती बोर्ड गठित किये जाने चाहिए। समूह 'ग' और 'घ' अर्थात् श्रेणी तीन और श्रेणी चार के लिये क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड गठित किये जाने चाहिये। इन समूहों के लिए केवल क्षेत्र विशेष के व्यक्ति ही लिये जाने चाहिये। इस किस्म की नियुक्तियों के लिये तो संस्कृति और भाषा का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिये। मेरा यह विनम्र सुझाव है।

श्रीमती दिव्या खेन्गुअतिविजयबाड़ा : मैं एक और सुझाव देना चाहूंगी। बोर्ड में एक महिला गवर्नर जरूरी है। किसान समुदाय से भी एक गवर्नर होना जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री खेमचन्द भाई सोमाभाई चावड़ा : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में कुछ बातें कहने जा रहा हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे एक बात और याद

दिखाई है। बोर्ड आफ गवर्नर, प्रसारण परिषद तथा भर्ती बोर्ड में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस बोर्ड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कम से कम एक-एक सदस्य होना चाहिए (व्यवधान) हमारा प्रजातन्त्र विश्व का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र है और ऐसा प्रजातन्त्र जिसमें सभी की भागीदारी है आगा के लिए सूचना का अधिकार आवश्यक है। मेरे पास इसके विस्तार में जाने का समय नहीं है। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि हमारे देश में इस पर कुछ रोक है। इस संबंध में मैं सरकारी गोपनीयता अधिनियम का जिक्र कर रहा हूँ क्या मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में हमारे मंत्री माननीय उपेन्द्र जी से सरकारी गोपनीयता अधिनियम में उपयुक्त रूप से संशोधन करने का अनुरोध कर सकता हूं ? इस अधिनियम को निरस्त करने से काम नहीं चलेगा इसमें कुछ अन्य बातें भी है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि इस बारे में विस्तार पूर्वक बताने हेतु मेरे पास समय नहीं है (व्यवधान) मैं ये सब बात सभापति के माध्यम से बता रहा हूं, मैं इनका उल्लेख सीधा नहीं कर रहा हूं। महोदय, मेरा यह मत है कि संविधान स्वीकार करते समय इस नियम को भारत की जनता के महत्व को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अर्थात इसे अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, आजादी, समानता तथा भाईचारा बनाए रखना है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति जी, हमारे यहां वेदों में कहा गया है :

भद्रं कर्णेभि श्रृणुयाम् देवा: ।
भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्रा: ॥

इसका मतलब है कि हम अपने कानों से हमेशा कल्याणकारी सुनें और आंखों से हमेशा कल्याणकारी और शुभ दृश्य देखें। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि कानों को सच्ची बात सुनाने के लिये और आंखों के सामने सच्चाई सही अर्थों में प्रकट करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, जनता से किये वायदे के अनुसार, आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, भारतीय प्रसारण निगम के नाम से जो प्रसार भारती बिल सदन में लायी है मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसे पूरा समर्थन प्रदान करता हूं। इसके साथ-साथ एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाकर जिस तरह से आकाशवाणी और दूरदर्शन के ढांचे को एकांगी दृष्टिकोण प्रदान किया था, बिलकुल वहां एकाधिकारवादी मनोवृत्ति का बोलबाला हो रहा था, ब्रेन-वाशिंग जैसे कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिये गये थे, उससे बचाने के लिए स्वाभाविक था, अत्यन्त आवश्यक था कि जनता की इच्छाओं के अनुरूप कोई बिल सदन में आता। यह प्रसन्नता की बात है कि जनता सरकार ने देश की जनता से किए वायदे को पूरा कर दिखाया है। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए और इसके संबंध में जितने जनहितकारी संशोधन आए है, उन्हें सहज, स्वाभाविक रूप से, ग्राम-सहमति के आधार पर स्वीकार करके, पूर्ण रूप से इसे स्वायत्त शासी निगम बनाए। जिस प्रकार से आज हम सही सच्चे समाचार जानने के लिए रात के समय बी.बी.सी. को सुनना पसन्द करते है या ए.बी.सी. अर्थात् अमेरिकन ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन को सुनते है, काश हमारा प्रसार भारती भी उतना ही सच्चा, प्रभावशाली और विश्वसनीय संस्था के रूप में संसार भर जाना जाये। न केवल हमारे देश के लोग

सच्ची और सही खबर जानने के लिये यहां के आकाशवाणी और दूरदर्शन की देखना पसन्द करें और गौरव का अनुभव करें बल्कि विदेशों के लोग भी सही सच्चे समाचार जानने के लिए भारतीय प्रसारण निगम का सहारा लें और उनमें यह विश्वास पैदा हो जाये कि वास्तव में भारतीय रेडियो और भारतीय दूरदर्शन ही सही समाचार को संसार के सामने रखता है, सही दृष्टिकोण को सामने रखता है। जैसा अभी कहा गया, चाहे न्याय की बात हो, स्वाधीनता की बात हो, समाजवाद की बात हो, लोकतन्त्र की बात हो, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति की महानता को उजागर करके ही रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से संसार के सामने रखा जाये। आज स्थिति यह है कि हमारा दूरदर्शन पाश्चात्य संस्कृति के अंगों को ही प्रदर्शित करने वाली संस्था बनकर रह गया है। हमारे आकाशवाणी और दूरदर्शन से इस प्रकार के गाने आते हैं, इस तरह के दृश्य दिखाये जाते हैं, इस प्रकार का संगीत आता है, पाश्चात्य धुनें बनायी जाती हैं, पाश्चात्य संस्कृति में रंगे दृश्य दिखाए जाते हैं जो इस देश की संस्कृति और नैतिकता के सर्वथा विपरीत होते हैं। इनसे आकाशवाणी और दूरदर्शन को बचाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। दूरदर्शन से भारतीय संस्कृति की महानताओं का बखान होना चाहिए, वेदों में जो मानवीय शिक्षा दी गयी है, मानव धर्म की बातें कही गयी है, नैतिक उत्थान की बातें कही गयी हैं, वेदों में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया गया, मानवतावाद की बातें कही गयी हैं : "संगच्छध्वं संवदध्वं" या "सर्वाशाममम मित्रं भवन्तु" अर्थात् हम मित्र की आंखों से सारे संसार को देखें, जो हमारी संस्कृति की धुरि है—"सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। "और "वसुधैव कुटुम्बकम्" के सिद्धान्त के अनुरूप समस्त कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा सारे संसार के सामने रखे जाने चाहियें।

अन्त में एक और बात की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाकर, अपनी बात समाप्त करूंगा। आजकल विज्ञापनों के लालच में जिस तरह से हमारा आकाशवाणी और दूरदर्शन पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है, इससे भी उसे बचाने की जरूरत है। यह कार्पोरेशन किसी भी तरह से पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली न बनने पाये, इस बारे में सभी तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह कार्पोरेशन सही मायनों में संसद के प्रति जवाबदेह हो सके, इसके लिये आवश्यक है कि संसद के प्रतिनिधियों को इसके अन्दर स्थान दिया जाये, वह हम सब के हित में होगा, उचित होगा। इन शब्दों के साथ, मैं नई सरकार के द्वारा, और माननीय उपेन्द्र जी द्वारा लाए गए प्रसार भारती बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : महोदय, प्रारम्भ में ही मैं इसका विरोध करना चाहूंगी क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्री—मेरे विचार से गलत सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने विधेयक पेश करने का तथा अपने ही वरिष्ठ मंत्रिमण्डीय साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण चर्चा के दौरान उपस्थित रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। इसके अलावा, वे संसदीय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और मेरा यह मत है कि उन्होंने यह विधेयक पेश करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। और इस विधेयक पर आज चर्चा हो रही है।

मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार घर फूंक नीति का अनुसरण कर रही है। वह हार कर वापस लौटते हुए सब कुछ नष्ट करती जा रही है। इस प्रकार जबकि हम स्वायत्तता तथा मंत्रियों के हस्तक्षेप के चंगुल से तथाकथित स्वतन्त्रता दिलाने पर चर्चा कर रहे हैं, वर्तमान सरकार

सुनियोजित ढंग से स्वायत्तता को छिन्न-भिन्न कर रही है, यह उन्हीं संस्थाओं को ही सुनियोजित ढंग से नष्ट कर रही जिन्हें यह सरकार स्वतंत्रता प्रदान करना चाहती है। चाहे अनचाहे गत आठ महीनों में हमने यह हास्यास्पद प्रदर्शन देखा है कि संकीर्ण नजरिए वाले छोटे व्यक्ति कैसे राष्ट्रीय संस्थाओं को समाप्त कर सकते हैं। इस सरकार को दिया गया जनादेश बार-बार झूठा साबित हुआ है, क्योंकि सच्चे माननीय मंत्री तथा उसके प्रधान मन्त्री हमेशा जो अच्छी बातें करने को कहते आए हैं यदि उनके इरादे वास्तव में नेक थे तो वे प्रारम्भ से ही दूरदर्शन तथा आकाशवाणी का पुनर्गठन करने का कार्य शुरु कर सकते थे। परन्तु इसकी बजाय, पिछले आठ महीनों में तथा हाल ही में खुला मंच, हमने खुली धोखाधड़ी—किसान, जाली लोगों को देखा है जो सारा तमाशा आयोजित कर रहे थे। अब विधेयक के पारित होने से पहले, हमें दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर निगरानी रखने के लिए एक अंतरिम बोर्ड बनाने का वायदा दिया गया है। लेकिन पिछले आठ मास से यह बोर्ड गठित नहीं किया गया है। क्योंकि माननीय मंत्री महोदय के शब्दों में, "प्रधानमन्त्री कार्यालय ने इसके नामों को स्वीकृति नहीं दी"। यह कैसी स्वायत्तता है? जैसाकि मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक पर वाद विवाद के दौरान अपने भाषण में कहा है कि इस देश को जिस चीज की आवश्यकता है वह है स्वतन्त्र विचारों वाले लोग न कि स्वतन्त्र निकाय। स्वतन्त्र विचारों वाले लोग ही इन कार्यों को कर सकते हैं। उनके इरादे पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है बल्कि उस धोखाधड़ी करने पर आपत्ति है जिसे यह सरकार उचित ठहराने का प्रयास कर रही है। वह इसके लिए प्रतिबद्ध लगती है और वह प्रतिबद्ध लगने के लिए प्रतिबद्ध लग रही है। वह चिन्तित लगने के लिए प्रतिबद्ध लग रही है। वह चिन्तित लगने के लिए चिन्तामग्न लग रही है। वह सदभावना से ओत-प्रोत है। वह जो कुछ भी है इसमें कोई सार नहीं है।

मैं इस विधेयक के कुछेक अटपटे तथा परस्पर विरोधी खण्डों के बारे में ही बताऊंगी। वित्तीय नियंत्रण थोपते समय विधेयक में निगम को सरकारी सहायता पर रखा गया है। हम सभी यह जानते हैं कि 'दाम दीजिए काम लीजिए,' मेरे विचार से अब वहां एक ऐसा अंशकालिक चेयरमैन होगा जो हाथ में कटोरा लिए हर समय शास्त्री भवन में भीख मांगता डोलेगा और यदि वह हमारे माननीय मंत्री श्री उपेन्द्र को नाराज कर देगा तो उसका जेब खर्च बन्द कर लिया जायेगा। खण्ड 22 क तथा 22 ख को इस विधेयक में शामिल करके सरकार सूचना अथवा सूचना के स्रोत की मांग कर सकती है। इस विधेयक से प्रस्तावित निगम दब्बू बन जाएगा जैसाकि हर रोज हो रहा है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि उस सरकार के लिए यह शर्म की बात है जो प्रसार भारती विधेयक पर चर्चा की पूर्व संध्या पर समाचारों तथा विचारों को इतना अधिक तोड़ मरोड़ सकती है, उसके लिए शर्म की बात है कि वह इस माननीय सभा के सदस्यों की टिप्पणियों के प्रति इतना उदासीन रही है और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यहां तक कि जब मैं बोल रही हूं, मन्त्री जी वहां अपने साथी के साथ बातों में व्यस्त हैं। उन्होंने हम सब की बातें अनसुनी कर दी हैं। इस सरकार से आप किसी भी प्रकार की स्वायत्तता की आशा कैसे कर सकते हैं? दिखावे तौर पर, इस विधेयक में प्रसारण परिषद का भी प्रावधान है। बहुत सी अन्य परिषदों की भांति यह भी शक्तिहीन है। इसके पास न तो चूककर्ताओं को दण्डित करने के लिये जरूरी शक्तियां हैं न ही यह नैतिक बन सकती है। यह एक कुर्सी पर बैठकर हेराफेरी करने वालों का तथा उन प्रशासकों का समूह होगा जो संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदनों को मन-माने ढंग से तैयार करेंगे।

मैं विधेयक का वर्तमान रूप में विरोध करती हूं। इसलिए नहीं कि मैं इसके इरादों से असन्तुष्ट हूं, बल्कि इसके तीन मुख्य कारण हैं :

(1) क्योंकि मैं इसके इरादों के संबंध में संदिग्ध हूं, मुझे ऐसा विश्वास है कि सरकार के इरादे दिखावटी खतरनाक तथा दुर्भावनापूर्ण हैं।

(2) क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि यह विधेयक खण्डों का एक खतरनाक सम्मिश्रण है जोकि एक साथ स्वतन्त्रता तथा गुलामी दोनों को दर्शाता है। जोकि ऐसी संस्था की स्थापना करेगा जो देखने में तो स्वतन्त्र होगी परन्तु उसका नियंत्रण श्री उपेन्द्र के हाथ में होगा, जोकि जबरदस्त जोर तोड़ करने वाले व्यक्ति हैं। (व्यवधान)

मंत्री महोदय इतने व्यस्त हैं कि उनके पास मेरी बात सुनने का समय नहीं है। (व्यवधान) मंत्री महोदय न केवल बदयावान है बल्कि उदासीन भी है। (व्यवधान) मेरा तीसरा कारण है कि मैं यह विश्वास करती हूं, कि पिछले आठ महीनों के दौरान दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की जो स्थिति हो गयी है, उससे ऐसा लगता है कि उसका पोषण, देखभाल, पुनंरचना तथा पुर्नस्थापना की आवश्यकता है। तथा विधेयक में इस सब बातों की व्यवस्था नहीं है।

इसके अतिरिक्त, जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि ऐसा इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम होना चाहिए जिसमें ऐसे व्यवसायिक लोग हों जिसमें कर्त्तव्यनिष्ठा तथा दूरदृष्टि हो जिनमें प्रतिभा हो और स्वतन्त्र रूप से काम कर सके जोकि देश में विद्यमान बहुत सारी समाजिक-धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओं से लड़ने में मदद कर सकें। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं यदि उनको कार्य करने की स्वतन्त्रता दी जाये तथा बिना किसी आडम्बर तथा दिखावे के जो यह सरकार करने जा रही है।

मिखाइल गोर्बाचोव ने हमें रुस से सिखाया है पेरोस्ट्राइका के बिना ग्लासनोस्त नहीं हो सकती है। जहां तक मैं देखती हूं कि इस विधेयक में न तो पेरास्ट्राइका है और न ही ग्लासनोस्ट है। मैं समझती हूं कि इस विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी एम. नेगी (गढ़वाल) : यह हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता और सन्तोष की बात है कि अन्ततोगत्वा प्रसार भारती बिल के सन्दर्भ में सदन में आम सहमति का वातावरण बनता चला जा रहा है। लेकिन मैं जरुर कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कांग्रेस की तरफ से आरम्भ में इसका विरोध हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जहां कांग्रेस की हार के कई और कारण थे, एक कारण दूरदर्शन भी था, दूरदर्शन का योगदान था। लेकिन ताज्जुब इस बात का हुआ कि इसके बाद भी टेलीविजन से कांग्रेस का मोह भंग नहीं हुआ। या तो वे इस बात को समझ गए इसीलिए चाहते हैं कि अब भी यह सरकारी कंट्रोल में रहे ताकि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार इन पर वेयर करे और अगली बार उसका भी हश्र वही हो जो आज उनका हुआ। यह कहा गया कि यह बिल बहुत जल्दी में रसत किया गया, आपको पांच साल रहना है, आराम से लाते, शायद इन मानसिकता का परिचय है कि कांग्रेस ने पिछली आठवी लोकसभा में साढ़े चार साल विचार किया और चुनाव के छः महीने पहले पंचायती राज बिल लाए जो अन्ततोगत्वा काउंटर प्रोडक्टिव सिद्ध हुआ। मैं कुछ थोड़े सुझाव रखना चाहता हूं। मेरा मानना है कि जिस

तरह से आल इंडिया रेडियो में विविध भारती कमर्शियल चैनल अलग से है, उसी तरह से टेली-विजन में भी एक अलग चैनल खोल दिया जाए जिसमें सिर्फ कमर्शियल चले, विज्ञापनों के संबंध में अवांछनीय विज्ञापन जरूर न प्रसारित किए जाएं। लेकिन विज्ञापनों का होना भी अति आवश्यक है। बहुत से सुरुचिपूर्ण भी होते हैं, बहुत से नए प्रोडक्ट्स की आम आदमी को जानकारी मिलती है और जो नए-नए प्रोडक्ट्स बाजार में आते हैं, उनके बारे में कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को भी सुविधा होती है लेकिन अगर चैनल अलग-अलग हो गये, कामर्शियल चैनल में अधिक से अधिक समाचार हैं, नेशनल ईवेण्ट हैं, करेण्ट ईवेण्ट हैं ये और बाकी कार्य के लिए, सिर्फ कमर्शियल कार्य उसके अन्दर लिया जाय। मैं यह भी अपेक्षा करता हूं, चूंकि आटोनोमी दी जा रही है लेकिन इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश जरूर होने चाहिए, किसी रूप में भी कि दूरदर्शन के भविष्य में प्रसार के लिये जो हमारे देश के सरहदी क्षेत्र हैं, जो अगम्य पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर टोपोग्राफी की वजह से एक ट्रांसमीटर से सारी जगह प्रसारण नहीं हो सकता, वहां पर छोटे-छोटे ट्रांसमीटर बनाये ताकि उन सरहदी क्षेत्रों में, पर्वतीय अगम्य क्षेत्रों में इसका प्रसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार, जो राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणा पत्र में कहा गया था, उन सब के अनुपालन में मरबद्ध ढंग से, त्वरित ढंग से लेकिन सुविचारित ढंग से कदम बढ़ा रही है और उसी श्रृंखला में यह एक कदम है जिसके लिए मैं स्वागत करता हूं और उपेन्द्र जी को बधाई देना चाहता हूं कृष्ण कुमार जी ने कहा था कि बी.बी.सी. के माडल पर यह तैयार किया गया है लेकिन वहां पर गृह मंत्री को बहुत अधिकार प्राप्त हैं, उससे बढ़कर माननीय मंत्री जी ने आटोनोमी में अधिकार सुपुर्द किये, बहुत अधिक और मैं समझता हूं कि यह एक प्रयोग है, अभि-नव प्रयोग है, इस देश के अन्दर. तो हमें इसे संशयात्मक दृष्टि से कतई नहीं देखना चाहिए और एक व्यवस्था रखकर इस कार्य को सौंप देना चाहिए और यदि उसमें कोई त्रुटियां या कमियां पाई जाती हैं तो उसमें संसद कभी भी, किसी भी समय, किसी भी तरह का संशोधन करके सुधार ला सकती है लेकिन आज जब हम इस बिल को पास करके आटोनोमी प्रदान करने जा रहे हैं तो एकमत से इसे आज पास होना चाहिए और कोई संशय हमारे दिलों में नहीं रहना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ हमें उन्हें इस कार्य को सौंपना चाहिए ताकि भविष्य में इस मीडिया की विश्वसनीयता पूरी तरह से कायम रह सके।

इन शब्दों के साथ, धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बी. एन. गाडगिल (पुणे) : विधेयक के प्रारूप को कुछ मौलिक बातों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। मौलिक बातें यह हैं, कि स्वायत्तता क्यों, स्वायत्तता किसके लिये तथा स्वायत्तता किस प्रकार मेरी राय में स्वायतत्ता केवल एक रूप है, इसका सार कुछ और है और यदि सार में ही कमी है, तो स्वायतत्ता का कोई मतलब नहीं है।

अंग्रेजों ने इस देश को सबसे बड़ी हानि यह पहुंचाई है कि लोगों के दिमागों में यह गलत धारणा पैदा कर दी है कि विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों के दिमागों में बी.बी.सी. बहुत स्वतन्त्र तथा स्वायतत्ता प्राप्त संस्था है। मैंने किसी के साथ कार्य करने के लिये काफी सामग्री इकट्ठी की है किस प्रकार बी.बी.सी. में कार्य किया जाता है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय का अध्ययन यह बताता है किस प्रकार बी.बी.सी. में समाचार पूर्वधारणाओं से प्रेरित होकर तैयार किए जाते हैं।

जेम्स मोरगैंच द्वारा लिखी गयी पुस्तक है, "अब्यूज आफ पावर" वह लन्दन टाईम्स के संवाददाता है। श्री मारगैंच पिछले पचास वर्षों से हाउस आफ कामन्स के समाचारों को भेजते हैं। यह बहुत ही दस्तावेजी पुस्तक है। विभिन्न दस्तावेजों से लिये गये उद्धरणों से पता चलता है, कि लायड जार्ज से लेकर जेम्स कोलिहन तक एटली को छोड़कर सभी प्रधानमन्त्रियों से बी.बी.सी. में हस्तक्षेप किया है। इतिहासकार प्रो. एन.जे.पी. टेलर ने विवाद खड़ा किया था तथा बी.बी.सी. ने उनके बारे में समाचार देना बन्द कर दिया था। पिछले सप्ताह मैंने अवकाश प्राप्त महानिदेशक के संस्मरण पढ़े थे। उन्होने उसका एक उदाहरण भी दिया था। 1956 में स्वेज पर आक्रमण के बाद एक कार्यक्रम किया गया गया था। एक जनरल को बुलाया गया था। वह स्टूडियो गया। प्रकाश हो चुका था और कैमरा तैयार था। उसी समय 10 डाउनिंग स्ट्रीट से टेलीफोन आया कि इसको रोक दिया जाये, तथा वह रोक दिया गया। अत: स्वायतत्ता से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। अतः "स्वायतत्ता" शब्द में कोई जादू नहीं है। मैं कुछ और भी उदाहरण दे सकता हूं; परन्तु यह आवश्यक नहीं है, केवल एक उदाहरण ही काफी है।

श्री जगजीत सिंह चौहान ने बी.बी.सी. पर श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए कुछ उल्टा सीधा कहा था, और हमने इसके बारे में शिकायत भी की थी। उन्होंने कहा 'क्षमा कर दीजिये, बी.बी.सी. स्वतन्त्र है। हम उसमें दखल नहीं दे सकते हैं। परन्तु जब सऊदी अरब ने कहा कि फिल्म 'डैथ आफ ए प्रिंसेस' नहीं दिखाई जानी चाहिये तो उन्होंने दिखाना बन्द कर दिया था।

डा विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : दिखायी थी।

श्री वी. एन. गाडगिल : नहीं, उसे नहीं दिखाया गया था।

डा. विप्लव दासगुप्त : दिखायी गई थी, मैंने देखी थी।

श्री वी एन. गाडगिल : नहीं दिखायी गयी थी, हो सकता है कि बाद में दिखायी गयी हो।

डा. विप्लव दास गुप्त : मैंने देखी थी।

श्री वी. एन. गाडगिल : आप भाग्यशाली हैं। (व्यवधान)

अत: मैं कहना चाहता हूँ कि स्वायतत्ता यह सुनिश्चित नही कर सकती है कि दखल नहीं दिया जायेगा अतः जो सत्ता में होगा, उस पर निर्भर करेगा।

पहले क्या-क्या हो चुका है इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं इन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। परन्तु मेरे पास एक प्रकाशन है। "1977 और 1979 के बीच क्या-क्या हुआ।" किस प्रकार जनता सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। यह मेरा नहीं है। मैंने इसे विभिन्न समाचार पत्रों से इकट्ठा किया है। सम्पादकीय तथा नेताओं के कालमों के इकट्ठा किया है। आप यह सब देख सकते हैं। (व्यवधान) ठीक है, पहले की बात भूल जाईये। अब क्या हुआ है।

4.32 म. प.

[उपसभाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : आप आलोचना को सहन नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान) गाडगिल जी कृपया बतायें कि अब क्या हुआ।

श्री वी.एन. गाडगिल : दिसम्बर में यह सरकार सत्ता में आयी। (व्यवधान) श्री देवीलाल ने जब शपथ ली तो उन्होंने "उपप्रधान मंत्री" कहा था। इसको 7.30 बजे के समाचारों में दिखाया गया था। बाद में इसे नहीं दिखाया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एक नोट भेजा गया था कि इस सम्पादक विशेष को "इंट्यूब विफार पार्लियामेंट" से सबद्ध कर दिया जाना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नोट आता है और यह तय हो जाता है।

30 जनवरी को किसी व्यक्ति विशेष ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उसका कांग्रेस से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह घोषणा की गई थी कि वह कांग्रेस (आई) का सदस्य है।

फरवरी के चुनावों में क्या हुआ आप जानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने टी.वी. पर बोलने से मना कर दिया था। आप जानते हैं कि इससे किस प्रकार निपटा गया था।

मार्च में बजट प्रस्तुत होने के बाद श्री ए.जी. कुलकर्णी और श्री सी.पी. ठाकुर को, दोनों राज्य सभा के सदस्य हैं, बजट पर विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया गया था। जब वह वहां गये तो उनसे कह दिया गया कि :

"हम आपके विचार रिकार्ड नहीं कर रहे हैं।" संसद सदस्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। (व्यवधान)

इसके बाद प्रधानमंत्री के नामीबिया के दौरे का क्या हुआ? समाचार सम्पादक का तबादला कर दिया गया।

एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के विशाखापट्टनम के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को दिखाया गया, परन्तु आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं दिखाया।

मई में, 'स्टेट्समैन' तथा 'ट्रिब्यून' जैसे समाचार पत्रों ने लिखा कि यह "वी.पी. दर्शन" है। (व्यवधान) पंजाब विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग ने एक पत्र तैयार किया जिसमें यह बताया गया था कि दूरदर्शन पर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को कितनी बार दिखाया गया और इस पत्र को "वी.पी. दर्शन" का नाम दिया गया था। (व्यवधान) यह सब हो चुका है। यह मैं नहीं कर रहा हूं।

इसके बाद 26 मई को क्या हुआ? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, अब तक विधेयक के सम्बन्ध में बहुत उच्च स्तर से चर्चा होती

रही है। मेरा विचार है कि मेरे विद्वान मित्र विधेयक संबंधी उपबंधों पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान) यदि हम भी ऐसी बातों को गिनाने लगें तो हम इस तरह की गई हजारों बातें गिना सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वी. एन. गाडगिल : आपकी मर्जी है। आप गिनाइये। आप तो स्वायत्तता की बात करते हैं। इसलिये, मैं यह सब बता रहा हूं। (व्यवधान) कार्यात्मक स्वायत्तता से क्या हो सकता है? कृपया सुनिए। (व्यवधान)

श्री पी चिदम्बरम : आप में इतना धैर्य नहीं है कि आप ये सब सुन सकें।

श्री वी एन गाडगिल : क्या आप जनवाणी कार्यक्रम के बारे में भूल गए हैं जिसमें लोग मंत्रियों से सवाल-जवाब करते थे और मंत्री संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते थे। एक मंत्री को तो यह लगा था कि 'जनवाणी' कार्यक्रम के कारण उनका मंत्रालय उनसे छिन गया। वो मंत्री जनवाणी कार्यक्रमों के लिए जाने हेतु तैयार नहीं थे। ऐसी शुरूआत की गई थी। (व्यवधान) क्या आप रजनी को भूल गए हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : प्रधानमंत्री से जनवाणी कार्यक्रम के लिए माना था।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : आपको पता है कि आज बुआ को काली सूची में डाल दिया गया है। (व्यवधान)

श्री वी. एन. गाडगिल : क्या आप रजनी को भूल गये जिसमें सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया था? सच की परछाइयां... (व्यवधान)। 'न्यूज टाइम' नाम का एक कार्यक्रम था जिसमें विभिन्न राज्यों में कांग्रेसी मंत्रियों की त्रुटियों को दर्शाया गया था। हालांकि स्वायत्तता की भावना प्रबल हो रही है, किन्तु पिछले आठ महीनों से मैंने मैंने उस प्रकार का कुछ नहीं देखा है। बम्बई में एक जन सभा में प्रधान मन्त्री ने कहा था कि 'यदि आपको टेलीविजन पर मेरा बहुत अधिक आना पसन्द नहीं आता, तो एक पोस्टकार्ड लिख दीजिये।' जब मैंने उनसे पूछा, तो वे बोले मुझे कोई कोई पोस्टकार्ड नहीं मिला है।' किन्तु मैं जानता हूं कि केवल पुणे से ही कम से कम सौ पोस्टकार्ड भेजे गये थे। मैं प्रधान प्रधान मंत्री का दोष नहीं देता क्योंकि इस सरकार के अधीन डाक-तार विभाग इस तरीके से काम कर रहा है कि पोस्टकार्ड प्रधान मंत्री तक पहुंचता ही नहीं।

महोदय मैं दलगत आधार पर भाषण नहीं देना चाहता। मैं ऐसा कुछ कहना चाहता हूं जिसका विधेयक पर दुष्प्रभाव पड़ता है। हम एक बहुत सशक्त प्रसार माध्यम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत अच्छे काम कर सकता है। यह जबरदस्त नुकसान भी पहुंचा सकता है। जोशी समिति के प्रतिवेदन में निखिल चक्रवर्ती की भारतीय टेलीविजन सम्बन्धी परिकल्पना में आप इसका समाज वैज्ञानिक पहलू देख सकते हैं। हुआ क्या है? टेलीविजन से बोलचाल के तौर तरीकों पर बुरा असर पड़ा है। इससे पढ़ाई की आदत पर बुरा असर पड़ा है। इससे सामाजिक मेलजोल पर बुलाता है कि साहित्य, कविता और ऐसे ही विषय पर कुछ कुछ परिचर्चा की जायेगी। मैं यहां

जाता हूं और क्या पाता हूं कि लोग कहते हैं हम टी. वी. देखते हैं। फिर भोजन तैयार हो जाता है। कोई कहता है 'भोजन यहीं ले आओ' इस प्रकार सामाजिक मेल जोल खत्म हो जाता है।

टेलीविजन से क्या हानियां हो सकती हैं ? टेलीविजन का प्रभाव पत्थर पर गिरते पानी के असर की मान दे है। पत्थर पर निरन्तर गिरती पानी की बूंदों को देखकर शुरू में ही यही मान कर रह जाते हैं कि पत्थर पर इनका कोई असर नहीं होगा, किन्तु अन्तत: हम पाते हैं कि वे बहुत असरदार थीं और उनका प्रभाव चिरस्थाई सिद्ध हुआ है। ऐसा असर पड़ता है।

महोदय, केवल एक बात काफी है। एक रिपोर्ट में कहा गया है :

> "औसत अमरीकी छात्र हाई स्कूल पास करने तक क्लासरूम मे गुजारे गये केवल 10,000 घंटों की तुलना में टेलीविजन देखने में 15,000 घंटे गुजार चुका होता है। उसका अधिक समय टेलीविजन देखने में ही बीतता है और इससे अधिक समय बीतता है, तो केवल सोने में ही।"

टेलीविजन का यह असर है। यह टेलीविजन का समाज वैज्ञानिक पहलू। महोदय, इसलिये हमें दूरदर्शन के साथ कोई भी प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना होगा। मैं यही बात समझ रहा हूं। राजनीति के मामले में क्या होता है ? बी. बी. सी. स्वतन्त्र माना जाता है। उसका क्या हुआ ? हाल में प्रसारण के भविष्य के विषय में एक सम्मेलन हुआ था। सर्वोत्तम भाषण श्रीमती शर्ले विलियम्स द्वारा किया गया, जो लेबर पार्टी की सरकार में मंत्री थीं। उन्होंने कहा है, टेलीविजन ने राजनीति को ओछा बना दिया है, टेलीविजन ने राजनीति को वैयक्तिक बना दिया है, टेलीविजन ने जनजीवन पर बुरा असर डाला है। क्षुद्रीकृत राजनीति, व्यक्ति आधारित नीति, टकरावबादी सबनीति।

यदि इलेक्ट्रॉनिक समाचार माध्यमों का उद्देश्य और उनकी भूमि की जानकारी देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने की है तो देखिए कि बी. बी. सी. के राजनीतिक कार्यक्रम का हश्र क्या हुआ। यदि कोई गंभीर चर्चा होती है तो इसे कोई नहीं देखता है। वे कुछ उत्तेजक चीज देखना चाहते हैं। इसलिए राजनीतिक शिक्षा को राजनीतिक मनोरंजन बना दिया गया है। यही खतरा है। महोदय उन्होंने उल्लेख किया है कि वे लेबर पार्टी के साथ बैठक में गई थीं, जो एक बड़े हाल में आयोजित था और जिसमें आप लोग थे। उन्होंने आधे घंटे तक इन्तजार किया। कोई भी व्यक्ति नहीं आया। तब वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैं इस हाल में 1951 के पिछले चुनाव में आया था। यह जरूरत से ज्यादा भरा था। लाउडस्पीकर की व्यवस्था की गई थी। 84 1984 के चुनाव में सिर्फ चार महिलाएं थीं। उन्हें कहा गया था कि आप लेबर पार्टी की वफादार समर्थक हैं। कम से कम आप तो आयीं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा था क्या, लेबर पार्टी ? हमें कहा गया था कि ताश का ब्रिज खेल खेला जाना है इसलिए हम आये हैं। इसलिए टी. वी. ने राजनीतिक शिक्षा के एक अस्त्र, सार्वजनिक सभा, को बर्बाद कर दिया है। यह टी. वी. की खराबी है, समाचार माध्यम में यह खतरा है। इसलिए हम निगाह रखनी पड़ती है। मेरे वामपंथी मित्र यह कह सकते हैं कि यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां प्रवेश करती हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा ?

गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में, सूचना के बारे में, इस प्रकार कहा गया था :—

"पाश्चात्य समाचार माध्यम काफी शक्तिशाली है, वे उनकी व्यापक और प्रभावकारी में है। उनका एक अलग विचार होता है जिससे वे उन राष्ट्रों को प्रभावित करते हैं जो अपनी एक स्वतंत्र और आधुनिक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। इनमें उन विशेषताओं की कमी होती है जिस पर वे अपनी उत्कृष्टता का दावा करते हैं उदाहरण के लिए यथार्थता और वस्तुनिष्ठता।"

सूचना में भी घुसपैठ है। मैं नहीं जानता कि क्या होगा। कुछ वर्ष पहले अमेरिका टी. वी. पर एक कार्यक्रम था। मैं यह बता रहा हूँ कि ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो सिर्फ लाभ के लिए काम करती हैं और किसी काम के लिए नहीं, क्या कर सकती है। शेक्स जीपर के जूलियस सीजर पर एक कार्यक्रम आयोजित होना था। एक प्रायोजक ने इस शर्त पर सबसे अच्छे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को रखा कि उसके उत्पादों का विज्ञापन किया जाना चाहिए। वह कम्पनी अंत्येष्टि का का काम करती थी। आपको जूलियस सीजर का वह प्रसिद्ध दृश्य याद होगा। संयोजी आता है और कहता है" मैं सीजर को दफनाने के लिए आया हूं उसकी प्रशंसा करने नहीं। विराम। यह कार्यक्रम जान डिकनसन अंडरटेकेन कम्पनी द्वारा प्रायोजित है,

आपकी सारी कला भावनाओं कविता भावना, साहित्य की सभी जानकारी खत्म हो जाएगी। मुझे आशा है कि उपेन्द्र के शासन में ऐसा नहीं होगा। हमारे पास कालीदास की प्रसिद्ध शकुन्तियां होंगी।

तब यह दृश्य सामने आता है जब दुष्यन्त यह कहते हैं :

"शकुन्तला, इन वस्त्रों में तुम कितनी सुन्दर लग रही हो।" ठहरिए। यह कार्यक्रम 'विमल इंसेज द्वारा प्रायोजित किया गया है। यह होने जा रहा है। अतः इस बात का खतरा है कि गैर-सरकारी तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा इस शक्तिशाली प्रचार माध्यम का बहुत जल्दी तथा बड़े प्रभावी ढंग से दुरुपयोग किया जा सकता है। अतः दूरदर्शन के उन दुष्प्रभावों से, जिनका जिक्र किया गया है हमें बचाना चाहिये। विदेशी बातों को छोड़िये, हमारे पास इस बारे में निखिल चक्रवर्ती तथा जोशी समिति की रिपोर्ट है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नवयुवक हैं, जिनमें नयी आकांक्षायें हैं। जब वह दूरदर्शन देखते हैं तो उसका उन पर प्रभाव पड़ता है। यह सक्षम और शक्तिशाली माध्यम है। अतः इस इस विधेयक को लाने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिये ताकि बाहरी दबावों तथा देश के अन्दर निजी उद्योगों के प्रभाव से दूरदर्शन को उत्पन्न होने वाले खतरे से बचाने के लिए अन्तर्निहित सुरक्षोपाय किए जा सकें। अतः यह बहुत आवश्यक है कि संसद इस पर कुछ नियन्त्रण रखे। राजनीतिक कार्यपालिका को भी कुछ नियन्त्रण रखना चाहिये।

आज बी. बी. सी. की स्थिति यह है कि जुलाई के महीने में 100 ब्रिटिश सांसदों ने बी. बी. सी. को नियन्त्रण में रखने के अगले सत्र में एक प्रस्ताव का नोटिस दिया है। एक प्रस्ताव लाया जाये क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया है कि जिस प्रकार की स्वायत्तता बी. बी. सी. को मिली है तथा ब्रिटेन की जनता पर इसके क्या बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। इसने सार्वजनिक जीवन के स्तर को प्रभावित किया है।

अब यदि दूरदर्शन तथा आकाशवाणी का उद्देश्य मनोरंजन करना, सूचना प्रदान करना तथा शिक्षा प्रदान करना है तो क्या हम इस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं ? यह समस्या है। अतः, मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि विषय-वस्तु को कुछ मौलिक मामलों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिये। और यहां कुछ आधारभूत मामले हैं।

डा. विप्लव दासगुप्त : क्या आप इस पर नियन्त्रण की बात कर रहे हैं।

श्री वी. एन. गाडगिल : मैं इस पर संसदीय नियन्त्रण की बात कर रहा हूं। शिकायत दर्ज होने के बाद एक प्रक्रिया का पालन करना होगा। तब यह शिकायत फिर से बोर्ड आफ गवर्नर के पास जायेगा . उसके बाद कुछ नहीं होगा। क्या होगा हमें नहीं पता है। संसद की बैठक जनवरी, जून तथा अक्तूबर में नहीं होती है। अगले तीन महीनों में इसका वार्षिक रूप से सत्र होता है। मान लीजिए दिसम्बर में कोई घटना होती है, मैं इसकी शिकायत करता हूं। जांच होगी। तथा संसद का सत्र जल्दी नहीं होगा। जब तक यह शिकायत संसद के समक्ष आयेगी तब तक यह अप्रासंगिक हो जायेगी।

इसलिए, दूरदर्शन के लिए यह बाध्यकारी बनाना जरूरी है कि जो भी निष्कर्ष हों उन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा ही इस प्रकार के निर्णय की घोषणा की जाए। महोदय, मेरे विचार से इस विधेयक में एक ऐसा खण्ड है जो आपत्तिजनक है और जो स्वायत्तता का मजाक है। निदेशों के अलावा खण्ड 22 (ग) में कहा गया है,

"जहां निगम उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए निदेश के अनुसरण में कोई प्रसारण करता है, वहां ऐसे प्रसारण के साथ, यदि निगम ऐसी वांछा करे, इस तथ्य की भी घोषणा की जा सकेगी कि ऐसा प्रसारण ऐसे निदेश के अनुसरण में किया गया है।"

यहां तक तो यह बहुत अच्छा है। परन्तु, इसके ये शब्द महत्वपूर्ण हैं—

"यदि निगम ऐसी वांछा करे।" यदि निगम ऐसी वांछा न करे तो हम यह नहीं जान पायेंगे कि सरकार ने किस तरह का निदेश दिया था और इसी को स्वायत्तता की अवधारणा माना जा रहा है।

महोदय, अभी-अभी संशोधन दिया गया है। उक्त संशोधन इस प्रकार है :

2 (क) निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।"

अन्य सदस्यों के मामले में यह अवधि छः वर्ष है, निर्वाचित सदस्यों के मामलों में 2 वर्ष है। क्या यह संसद की निगरानी के अनुरूप है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों केवल दो वर्ष का कार्यकाल हो जबकि अन्य का कार्यकाल छः वर्ष हो।

इसके बाद, इसकी परिसम्पत्तियों के बारे में पहले ही कुछ बातें कही गई हैं। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा और ये परिसम्पत्तियां कहां होनी चाहिए तथा इनकी शक्ति किसके पास होनी चाहिए। यदि यह वास्तव में ही स्वायत्तता है तो यह उपबन्ध की स्वायत्तता के अनुरूप नहीं है।

अन्तिम बात मैं जो कहना चाहता हूं वह संसद के बारे में है। इन सभी उपबन्धों से यह

स्पष्ट होता है कि प्रचार माध्यमों पर जनता का अधिकार की दृष्टि से संसद पर्याप्त निगरानी नहीं रख सकेगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अभी हमारे पास प्रसार भारती बिल के अमेंडमेंट्स आए हैं जो पूरे के पूरे इंगलिश में हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दी में भी हम लोगों को वितरित किए जाएं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य के लिए ऐसा करना बहुत अनुचित है।
(व्यवधान)

श्री वी. एन. गाडगिल : महोदय, मैं अन्तिम बात कह रहा हूं। इस प्रस्तावित निगम को अन्य सरकारी उपक्रम की तरह नहीं माना जाना चाहिए। इस निगम का राजनीति, देश के सामाजिक जीवन में विशेष स्थान है, इसलिए इस पर संसदीय नियन्त्रण अथवा निगरानी अथवा इसके लिए जो भी शब्द आप प्रयोग करना चाहते हैं, होनी चाहिए चाहे यह नियंत्रण दैनिक कार्य पर न हो परंतु यह यदा-कदा अवश्य होना चाहिए। साल में एक बार इसके वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने मात्र से काम नहीं चलेगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है "जो राष्ट्र अपने स्वतन्त्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों की अवमानना करता है उसके लिए ऐसा करना अपनी स्वतन्त्र संस्थाओं को नकारने की ओर पहला कदम है।" यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोक सभा को शान्त समझ तथा कभी-कभी दोषदर्शी नजरिये से विचार करना होगा। यह एक अन्य कदम है जिसमें लोक सभा के महत्व को कम आंका गया है। इस विधेयक का आशय लोक सभा के महत्व को कम करना तथा सरकार द्वारा चुने गए कुछ लोगों को शक्तियां देना है। और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, वह हम सब जानते हैं। इसलिए संसद को राष्ट्र की राजनीति का केन्द्र बना रहना चाहिए और इस विधेयक में यह उपबन्ध नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

श्री पी. नरसा रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांश बातें जो कहना चाहता था, वे माननीय सदस्यों द्वारा कही जा चुकी हैं। मैं इस माननीय सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्य इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सरकारी नियन्त्रण में न रहे। इसका कारण वे यह मानते हैं कि वर्तमान प्रतिपक्षी दल ने जब यह सत्ता में था, इसका दुरुपयोग करने का प्रयास प्रयास किया था। मैं माननीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक जो वे संसद में लाए हैं, के माध्यम से इस प्रचार माध्यम को किस तरह की स्वायत्तता दी है। महोदय, मैं आपका ध्यान दो मूल बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। एक बुनियादी तथ्य यह है कि प्रसार भारती के चेयरमैन तथा गवर्नरों की नियुक्ति एक समिति द्वारा नामनिर्देशन से की जाएगी जिसकी नियुक्ति की जानी है। हमारे संसदीय लोकतंत्र में हम जानते हैं कि राष्ट्रपति नामनिर्देशन कैसे करते हैं। कल, मेरे मित्र देशमुख ने इस बात को विस्तार से बताया था कि जिस नामनिर्देशन के बारे में खण्ड 4 में कहा गया है, वह स्वतन्त्र नहीं हो सकता। सरकार यह नहीं कह सकती कि वह स्वायत्तता दे रही है और इसका सदस्यों से, जब उनके नामनिर्देशन किए जाएंगे, कोई मतलब इसलिए नहीं है

क्योंकि राष्ट्रपति को उस समिति की सिफारिश के अनुसार नामनिर्देशन करने है जिसमें दो सदस्य ऐसे होंगे जिनकी निष्ठा सरकार के प्रति होगी। दूसरा, बुनियादी तथ्य यह है कि इस विधेयक में प्रस्तावित अन्य निकाय है परिषद जिसके पास इस बात पर निगरानी रखने की सभी शक्तियां होंगी कि ये सभी प्रचार माध्यम क्या करते हैं। यदि खण्ड 13 को ध्यान से देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति चेयरमैन के परामर्श से सदस्य नामजद करेंगे और चेयरमैन वह व्यक्ति होगा जिसकी नामजदगी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जैसाकि हमारे साथी तथा वरिष्ठ सदस्य, श्री गाडगिल ने कहा है कि इस परिषद की शक्तियां क्या हैं? इस परिषद के पास कोई शक्ति नहीं है।

खण्ड 14 मे कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो यह महसूस करता है कि उसे किसी कार्यक्रम के बारे में शिकायत है, वह इस परिषद को अपनी शिकायतें भेजेगा जिसके पास इन शिकायतों पर कार्यवाही की वस्तुत: कोई शक्ति ही नहीं है, सिवाए इसके कि इस शिकायत पर विचार होगा और चेयरमैन इस प्रकार कार्यवाही करेगा तथा उस व्यक्ति को उत्तर देगा जिसने शिकायतें भेजी हैं। इस प्रकार इससे ऐसा लगता है कि गवर्नर भी इन प्रचार-माध्यमों की सहायता नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सरकार का न केवल चेयरमैन तथा गवर्नरों वाले इस निकाय पर वास्तव में नियंत्रण होगा बल्कि परिषद के सदस्यों पर भी नियंत्रण होगा ताकि यह सुनिश्चित हो। मेरा यह नम्र निवेदन है कि ये दोनों बातें यह दर्शाती है कि इन महत्वपूर्ण निकायों के गठन पर अभी भी सरकार की पकड़ होगी। यह परिषद जिसे एक ऐसा निकाय कहा गया है जो कार्यक्रमों पर निगरानी रखेगी, इसके पास वास्तव में कोई शक्ति नहीं है और इसीलिए सरकार के लिए यह कहना मिथ्या होगा कि वह स्वायत्ता दे रही है। वह केवल निकाय का सृजन करके अन्यथा स्थिति देखने का प्रयास कर रही है कि दूरदर्शन तथा रेडियो पर हमेशा सरकारी कार्यक्रम प्रसारित हों। कांग्रेस में कम से कम यह कहने का तो साहस था कि वह टी. वी. तथा रेडियो चला रही है। परन्तु यह एक ऐसी सरकार है जिसका उद्देश्य कुछ और होगा और वह दूरदर्शन तथा रेडियो पर अपनी प्रशंसा करवाने का प्रयास करेगी तथा रेडियो स्वायत्त निकाय हैं जो हमारे कार्यक्रमों की प्रशंसा कर रहे हैं और इसमें हमारा कुछ भी लेना-देना नहीं है। यह केवल इस सरकार का प्रयास मात्र है कि वह न केवल अपने कार्यक्रमों को इस सशक्त प्रचार माध्यम से प्रसारित करवाये बल्कि वह इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए जो वह चाहती है करे। कल श्री यादव सही उल्लेख कर रहे थे कि यह हमारे संविधान की प्रस्तावना के मूल सिद्धांतों, अर्थात धर्म निरपेक्ष, सामाजिक तथा प्रजातंत्र राष्ट्र, के अनुरूप नहीं है। इस सशक्त प्रचार माध्यम द्वारा एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है। उन पहलुओं को खण्ड 12 के अन्तर्गत नहीं लाया गया है। वे बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिन पर उन्हें विचार करना होगा। इसके अलावा, यदि चेयरमैन अथवा गवर्नर गलत व्यवहार करते है तो राष्ट्रपति इस मामले को उच्चतम न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति कार्यवाही करेगा। कम से कम मैं यह सुझाव दूंगा कि संसद, ऐसी संसद जिसमें दो-तिहाई बहुमत है, का यह कर्तव्य होगा कि वह उस चेयरमैन की कार्यवाही पर निर्णय दे जो शक्ति का गलत प्रयोग करे बजाए इसके कि हम यह कहे कि केवल जज ही ऐसा व्यक्ति होगा जो इस मामले की जांच करेगा।

महोदय, वित्तीय मामलों के बारे में, मैं दो सुझाव दूंगा। एक सुझाव यह है कि विधेयक के खण्ड 2 के अन्तर्गत यह कहा गया है कि सरकार सब्सिडी अथवा ऋण देगी तथा कुछ अनुदान शुल्क देगी। यह अब पर्याप्त नहीं है। मैं अपनी बात दो और शब्दों में कहना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि यदि प्रसार भारती को स्वायत्त बनाना ही है, तो सरकार को दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रमों

से जो भी उत्पाद शुल्क मिलता है, उसे प्रसार भारती को दे दिया जाना चाहिये। इसे आत्म निर्भर बनाया जाना चाहिए और संगठन के संचालन के लिये सरकारी खैरात का मुंह जोहने के बजाय इसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि सरकार की यही मंशा है, वह यही महसूस करती है और यही आशा करती है कि यह स्वार्थ में स्वायत्त होगा। पिछले आठ महीनों के दौरान इस सरकार ने सदा ही इस प्रचार माध्यम का अपने हित साधन के लिये उपयोग करने का प्रयास किया है। इस बारे में मैं एक ठोस उदाहरण देना चाहूंगा। राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष श्री एन. टी. रामाराव की फिल्म बिना बारी आये बिना उप शीर्षकों के दूरदर्शन पर दिखाई गई थी। इससे यही पता चलता है कि वे कैसा पक्षपात करते हैं। दूसरा उदाहरण यह है कि आंध्र में समुद्री तूफान से प्रभावित हुये लोगों के कल्याण के लिये करोड़ों रुपये जुटाने के लिए हाल में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित गया था। दूरदर्शन के लोगों ने इस कार्यक्रम को कवर किया, किन्तु उन्होंने केवल भारत के राष्ट्रपति को ही दिखाया, किन्तु आंध्र के मुख्य मंत्री को नहीं दिखाया जबकि वे भी उस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के साथ उपस्थित थे। महोदय, कल माननीय संसद सदस्य श्री कुसुमा कृष्ण मूर्ति, जो कि अनुसूचित जाति के हैं, ने एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिसमें संसदीत कार्य मंत्री श्री पी. उपेन्द्र भी उपस्थित थे। दूरदर्शन पर माननीय मंत्री जी को दिखाया गया किन्तु कुसुम कृष्णामूर्ति को नहीं दिखाया गया। महोदय, यह साफ तौर पर उनके पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है और वे हमेशा यही दावा करते हैं कि वे कमजोर वर्गों के लिये हैं। इसलिये यह सरकार उद्देश्य और कारणों में जिस यथार्थ स्वायत्तता का विचार कर रही है, उसे सरकार के दृढ़ प्रयासों के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार को इस दिशा में दृढ़ता पूर्वक पहल करनी चाहिये। सरकार पिछले आठ महीनों में टेलीविजन को अपने नियंत्रण में नहीं कर सकी है और उसने कभी भी निष्पक्षता के अपने संकल्प को नहीं दर्शाया है।

[अनुवाद]

श्री बसई चौधरी (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रसार भारती बिल जो आया है इसके बारे में आपको कहना चाहता हूं कि सरकार ने न केवल इस बिल को लेकर सराहनीय काम किया है बल्कि राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने का काम किया है। आटोनोमी मीडिया के बारे में शुरू से ही चर्चा होती रही है। और इस सत्र के पूर्व जब हमारे सूचना

5.00 म. प.

और प्रसारण मंत्री पी. उपेन्द्र जी ने इस बिल को पेश किया था उस समय बहुत सारा विवाद हुआ था। उसके आधार पर हमारी सरकार ने तय किया कि हम इसके बारे में पूरे देश में गोष्ठियां करेंगे, चर्चाएं करेंगे और लोगों के जो संशोधन आयेंगे उनके बारे में विचार करके इस बिल को पास करेंगे। इसलिए दुरुपयोग के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस देश में आम चुनाव, लोकसभा के, हो रहे थे तो उस समय हर जिला मुख्यालय में टी. वी. सैट रख दिया गया था, उस समय के जो तात्कालीन प्रधानमंत्री थे उनका भाषण दिन-रात चलता था और केवल कांग्रेस को वोट दो यही उनके भाषण में होता था. इस देश में रेडियो और टेलीविज का दुरुपयोग होता रहा है इसलिए लोगों के मन में यह एक चिन्ता का विषय बन गया, इसीलिए राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने

इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रसार भारती को यहां पेश किया है और रेडियो तथा दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने का काम किया है।

जिस देश के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं उनके उत्थान और विकास के कोई कार्यक्रम दूरदर्शन और रेडियो में नहीं आते, यह सबसे बड़ी कमी रेडियो और दूरदर्शन का रहा है। इसलिए गांवों में प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं मेधावी छात्र हैं उनके भी कार्यक्रम रेडियो और दूरदर्शन माध्यम से प्रसारित होने चाहिए।

अभी संसद का सत्र चल रहा है। हमारे देश के लोग काफी उत्सुकता से संसदीय समीक्षा देखने और सुनने को तैयार रहते हैं। जहां अखबार नहीं आता है वहां रेडियो और दूरदर्शन से देश के बारे में और भविष्य के बारे में कार्यक्रम देखते हैं और संसदीय समीक्षा सुनते हैं। संसदीय समीक्षा के लिए मात्र 10 मिनट का समय दिया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हिन्दी के समाचार 9 बजे समाप्त होते हैं तो उसके बाद संसदीय समीक्षा शुरू करना चाहिए और उसका समय कम से कम आधा घंटा तय किया जाना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि खण्ड 14 में परिषद के गठन का सुझाव है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बारे में चर्चा की है। मैं इस बात को अपने मंत्री और सरकार से कहना चाहता हूं कि इन्होंने रेडियो और दूरदर्शन के बारे में ऐसा प्रावधान किया है कि जो शिकायतें आयेंगी तो यह परिषद उनका निर्णय करेगी और उनके बारे में सुनवाई करेगी। दूरदर्शन में करप्शन है उसके बारे में मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जो धारावाहिक कार्यक्रम दिखाये जाते हैं…

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करें। बहुत कम समय है।

श्री हरई चौधरी : जब भी मैं बोलने लगता हूं आप मुझे टोकते हैं और बोलने नहीं देते हैं। मैं अपनी पार्टी के समय से बोलता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको ऐसे भी नहीं बोलने दूंगा, आप अच्छे पाइंट्स रखते हैं मैं उनकी इजाजत देता हूं।

[अनुवाद]

कृपया इस तरह चर्चा मत कीजिये। विधेयक की बात कीजिए।

श्री देवाई चौधरी : मैं बताना चाहता हूं कि आज जो धारावाहिकों को स्वीकृति मिल रही है उसमें पांच-पांच लाख रुपये दिये जा रहे हैं। इसलिए इसको देखने के लिए एक शक्तिशाली कमेटी की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि संसद-सदस्यों की एक कमेटी बनानी चाहिए ताकि जो रेडियो और दूरदर्शन में भ्रष्टाचार है उस पर निगरानी रखी जा सके।

मैं अन्तिम बात आपसे कहना चाहता हूं कि धारा 17 (1) में जो निधि की व्यवस्था की गई है और आय व्यय के बारे में प्रावधान किया गया है वह अस्पष्ट है। उसमें यह साफ नहीं है

कि आय के खर्च का हिसाब कौन रखेगा, उसमें गड़बड़ होगी तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। इसलिए इसको स्पष्ट किय जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में आपकी इच्छा का ध्यान रखते हुए एक बात फिर से अपने विरोधी दल के सासदों से कहना चाहता हूँ कि आपने इतने वर्षों तक इस रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से इस देश के लोगों का शोषण किया है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, इस चीज को साफ करके इस बिल का समर्थन करें ताकि आपकी तरफ से जो ज्यादतियाँ हुई हैं, उनसे आपकी मुक्ति मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बोलने से पहले इसकी एक प्रति हिन्दी में उपलब्ध करायें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बिल की प्रति हिन्दी में मिल गयी है?

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : यह अंग्रेजी में प्रति मिली है, हिन्दी में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसके बारे में बोल रहे हैं ? अमेंडमेंट के बारे में या बिल के बारे में ?

एक माननीय सदस्य : अमेंडमेंट के बारे में।

कई माननीय सदस्य : हमें हिन्दी में प्रतियाँ उपलब्ध करायी जायें, उसके बाद मन्त्री जी बोलें ··· (व्यवधान)

श्री बसंत साठे (वर्धा) : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। यह बात बिलकुल सही है कि हम पूरी तरह से सह-कार्य और सहयोग दे रहे हैं और आपने इसे शुरू से देखा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बिल के संबंध में जितने अमेंडमेंट हमारी तरफ से या अन्य लोगों की तरफ से आये थे, उनमें से काफी मान लिये गये है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये अमेंडमेंट सहित और कुछेक अन्य मान लिये जायें तो यह पास हो सकता है और वह भी एक सहमति से एवं एक राय से लेकिन 64-64 अमेंडमेंट आप भेज रहे हैं।

श्री पी. उपेन्द्र : कौन-कौन से या कुछ कांस्टीचवेंटली है या और कुछ भी है ?

श्री बसंत साठे : कुछ कुछ बुनियादी है। यदि आप खुद नहीं चाहते हैं कि आपके सदस्यों को हिन्दी में न ले पायें, न पढ़ पाय, नहीं समझ पायें बेचारे, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप अपने लोगों से पूछ लीजिए। हमारे यहां तो ज्यादातर लोग अंग्रेजी जानते एवं समझते हैं, हिन्दी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि ये हिन्दी में होने चाहियें। (व्यवधान) हिन्दी का नियमानुसार होना चाहिये। मैं पूरा समर्थन देता हूं कि पहले हिन्दी में देना चाहिये था। (व्यवधान)
[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, हिन्दी की प्रतियां देर से भेजे जाने के लिये मैं माननीय सदस्यों से क्षमा चाहता हूं। जैसाकि सदस्य जानते हैं, अन्तिम क्षण तक बातचीत निरन्तर जारी रही और हम एकमत हो गये हैं। हिन्दी अनुवाद कर दिया गया है, किन्तु प्रतियां बनाई जा रही हैं। उनमें से

अधिकांश परिणामिक संशोधन हैं। 30 अथवा 32 संशोधनों में तो नाम में परिवर्तन करने की ही बात है। अतः मेरे विचार से ये नये संशोधन नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं बहुत कम बोलता हूं। हमें बोलने का अवसर जान-बूझकर नहीं दिया जाता है। हिन्दी के साथ यह भी चल रहा है; उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि लाइब्रेरी में हिन्दी का कोई कागज नहीं आता है। जो सभापटल पर कागज रखे जाते हैं, उनमें से एक कागज भी हिन्दी में नहीं पहुंच पाता है। हम मारे-मारे फिरते रहते हैं। हमें बहुत दिक्कत होती है। यहां जो कागज बटते हैं, उनका भी यही हाल है। इस अन्याय को बहुत देर तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि सभा पटल पर जितने कागज पत्र या किताब रखी जाती हैं, जहां तक मेरी मालूमात है, वे लाइब्रेरी में भी हिन्दी और अंग्रेजी में रख दिए जाते हैं। अगर कोई किताब वहां नहीं रखी गयी होगी, तो उसका इंतजाम कर दिया जायेगा। यहां पर प्रसार भारती बिल हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। यदि आप देखें तो यह बिल हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है परन्तु इस पर जितनी अमैंडमेंटस दी गयी हैं, सुझाव दिये गये हैं, सम्भव है उनका हिन्दी अनुवाद ट्रांसलेशन वगैरह तैयार न हो, हर एक का प्रतिलिपि बनती है। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब का भाषण होने तक, वे सभी अमैंडमैंटस वगैरह आपको हिन्दी में उपलब्ध करा दिये जायेंगे, आपको मिल जायेंगे। यदि हिन्दी में आपके पास नहीं आये तो उसके क्या कारण है, उसे मैं बाद में देखूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य : क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में क्या स्थिति है।

श्री निर्मल चटर्जी (दम दम) : यह सच है कि कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते, केवल हिन्दी ही समझते हैं। इसके लिए निर्धारित व्यवस्था है। किन्तु यह भी सच है कि ऐसे भी सदस्य हैं जो न तो हिन्दी समझते हैं, न अंग्रेजी। अतः मेरा संसद से अनुरोध है कि वह इस किस्म की कठिनाई पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस किस्म की शिकायतें न आयें और सभी सदस्यों को प्रलेखों और पत्रों का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद सुलभ कराया जाये।

*श्री आर. जीवरत्नम (आर्कोनम) : लोक सभा ग्रंथालय में तमिल की कोई महत्वपूर्ण पत्रिका अथवा समाचार पत्र नहीं है। तमिलनाडु से प्रकाशित होने वाले तमिल समाचार पत्र प्रतिदिन उपलब्ध नहीं होते। जहां तक बजट सम्बन्धी पत्रों का प्रश्न है, हम कुछ भी नहीं समझ पाते।

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बजट पत्रों के तमिल भाषा में प्रकाशन के लिये भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जब हम संसद में तमिल में बोलते हैं, तो हमारे भाषणों को साथ-साथ अंग्रेजी और हिन्दी भाषान्तरण के लिए एक दुभाषिया होना चाहिए। इसके साथ ही जब सभा में अंग्रेजी में भाषण चल रहा हो, तो उसका साथ-साथ तमिल में भाषान्तरण भी होना चाहिए।

** श्री ए. चार्लस (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस सभा में यह मांग की थी कि सभी कार्यवाहियों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक नियम बनाया जाना चाहिए, अब जबकि क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में प्रश्न उठाया गया है, मैं यह मांग करता हूं कि सभा की कार्यवाहियों के साथ-साथ पत्रों, दस्तावेजों आदि के मलयालम में भी अनुवाद की व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में उपस्थित सदस्य इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि संविधान अनुसार जो भी किया जाना अपेक्षित है, वह किया जायेगा।

श्री पी. उपेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और अपने मूल्यवान सुझाव दिये। मैं विशेषकर अपने प्रतिष्ठित पूर्ववक्ताओं, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री वसन्त साठे, श्री कृष्ण कुमार, श्री गाडगिल और अन्य मित्रों का धन्यवाद करता हू जिन्होंने अपने व्यापक अनुभव के आधार पर इस विधेयक के संबंध में उपयोगी सुझाव दिये।

पिछले दो तीन दिनों के दौरान इस ऐतिहासिक विधेयक पर एक आम राय तक पहुंचने के लिए विभिन्न दलों के बीच व्यापक विचार विमर्श हुआ है। यह एक ऐसा विधेयक है जिसके लिये दलों के बीच अधिकतम सर्वसम्मति और पारस्परिक समझदारी चाहिए। यह कोई ऐसा विधेयक नहीं है जिसकी परिकल्पना आज तक ही सीमित हो। यह सदा के लिये, भविष्य के लिये है ताकि प्रत्येक दल स्वायत्तता की परिकल्पना के प्रति समर्पित रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं यह सुझाव न दूं, तो कहीं आप क्षुब्ध न हो जायें। आज 5.30 अपराह्न को आधा घण्टे की चर्चा है। मैं इसे कल तक के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि हम यह चर्चा जारी रख सकें।

श्री पी. उपेन्द्र : यद्यपि सरकार ने यह विधेयक दिसम्बर, 1989 में प्रस्तुत किया था और बजट सत्र में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे तथा इस सत्र में कुछ और संशोधन प्रस्तुत किये हैं, हम इसे प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाना चाहते थे, तथा इस बात पर भी अड़े नहीं रहना चाहते थे कि सरकार के सभी प्रस्ताव स्वीकृत कर लिये जायें। हमने पूरा कोशिश की कि हम सर्वसम्मति बनायें तथा मुझे खुशी है कि मैंने श्री वसन्त साठे को राजी कर लिया है जिन्होंने अपना भाषण इस टिप्पणी के साथ शुरू किया था कि वे विधेयक का विरोध करते है तथा यह एक शुभ शकुन है।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलिकरा) : उन्होंने विधेयक का विरोध किया था।

** मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री पी. उपेन्द्र : यह स्वायत्तता की अवधारणा तथा प्रसार भारती के लिये एक शुभ शुरूआत है। हमारे राष्ट्र के जीवन में प्रचार माध्यम की क्या भूमिका है यह आप जानते हैं और इसे विस्तारपूर्वक बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में केवल छह आकाशवाणी केन्द्र थे, और आज देश में 100 से भी अधिक आकाशवाणी केन्द्र हैं। और जल्दी ही यह संख्या बढ़कर 200 होने जा रही है और यद्यपि दूरदर्शन का आरम्भ बहुत देर से हुआ था, आज विभिन्न केन्द्रों पर हमारे पास 540 ट्रांसमीटर हैं और आठवीं योजना में कुछ और नये केन्द्र खोले जाने हैं तथा बड़ी संख्या में स्टूडियों तथा कार्यक्रम निर्माण सुविधायें स्थापित की जा रही हैं। रोजाना बड़ी संख्या मे लोगों तथा संसद सदस्यों द्वारा देश भर से यह मांग हो रही है कि उनके क्षेत्रों में अधिक से अधिक आकाशवाणी केन्द्र तथा रिले केन्द्र खोले जायें। आज 97 प्रतिशत जनसंख्या आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनती है तथा 80 प्रतिशत जनसंख्या दूरदर्शन के कार्यक्रम देखती है। यह बड़ी उपलब्धि है, जोकि किसी भी प्रचार माध्यम द्वारा हासिल की गयी हो।

श्री पी. चिदम्बरम : इसमें कांग्रेस के शासनकाल में की गयी प्रगति भी सम्मिलित है।

श्री पी. उपेन्द्र : मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूँ। हमें इस प्रचार माध्यम के विस्तार से संतुष्ट नहीं होना चाहिए किसी संगठन का जीवन उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर है और हमे यह देखना चाहिए कि यह विश्वसनीयता बनायी रखी जाये और यह केवल इस प्रचार माध्यम की विश्वसनीयता की पुर्नस्थापना की मांग के संदर्भ में है।

श्री इन्द्रजीत सिंह : बनाये रखना नहीं, स्थापित करना है।

श्री पी. उपेन्द्र : ठीक है, स्थापित करना और बनाये रखना है। मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं। यह इस संस्था के हित में है कि स्वायत्त निगम की मांग फलीभूत हो गई है।

जैसाकि श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा बताया गया है यह सही है कि अनेक समितियों ने इस पर विचार किया है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पिछले जनता शासन के दौरान इसी नाम से यह विधेयक प्रस्तुत किया था। यह इसे समय पारित किया गया होता। राष्ट्रीय मोर्चा के चुनाव घोषणा पत्र में हमने यह संकल्प किया था कि जैसे ही हम सत्ता में आयेंगे इस सरकार का सबसे पहला कार्य होगा प्रचार माध्यम को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करना तथा मुझे बहुत खुशी है कि इस सत्र में यह विधेयक प्रस्तुत करके मुझे यह संकल्प पूरा करने का अवसर मिला। देश भर में इस विधेयक पर गहन चर्चा हुई। मुझे इससे वास्तव मे खुशी हुई है। देश भर में सैकड़ों विचार गोष्ठियां आयोजित की गयी। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है, जिसमें बुद्धजीवी, विधि विशेषज्ञ प्रचार माध्यम के लोग तथा अन्य लोग सम्मिलित है तथा मुझे बहुमूल्य सलाह के साथ हजारो पत्र प्राप्त हुए है। इन सुझावों की जांच की गयी है तथा जहां तक संभव हुआ है संशोधनों के द्वारा विधेयक में सम्मिलित किया गया है।

अतः मैं नहीं समझता कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की कोई आवश्यकता है। मैं अपने मित्र श्री इन्द्रजीत से सहमत नहीं हूं कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए। इससे केवल मामले में देरी होगी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, कि वह अपनी मांग को वापस ले लें। यदि उन्होंने कोई संशोधन रखा है, तो वह उसे भी वापस ले लें।

महोदय, बहुत से संशोधनों पर सर्वसम्मति है। कांग्रेस पार्टी भी बहुत सी बातों पर सहमत हो गयी है। हम भी बहुत सी बातों पर सहमत हो गए हैं। अन्य पार्टियों, भा.ज.पा. तथा वामपंथी दलों ने अनेक संशोधनों का नोटिस दिया है तथा इनमें से अधिकतर को आज परिचालित संशोधनों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

इस विधेयक के मुख्य सिद्धान्त है ऐसे संगठन का सृजन करना जोकि सामग्री तथा मानव संसाधनों से सुसज्जित हो और यह बिना किसी दबाव के स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सके। यह ऐसे वातावरण में कार्य कर सके कि व्यावसायिकता तथा उद्देश्यपरकता को बढ़ावा दे सके। जैसाकि श्री चित्त बसु ने ठीक ही कहा है, स्वायत्तता का जिम्मेदारी के साथ पालन करना चाहिए। इस निगम को संसद तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। हम केवल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यह निगम सरकारी नियन्त्रण से मुक्त रहे। इसका मतलब नहीं है, कि हर प्रकार के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगा। अतः हमने इस बात पर ध्यान दिया है, कि यह प्रसार भारती निगम संसद तथा लोगों के प्रति उत्तरदायी रहे। (व्यवधान) मैं यहां पर एक और बात पर बल देना चाहूंगा कि यह विधेयक विश्व के अन्य व्यवस्थाओं, चाहे वह बी.बी.सी. हो, आस्ट्रेलियाई सेवा हो या संयुक्त राज्य अमरीका की व्यवस्था हो, की नकल नहीं है। हमने भारतीय परिस्थितियों के आधार पर एक ढांचा तैयार किया है। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए था और ऐसा ही किया गया है।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गयी बातों पर बारी-बारी से चर्चा करूंगा। पहली बात बोर्ड आफ गवर्नर के बारे मे है, जैसी कि मूल रूप में व्यवस्था की गयी थी। इस बात का सुझाव दिया गया था कि गवर्नर का पदनाम उपयुक्त नहीं है और इसको बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि राज्यों में राज्यपाल का एक संवैधानिक पद इसी नाम से जाना जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक का भी गवर्नर होता है। अतः उन्होने कहा कि इस गवर्नर पदनाम को बदल देना चाहिए। हम इससे सहमत हो गए। संशोधन में कहा गया है कि इसे प्रसार भारती बोर्ड कहा जाना चाहिए तथा सदस्यों को प्रसार भारती बोर्ड का सदस्य कहा जाना चाहिए तथा कार्यकारी गवर्नर को प्रसार भारती बोर्ड का कार्यकारी सदस्य कहा जाना चाहिए।

श्री वसन्त साठे : बहुत अच्छा। (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : बोर्ड में विभिन्न प्रकार के सदस्य होंगे। इसमें पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिन तीन में कार्यकारी सदस्य भी सम्मिलित है। एक सदस्य वित्त का प्रभारी होगा तथा एक सदस्य कार्मिक का प्रभारी होगा। अतः यह तीन सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे तथा एक बार इनका चयन हो जाए तथा निगम में कार्यभार ग्रहण कर लें, तो ये निगम का हिस्सा हो जायेंगे। ये निगम के कर्मचारी होंगे, हमने यह भी व्यवस्था की है।

दूसरे संशोधन के अनुसार दूरदर्शन के महानिदेशक तथा आकाशवाणी के महानिदेशक भी प्रसार भारती बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे। यह सुझाव न्यायोचित है, क्योंकि जो लोग संगठन चलाते है उनको नीतियां बनाने के मामले में भी भाग लेना चाहिये। अतः हम इस सुझाव से सहमत है। यह व्यवस्था पहले भी थी। परन्तु उस समय हमारा विचार था कि दो स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए एक पूर्णतः नीति निर्धारक निकाय एक बोर्ड, तथा एक प्रबन्ध निकाय। हम इसे मिलाना

नहीं चाहते थे । परन्तु अब मैंने इसका कारण देखा है कि जो लोग संगठन चलाते हैं इस संगठन में अनुभव प्राप्त करते हैं, इसके प्रबन्ध में भी भागीदार होने चाहिए । इसलिए हमने यह सुझाव सम्मिलित कर लिया है कि दोनों महानिदेशक दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को भी सदस्य होना चाहिए । हम इसके संबंध में स्तम्भ निर्माण की शुरूआत कर रहे हैं । हमने श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी के संबंध में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया है । इस विधेयक को अभी संसद द्वारा पारित किया जाना है । परन्तु हम इस अवधारणा के प्रति वचनबद्ध हैं । इसका पालन करते हुए तथा माननीय सदस्यों से प्राप्त सुझावों, विशेषकर वामपंथी दलों तथा अन्य समर्थक दलों से प्राप्त सुझावों के परिणामस्वरूप हमने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें यह व्यवस्था है कि श्रमिकों के दो प्रतिनिधियों का चुनाव बोर्ड के लिये किया जाना चाहिए । वहां पर दो विभिन्न प्रकार के कर्मचारी हैं, एक वे जो इंजीनियरिंग संवर्ग के हैं तथा दूसरे वे जो गैर-इंजीनियरिंग काडर के हैं । हम ऐसा समझते हैं कि दो विभिन्न श्रेणियों के नियोक्ताओं के मध्य दो पदों का समान वितरण होगा । इनमें से एक यांत्रिकी कर्मचारियों में से और दूसरा गैर-यांत्रिकी और अन्य कर्मचारियों में से होगा । इसके साथ ही मण्डल के सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 से 15 जाएगी । इन 15 में से सात अंशकालिक लोग होंगे जिसमें एक चेयरमैन और 'अंशकालिक सदस्य होंगे । विधेयक में मूल रूप से हमने यह व्यवस्था की थी कि पूर्णकालिक चेयरमैन होगा । यह मूल प्रस्ताव था । परन्तु अब दोबारा सोचने के बाद हमने ऐसा समझा है कि पूर्णकालिक चेयरमैन और पूर्णकालिक सदस्यों के बीच हितों का टकराव हो सकता है जिससे कार्य पर असर पड़ सकता है । साथ ही जो विशिष्ट सार्वजनिक व्यक्ति जिसके बारे में हमारा विचार था कि वह निगम का अध्यक्ष होगा वह शायद प्रतिदिन पूर्णकालिक समय न दे पाए । अब संशोधन में यह प्रस्ताव किया गया है कि चेयरमैन अंशकालिक होना और साथ ही 6 अंशकालिक सदस्य होंगे । इनमें से एक तिहाई प्रति दो वर्ष बाद अवकाश लेंगे । इनमें से 2 प्रति दो वर्ष बाद और अन्य 2 चार वर्ष बाद अवकाश लेंगे और इस प्रकार उनके स्थानों पर नए लोग आते रहेंगे । इन छ: अंशकालिक विशिष्ट सदस्यों की सेवाएं लेने के पीछे विचार यह था कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए ये विशिष्ट व्यक्ति विशेषकर उन सब विषयों से संबंधित जिनका संचार माध्यमों से सोचा जाता है जैसे शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास महिला और बाल कल्याण, फिल्म ललित कला इत्यादि । प्रसार माध्यमों द्वारा जो विषय विचारार्थ लिए जाते हैं मैं समझता हूं, कम से कम एक सदस्य उस विशेष विभाग को भी देखे । इसलिए हमने 6 सदस्यों की व्यवस्था की है । हर दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे । इनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है । हमने पूर्णकालिक सदस्यों के लिए अवकाश ग्रहण करने की आयु 62 वर्ष रखी है । माननीय सदस्यों का इस बात पर मतभेद है । इसका कारण यह है कि हम लोगों का चयन न केवल सरकारी सेवा में से बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी कर सकते हैं । उदाहरणार्थ, कार्यकारी सदस्य, सदस्य (वित्त) अथवा सदस्य (कार्मिक) में से किसी का चयन किसी भी निजी क्षेत्र से किया जा सकता है अथवा वह सार्वजनिक क्षेत्र से अनुभव वाला व्यक्ति भी हो सकता है । हमने सोचा था कि अधिक आयु सीमा से अच्छे लोगों को आकर्षित करने की गुंजाइश होगी, वरना यदि आप इसको 58 वर्ष तक सीमित करना चाहते हैं तो ऐसी प्रवृत्ति पैदा होगी कि इन्हें सेवाओं में से लिया जाए या संगठित सेवाओं में से किसी को लिया जाए । हमारा इरादा यह नहीं है । अत: मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस बात पर भी विचार करें कि इसको इस प्रकार रखा जाए जिससे कि हम तीन लोगों का चयन करने में विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक विकल्प मिल सके ।

श्री वसंत साठे : मैं कहता हूं कि हम इस बात से सहमत होंगे बशर्ते आप यही सुविधा कर्मचारियों को भी दें। सभी कर्मचारियों को बराबरी के आधार पर देखना चाहिए। भेदभाव मत करिए। जब महानिदेशक तथा अन्य कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : हम इन तीन लोगों को छः वर्ष के निर्धारित कार्यकाल के लिए ले रहे हैं। वे स्थायी कर्मचारी नहीं होंगे। यदि वे सदस्य नहीं रहे तो वे हट जाएंगे। हम इनका नियम के कर्मचारियों के साथ बराब ही नहीं कर सकते हैं जो लोग बाहर से भर्ती किये जाते हैं तथा जो लोग 6 वर्ष के कार्यकाल के बाद हट जाते हैं उनमें कुछ अन्तर होना चाहिए। अतः मैं नहीं समझता कि ऐसी व्यवस्था करने में कुछ गलत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वरना, आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे।

श्री पी. उपेन्द्र : अब भी यदि आप ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जो 58 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करता है तो हमें आपको 58 वर्ष की आयु में लेना होगा। हमें इस बात पर विचार करना है। अतः मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करता हूं कि इस बात में किसी परिवर्तन पर जोर न दें।

जहां तक बोर्ड के सदस्यों को निकालने का सवाल है हमने इसकी बहुत कठिन व्यवस्था की है। बोर्ड के सदस्यों को सरकार सहित किसी के द्वारा निकाला नहीं जा सकता है। दुर्व्यवहार या दुराचार की स्थिति में उच्चतम न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजी जायेगी और केवल उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही किसी सदस्य या चेयरमैन को हटाया जा सकता है। हमने इनको इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि कार्यकारिणी इस मामले में हस्तक्षेप न कर सके।

ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं और सुझाव दिये गये हैं कि इसको हमेशा के लिये सरकार से अलग कर दिया जाना चाहिये। ऐसे डर की कोई वजह नहीं है क्योंकि यह देखने के लिये पूरी सावधानी बरती गई है कि प्रसार भारती पूरी तरह से सरकार के रोजमर्रा के हस्तक्षेप से मुक्त रहे। केवल यह कि यह संसद के नियंत्रण में रहे। इसके अतिरिक्त हमने सरकार के रोजमर्रा के हस्तक्षेप की कोई व्यवस्था नहीं की है।

खण्ड 12 में जो प्रसार भारती का चार्टर है यह व्यवस्था है कि निगम के सभी उद्देश्य क्या होंगे। इसे राष्ट्रीय हित में कार्य करना होगा, इसके कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय हित में सार्थक होंगे। अतः कोई डर नहीं है। एक माननीय सदस्य विशेष कर श्री कृष्ण कुमार ने यह जिक्र किया है कि वे सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों को कम कर देगा और इसमें वाणिज्यिक रूप धारण कर लेगा। इस पर मैं बाद में आऊंगा तथा यह बताऊंगा कि किस प्रकार हम इसे भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्यों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उन्हें किन विषयों को देखना है तथा उन्हें किन कार्यक्रमों को देखना है। मैं नहीं समझता कि उनके लिए इसका उल्लंघन करने की कोई गुंजाइश है।

खण्ड 22 में चर्चा तथा विचार गोष्ठियों पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। खण्ड 22 में यह व्यवस्था है कि विशेष परिस्थितियों में, राष्ट्रीय एकता सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के हित में सरकार द्वारा निर्देश जारी किये जायें। यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जबकि निगम द्वारा राष्ट्रीय एकता तथा सुरक्षा के हित में कुछ संयम बरता जाना आवश्यक हो। अत: हमने इस बात की व्यवस्था कर दी है। ऐसा बहुत कम है। इस खण्ड के अन्तर्गत जारी किया गया प्रत्येक निर्देश लिखित में होगा। मौखिक निर्देश नहीं दिये जा सकते हैं। उन सभी निर्देशों की प्रतियां संसद में तुरन्त रखी जायेंगी। यदि सभा का सत्र नहीं चल रहा है तो यह संसद के अगले सत्र के पहले दिन ऐसे सभी निदेश रखे जायेंगे। अत: यह बात भी ध्यान में रखी जाती है कि सरकार द्वारा कोई मनमाना निदेश तो जारी नहीं किया जा रहा है।

हमने एक संशोधन भी प्रस्तुत किया है, जिसमें निगम के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वह सरकार द्वारा मांगी गयी जानकारी न केवल अपने लिए बल्कि संसद में प्रस्तुत करने के लिए सप्लाई करे। क्योंकि कल प्रसार भारती के आम कार्यकरण के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तथा प्रसार भारती निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदन पर इस सभा में तथा दूसरी सभा में चर्चा हो सकती है। एक संसदीय समिति भी है जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। इस उद्देश्य के लिए कुछ जानकारी दी जानी जरूरी है। अत: हमने निगम के लिए यह आवश्यक बना दिया है कि वह सरकार द्वारा मांगी गयी जानकारी प्रदान करे। हमने इसकी व्यवस्था कर दी है। जब निगम को ऐसे निदेश दिये गए हैं कि अमुक कार्यक्रम प्रसारित करना है या अमुक कार्यक्रम प्रसारित नहीं करना है तो वह यह बताने को स्वतंत्र है कि अमुक कार्यक्रम भारत सरकार के निदेश पर प्रसारित किया जा रहा है। यदि वे चाहें तो ऐसा कह सकते हैं। यह विकल्प निगम पर छोड़ दिया गया है। निगम को सौंपे गए दो दायित्वों पर आपत्ति उठायी गयी है। एक तो यह है कि खण्ड 22 के अन्तर्गत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है और खण्ड 22 (क) के अन्तर्गत सरकार को जानकारी प्रदान करना है। मान लीजिए भविष्य में किसी अन्य तारीख को बोर्ड इन निर्देशों का पालन करने से मना कर दे अथवा सूचना प्रदान करने से मना कर दे, तो भारतीय संसद असहाय नहीं होगी। अत: हमने इस बात की व्यवस्था की है कि ऐसे मामले में संसद की दोनों की दोनों सभाओं में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे कि हमने सूचना मांगी अथवा ये निदेश जारी किए जिन पर ध्यान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति है और हमने मामले को भारतीय संसद पर छोड़ दिया है। कि वह यह निर्णय करे कि उसे भविष्य में क्या कार्यवाही करनी है। जिसमें यह भी सम्मिलित है कि यदि आवश्यक हुआ तो राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर बोर्ड को समाप्त किया जा सकता है।

हमने यहां पर कार्यपालिका की भूमिका को भी समाप्त कर दिया है, निस्संदेह, संसद द्वारा विचार विमर्श तथा चर्चा करने के बाद कार्यवाही करने का कार्य पालिका का है। अत: यह एक और सुरक्षोपाय है, जिसकी व्यवस्था इसलिए की गई है कि कार्यपालिका द्वारा बोर्ड को मनमाने ढंग से समाप्त न किया जाए। मेरी श्री बसंत साठे तथा अन्य लोगों के साथ बहुत ही रोचक चर्चा हुई है तथा हम इस बात पर सर्वसम्मति से कोई राय नहीं बना पाए हैं। उन्होंने भी एक संशोधन रखा है जिसे मैं आशा करता हूं कि वह अन्त में वापस ले लेंगे। यह निगम की परिसम्पत्तियों के बारे में

है। उनका सुझाव यह है कि परिसम्पत्तियां सरकार के पास रहनी चाहिये तथा निगम को पट्टे पर दी जानी चाहिए। महोदय, आप एक स्वायत्तशासी संगठन की स्थापना कर रहे हैं जोकि महत्वपूर्ण सम्वैधानिक कार्य करेगा। कल को यदि वे महसूस करते है कि वह जिन कुर्सियों पर बैठते है वह सरकार की है; तथा सब कुछ सरकार से मिलता है; तथा इनका रखरखाव भी सरकार को करना है तो मैं नहीं समझता कि वह किस प्रकार की स्वायत्तता प्राप्त करेंगे। मैं नहीं समझता कि इसकी लोगों द्वारा प्रशंसा की जाएगी। आपको विश्वास करना होगा। सुझाव यह दिया गया है कि आप इन्हें एक रुपए के लाइसेंस शुल्क पर दें। फिर भी आप सारी परिसम्पत्तियां दे रहे हैं। जब आप उन्हें एक रुपया देते हैं, तो परिसम्पत्तियां उनके ही नियंत्रण में होंगी। यह बात नहीं है कि आप उन्हें अपने पास रख रहे हैं।

इसमें एक समस्या भी है। जब आप एक बार सभी परिसम्पत्तियों को अपने पास रखते हैं तो आप परिसम्पत्तियों को अपने पास रखकर हजारों इन्जीनियरी कर्मचारियों तथा रख-रखाव कर्मचारियों को निगम को कर्मचारी मानकर उनको स्थानान्तरित नहीं कर सकते है। यह कैसे हो सकता है ? जब परिसम्पत्तियां उनके पास हैं, तो उनका रख-रखाव करने के लिए कर्मचारी कहीं और नहीं हो सकते हैं। यह एक विषम स्थिति है। इससे अनावश्यक अड़चन पैदा होगी। हमें उन पर विश्वास करना है। अन्ततोगत्वा, आपको कई सुरक्षोपाय करने है, हम इसके कार्यकरण की निगरानी करने के लिए एक संसदीय समिति गठित करेंगे। हम प्रबन्ध मण्डल में दूरदर्शन के महा-निदेशक को रख रहे हैं। हम संसद से सभी प्रकार का नियंत्रण कर सकते है। आप उन पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते है ? आप यह कल्पना क्यों करते हैं कि प्रसार भारती बोर्ड इन सभी परिसम्पत्तियों को बेच डालेगा मैं ऐसा नहीं समझता। इस आशंका का कोई आधार नहीं है। मैं समझता हूं कि हमे इस निगम को अपेक्षित गरिमा प्रदान करनी चाहिए। निगम की गरिमा को समाप्त मत करिए और और इसे निर्जीव मत बनाइए। मैं नहीं समझता ऐसा किया जाएगा। (व्यवधान) हमे किसमें दे रहे हैं ? इस देश में ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहो है कि जब एक निगम का सृजन किया गया हो और परिसम्पत्तियां सरकार के पास रखी गई हो चाहे वह महानगर टेलीफोन निगम हो अथवा भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जो भी हो। सभी मामलों मे परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण किया गया है और हम इस बात से सहमत नहीं होंगे। यह संशोधन उपयुक्त नहीं है।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : सरकारी क्षेत्र के निगमों में भी 99 प्रतिशत स्वामित्व राष्ट्रपति का तथा 1 प्रतिशत सचिव का होता है। उनके मामले मे भी परिसम्पत्तियां सरकार की होती हैं। परिसम्पत्तियां किसी निगम के पास होने का प्रश्न कैसे आता है ?

श्री पी. उपेन्द्र : हमने ठीक उसी प्रक्रिया का पालन किया है जो महानगर टेलीफोन निगम तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के निगमों के सृजन के समय अपनाई गई थी उससे बाहर जाने का कोई कारण नहीं है।

ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन का उल्लेख किया गया था। बी. बी. सी. में भी, केवल उनके देश से बाहर की परिसम्पत्तियों को छोड़कर सभी परिसम्पत्तियों पर बी. बी. सी. का स्वामित्व है। (व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे। क्या तुम पूंजीपतियों को सारा देश दोगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : केवल बाहरी सेवाओं तथा बाहरी परिसम्पत्तियों पर ही सरकार का स्वामित्व होता है अन्यथा नहीं । तथापि, मैं श्री साठे से भी एक और अपील करता हूं । हम आज एक शुरूआत कर रहे हैं । (व्यवधान) यह विधान का अन्त नहीं है । यदि सभा यह महसूस करती है कि अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाए गए हैं अथवा कुछ किया जाता है और यदि आपको अधिनियम में संशोधन करना है तो आप यह काम भी कर सकते हैं ।

श्री ए. के. राय : राष्ट्रपति समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसलिए, प्रत्येक सरकारी उपक्रम में एक नियमावली तथा एक अन्तर्नियमावली होती है । उसके बाद दो चीज हैं, उनमें यह कहा गया है कि 99 प्रतिशत परिसम्पत्तियों पर राष्ट्रपति का तथा 1 प्रतिशत परिसम्पत्तियों पर सचिव का स्वामित्व होता है । उसका अर्थ है, जो भी बोर्ड होगा वह इसका उपयोग कर सकता है परन्तु वह इसको बेच अथवा नष्ट अथवा उसमें स्थानान्तरण नहीं कर सकता है । अतएव, इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ? (व्यवधान) आखिर वह शुल्क नहीं लगा सकते हैं । यह एक बात है । मैं यह कहना चाहूंगा कि समस्त विधेयक वही है जैसा कि उन्होंने 12 राज्यपालों की भूमिका सहित बी.बी.सी. से प्राप्त किया है । और आपने कहा है कि आप हरेक बात पर स्वतंत्र हैं । प्रत्येक पक्तिबी.बी.सी. की नकल के इलावा कुछ नहीं है और आप यह कहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं । आपके विधेयक में मौलिक विचार नहीं है । परन्तु वह अलग बात है । स्वामित्व के इस मुद्दे का आपके पास क्या उत्तर है । मेरा विचार है कि इस निगम की 99 प्रतिशत परिसम्पत्तियों पर राष्ट्रपति का तथा 1 प्रतिशत पर सचिव का स्वामित्व होना चाहिए । परन्तु बोर्ड इनका संचालन तथा उपयोग करेगा ।

श्री पी. उपेन्द्र : जहां तक सरकार से मिलने वाली निधियों का सम्बन्ध है, हमने खण्ड 9 के अन्तर्गत इस प्रणाली की पहले ही व्यवस्था कर दी है कि निगम को निधियां कैसे दी जाएंगी । निगम अपनी आय तथा व्यय का वार्षिक प्राक्कलन देगा और जो भी घाटा होगा वह उन्हें विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व को घटाकर सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा । निगम के लिए अपेक्षित धनराशि के लिए संसद में मतदान होगा । कुछ मित्रों ने यह सुझाव दिया है कि ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि व्यापारिक विज्ञापनों के माध्यम से अधिक धनराशि कमायी जाए और वैसा व्यापारीकरण वहां प्रवेश कर गया है । वहां विज्ञापनों के माध्यम से अधिक धनराशि कमाने का प्रलोभन हो सकता है । अतः हमने आज एक संशोधन पेश किया है जिसमें निगम द्वारा उपयोग में लाए गए कुल समय में विज्ञापनों की अधिकतम प्रतिशतता निर्धारित करने के लिए सरकार को प्राधिकृत किया गया है । इसलिए वह संशोधन भी मौजूद है (व्यवधान) धन तथा विज्ञापनों के लिए लिया जाने वाले समय दोनों के लिए उपलब्ध की व्यवस्था की गई है । महोदय, संसदीय समिति के लिए हम एक संशोधन लाए हैं ।

श्री एस. कृष्ण कुमार (क्विलोन) : महोदय, मैं स्वामित्व के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । यह कहते हुए कि परिसम्पत्तियों पर स्वयं निगम का स्वामित्व होगा, तो इस प्रश्न पर मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है कि क्या शेयरों पर सरकार का स्वामित्व होगा अथवा निगम का जैसा कि अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में है ? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : कोई शेयर नहीं हैं।

श्री एस. कृष्ण कुमार : तब, इसका क्या सुरक्षोपाय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है। इसमें कोई कानूनी मुद्दा शामिल है। संशोधन पेश करते समय मंत्री महोदय इस कानूनी पहलू पर चर्चा कर सकते हैं। मंत्री महोदय उस समय इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। अब प्रतिक्रिया व्यक्त करना आवश्यक नहीं है।

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, हमने कानूनी प्राधिकारियों से सलाह ले ली है। इस विधेयक में इक्विटी भागीदारी की कोई धारणा नहीं है। इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र मैं संशोधन पेश करते समय इस बात की गुंजाइश छोड़ दे रहा हूं।

श्री पी. उपेन्द्र : ठीक है, महोदय। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक छोटा मुद्दा बचा है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि महत्व में मुद्दों पर, बुनियादी चीजों पर राय हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी बुनियादी बात यह है कि सारे असेट्स आप इनको दे देंगे, कमर्शियल रेवन्यू भी उनके पास रहेगा तो आप सोच लीजिए, अपने भाइयों से भी पूछ लीजिए, पार्टी के लोगों से भी पूछ लीजिए, मैं इसमें पार्टीबाजी नहीं लाना चाहता, लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह से बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो जाएगा, सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। किसी भी पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, यह आप क्या कर रहे हैं, जरा सोचिए। इस तरह से तो कार्पोरेशन का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयम इसे संशोधन पेश करते समय उठाया जा सकता है।

श्री पी. उपेन्द्र : मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन लाया हूं। निगम के कार्यकरण की निगरानी करने के लिए प्रसारण माध्यम सम्बन्धी संसदीय समिति के नाम से मैंने एक संसदीय समिति की व्यवस्था की है जिसमें लोक सभा के 15 तथा राज्य सभा के 7 सदस्य शामिल होंगे। यह भी इस रूप में एक बहुत ही विशेष समिति है कि यदि सामान्यतः इसकी व्यवस्था नहीं की जाती तो निगम सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति या किसी अन्य समिति के अन्तर्गत आ जाता, क्योंकि संसद अस्तित्व में है। परन्तु इसके कार्यकलाप की जांच करने के लिये विशेष समिति की व्यवस्था करके हमने निगम को एक विशेष दर्जा प्रदान किया है तथा हमने इसको भी बहुत अधिक महत्व दिया है। प्रसारण परिषद जोकि निगम की अन्तरात्मा है, द्वारा शिकायतें प्राप्त की जायेंगी। यदि वह निगम के उद्देश्यों का उल्लंघन करती है और उन लोगों, जोकि प्रचार माध्यम के अनुचित व्यवहार को शिकार हैं, से प्राप्त शिकायतों की जांच प्रसारण परिषद करेगी तथा अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी

तथा वे निष्कर्ष प्रसार भारती बोर्ड के पास आयेंगे। यदि वह इनको स्वीकार नहीं करता है तो इन्हें लिखित में देना होगा कि इन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। प्रसारण परिषद एक वार्षिक स्वतंत्र प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह उल्लेख होगा कि इसने किसी विशेष शिकायत पर क्या परामर्श दिये हैं तथा निगम द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है।

श्रीइन्द्र जीत : इसमें यह उपबन्ध करने में क्या कठिनाई है कि प्रसारण परिषद द्वारा पारित कोई आदेश प्रसार भारती द्वारा दूरदर्शन या आकाशवाणी पर प्रसारित करना होगा ?

श्री पी. उपेन्द्र : हमने पहले ही इस सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि इनके निष्कर्षों को दूरदर्शन या आकाशवाणी पर प्रचार माध्यमों द्वारा प्रसारित करना होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, इस संयुक्त समिति के कार्यकरण के नियमों की व्यवस्था कौन करेगा ? यदि ऐसा जिक्र किया गया है तो अधीनस्थ विधान की आवश्यकता होगी, तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा बनाये गये नियमों की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बारे में कुछ चर्चा हुई थी कि इसके बारे में अध्यक्ष द्वारा नियम बनाये जाने चाहिये या नहीं।

श्री पी. उपेन्द्र : लोकसभा नियमों की व्यवस्था करेगी हमने क्षेत्रीय केन्द्रों से संबद्ध क्षेत्रीय प्रसारण परिषद की भी व्यवस्था की है, ताकि क्षेत्रीय केन्द्रों से संबंधित शिकायतों की जांच उसके द्वारा की जा सके। इन केन्द्रों के गठन के संबंध में हम नियमों की व्यवस्था करेंगे इसका प्रतिनिधित्व राज्य सरकार के प्रतिनिधियों अथवा विधायकों द्वारा किया जायेगा इसके बारे में हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। हम यह प्रसारण परिषद पर छोड़ते हैं कि वह अपने नियम स्वयं बनायें।

बहुत से सदस्यों ने कर्मचारियों की भूमिका के बारे में जिक्र किया है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इन प्रचार माध्यमों को चलाने के लिए हमारे पास बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। हमारे पास योग्य व्यक्ति हैं तथा हमने उन्हें अवसर दिया है। वे अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि जब उनको कार्य सौंपा जाता है तो उन्होंने उस कार्य को बहुत अच्छी तरह किया है। वास्तव में हम उनकी सेवाओं को भी मान्यता प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में हमने नयी सेवा भारतीय प्रसारण कार्यक्रम सेवा बनायी है। इसकी भी अधिसूचना जल्दी ही जारी की जा रही है।

निगम अधिनियम लागू होने से पहले हम यह कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों की जो समस्यायें हैं उनको दूर कर दिया जाये जिससे हम संस्था को बिना किसी समस्या के निगम को सौंपे और कर्मचारियों की कोई समस्या बकाया न रहे।

मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि एक उपचारात्मक खण्ड जोड़ा गया है।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : आप यह आश्वासन दें कि जो लोग वहां पर पहले से ही कार्य कर रहे हैं उनको प्रसार भारती आने के बाद हटाया न जाये।

श्री पी. उपेन्द्र : नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। उसके अन्तर्गत किसी को हटाया नहीं जा सकता

जो भी आना चाहेगा, उसको लिया जायेगा। यह नियम है जिसका हमने विधेयक में उल्लेख किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक में दिया गया है।

श्री पी. उपेन्द्र : पहले श्री चिदम्बरम द्वारा एक संशोधन दिया गया है जिसको कि वह एक दूसरे संशोधन से बदलने पर राजी हो गये हैं, अर्थात केन्द्र सरकार को ये शक्तियां दी जायें निजी व्यक्तियों या संगठनों को प्रसारण सेवायें प्रारम्भ करने के लिए लाइसेंस दिया जाये। महोदय, मैं नहीं समझता कि देश की वर्तमान स्थिति में निजी व्यक्तियों को इस प्रकार का लाइसेंस देना वांछनीय होगा या नहीं। वे प्रतियोगी चैनल हैं, प्रतियोगी सेवायें हैं, प्रतियोगी संगठन हैं। मौके अच्छे हो सकते हैं परन्तु आज ऐसा कौन कर सकता है बड़े उद्योगपति तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस काम को शुरू करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगा सकती हैं और साधारण लोग तथा छोटे संगठन ऐसा नहीं कर सकते। अतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा बड़े उद्योगपतियों के विरुद्ध वह जो विरोध कर रहा है वह इस संशोधन द्वारा पुनः आ जायेगा। अतः हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं।

एक और कारण भी है। तार अधिनियम, 1885 में ऐसी ही एक व्यवस्था है। यदि सरकार चाहे तो वह किसी मान्यता प्राप्त संगठन को अनुमति दे सकती है। अतः मुझे खुशी है कि उन्होंने वह संशोधन भी वापस ले लिया है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने इसे वापस नहीं लिया है।

श्री पी. उपेन्द्र : वह उसे एक दूसरे संशोधन से बदलने को तैयार हो गये हैं।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह विधेयक का अन्तिम रूप नहीं हो सकता। यह सर्वसम्मति के परिणामस्वरूप आया है। यह हमारे विचारों अर्थात मूल विचारों के अनुरूप नहीं हो सकता। जैसाकि मैंने पहले बता दिया है कि हम महत्वपूर्ण विधेयकों पर अधिक से अधिक सर्व-सम्मति चाहते हैं। कुछ खण्डों और कुछ उपबन्धों को अस्वीकार करना होगा। हम शुरुआत कर रहे हैं, और एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। शायद इस संसद को इस अधिनियम पर भविष्य में कई बार विचार करना पड़े। हम सारी सम्भावनाओं को नहीं देख सकते हैं। अतः संसद सर्वोच्च है। हम एक संसदीय समिति की व्यवस्था कर रहे हैं। जब भी आप किसी उपबन्ध के बारे में कोई कठिनाई महसूस करें, तो संसद इसमें संशोधन करने के लिए स्वतन्त्र है। अतः आज मैं केवल यही अपील करूंगा कि आज हम इस विधेयक को बिना किसी संशोधन पर जोर दिये सर्वसम्मति से पारित करें। तथा मत विभाजन भी न हो अतः देशवासियों को यह पता लगे कि हम स्वायत्तता की अवधारणा में एकमत हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ अन्य मामलों का भी जिक्र किया है। मैं उठायी गयी छोटी-मोटी बातों का उत्तर देकर सभा का माहौल खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमन्त्री को दिए गए अधिक समय तथा अन्य बातों का जिक्र किया है। मैं उन सब बातों का उत्तर नहीं देना चाहता हूं। मैं इसका उत्तर देने के लिए कोई और अवसर देखूंगा। समाप्त करने से पहले मैं श्री बी. जी. वर्गीज का अन्य समितियों समेत सभी समितियों को

एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं जिन्होंने स्वायत्तता के इस पहलू पर विचार किया है और जिन्होंने अच्छे प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। मैं अपने वरिष्ठ मित्र, श्री आडवाणी का जिन्होंने विधेयक तैयार करने में मेरी सहायता की थी, का भी आभारी हूं तथा अधिकांश उपबन्ध उनके मूल विधेयक से लिए गये हैं। मैं उनका इसलिए भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सलाह दी है। मैं श्री कृष्ण कुमार की इस बात से सहमत हूं कि हम संगठन और ढांचे बना सकते हैं परन्तु उसकी अन्ततः सफलता उन लोगों पर निर्भर करती है जो उसे चलेंगे। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। संसद या कोई और केवल संगठन बना सकते हैं। परन्तु बाद में वे क्या करेंगे यह इसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर निर्भर करेगा। मुझे आशा है कि वे इस स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुये, संसद तथा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

आज भारतीय प्रजातन्त्र के इतिहास में खुशी का दिन है। यहां सब जानते हैं कि किसी भी शासन काल के लिए किसी अधिकार से अलग होना कितना मुश्किल है। यह अधिकार एक मूल्यवान परिसम्पत्ति है, और एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिससे सरकार देश के हित में तथा लोकतान्त्रिक परम्पराओं के हित में, अलग होने को तैयार है। ऐसा करके हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा को पूरा कर रहे हैं जोकि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने की थी। सरकार तथा समर्थन देने वाले सभी दलों को इसका श्रेय है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जोकि मुख्य विपक्षी दल है, इस विधेयक को समर्थन दे रही है।

मैं उनसे पुनः अपील करता हूं कि वे इस समय केवल उन संशोधनों, सर्वसम्मति से जो सरकारी तौर पर पेश किए गए हैं को छोड़कर कोई और संशोधनों के लिए दबाव न डालें और शेष संशोधनों को भविष्य में निर्णय लिए जाने के लिए छोड़ दें तथा संसद किसी उपयुक्त दिन को उन पर पुनः चर्चा कर सकती है।

श्री बसंत साठे : महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

इससे पहले कि आप इस महत्वपूर्ण मन्त्रालय के मन्त्री के रूप में अपने कृत्य का समापन करें क्या आप एक चीज को ठीक करेंगे। आज ही मैंने आपकी भिक्षुक बस्ती जहां स्वयं श्री पासवान गए थे और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कई बातें कही थीं, में रहने वाले लोगों की स्थिति के बारे में अलग द्वारा तैयार किया गया एक कार्यक्रम देखा है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती। आप स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। आप इतने अच्छे कार्यक्रम को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं और दूरदर्शन पर दिखाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ? आप अपना पद त्याग करने से पहले क्या आप इस कार्यक्रम को दिखाएंगे ? यह स्वायत्तता की एक अच्छी बात है जिसे आप कर सकते हैं। आपने श्री पासवान की बात का पूर्णतया सम्पादन किया है। आपने सम्पूर्ण कार्यक्रम का संपादन किया है (व्यवधान)।

श्री इन्द्र जीत : मैं एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। उन्होंने बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल का विशेषरूप से जिक्र नहीं किया है। क्या हम अभी भी 6 वर्ष का कार्यकाल करने जा रहे हैं जब कि आम तौर पर हरेक जगह कार्यकाल यहां तक कि सेना के प्रमुख तथा अन्य का कार्यकाल 3 वर्ष है ? चूंकि अधिकांश सदस्यों ने यह तर्क दिया है, इसलिए यदि आपका ऐसे संशोधनों तथा

प्रबन्धकों जो अच्छे नहीं हैं, के साथ छः साल तक काम करना पड़े तो वह काम तो हो लिया हम यह कार्यकाल 3 वर्ष क्यों नहीं रखते हैं ? मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : यह अच्छी बात है कि माननीय मन्त्री ने हमारे सुझाव पर अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है । यह उनके लिए लाभप्रद रहा है परन्तु जहां तक स्थायी सदस्यों के कार्यकाल का सम्बन्ध है, यह छः वर्ष रखा गया है । मान लीजिए, कोई व्यक्ति, जिसे हम नहीं चाहते हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें विस्तार से अपनी बात नहीं कहनी है ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह छः साल का कार्यकाल परेशानी पैदा करने वाला होगा। (व्यवधान) हम—श्री इन्द्रजीत और अन्य ने 3 वर्ष के कार्यकाल का सुझाव दिया है । इसलिए, मन्त्री महोदय को इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करनी चाहिए । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज, आप एक ही समय पर सभी मुद्दे नहीं उठा सकते । आपने वह मुद्दा उठा लिया है । हम वह भाषा समझते हैं । कृपया बैठ जाइए । (व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : उन्होंने यह बात नहीं सुनी है ।

श्री पी. चिदम्बरम : यद्यपि मैं संशोधनों के लिए दबाव न डालने की श्री उपेन्द्र की अपील की सराहना करता हूं, फिर भी, वास्तव में यह सम्भव नहीं है, क्योंकि उनके अपने संशोधनों अर्थात् उनके संशोधन संख्या 371, 373 और अब 396 के बारे में संशोधन हैं । किसी तरह एक होकर श्री निर्मल चटर्जी और मैंने संयुक्त रूप से उनके संशोधन सं. 396 का संशोधन दिया है । इसलिए वह यह नहीं कह सकते कि हमें संशोधनों के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए । इन संशोधनों पर चर्चा की जाती है । उदाहरण के तौर पर जब संसद एक ऐसा कानून पारित करती है जिसमें ऐसा खण्ड शामिल हो जिसमें यह कहा गया हो कि संसद की एक संयुक्त समिति होगी, किसी व्यक्ति को नियम बनाने हैं । यह एक त्रुटि है । आपका विधि मन्त्रालय आपको ये सब बातें बताएगा । हम यह जानते हुए कोई कानून पारित नहीं कर सकते हैं कि वह गलत है । हमें एक खण्ड अर्थात् 12 क रखना होगा जिसमें यह कहा गया होगा कि नियम माननीय अध्यक्ष द्वारा बनाए जाएंगे ।

श्री निर्मल चटर्जी और मैंने एक संशोधन दिया है । उनके लिए यह कहना सही नहीं है कि हमें अपने संशोधनों के लिए दबाव नही देना चाहिए । हम कुछ संशोधनों पर चर्चा करने के लिए कहने जा रहे है । उनके संशोधनो के कुछ संशोधन हैं ।

महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनके द्वारा जल्दी करने पर विधेयक को पारित कराने में जल्दी न करें । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरी ओर इंगित किया गया है, उनकी तरफ नहीं ।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता था कि

रिजनल लैंगुएज और कल्चर का प्रचार करने के लिए और लोगों को आजादी का हक हासिल करने के लिए सेपरेट चैनल की बात बहुत से सदस्यों ने की थी। उसके मुतल्लिक इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है कि यह काम सरकार अपने हाथ में लेगी या जो बोर्ड बनेगा वह इस पर फैसला करेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी जो इस प्रकार है :—

"परन्तु कि कम से कम एक गवर्नर···अब सदस्य···एक महिला होगी।"

(व्यवधान)

इसका अर्थ केवल एक ही नहीं है। इसे स्पष्ट कर देना चाहिए। मैं नहीं जानती कि मन्त्री महोदय कहां हैं। (व्यवधान)

मैं महिलाओं के प्रति दिखाई गई मित्रता तथा एकता की प्रशंसा करती हूं। मैं अपने पुरुष साथियों द्वारा महिलाओं के प्रति दिखाई गई एकता की प्रशंसा करती हूं।

6.00 म.प.

मैं इसे पुन: प्रस्तुत करना चाहती हूं क्योंकि मन्त्री महोदय मेरी बात नहीं सुन रहे थे, वह यहां नहीं थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने अपने संशोधन की एक सूचना दी थी। मैं चाहती हूं कि बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए। (व्यवधान) उन्होंने मुझे जबानी बताया कि नियमों में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : हम नियमों में इसकी व्यवस्था कर देंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि सदस्यों द्वारा कई संशोधन दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि आपको अपने संशोधन का बेहतर जवाब मिल गया होगा। सम्भवत: सभी सदस्य उन मामलों को उठाना चाहते हैं जिनका जिक्र संशोधनों में किया गया है। इसलिए मैं अब इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा। और यदि मन्त्री महोदय आपके सुझावों का उत्तर देना चाहते हैं तो मैं उन्हें ऐसा करने के लिए एक अवसर दूंगा। अन्यथा हम कार्यवाही आगे करते हैं।

श्री बसंत साठे : अब हमें सभा की कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए। हम विधेयक कल पारित करेंगे। हम आज देर तक बैठने के लिए सहमत नहीं हैं। हम आज मतदान नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम् : हम चाहते हैं कि मतदान कल होना चाहिए।

श्री वसंत साठे : हमें अपने संशोधनों पर बोलना है। कई सदस्य अपने संशोधनों पर बोलना चाहते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : इस विधेयक को हम कल पारित कर देंगे।

श्री वसंत साठे : आप सदस्यों से अपने संशोधनों पर बोलने के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। यह एक मौलिक अधिकार है। अपने संशोधनों पर बोलना सदस्यों का व्यक्तिगत अधिकार है। इसे कैसे छीना जा सकता है ? यद्यपि आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : हम आपको अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। फिर समस्या क्या है ?

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : कृपया इसे कल कर लें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जितने संशोधनों का नोटिस दिया था, उसी सन्दर्भ में हमने अपने भाषण भी दिये हैं। साठे जी की यह बात सही है कि जिसने संशोधन दिये हैं, उन पर उन्हें बोलने का अधिकार है। हमने इस विषय पर औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा की और जो कानून होते हैं, उस पर की है : मेरा साठे जी से और अन्य साथियों से निवेदन है कि पिछले कई दिनों से यह निश्चित करते आये हैं कि हम आज इस पर वोटिंग करेंगे। कल भी निवेदन किया था।

श्री वसंत साठे : हमने कभी नहीं कहा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कल भी किया था। उपाध्यक्ष जी, मैं अपील करता हूं कि यदि आप नहीं चाहेंगे तो वोटिंग नहीं होगी लेकिन फिर भी कहूंगा कि जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सबने चर्चा की है, उसी को देखते हुए इस विधेयक को पास करें। अगर हमें इस पर और चर्चा करनी ही है तो दो घण्टे और बैठ सकते हैं और पास कर सकते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री वसंत साठे : आडवाणी जी, मेरी आपसे अपील है। हम लोगों में भी.... उपाध्यक्ष जी, मैं आप सब भाईयों से, हमारे मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं कि । सभी भाईयों और बहिनों से, सब सदस्यों से यही अपील करना चाहता हूं।

सभी माननीय सदस्यों से मैं यह अपील करना चाहता हूं कि इस प्रसार भारती बिल पर 400 से ज्यादा अमेंडमेंटस मूव हुए हैं और हमारी ओर से जिन्होंने भी ये अमेंडमेंटस मूव किए हैं, सभी को अपनी-अपनी अमेंडमेंटस पर बोलने का अवसर नहीं मिला है। (व्यवधान) मैं यहां किसी से कोई बात छिपाना नहीं चाहता। हमने उनसे कहा है कि आप को अपनी अमेंडमेंटस पर बोलने का अधिकार मिलेगा क्योंकि यह आपका कानूनी अधिकार है कि आप अपनी अमेंडमेंटस पर बोलें।

[अनुवाद]

इसलिए, आप संशोधनों पर बोलने के अपने अधिकार की रक्षा कीजिए।

[हिन्दी]

अब, आज यदि हम उनसे यह कहें कि आप इस बिल को रख करके पास करने दीजिये और उनको बोलने न दिया जाये तो हमारे लिये बड़ी मुश्किल हो जायेगी और ऐसा करना उनके साथ अन्याय होगा, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूं। (व्यवधान) दूसरी बात यह है कि हमारे सामने एक ओर मजबूरी है, दूसरे हाउस में भी हमने कहा है, और यहां भी मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता कि हमारी वर्किंग कमेटी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग अभी शाम 5.00 बजे से हो रही है। हमने कहा है कि इस हाउस के चलते 6.00 बजे से पहले हमारा उस मीटिंग में जाना मुश्किल होगा, हम 6.00 बजे तक हाउस में रहेंगे। अब हमें वहां जाना है। उस मीटिंग में मण्डल आयोग के सम्बन्ध में चर्चा होनी है इसलिये मेहरबानी करके 6.00 बजे के बाद, हमें जाने दीजिये, हम बैठ नहीं पायेंगे, यह हमारी दिक्कत है, आप इसे समझिये और कल इस बिल को ले लीजिये, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। (व्यवधान) हो नहीं सकता, भाई।

[अनुवाद]

हम लोग अब सहयोग करना चाह रहे हैं। कृपया आप हमें उलझन में न डालें।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप इस ओर भी ध्यान देंगे ? हम लोग इस विधेयक पर बहुत हद तक एक आम सहमति लाने में सफल हुए हैं। मेरा विश्वास है कि अब उनके दृष्टिकोण के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण संशोधन एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सिर्फ वे ही नहीं, हम भी ऐसा ही चाहते थे।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : ठीक है, सभी ऐसा ही चाहते थे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उनके द्वारा वांछित संशोधनों में यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था और इसे मान लिया गया था। मंत्री महोदय ने भी यह संकेत दिया है कि चूंकि हमारे लिए यह एक बिल्कुल नया काम है इसलिए यह आवश्यक है कि वर्तमान संसदीय समिति के साथ इसे प्रथम कदम उठाने के रूप में लिया जाए। जरूरत के मुताबिक और संशोधन अथवा अपने अनुभवों के द्वारा आवश्यक परिवर्तन संसदीय समिति तथा संसद के द्वारा किए जा सकते हैं। अतः मेरा उनसे निवेदन है कि वे इस समय इसके बारे में इतने अधिक चिंतित न हों। यदि आप चाहें तो इस बारे में हम मंत्री महोदय के साथ 15 मिनट तक चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान)

अतः मेरा निवेदन है कि आज इस विधेयक को पारित होने दीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। यह महत्वपूर्ण वाद-विवाद, जो सोमवार को होना था, पर बुधवार के लिए किया गया है और हम लोग सभी मुद्दों के करीब निश्चित पहुंच सके हैं। अतः मैं आप सब से और उपाध्यक्ष महोदय से भी अपील करता हूं कि इस पर आज फैसला हो जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो इस पर चर्चा करके इसे पारित किया जा सकता है।

डा. दत्ता दुबे (कक्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको अन्य दलों के विचारों को भी सुनना

चाहिए। आपको हम लोगों की बात भी सुननी चाहिए। श्री राय द्वारा उठाये गए पहले सवाल का मंत्री महोदय ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। आप किसी सदस्य के संशोधनों पर बोलने के अधिकार को भी नहीं छीन सकते हैं। आपको सदस्यों को पर्याप्त समय देना है। आपको सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय देना चाहिए। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सदस्यों को और ज्यादा समय दें और यदि आप ऐसा करने को तैयार हैं तो हम आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। अन्यथा, जब सदस्य अपने संशोधनों पर बोलने के इच्छुक हों तो आप इस तरह से कार्यवाही को आगे नहीं चला सकते हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। परन्तु पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा स्थापित की गयी परम्पराओं के अनुसार हर कानून जो महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक हो को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए था। हम लोगों ने इस विधेयक के साथ जल्दबाजी की कोशिश की है और मैं समझता हूं कि हमें जल्दी ही इस पर लम्बी चर्चा करनी होगी। किसी भी स्वस्थ प्रजातंत्र में हरेक महत्वपूर्ण कानून को किसी प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए। अतः हमें इसके साथ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक मिनट का समय इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि कुछ बातों का स्पष्टीकरण होना ही चाहिए। ताकि इससे नियम बनाने वालों को मदद मिल सके। यही कारण है कि यहां स्पष्टीकरण की प्रणाली मौजूद है। इसलिए मैंने आपसे कुछ समय मांगा है। स्पष्टीकरण चाहने वालों को कम-से-कम पांच से दस मिनट का समय दिया जाना चाहिए··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको समय दे दिया है।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक महान, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है। उपेन्द्र जी ने ठीक ही कहा है कि कोई भी सरकार सूचना एवं प्रचार को अपनी शक्ति से बाहर होने देना नहीं चाहेगी, और पहले वाली सरकार के लिए ऐसा चाहने का तो कोई सवाल ही नहीं था। प्रजातन्त्र को सुरक्षित रखने की दशा में यह एक सही कदम है। मैं सिर्फ दो बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा। यह बहुत अच्छी बात है कि मंत्री महोदय ने निदेशक मण्डल (बोर्ड) में दो श्रमिकों को भी सदस्यता का प्रावधान रखा है। मैं जानना चहता हूं कि वे सदस्य श्रमिकों की पंजीकृत (रजिस्टर्ड) ट्रेड यूनियनों के सदस्यों में से या सामान्य श्रमिकों में से निर्वाचित किए जाएंगे। यदि वह इस बात का जवाब न दे सकें तो वह यह तो कह ही सकते हैं कि नियमों में इसकी व्यवस्था होगी क्योंकि श्रमिक दो तरह के हो सकते है एक तो वह जो पंजीकृत ट्रेड यूनियनों से जुड़े हैं और दूसरे वह जो इनसे नहीं जुड़े है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये दो प्रतिनिधि ट्रेड यूनियनों से चुने जाएंगे या सामान्य श्रमिकों में से।

मेरा दूसरा मुद्दा संपत्ति के स्वामित्व के बारे में है, जिसे श्री साठे ने भी उठाया है। मैं मात्र यह जानना चाहता हूं कि क्या यह एक मुनाफा कमाने वाला निगम होगी और क्या आप इससे मुनाफा कमायेंगे ? महोदय, वे कंपनी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत सरकारी क्षेत्र की सभी कंपनियां मुनाफा कमाती है। परन्तु यहां मैं समझता हूं कि कोई मुनाफा नहीं कमाया जाएगा। यह मात्र आदिवासी निगम या जिला ग्रामीण विकास निगम की तरह एक बिना मुनाफे का निगम है। यदि

मुनाफे जैसी कोई बात ही नहीं है तो ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इस संपत्ति को बेच कर चला जाएगा । मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालें ।

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, यह कहना गलत होगा कि विधेयक के साथ जल्दबाजी की जा रही है । मैंने इस विधेयक को पहली बार 29 दिसम्बर को पुन: स्थापित किया था (व्यवधान) पिछले आठ महीनों से हर किसी ने इस पर विस्तार से चर्चा की है (व्यवधान) संसद में भी हम चार या पांच दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं । इसके लिए हमने आठ घंटे का समय दिया था । हम अभी तक कुल बारह घंटे चर्चा कर चुके हैं और यदि आवश्यक हुआ तो हम 2 घंटे और चर्चा करने के लिए तयार हैं । मैं उनके द्वारा उठाए गए हर मुद्दे का जवाब दूंगा और उन्हें अपने संशोधनों पर बोलने दें । मैं उनसे इस विधेयक को आज पारित करने का आग्रह करूंगा । उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे यह लगे कि वे इस विधेयक पर बेमन से अपना सहयोग दे रहे हैं । क्योंकि अंतत: ऐसी धारणा बन सकती है । मैंने सोचा था कि मैंने श्री साठे जी को अपनी बात समझा दी है । यदि वह फिर ऐसा कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : कृपया ऐसा आरोप न लगायें ।

श्री पी. उपेन्द्र : मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप ऐसा कुछ न करें जिससे यह लगे कि आप इस विधेयक पर बेमन से सहयोग कर रहे हैं और इसे पारित करने के लिए आपको मजबूर किया गया है । इस विधेयक को आज ही पारित करना चाहिए । महोदय, आप इस मामले में सभा की सहमति ले सकते हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :मैंने सभा की कार्यवाही का समय डेढ़ घंटा और बढ़ा दिया था और इस मामले पर सभा में चर्चा हो गई थी । अब यह निर्णय लेना सभा पर निर्भर करता है कि क्या आप कुछ और समय चर्चा करना चाहते हैं या आप इस विषय पर कल चर्चा करेंगे । मैं इस मामले पर सदस्यों को नियमानुसार कार्य करने की छूट देता हूं ।

श्री पी. उपेन्द्र : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आज सभा की कार्यवाही के समय को विधेयक के पारित होने तक बढ़ाया जाए । (व्यवधान)

प्रो. पी जे. कुरियन (मवेलिकरा) : मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम किसी दबाव में आकर विधेयक का समर्थन नहीं कर रहे हैं । हम इस विधेयक का समर्थन इसलिये कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी बातें जो हमने उठायी थीं उनको इस विधेयक में शामिल कर लिया गया है । इतने अधिक समझौते के बाद हम केवल एक ही संशोधन के लिये कह रहे हैं । हम मत विभाजन के लिये भी नहीं कह रहे हैं । जब हम सहयोग करते हैं तो इसी तरह का सहयोग दूसरे पक्ष से भी मिलना चाहिये । हम सहयोग कर रहे है, और हम उनसे भी सहयोग का अनुरोध कर रहे हैं । हमारे दल का निवेदन है कि इसे कल पारित किया जाना चाहिये ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं समझता हूं कि श्री उपेन्द्र जी ने परसों से लेकर जो इनीशिएटिव लिया और सब लोगों से मिलकर, बैठकर जिस प्रकार से संशोधन किए हैं, उसके बाद इस बिल के अन्तिम स्टेज पर ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें मत विभाग हो जाए, यह मैं उचित नहीं

समझता हूं। इसलिए मैंने साठे जी, चिदम्बरम जी से और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं से बात की, उन्होंने मुझे यह कहा कि हम यह चाहते हैं कि हमको कल 2 और 3.00 बजे के बीच कुछ स्पष्टीकरण पूछने का अवसर मिले . भाषण नहीं होंगे। हम किसी भी संशोधन पर किसी भी प्रकार का मत विभाजन नहीं करना चाहते हैं। मैं उपेन्द्र जी से अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इस कथन के बाद हमको इस बात पर बल नहीं देना चाहिए और कल एक बजे से लेकर हम इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करें, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के इस आश्वासन के आधार पर मैं उनसे अपील करता हूं कि अभी इस पर आग्रह न करें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह बहुत ही अव्यवहारिक प्रस्ताव है। शून्य काल क्या होगा ?

श्री संतोष मोहन देव : शून्य काल तो होगा पर भोजन काल नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि कोई वचन देते हैं उस वचन के आधार पर मैं अपील कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि कल कोई जीरो आवर नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : शून्य काल के दौरान वे अपनी बातों को उठाने के लिये विवश हैं। उनका उनके सदस्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

श्री कावम्बुरम एम. आर. जनार्दनन (तिरुनेलवेली) जब वे आठवीं लोक सभा में विपक्ष में थे तब क्या उन्होंने इस प्रकार का सहयोग एक बार भी दिया था ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : विभिन्न पार्टियों के बीच बातचीत के बाद जो भी सर्वसम्मत राय बनी वह अब संशोधनों के रूप में व्यक्त की गयी है तथा नवीनतम संशोधन का सुझाव श्री उपेन्द्र द्वारा दिया गया है। एक या दो छोटी-मोटी बातें हो सकती हैं। परन्तु सभी सर्वसम्मत संशोधन श्री उपेन्द्र के नाम पर हैं। अतः मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उन संशोधनों पर अन्य लोग बोलने के अधिकार का दावा कैसे कर सकते हैं। अतः ये स्वीकृत संशोधन हैं तथा हमें इन्हें केवल औपचारिक रूप से स्वीकार करना है। अतः इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। यह किसी के द्वारा विधेयक को पारित करने की वचनबद्धता का सवाल है। आज ही इसे खुशी का दिन तथा एतिहासिक दिन बना देना चाहिए। रोजाना हम चर्चा तथा मतदान की तारीख को आगे बढ़ा रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं जिन्हें पारित करना है।

श्री एस. कृष्ण कुमार : हमें खुशी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये बहुत से संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। परन्तु कुछ सवाल तथा स्पष्टीकरण बाकी है। उदाहरणार्थ, मैं विदेशी ब्रांडकास्टिंग के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं जिसका निर्धारण, निगरानी तथा नियन्त्रण सरकार के पास रहना चाहिये। इसी प्रकार कुछ और स्पष्टीकरण माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जा सकते हैं। सर्वसम्मति होने पर हमें इस भावना को बनाये रखना चाहिये इन स्पष्टीकरणों की अनुमति दे देनी

चाहिये तथा विधेयक को पारित कर देना चाहिये। हम असहयोगवादी नहीं हैं। हम सहयोग कर रहे हैं।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय, हम सर्वसम्मति के बारे में इतना कुछ सुन रहे हैं। जिसके बारे यह कहा गया है कि इस पर सहमति हो गयी है। करीब 64 संशोधन हैं जोकि अभी-अभी परिचालित किये गये हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि किस बात पर सर्वसम्मति हो गयी है। मेरी पार्टी से किसी भी सर्वसम्मति के लिये विचार-विमर्श नहीं किया गया है। संशोधनों पर हमारे विचार हैं और मैंने अनेक संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मैं समझता हूं कि पिछले तीन चार दिनों से सरकार तथा कुछ दलों के बीच सर्वसम्मति की बात हो रही है। यह अच्छा होगा कि सर्वसम्मति पर आने के लिये सभी पार्टियों से विचार विमर्श कर लिया जाये। क्या यह इसलिये है कि मेरी पार्टी श्री उपेन्द्र की पार्टी के मुकाबले बहुत छोटी है, तथा उसके इस सभा में केवल दो सदस्य हैं। तथा क्या इसी कारण मुझसे विचार विमर्श नहीं किया गया है। मेरी एक विनम्र सुझाव है, या तो मुझे सभी संशोधनों पर बोलने दिया जाये या मेरे साथ विचार-विमर्श किया जाये। मैं सुझाव देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विधेयकों तथा मामलों पर भविष्य में छोटे से छोटे गुट के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिये।

डा. तम्बि दुरै : यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। हम इस पर पूरा सहयोग देना चाहते हैं, तथा यह चाहते हैं कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जाये। हमारी पार्टी लोक सभा में बड़ी पार्टियों में से एक है तथा आपको हमें भी पर्याप्त समय देना चाहिये। 6.00 बजे से अधिक का समय बढ़ाने की बात को बहुमत की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए सर्वसम्मति होनी चाहिये। जब कांग्रेस जैसी पार्टी समय बढ़ाने की बात पर आपत्ति करती है, तो इसका मतलब यह है कि सर्वसम्मति नहीं है। अतः श्री उपेन्द्र के समय बढ़ाने के प्रस्ताव को केवल बहुमत के आधार पर ही पारित नहीं कर देना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सर्वसम्मति का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल सर्वसम्मति हो गयी है।

श्री पी. उपेन्द्र : मैं कांग्रेस पार्टी के तर्कों को वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं। महोदय, हमने सभी मुद्दों पर तीन-चार बार चर्चा कर ली है तथा सभी मुद्दों पर पूर्ण सहमति है। मैं छोटे दलों की शिकायतों को समझ सकता हूं, जिनसे दुर्भाग्यवश, मैं विचार विमर्श नहीं कर पाया। यदि उन्होंने संशोधन दिये हैं तो उन्हें बोलने का अधिकार है। परन्तु मेरे समझ में कांग्रेस पार्टी की बात नहीं आ रही है कि 340 संशोधन हैं और उन सब पर चर्चा होनी चाहिए। तो सहमति क्या हुई ? केवल 340 संशोधनों पर ही हमने सहमति की है।

दूसरे संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मुझे कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ है। वह जो भी सहमति करते हैं, उस पर कायम नहीं रहते हैं। (व्यवधान)

महोदय, आप गवाह हैं कि एक सहमति हुई थी, कि वह देर तक बैठेंगे और इसे समाप्त कर देंगे परन्तु उन्होंने किसी के द्वारा गणपूर्ति का मामला उठा दिया था। आज उन सभी ने मुझे आश्वासन दिया था कि जितना भी समय लगेगा वह बैठेंगे और विधेयक को पारित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : महोदय वह**आप कह रहे है** । हमने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था कि हम आज ही पारित कर देंगे । आप** (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, हमने सात बजे तक बैठने की सहमति दी थी । हमने सात बजे के बाद तक बैठने की सहमति नहीं दी थी । वह ** कल कोई सहमति नहीं हुई थी । हमने केवल सात बजे तक समय बढ़ाने पर सहमति दी थी । सात बजे के बाद समय हमारी जानकारी और सहमति बिना बढ़ाया गया था इसमें कोई सहमति नहीं थी । वह सच नहीं बोल रहे हैं······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, कृपया शांत रहें ।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : आप कांग्रेस के अनुभव की बात कर रहे हैं । आप क्या बात करते हैं ? आप कांग्रेस के बारे में क्या जानते हैं ?··· (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, इनसे असंसदीय शब्दों को वापस लेने के लिए कहिये । (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मैं वापस नहीं लूंगा । आप जो चाहे करिये । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । श्री साठे, कृपया ···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, आप दल के सचेतक हैं । मैं बोल रहा हूं और आप खड़े हो रहे हैं । आपने अपनी बात कह दी है ।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : बैठक के समय में वृद्धि हमेशा सर्वसम्मति से होनी चाहिए । अभी कोई सहमति नहीं है···(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : श्रीमन् नियम 376 के अधीन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सामान्यतया सभा 6 बजे स्थगित हो जाएगी । अभी श्री उपेन्द्र ने सुझाव दिया है कि हमे देर तक बैठना चाहिए ।··· (व्यवधान) । कांग्रेस पार्टी कल के लिए और समय चाहती है । (व्यवधान, मेरी बात सुनिए । हम आपका विनिर्णय चाहते हैं लेकिन कृपया आप मेरी बात सुनिए । वह इस बार कार्यसूची में है । श्रीमान, आमतौर पर यह सभा छः बजे स्थगित हो जाएगी । श्री उपेन्द्र ने सुझाव दिया है कि हमें देर तक बैठना चाहिए लेकिन कांग्रेस का विचार और अधिक समय मांगने का है । भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री आडवाणी, ने कुछ कहा है । उन्होंने श्री उपेन्द्र से अपील की है । इसलिए सभा की राय यह है कि अब हमे सभा स्थगित कर देनी चाहिए और जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत नहीं किये है वे कल संशोधन प्रस्तुत कर सकते है, यह सभा की धहराय है । हमने संशोधन प्रस्तुत नहीं किए हैं,

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कारंवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

इसलिए हम उस समय संशोधन प्रस्तुत करेंगे। श्री उपेन्द्र को सभा का वातावरण खराब नहीं करना चाहिए (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं बोल रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसकी ओर आप ध्यान देंगे। श्री कुरियन, आप एक सचेतक हैं, आप शान्ति बनाए रखें....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी असंसदीय शब्द बोले गए हैं वे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिये जायेंगे। एक मुद्दा तो यह है। दूसरा मुद्दा यह है कि मैं सभा के सभी सदस्यों को विधेयक में इतनी अधिक रूचि लेने के लिए, बधाई देना चाहता हूं। मेरे विचार से सरकार ने एक अच्छा कार्य किया है। संसदीय कार्य मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने जिस दबाव में यह कार्य किया है, उसी की वजह से उन्हें यह देखना है कि कार्य संपन्न हो। इसके साथ ही मैंने यह भी कहा है कि सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय मिलना चाहिए और हमें इन दोनों के बीच संतुलन रखना है। वरिष्ठ सदस्य श्री आडवाणी जी ने कहा है कि हमें कोई समझौता करना चाहिए और जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है उसे हमें बनाए रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि श्री उपेन्द्र इस बात पर विचार करेंगे और समुचित ढंग से इस पर अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या श्री आडवाणी भी इस बात पर कायम हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां। (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : कोई शून्य काल नहीं। (व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने अपील की थी सरकार से, कि साठे जी और चिदम्बरम जी से उन्होंने जो मुझे कहा था, उसके आधार पर और उस समय जो बात कही थी उसका इम्प्लीकेशन ये था कि कल जीरो ओवर वगैरह कुछ नहीं होगा और 12 और 1 बजे के बीच में हम इस विषय को प्राथमिकता दे करके पूरा करेंगे। (व्यवधान) मैंने जो भी शब्द कहे, एक-एक शब्द मैंने तोल करके कहा और इसीलिए जिस समय संतोष मोहन देव जी ने एक को दो कर दिया तो मन में थोड़ी चिन्ता हुई। (व्यवधान) आप मेरी बात पूरी होने दीजिये क्योंकि मुझ से कहा गया है कि मैं फिर से अपनी बात कहूं इसलिए मैं फिर से उस बात की हिमायत कर रहा हूं मैं प्रसार भारती विधेयक को बहुत महत्व देता हूं और मैं मानता हूं कि अगर सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ तो उसका अपना महत्व है और अगर उसमें मत विभाजन हुआ तो उसका अपना महत्व है। शायद किसी को लगा कि इसी में फायदा है, मुझे नहीं लगता कि देश के लिये अच्छा होगा, एक अच्छा संकेत होगा कि ये नया प्रोग्राम जो देश करने आ रहा है, उसको सब मिल करके करने आ रहे हैं। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आज हमारी मार्क्सवादी पार्टी ने इसका विरोध किया कि आज ही यह बिल पास होना चाहिए। उनका भी अपना मत है, उसी प्रकार से शायद सरकारी दल की भी कुछ राय होगी। मैं इस बात पर बल दूंगा कि अब रेसपोंसिबिलटी कांग्रेस पार्टी की हो जाती है कि

कल उसे दूसरा कोई बहाना न मिले, इस विषय को टालने का और 1 बजे तक हर हालत में यह प्रसार भारती विधेयक पास हो और बिना विभाजन के पास हो। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, इस बिल के विषय में जो एटमोसफियर बना है, उस एटमोसफियर को बनाने में सत्तारूढ़ दल और संबंधित मंत्री जी का जितना बड़ा योगदान है। (व्यवधान) क्या इसी तरीके से यह हमारा सहयोग चाहते हैं ? (व्यवधान) अब मोटे रूप से आम सहमति का वातावरण बना है उसमें जितना योगदान माननीय मंत्री जी का है उतना ही योगदान दूसरे पक्ष का भी है और यह अच्छा वातावरण बन गया है। हम में से कोई भी व्यक्ति इस वातावरण को खराब करना नहीं चाहता। हम केवल इतना चाहते है कि हम में, माननीय उपेन्द्र जी की जो दिक्कतें हैं और इस बिल को पास करने के विषय में जो उत्सुकता है, उसको अपनी उत्सुकता मानकर उनके साथ सहयोग देना स्वीकार किया है और यह बात कल भी हो सकती है। (व्यवधान) आप इस तरीके से बोल करके हमको चुप नहीं करवा सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि ऐसा करके आप सरकार की मदद कर रहे हैं और हाउस की मदद कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलतफहमी मे है। आप अपनी आवाज को इस तरीके से दबा नहीं सकते हैं।

उपाध्यक्ष जी, आडवाणी जी ने एक बहुत ही विवेकसम्मत प्रस्ताव रखा है। मैं आपके माध्यम से हाउस को आश्वस्त करता हूँ कि कल अजेंडा में क्वेश्चन-आवर के बाद जो पहला आयटम होता है उस आयटम के रूप में हम इसको डिसकस करने के लिए तैयार हैं :

श्री पी. उपेन्द्र : यह तो रोज होता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई नहीं बोलेगा। यह मुझ पर छोड़ दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साठे जी, मैं आपसे सहयोग चाहता हूं। यह मुझ पर छोड़ दीजिए।

श्री साठे जी, क्या आपका यह कहना है कि प्रश्न काल के फौरन बाद हम इसको चर्चा के लिए लें।

श्री वसंत साठे : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। अब कोई भी अपना हाथ नहीं उठाएगा। अब मुझे सभा को कार्यवाही चलाने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं कुछ कहना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया यह मुझ पर छोड़ दीजिए।

[हिन्दी]

मैं यह सोच रहा हूं कि वातावरण बहुत अच्छा हो गया है, फिर से मैं सारे सदस्यों का इस अच्छे वातावरण के लिए हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और इसी अच्छे वातावरण में यह बिल पास होना है, पास होना चाहिए, ऐसा मैं सुझाव रखूंगा। जिस पर आपकी सम्मति है, उसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर बोलना चाहते हैं, बोलने का मौका दूंगा, समय मैं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

अब यह अध्यक्ष पीठ का विनिर्णय है कि इस मामले को कल प्रश्नकाल के तुरन्त बाद उठाया जाएगा। उस समय शून्य काल जैसी कोई चीज नहीं होगी। हम इस सत्ता में बैठेंगे और हम मध्याह्न भोजन काल में भी कार्यवाही जारी रखेंगे। परन्तु मैं उठाए जाने वाले मुद्दों पर अन्य चर्चा की ही अनुमति दूंगा।

अब सभा कल 11.00 बजे म. पू. पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.38 म. प.

तत्पश्चात लोकसभा गुरुवार, 30 अगस्त 1990/8 भाद्र, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिये स्थगित हुई।

———

कृष्णा प्रिंटिंग वर्क्स, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-6